

* पत्र लेखन *

CONVEYANCING IN HINDI

अर्थात्

दस्तावेज़ नवीसी पर हिन्दी भाषा में एक नई
और निराली पुस्तक

जिस को

पन्नालाल बी० ए० एल एल बी०
वकील हाईकोर्ट इलाहाबाद

ने

अपनी बनाई हुई उर्दू की किताब "दस्तावेज नवीसी"
से अनुवाद किया।

और

पालआदर्स अलीगढ़ ने प्रकाशित किया।

प्रथमबार १००० प्रति | सन् १९२३ ई० | मूल्य २) रु०

विषय सूची

आवश्यकीय सूचना

स्टाम्प का कानून सन् १६१६ की रिफार्म प्रचलित होने से पूर्व सारे हिन्दुस्तान में एक था। परन्तु अब उसके कम वेश करने का अधिकार सूबे की गवर्नमेंटों को दो गया है और कई सूबों में इस अधिकार के अनुसार स्टाम्प की दर बदल गई है। जहां ऐसा होगया हो वहां पत्र लेखक उस बदली हुई दर से स्टाम्प लगावें। प्रामेसरी नोट के स्टाम्प में जो तबदीली हुई हैं वह देश भर के लिये है। इस अनुवाद में इस तबदीली को लिखदिया है।

ओ३म्

भूमिका

दस्तावेज नवीसी जिसका यह पुस्तक "पत्र लेखन" उल्था है सन् १६२२ के अन्त में प्रकाशित हुई उसकी अंग्रेजी और उर्दू के बहुत से समाचार पत्रों ने बडी अच्छी समालोचना की और सर्व साधारण को बहुत उपयोगी और लाभ दायक प्रतीत हुई फल यह हुआ कि आधा ऐडिशन थोडे ही दिनोंमें हाथों हाथ बिकगया यह सफलता देखकर बहुत से मित्रों और विशेष करके मातृ भाषा हिन्दी के प्रेमियों ने मुझ से आग्रहकरके कहा कि उसका हिन्दी अनुवाद अवश्य छपना चाहिये और मैंने यह सोचा कि ऐसा करने से हिन्दी में पत्र लेखन का प्रचार होने के अतिरिक्त ग्राम निवासी व्यवहार कर्ताओं को बडा सुभीता होगा और वह बहुत से कष्ट से जो उनको उर्दू जानने वाले लेखकों की तलाश में होता है बच जावेंगे और व्यय में भी किफायत होगी क्योंकि हिन्दी जानने वाले लोग आसानी से और कम मजदूरी पर मिल जाते हैं। इसके सिवाय व्यवहार करने वाले अपने कामों को आसानी से समझ सकेंगे।

इन विचारों से उत्साहित होकर मने अनुवाद छपवाने का निश्चय किया परन्तु मुझे वकालत के कार्य से अवकाश बहुत कम मिलता है और ऐसा आदमी जो इस कार्य में सहायता दे सके बहुत दिनों तक नहीं मिल सका। हाई कोर्ट की बडी छुट्टियों में स्वामी रामानन्द सरस्वती जी से, जो हिंदी फारसी के बडे योग्य विद्वान हैं, भेट हुई। उन्होंने यह सहायता देना स्वीकार कर

लिया और उनके सम्मेलन से यह कार्य पूर्ण हुआ। मैं उक्त स्वामी जी का बहुत कृतज्ञ हूं।

अनुवाद करने में सब से अधिक कठिनाई यह हुई कि अर्बी फारसीके बहुत से शब्दों के जो पत्र लेखन में प्रयोग होते हैं पर्य्याय वाची सरल शब्द हिन्दी बोलचाल में नहीं मिलते। बहुत से अर्बी फ़ारसी के शब्द ऐसे हो गये हैं जिन को अनपढ़ मनुष्य तक भली भांति जानते और बोलते हैं ऐसे शब्दों के स्थान में कठिन शब्द संस्कृत निकास के रखना केवल व्यर्थ ही नहीं बरन पुस्तक को निरर्थक बनाना है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके समान वाची शब्द हिन्दी में होही नहीं सकते जैसे शुफा—मिहर—इत्यादि सब वार्ताओं पर दृष्टि रखते हुए यह मार्ग स्वीकार किया गया कि जिन शब्दोंके पर्य्याय वाची, सरल और बोलचाल के शब्द हिन्दी में मिलते हैं उनको तो उल्था करके लिख दिया है, जहा ऐसे शब्द कठिन या कम बोलचाल के हैं उन शब्दों को वैसा ही रहने दिया है और पर्य्याय वाचियों को कोष्ठ में लिख दिया है और उनका प्रचार बढ़ानेके लिये, कहीं उर्दू और कहीं उसके पर्य्याय वाची हिन्दी शब्द का एक ही दस्तावेज़ में प्रयोग किया है। भाषा को सरल और मामूली बोल चाल की बनाने का ध्यान रक्खा है इस अभिप्राय से कि हिन्दी पत्र लेखकों को अनुवाद के समझने में और आगे को पत्र लेखन में सुभीता और आसानी हो, एक सूचीपत्र अरबी फारसी के शब्द और उनके हिन्दी अनुवाद का दे दिया है। आशा है कि उसका उक्त प्रयोग करने से बहुत कुछ सहायता मिलेगी।

ग्रन्थ कर्त्ता



दस्तावेज़ नवीसी

अर्थात्

दस्तावेज़ लिखना सिखाने वाली पुस्तक

पुस्तक निर्माण कारण

दस्तावेज़ लेखन कानूनी शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, अमेरिका योरोप आदि में जहां कानून की विविध शाखायें और उसके अंगोपांग पूर्णता को पहुंच चुके हैं दस्तावेज लेखन को उसकी उचित पदवी दीजा चुकी है, और उन देशों में इस विषय में अनेक पुस्तकें विद्यमान हैं, जब कोई मनुष्य किसी जायदाद को मोल लेना या किसी और प्रकार से प्राप्त करना चाहता है वह अटारनी या किसी कानूनी सलाहकार की सहायता लेता और कच्चीलिपि बनवाता है भिन्न २ प्रकार के दस्तावेजों के लिये भिन्न २ प्रतिज्ञा नियत हैं और मुख्य प्रतिज्ञायें जो लेने देने वाले दोनों पक्षों के बीच में ठहर जाती हैं उन दोनों पक्षों के अटारनी कच्चीलिपियों में लिखते हैं और स्वत्व और अन्य अधिकारों

के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहने पाता इस प्रकार जायदाद के परिवर्तन का काम अत्यन्त सुगमता और उत्तमता के साथ चलता है, झगडा और मुकद्दमे बाजी कम होने पाती हैं। इसके विपरीति भारत वर्ष में अभी तक इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है, यद्यपि कानून की शिक्षा लगभग उसी सीमा तक पहुच चुकी है जैसी अन्य सभ्य देशों में पाई जाती है, नित्य प्रति अंगरजी कानून के नियम और उनके विषय में नजीरें ला रिपोर्टों से अदालतों के सामने पेश की जाती है और उनके अनुसार सैंकडों वरन सहस्रों नजीरें हिन्दुस्तान की हाई कोर्टों से निकल चुकी हैं, और निकल रही हैं। तावीर (व्याख्या) के नियम जो नियमानुसार लिखा हुई दस्तावेजों के लिये यारोप आदि में नियत हुए हैं उनको अदालतें बडी स्वतत्रता और बहुतायत के साथ भारतवर्ष के अपूर्ण और सदेह युक्त दस्तावेजों के अर्थ लगाने में काम में लाती हैं और सैकडों साइलों (न्याय इच्छुकों) के भाग्य का निपटारा इसी प्रकार हो जाता है, परन्तु शोक तो यह है कि उन दस्तावेजों के लेख की ओर जिन के अर्थ लगाने और उनके द्वारा दोनों फरीकों के स्वत्वों के निपटारा करने में इतना परिश्रम किया जाता है कोई मन नहीं लगाता।

भारतवर्ष में दस्तावेज लिखने का काम अंगरेजी शिक्षा लगभग डेढ सौ वर्ष से प्रारम्भ होने पर भी अब तक ऐसे मनुष्यों के हाथ में है, जिन को विद्या तथा कानूनी जानकारी तो दूर रही सीधी इबारत (लेख) भी लिखना नहीं आती। बहुत से दस्तावेज लेखक जो ग्रामों में रहते हैं थोडा सा लिखना पढ़ना सीख कर दस्तावेज लिखने लगते हैं दोनों फरीक अन पढे होते हैं इस लिये जो उन दस्तावेज लेखकों की समझ में आ जाता है लिख मारते हैं जब

का लेख बड़े योग्य और कानून जानने वाले जजों के सामने व्याख्या के लिये पेश होता है वह अपने मस्तिष्क को भांति २ का कष्ट देकर उसके समझने और किसी समय उसके निरर्थक और अनमिल व जाड टुकड़ों का अर्थ लगाने और दोनों फरीकों के स्वत्वों का निपटारा करने का परिश्रम करते है, ऐसे फैसिलों में जो दोनों फरीकों की हानि होती है वह प्रत्यक्ष है। यह दशा तो ग्रामीण दस्तावेज लेखक की है, अब रहे कस्बों के दस्तावेज लिखने वाले जो बहुधा तहसीलों और रजिस्ट्री के दफ्तरों के बरामदे या दरवाज़े पर बैठते हैं निस्सन्देह उनकी लिपियां ग्राम के दस्तावेज लेखकों से कुछ अच्छी होती हैं परन्तु उन कचहरीलिपि का सम्बन्ध जहां तक कानूनी स्वत्वों के सुलझाने और जायदाद परिवर्तन की भिन्न २ शर्तों के समझाने से है दोनों लेखकों में कुछ अधिक अन्तर नहीं है, इन कस्बे वाले दस्तावेज लेखक के लिखे हुये साधारण उधार के दस्तावेज़ तथा रुक्के सम्भव है कि अधिक आक्षेप के योग्य न पाये जावें परन्तु पेचदार दखली रहन नामे, मशरूत उल रहन (रहन की शर्त वाले) बेउलवफा (रहन से हो जाने वाले) आदि के दस्तावेज इन लोगों के लिखे हुए साधारण तथा त्रुटि से खाली नहीं होते बहुधा बहुत भद्दा भाषा में लिखे हुए होते हैं, इंगलिश के रहन से तो यह लोग निरे अनभिज्ञ होते हैं इन लोगों के लिखे हुए वसियत नामे बहुधा ऐसी शर्तों से भरे होते हैं। बहुत से बैअ नामे और दस्तबरदारी पट्टे यह ऐसे लिख देते हैं जो कानूनन (कानून द्वारा नहीं लिखे जा सकते जैसे पीछे से पैदा होने वाले वारिस (उत्तराधिकारी) के विरासत के हक्क (स्वत्व) की बैअ (बिक्री) या शारीरिक सेवा का पट्टा या पैदा होने से पहले साकितुल मिलकियत के विषय में दस्तबरदारी (त्याग पत्र) इत्यादि जो आवश्यक शर्तें मिलकियत के नकुस

(त्रुटि) के मध्ये बहुत सी दस्तावेज़ों में लिखना आवश्यक होती हैं उनका कहीं पता नहीं चलता, बैअ नामों (बिक्री पत्रों) में यद्यपि जायदाद समस्त स्वत्व और अधिकारों सहित परिवर्तन होना लिखी जाती है । और कानून का तात्पर्य भी यही है परन्तु तो भी बहुत से शब्द जैसे शोर, कल्लर बजर आदि बहुधा अनावश्यक और बे अवसर लिखे जाते हैं और दस्तावेज का आकार जो आवश्यक और उचित विषयों से भरा जाना चाहिये था व्यर्थ किस्से कहानी से बढ़ा दिया जाता है जायदादका ब्यौरा बहुधा ऐसा लिखा जाता है कि या तो उससे पूरा पता जायदाद का नहीं मिलता अथवा कोई आवश्यक अवयव छूट जाता है, बहुधा देखा गया है कि जमींदारी के विवरण में शामिलात देह या शामिलात थोक की हकिकयत दोनों उभयपक्ष की इच्छा होने पर भी लिखने से रह जाती है और बहुत सी अनावश्यक मुकद्दमेबाजी का कारण होती हैं। रहन नामों में ऐसी शरतें जो रहन करने वाले और रहन रखने वाले के आपस के सम्बन्ध को सुगमता के साथ स्थिर रख सकें नहीं होतीं या ऐसे रूप में रख दी जाती हैं जो विवश लड़ाई और झगड़े का कारण होजाती हैं। पट्टा और कबूलियत आदि की शर्तों के विषय में भी हर रोज यही दशा देखने में आती है। तात्पर्य्य यह है कि न्यूनाधिक हर प्रकार के दस्तावेज अनुचित और अधूरी दशा में पाय जाते हैं जब तक भारतवर्ष में दस्तावेज लिखने के कामकी ओर पूरा ध्यान न दिया जावेगा यह त्रुटि दूर न होगी और मुकद्दमे बाजी बढ़ती रहेगी । बड़ी भारी कठिनाई जो इसके दूरकरने में आकर पड़ जाती है वह यह है कि भारतवर्ष में दस्तावेज उर्दू भाषा में लिखे जाते हैं और बहुत समय तक लिखे जायगे। और कानूनी शिक्षा जो हम लोगों को दी जाती है वह अंगरेजी भाषा में होती है और कानून पेशा अंगरेजी

जानने वाले इस कार्य्य को नहीं करते और एक प्रकार वे कर भी नहीं सकते। इसके अतिरिक्त साधारण मनुष्य जो निधन होते हैं वे वकीलों की फीस नहीं दे सकते और पहिले से देश में प्रथा न होने के कारण उनको इस प्रकार का व्यय करना बहुतही असह्य मालूम होता है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दो चार शहरों के अतिरिक्त बहुत कम स्थान देश में मिलेंगे जहां इन्तिकाल (परिवर्तन) करने वाले और लेने वाले मनुष्य अपने कार्य्यों को कानूनी वकीलों के द्वारा कराते हों और उनके कच्ची लिपियोंमें वकीलोंका हस्ताक्षेप होता हो यही कारण है कि वकीलों का इस ओर मन नहीं लगता और आज तक इस विषय पर किसी ने कोई पुस्तक लिखने का साहस नहीं किया। यह पुस्तक इस विचार से लिखी गई है कि इन्तिकाल (परिवर्तन) करने वाले और लेने वाले उस झगडे से जानकार होजाय जो निकम्मी और अशुद्ध इन्तिकाल के दस्तावेजों से पैदा होता है। और दस्तावेज लेखक जिनकी जीविका इस काम पर निर्भर है, अपने कर्त्तव्य को अच्छी प्रकार जान सकें और पहिले जिन दस्तावेजों को वह बेपरवाही और अच्छी तरह ध्यान देने के बिना ही लिख देते थे उचित और अच्छे ढग से लिख सकें। जिन आवश्यक बातों को वह नहीं जानते इस पुस्तक से जान सकें। आशा की जाती है कि यह पुस्तक अनुभवी और बूढे वकील महाशयों को नहीं तो कम से कम नये वकीलों के लिये सहायता पहुचावेगी।



प्रस्तावना

सम्पत्ति दो प्रकार की होती है (१) चल (२) अचल

दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का परिवर्तन एक मनुष्य से दूसरे की ओर साधारणतया दो प्रकार से होता है एक कानूनी नियम या प्रभाव द्वारा दूसरे उभय पक्ष के कार्यद्वारा यदि कोई मनुष्य जायदाद छोडकर मर जाय तो उस जायदाद के स्वामी उसकेमरण पश्चात् उस कानूनके अनुसार उसके उत्तराधिकारी होंगे जिस कानून पर मरने वाला चलता था। इस प्रकार का परिवर्तन क़ानूनी प्रभाव द्वारा कहा जाता है। उसके लिये किसी लेख की आवश्यता नहीं होती। इसके विपरीत जब एक मनुष्य अपनी जायदाद को या कि उसमें किसी (परमित) स्वत्व को आरजी तौर (कुछ दिन के लिये) या सदा के लिये किसी दूसरे मनुष्य को दे दे तो उसके लिये कानून ने नियम बनाये हैं और उन नियमों के अनुसार उसका इन्तिकाल परिवर्तन निश्चल हो सकता हे जैसे यदि कोई मनुष्य अपनी जायदाद अचल किसी कर्जे में आड करना चाहे तो कानून के अनुसार उसका परिवर्तन उस समय हो सका है जब उसका लेख उचितस्टाम्प पर किया जावे और उस पर कम से कम दो मनुष्यों की साक्षी प्रमाण की रीति पर की जावें और नियमानुसार उसकी रजिस्ट्री कराई जावे, इसी प्रकार अचल सम्पत्ति का हिबा (दान) इसी प्रकार होता हे, तात्पर्य यह है हर प्रकार के इन्तिकाल (परिवर्तन) के लिये भिन्न भिन्न नियम बनाये गये हे। ऐसे इन्तिकाल जो इन नियमों के अनुकूल किये जाते हैं वह दोनों पक्षों क करने से कार्यरूप में

आते हैं, और दस्तावेज लेखन इस प्रकार के इन्तिकालों से सम्बन्ध रखता है।

नियम पूर्वक और ठीक २ दस्तावेज लिखने के लिये आवश्यक है कि वे लोग जो इस काम को करें कानून से इतनी जानकारी रखते हों कि जिस से वह यह जान सकें कि खास इन्तिकाल (मुख्य परिवर्तन) किस प्रकार का है और वह किस मूल्य के और कैसे स्टाम्प पर लिखा जावेगा, और उस की रजिस्ट्री आवश्यक है या अपने अधिकार की और उसके लिये क्या २ शर्तें आवश्यक हैं जो लिखी जावें, इसमें सन्देह नहीं जितनी योग्यता अधिक होगी उतनी ही दोनों पक्षों के स्वत्व की रक्षा होगी और दस्तावेज नियमाऽनुसार और शुद्ध लिखी जायगी परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि एक साधारण योग्यता का दस्तावेज लेखक यदि वह आवश्यक बातों को जान ले तो सब तरह की दस्तावेज शुद्ध और ठीक २ न लिख सके, जो लोग दस्तावेज लिखने की जीविका करते हैं और उनकी लेखनी से सैकड़ों दस्तावेज हर प्रकार की निकलती हैं वह बहुत सी शर्तों और बन्धनों को जो दस्तावेजों में लिखी जाती हैं जान जाते हैं, काम करने वाले उनको अपनी ठहरी हुई शर्तें बतलाते हैं और तरह२ के मुआमले (व्यवहार) सामने रखते हैं जिस कारण उनको बहुत सा अवसर व्यवहारों की रंगतें और रूप देखने और समझने का मिलता है और कुछ दिनों के अनुभव के पश्चात् वह लगभग उन सब बातों को जान जाते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिये आवश्यक होती हैं, परन्तु ऐसा अनुभव यद्यपि बहु मूल्य और बड़े परिश्रम के पश्चात् प्राप्त होने पर भी अन्त को नियमानुसार नहीं होता, और कुछ मुख्य उदाहरण को छोड़ कर बहुधा अपूर्ण और अधूरा होता है।

ग्रन्थकार का विचार है कि दस्तावेज लेखकों की शिक्षा के लिये इस पुस्तक में प्रथम दस्तावेजों के आवश्यक अवयव दिख-

लाये जायें और उनके विषय में संक्षिप्त व्याख्या की जावे जिस के द्वारा दस्तावेज लेखक जो त्रुटियां बेपरवाई और कभी २ बिना विचारे कर जाते हैं न कर सकें, और जो उलझन भिन्न भिन्न व्यवहार के प्रकाशित करने में दस्तावेजों में हो जाती है न हो सके, दस्तावेज का सारांश और भिन्न भिन्न टुकडों का अर्थ समझने में सुगमता हो, विषय प्रणाली नियम पूर्वक हो सके और वह स्पष्ट वर्णन और व्याख्या जो प्राय दस्तावेजों में नहीं होती पैदा हो जावे, जिससे मुकद्दमे बाजी कम हो और झगडे न उठ सकें और दोनों पक्ष अपने स्वत्व और उत्तर दायित्व को अच्छी तरह समझ सकें, आवश्यक अवयवों के पश्चात् भिन्न २ प्रकार की दस्तावेजों के मुख्य अंग और उनकी आवश्यक शर्तें लिखी जावेंगी, और यह भी लिखा जावेगा कि उनके लिये किस मूल्य का स्टाम्प लगेगा और उनकी रजिस्टरी आवश्यक है या अपने अधिकार में और कभी कभी दस्तावेजों के भेदों का वर्णन और उनके लक्षण लिखते हुये यह प्रयत्न किया जावेगा कि एक ही ढंग की भिन्न २ दस्तावेजों में क्या अन्तर होता है और इस अन्तर से दोनों फरीकों के स्वत्वों पर कितना प्रभाव पडता है। परन्तु यह याद रहे कि यह पुस्तक दस्तावेज नवीसी की है न कि किसी क़ानून की व्याख्या। इस लिये यह वर्णन बहुत संक्षिप्त और उसी सीमा तक होंगे जहां तक कि वह दस्तावेज लेखक को सहायता दे सकें। जो दस्तावेजों के नमूने इस पुस्तक में लिखे गये हैं वह अधिकतर पेचदार व्यवहारों के सम्बन्ध में हैं और साधारणतया उनको दस्तावेज लेखक शुद्ध और ठीक तौर पर नहीं लिखते। यह रिमार्क (Remark) साधारण रुक्कों और तमस्सुकों से सबन्ध नहीं रखते जो लगभग सबही दस्तावेज लेखक बहुत थोडे अनुभव के पीछे लिख लेते हैं। रहननामे। दख़ली मशरुतुर्रहन (बैउलवफा) वसीयतनामे, तमलीक

नामे आदि ऐसी दस्तावेज़ हैं कि जिनमें विशेष उलझन और कठनाई पड़ती है और उन्हीं के विषय में प्रयत्न किया जाता है कि दस्तावेज लेखक के विचार स्पष्ट और शुद्ध हों, वह व्यवहार को ठीक और शुद्ध रीति से समझ और लिख सकें। नमूनों में इच्छा पूर्वक भिन्न भिन्न व्यवहार छांट कर सम्मिलित किये गये हैं और आशा है कि जिसका प्रभाव यह होगा कि दस्तावेज लेखक जान सकेंगे कि विशेष मुआमिले किस प्रकार और किस भांति से दस्तावेज में रक्खे जायें। बहुत से परिवर्तन जो साधारण नहीं होते या जो कि बड़े बड़े शहर जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रासादि में प्रचलित हैं। उनके नमूने नहीं दिये गये और उसका कारण यह है कि वह जहां कहीं होते हैं अङ्गरेज़ी भाषा में लिखे जाते हैं और साधारण दस्तावेज लेखक को उनसे काम नहीं पड़ता। पुस्तक के अन्त में दस्तावेज-नवीसों के जानकारी के लिये कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनसे यह मालूम हो सके कि किस प्रकार के मुआमलों के विषय में परिवर्तन या दूसरा लेख अनुचित है, और उस प्रकार के परिवर्तनों को दस्तावेज लेखक न लिख सके।



दस्तावेज लेखक का प्रारम्भिक कार्य।

दस्तावेज लिखने से पहिले लेखक का कर्तव्य है कि वह कार्य कराने वालों से उसकी नौइयत (भेद) पूछे और फिर ज्ञात करे कि वह किस प्रकार की दस्तावेज लिखाना चाहते हैं, और उसके सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें एक एक करके किसी कागज पर नोट करता जावे।

(१) दस्तावेज का लिखने वाला कौन होगा और किस के हक्क में दस्तावेज लिखा जावेगा।

(२) दस्तावेज लिखने का कारण।

(३) मुआवजा (बदल) क्या है और उसका देना किस प्रकार ठहरा है।

(४) यदि किसी ऋण से सम्बन्ध रखता हो तो उसकी ब्याज की दर और मूल और ब्याज तथा दोनों के चुकाने की रीति और उसका निश्चित समय और चूक होने पर प्रत्येक पक्ष का अधिकार और उत्तरदायित्व क्या होगा।

(५) यदि व्यवहार किसी अचल सम्पत्ति के विषय में हो या उस से सम्बन्ध रखता हो तो उसका ब्योरा शुद्धता के साथ जिस से उस की पहचान में कुछ सन्देह न रह सके, और यदि वह किसी चल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखता है। जिसमें पते या व्याख्या की आवश्यकता हो तो उसका पूरा पता और ब्योरा, आया उक्त जायदाद पर कोई पहला भार आड या दूसरी प्रकार का रोटी कपड़े का या मालि॰ काना इत्यादि का है या नहीं, और यदि है तो उसके चुकाने, पूरा

करने या दूर करने के विषय में दोनों पक्षों का समझौता क्या है।

(६) यदि अभीष्ट कार्य्य बैअ,रहन दान,आदि इस प्रकार का हो जिस के द्वारा एक आदमी स्थायी का स्वत्व दूसरे आदमी की ओर बदलता हो तो परिवर्तनीय जायदाद के संक्षिप्त और स्पष्ट वृतान्त जिससे कि वर्तमान परिवर्तन करने वाले को स्वत्व प्राप्त हुआ हो और उसके परिवर्तन का उसको अधिकार हो।

(७) अगर जायदाद एक मनुष्य के नाम हो और दूसरा मनुष्य असली स्वामी के हैसियत से उसको बदलता हो तो उसे किस प्रकार यह अधिकार प्राप्त है।

(८) अगर व्यवहार से एक मनुष्य की जायदाद दूसरे मनुष्य के अधिकार में रहनी ठहरी हो तो उसकी आमदनी का परिमाण और वसूल का ढंग और हिसाब की रीति और मुजरई व ब्याज आदि का ब्योरा।

इनके अतिरिक्त उस व्यवहार के सम्बन्ध में जो अन्य उचित और आवश्यक बातें होती हैं वह भी दोनों फ़रीकों को बतलाइये और उसके विषय में जो दोनों पक्ष निश्चय करें वह नोट करके जैसे रहायशी जायदादकी दख़ली रहन में साधारण मरम्मत की शर्त तथा असाधारण टूटे फूटे की मरम्मत, और ख़ाली रहने की दशा में किराये की कमी का उत्तरदाता कौन होगा,और पुराने ऋण के भारों की दशा में उनके अदा करने का प्रबन्ध कौन करेगा और किस तरह करेगा। और बैअ के विषय में मिलकियत के स्वत्व के सम्बन्ध में शर्ते, कुल या कुछ हिस्सा मूल्य की वापसी बेची हुई वस्तु के समस्त या किसी अंश के निकल जाने या किसी

जायदाद का ब्यौरा जो लिखा जावे वह पूरा २ होना चाहिये जैसे हकीकत जिमींदारी की दशा में उसका रकबा,मालगुजारी महाल, खाता खेवट नाम मौजा, परगना, जिला और उस के साथ शामिलात थोक और पट्टी या महाल और शामिलात देह सब लिखने चाहियें।

इसी तरह मुतऊ जमीन की दशा में उसका नम्बर रकबा, लगान सालाना, मौजा महाल आदि देना चाहिये आयदाद सकनी (रहायशी) की दशा में उसकी हालत तामीर, चारों सीमा नाम मुहल्ला व कस्बा आदि सब लिखा जाना चाहिये। अगर उसके सम्बन्ध में पाखाना या चौक या दूसरी चीज हो या कोई हक आसाइश, परनाला या खिड़की आदि का हो तो वह सब लिखना चाहिये इससे लेने और देने वालों का झगड़ा होने की दशा में बड़ी मदद मिलती है और बहुत से खर्चे से बच जाते हैं।

जब एक बार मुकिर या परिवर्तन ग्रहीता का पूरा पता दस्तावेज में आ जावे तो दूसरी जगह दस्तावेज के अन्दर उचित और किसी समय आवश्यक होता है कि उस फरीक को किसी संक्षिप्त नामसे दस्तावेज के भेदानुसार लिखा जावे जैसा कि बैनामे में लफ्ज बायअ् (बेचने वाला) और मुश्तरी (मोल लेने वाला) और रहन नामे में राहिन (रहन करने वाला) और मुर्तहिन (रहन कराने वाला) और हिबअनामा में वाहिब (दाता) और मौहूबिलह (जिसको दान किया जावे)

परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि उक्त प्रयोग की त्रुटि से दोनों फरीकों के स्वत्वों में गड़बड़ न होने पावे।

जब किसी दस्तावेज में कई फरीक हों जैसा कि शरकतनामा, तकसीमनामा, सुलहनामा, इकरारनामा आदि में बहुधा होता है

तो उन मनुष्यों को जिनके हकूक यकजाई या मुश्तरिक हों अलग२ फरीक नम्बरवार कर लेना उचित होता है जैसे फरीक नं० १ फरीक नं० २ इत्यादि, परन्तु एक ही फरीक को दस्तावेज में दो भिन्न नामों से वर्णन करना अनुचित और बहुधा संदेहजनक होता है।

इन सब बातों को समझते हुये और ध्यान रखते हुये कच्ची लिपि बनाई जावे और दोनों फरीकों को सुनाई जावे। इस में जो अन्तर दोनों फरीक बतलावें या कोई कमी बेशी या दुरस्ती चाहें वह करदी जावे—दोनों फरीकों की इच्छा और नीयत को सामने रखना दस्तावेज लेखक का काम है उसकी कच्ची लिपि एक आईना होना चाहिए जिसमें दोनों फरीकों का मामिला बिना कमी बेशी के देखने वाले को दीख सके।

इसके पश्चात् कच्ची लिपिको कागज पर या स्टाम्प पर जैसी सूरत हो साफ करना चाहिये जो दस्तावेज किसी नकश किये हुये स्टाम्प पर लिखे जावें तो नकश किया हुआ स्टाम्प ऊपर की तरफ होना चाहिये दूसरा कागज हो तो भी थोडा सा हिस्सा ऊपर छोड देना चाहिये जिस पर आवश्यकता पडने पर टिकट चिपका दिया जावे अगर दस्तावेज ऐसा है कि जिस पर इकरार करने वाले के हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त गवाहियां होना भी आवश्यक है तो दाहिने हाथ की ओर खूब चौडा किनारा इकरार करने वाले और गवाहों के दस्तखतोंका छोडना चाहिये। साधारण तया हाशिये की चौडाई सारे कागज की चौडाई की चौथाई रक्खी जाती है परन्तु आवश्यकता पडने पर कम या अधिक रक्खी जा सकती है चौडा रखने में पता आदि लिखने में सुगमता रहती है।

इकरार करने वालों के दस्तखत पहिले हाशिया पर कराने के पीछे गवाहों की गवाहियां करानी चाहियें चूंकि इकरार करने

वालोंका पूरा पता दस्तावेजमें बहुधा आजाता है इस लिए इकरार करने वालों के हस्ताक्षर कराने में अगर उनका पूरा पता न लिखा जावे तो कुछ हानि नहीं है परन्तु हर एक गवाह का नाम उसके पिता का नाम जाति, निवास स्थान, और पेशा आदि गवाही में लिखना चाहिये। अगर गवाह अपने हस्ताक्षर उस भाषा में नहीं कर सकता जिस में दस्तावेज लिखा गया है तो उसका नाम पूरे पते सहित पहिले लेखक आप लिख देवे और उसके नीचे उसके हस्ताक्षर उस भाषा में जो गवाह जानता हो कराले अगर गवाह दस्तावेज की जबान में दस्तखत करना जानता हो तो उसके हस्ताक्षर पूरे पते के साथ खुद लिखाने चाहियें। किसी समय ऐसे गवाह मिलते हैं कि वह केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं ऐसी दशा में अच्छी रीति यह है कि लेखक उसका नाम पूरे पते सहित आप लिखे और उसके पीछे गवाह के दस्तख़त करावे।

दस्तावेज के इक़रार करने वालों से उनके दस्तखतों के नीचे इस प्रकार के शब्द कि "इतने रुपये पाये" "दस्तावेज पढ़कर दस्तखत किये" या गवाहों से यह लिखाना कि दोनों फ़रीक़ों के कहने से गवाही की" दोनों "धनी हाजिर" या इसी प्रकार की और कोई इबारत लिखाना संदिग्ध लाभ है और सम्भव है कि किसी दशा में लाभदायक सिद्ध हो परन्तु साधारणतया उसका प्रभाव या तो कुछ नहीं होता या सन्देह का कारण हो जाता है अधिकांश जब किसी मुकद्दमे में दस्तावेज की असलियत और सचाई पर फरेब धोखा बिना बदल गलत बयानी आदि पर बहस होती है तो ऐसे लेखों से सन्देह दूर होने की जगह और बढ़ जाता है निदान यह मुआमिला अधिकतर दस्तावेज़ के दोनों फरीकों की इच्छा और खुशी पर निर्भर है दस्तावेज लेखक के काम का यह कोई अङ्ग नहीं और न उसको इस प्रकार के लेख के विषय में किसी फरीक या गवाह से कोई प्रस्ताव करना चहिये

इकरार करने वाले और गवाह ये पढ़े हों उनको दस्तावेज सुना कर उनके अगूठे के निशान दस्तावेज़ पर लगाने चाहियें जब से रजिस्टरी में अगूठे लेने का प्रचार हो गया है तब से दस्तावेज लेखक को यह सामान जिसके द्वारा अगूठे के निशान साफ और उत्तम आ सकें रखना आवश्यक है। और उसको अभ्यास कर लेना चाहिये कि वह अच्छे निशानात ले सके। खराब निशानात लेने का फल विशेष कर उन दस्तावेज़ों की बाबत जो ये रजिस्टरी हों किन्हीं मुकद्दमों में बड़ा बुरा होता है। और कभी २ दोनों फरीकों का इसी से गला कट जाता है॥

सब से अन्तिम बात जो इस प्रकरण में विचारने योग्य है वह यह है कि जहा तक हो सके दस्तावेज़ बड़ी साफ इबारत में लिखी जावे। उत्तम अक्षर हर एक लेखक नहीं लिख सक्ता परन्तु साफ लिखने का प्रयत्न हर मनुष्य कर सक्ता है। घसीट लेख में अशुद्ध लिखे जाने और पढ़े जाने की सम्भावना साफ लेख की अपेक्षा अधिक होती है इसलिये यह अच्छा है कि लेख सवार कर लिखा जावे, यदि घसीट लिखा जावे तो सावधानी के साथ जिससे उसके पढ़ने में कोई सदेह न हो सके और दोनों पक्ष लेखक के बुरे लेख से हानि न उठावें।



रुक्का या प्रामेसरी नोट

परिभाषा—प्रामेसरी नोट वह लिखी दस्तावेज है (बेंक नोट या करेन्सी नोट को छोड़ कर) जिस में बिना शर्त के लिखने वाले के दस्तख़त से केवल एक नियत संख्या के नक़द रुपये के अदा करने की प्रतिज्ञा इस प्रकार की गई हो कि एक ख़ास मनुष्य को या जिस को वह दिलाये उस को या उस दस्तावेज के हामिल (ले जाने वाले) को दिया जावेगा।

अकसाम [भेद]–प्रामेसरी नोट दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो इन्दुलतलब माग पर अदा करने योग्य हों दूसरे जो किसी नियत समय पर देने योग्य हों। मुद्दती प्रामेसरी नोट या मुद्दती हुंडी में कुछ अन्तर नहीं होता, और मुद्दती प्रामेसरी नोट बहुत कम लिखे जाते हैं।

स्टाम्प—प्रामेसरी नोट पर जब कि वह इन्दुलतलब (मांग पर) अदा करने योग्य हो एक आने का स्टाम्प ढाई सौ रुपये तक दो आने का स्टाम्प एक हजार रुपये तक और उस से ऊपर चार आने का स्टाम्प (टिकट) लगता है, यदि किसी वादे पर अदा करने योग्य हो तो वही स्टाम्प लगता है जो मुद्दती हुंडी पर और जो साधारणतया एक आने सैकड़े के लगभग होता है।

देखो मद १३ जमीमा १ कानून स्टाम्प एक्ट सन् १८९९ ई०

सामान्य सूचना

प्रामेसरी नोट के लिखने में यह विचार अवश्य रक्खा जावे कि उसका रुपया मांग पर अदा करने योग्य हो नहीं तो हुंडी का स्टाम्प लगेगा, इस पर गवाहियां कदापि न

होनी चाहियें, नहीं तो दस्तावेज के समान हो जायेगा, अगर बदल की अदायगी की गवाही का प्राप्त करना आवश्यक हो तो रुपये की रसीद अलग लिखाई जा सक्ती है, और उस पर गवाही हो सक्ती है।

जो चिपकाने का स्टाम्प प्रामेसरी नोट पर लगाया जाये उस के ऊपर इकरार करने वाले के हस्ताक्षर या अगूठे का निशान तारीख और सन सहित इस प्रकार कराये जावें कि वह स्टाम्प फिर काम में न आ सके।

प्रामेसरी नोट इन्दुत्तलब का नमूना नं० १

टिकट -)

हस्ताक्षर इकरार करने वाले के तारीख व सन् सहित

जनाब मुंशी अब्दुल करीम साहिब तसलीम जो कि मुबलिग दोसौ २००) रुपये सिक्के सरकार कि जिनके आधे मुबलिग सौ रुपये, १००) उक्त सिक्के के होते हैं आपसे नकद कर्ज लिये हैं उक्त रुपये इन्दुत्तलब (मागने पर ही) एक रुपया मासिक सैकड़ा ब्याज सहित अदा किये जावेंगे इस लिये यह प्रामेसरी नोट टिकट चस्पा आपको लिख दिया कि प्रमाण रहे।

राकिम

नासिरुद्दीन वलद मियां खां कौम पठान साकिन अलीपुर तहसील खुर्जा जिला बुलंदशहर।

मुकाम अलीपुर,

ता० १३ मई सन् १६१२।

प्रामेसरी नोट नमूना नं० २

टिकट
दस्तखत ता० सन् सहित

मैं नौबतराम बेटा रामधन जाति ब्राह्मण निवासी शाहनगर तहसील माट जिले मथुरा, इकरार करता हू, कि एक हजार रुपया अकेन १०००) सिक्के सरकार कि उसके आधे पाच सौ रुपये अकेन ५००) उक्त सिक्के के होते हैं देवकी नन्दन वल्द रामसहाय ब्राह्मण साकिन उक्त शाह नगर को नीचे लिखे हुए मुआवजे के बदले में हस्बुत्तलब अदा करू गा, इसलिये यह रुक्का लिख दिया कि सनद रहे।

अपने लिखे रहननामे के मध्ये लाला केवलराम साकिन कोल के नाम का जो ४ अप्रैल सन् १८८७ को लिखा-आप के पास छोड़े।

५००)

अपने लिखे हुए रुक्के के मध्ये जो२४ जुलाई सन् १८८५ को आप के नाम लिखा था असल व सूद के मुजरा दिये।

२५०)

खर्च अदालत के लिये नकद आज की तारीख में वसूल पाये

२५०)

हस्ताक्षर

नौबतराम बकलम खुद

मुकाम शाहनगर तारीख२७ अगस्त सन् १८८७ ई०

नमूना नं० ३

टिकट दस्तखत, ता० सन्

जनाब मुंशी अब्दुर्रहमान खां साहिब रईस मोहनपुर जिला बिजनौर तसलीम-

जोकि २८०) रुपये आप के मेरे ऊपर मेरे पहले रुक्के तादादी दो सौ रुपये तारीख ३ अक्टूबर सन् १६१२ के चाहियें और २०) रु० आज घरेलू काम के लिये नकद कर्ज लिए हैं।

कुल तीन सौ रुपये कि जिसके आधे डेढ सौ रुपये होते हैं, एक रुपये मासिक सैकडा व्याज सहित जब आप मागेंगे तब अदा करूंगा, इस लिये यह रुक्का टिकट चस्पा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

ह० । खुदाबख्श वल्द इमाम अली साकिन कस्बा नगीना जि० बिजनौर।

स्थान, तारीख

नमूना नं० ४

मैं इकरार करता हूँ कि चारसौ रुपये कि जिस के आधे दो सौ रुपये होते हैं मु० अहमद यार खां वल्द मु० गुलाम नबीखां कौम पठान साकिन हसन नगर जि० गुडगांवा को निस्बत कर्जा जो मैंने उनसे नक़द लिया है मय सूद फीसदी एक रुपया माहवारी इन्दुत्तलब अदा करूंगा इसलिये प्रामेसरी नोट लिख दिया कि सनद रहे।

ह० । प्रेम सुखदास वल्द ज्ञानदास कौम बोहरा साकिन मुहम्मदनपुर जि० गुडगांवा, बकलमखुद

ता० १७ । नवम्बर सन् सन् १८६१ मुकाम हसन नगर ।

नमूना रसीद मध्ये प्रामेसरी नोट नं० (१)

टिकट
नासिरुद्दीन बकलम खुद ता० -

मैं कि नासिरुद्दीन वलद मियांखां कौम पठान साकिन परगना व तहसील जि० का हूं, जो कि दो सो रुपये कि उसके आधे सौ रुपये होते हैं, मुं० अब्दुल करीम खां वलद मु० इनायत अहमद खां कौम पठान साकिन जि० से बाबत मुआवज़ा प्रामेसरी नोट नविश्त खुद मौसूमा मुंशी साहिब मौसूफ नकद वसूल पाये, इस लिये यह रसीद टिकट चस्पा लिखदी कि सनद रहे।

अल अ ———— ब्द गवाह शु ———— द गवाह शु ———— द
नासिरुद्दीन बकलम खुद
तहरीर तारीख मुकाम

नमूना रसीद नं० २

तारीख १६ सितम्बर सन् १९१७ को मुझ नौबतराय वलद रामधन ब्राह्मण साकिन शाह नगर तहसील जि० न मुथलिग कि उसके आधे मुबलग रुपये होते हैं पं० देवीकीनन्दन वलद राम सहाय ब्राह्मण साकिन मौजा शाह नगर मजकूर से बाबत मुआवजा रुक्का जो मैंने बहक्क उक्त पंडित जी के आज लिखा है नकद वसूल पाये इस लिये यह रसीद लिख दी ॥

अल अ ———— ब्द गवाह शु ———— द
गवाह शु ———— द
तहरीर तारीख मुकाम

तमस्सुक

लफ्ज तमस्सुक मे,

(अ) हर ऐसी दस्तावेज सम्मिलित है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इस शर्त पर रुपया अदा करने की प्रतिज्ञा करे कि यदि अमुक विशेष क्रिया कार्य में आवे या न आवे और जैसा अवसर हो तो उक्त प्रतिज्ञा भग हो जावेगी। और

(ब) हर ऐसी दस्तावेज शामिल है जिस पर किसी की गवाही हो और उसका रुपया काबिज (कब्जा रखने वाले) के हुक्म पर हामिल (लेजाने वाले) को वाजिबुल अदा न हो और उसकी रू से एक शख्स दूसरे को रुपया देने का वायदा करे और

(स) हर ऐसी दस्तावेज जिस पर ऊपर लिखे हुये अनुसार गवाही लिखी हो और उसमें इस बात का वायदा हो कि मनुष्य अनाज या और कोई खेती की पैदावार दूसरे शख्स को देगा।

नोट—तमस्सुक के लिये जरूरी है कि उसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे को रुपया या दूसरी चीज हवाला करने का वायदा (प्रतिज्ञा) करे और उस पर गवाहिया हों।

दस्तावेजों की किस्म (भेद)

दस्तावेज बवायदा इन्दुत्तलब, बवायदा मुअय्यन (नियत समय) या किस्तबंदी के होते हैं। हवालगी गल्ला या दूसरी जिन्स के दस्तावेज सट्टे के नाम से बोले जाते हैं।

स्टाम्प

दस रुपये तक दो आने, पचास रुपये तक चार आने, सौ रुपये तक आठ आने, एक हजार रुपये तक फी जायद सौ रुपये पर आठ आने उसके पश्चात् हर पांच सौ या उसके खण्ड पर दो रुपये आठ आने। देखो (मद १५ जमीमा १ कानून स्टाम्प)

सामान्य सूचना

किसी दस्तावेज का बदल नकद रुपया होता है, किसी का कर्जा या पुराने हिसाब की बाकी, किसी का कुछ भाग नकद रुपया और कुछ भाग पुराना कर्जा (ऋण)।

इसी तरह अदा करने का वायदा कभी इन्दुत्तलब होता है कभी कोई तारीख या महीना या नियत फसल। कभी किस्तबन्दी द्वारा, और वायदा खिलाफी (प्रतिज्ञा हानि) की दशा में एक या कई किस्तों के चूकने पर बाकी मुतालबा एक मुश्त।

ब्याज की दर कभी सादा होती है कभी ब्याज पर ब्याज छुमाही, तिमाही या सालवार।

कभी वायदे पर रुपया या सूद अदा होने या न होने की दशा में कम या अधिक और उसका निफाज (चलन) तारीख वायदा खिलाफी (प्रतिज्ञा हानि) या तारीख दस्तावेज से होता है। किसी समय सूद पेशगी मुतालबा दस्तावेज में शामिल कर दिया जाता है। इन सब रद्द व बदल के विचार से भिन्न २ दस्तावेजों के आशय भिन्न २ होते हैं। यदि प्रत्येक अलग अलग तबदीली दिखाने के लिये अलग अलग नमूने लिखे जाय तो संख्या बहुत बढ़ जायगी। नीचे के नमूनों में जहां तक हो सका है भिन्न २ रद्दो बदल (परिवर्तन) दिखाने का प्रयत्न किया गया है दस्तावेज लेखक उन को देख कर अवश्यकता के अनुसार बदल सकता है।

तमस्सुक साधा इन्दुत्तलब

मैं कि करीमुल्ला वलद सईदुल्ला कौम पठान साकिन मौजा अहमदपुर परगनह सआदतपुर जिला हमीरपुर का हूं जो कि मुबलग अस्सी रुपया सिक्के चहरेदार कि जिनके आधे चालीस रुपये होते हैं। मु० सिराजुद्दीन वलद हमीदबख्श कौम शेख साकिन अमरपुर परगना सआदतपुर जिला हमीरपुर से नकद कर्ज लिये हैं। इकरार यह है कि उक्त रुपये इन्दुत्तलब मय सूद फीसदी सवा रुपया माहवारी दाइन मौसूफ को अदा करूंगा और सूद का रुपया हर छ माही पर अदा करता रहूंगा, छमाही सूद के अदा न करने की दशा में जरे सूद बिना अदा शुद को शामिल असल के करके सूद पर सूद उक्त दर से दूंगा, और निस्बत तरीका अदायगी यह करार पाया है कि जो कुछ असल वा सूद में अदा करूंगा उसकी रसीद अलग लेता रहूंगा या तमस्सुक की पीठ पर तहरीर कराता रहूंगा इस लिये तमस्सुक लिख दिया कि सनद रहे।

अल अ———————द	गवाह शु———————द
निशानी बायें अंगूठे की	अहमदअली वल्द मुख्तारअली
करीमुल्ला मुकिर की	कौम शेख पेशा नोकरी साकिन
	अहमद पुर बकलमखुद
गवाह शु———————द	———————————
मोहन लाल वल्द मोती लाल बकलम	राहतुल्ला वल्द बिसमिल्लाह
ब्राह्मण पेशा पंडिताई साकिन	कौम शेख इस दस्तावेज का
अहमद पुर बकलम खुद	लेखक
	अहमद पुर

ता० १५ अगस्त सन् १६२० ई०

तमस्सुक किस्तवन्दी (टीपखन्दी)

मैं कि रामदास वलद मोहनदास जाति वैरागी साकिन कसवा हयातनगर वलद मम्मल जिला मुरादावाद का हूं ॥ जो कि एक हजार पांच सौ रुपया सिक्के चहरेदार कि जिनके आधे सात सौ पचास रुपये उक्त सिक्के के होते है नीचे लिखे अनुसार मेरे ऊपर लाला परमसुखदास वलद मोतीलाल कौम वोहरे उक्त कस्बे के रहने वाले के लेने हैं।

वावत वेबाकी असल व सूद एक दस्तावेज लिखा हुआ मुझ इकरार करने वाले का देने वाले के नाम का-तादादी आठ सौ रुपये ८००) ता० ११ जनवरी सन् १६१६ को मुजरा किये १२५०)	वावत सूद पेशगी के पाये २५०)

जोड़ १५००)

इकरार यह है कि उक्त रुपये बिना व्याज ढाई सौ रुपया छः माही के हिसाब से तीन साल में अदा करूंगा, पहली किस्त वैसाख सम्वत १६७८ और दूसरी किस्त कतिक मास सम्वत् १६७८ में देने योग्य होगी इसी प्रकार अगली किस्तें वेबाकी होने तक हर अगले साल की वैसाख व कार्तिक में अदा करने योग्य होती रहेंगी, किन्हीं दो किस्तों के चूक जाने पर बिना अदा किया हुआ समस्त रुपया एक मुश्त बारह आने माहवारी सैकडा व्याज सहित किस्त चूकने की तारीख से अदा करना होगा, इस लिये यह थोडे से शब्द तमस्सुक किस्त वन्दी की तरह लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

सल अ———————द्द गवाह शु———————द

गवाह शु———————द तहरीर तारीख माह जनवरी

वकलम लेखक

नियत समय पर भुगतान की टीप

मैं कि नूरमुहम्मद वल्द गुलाममुहम्मद कोम शेख पेशा जमींदारी कस्बा फरीदनगर जिला बरेली का हूं जो कि मुबलिग छैसौ रुपये सिक्के सरकार कि उसके आधे मुबलिग तीन सौ रुपये उक्त सिक्के के होते हैं देने मिर्जा अलीअहमद वल्द गुलामअहमद कौम मुगल साकिन कस्बा मजकूर के नीचे लिखे हुए अनुसार मेरे ऊपर चाहियें।

बाबत असल व सूद दस्तावेज ५ मार्च सन् १६१५ ई० के मेरा लिखा हुआ देने वाले के नाम तादादी २४०) ४००)	नकद लगान अदा करने को रबी सन् १३२४ फसली और दीगर खर्चों को वसूल पाये २००)

कुल ६००)

इकरार यह है कि उक्त रुपयों को सवा रुपया सैकडा मासिक ब्याज समेत देने वाले को एक साल की अवधि में अदा कर दूंगा परन्तु शर्त यह है कि अगर आधा रुपया सूद सहित छः माह के अन्दर और शेष १ साल के अन्दर अदा करदूं तो ब्याज सवा रुपया की जगह एक रुपया की दरसे दी जायेगी और नियत अवधि के भीतर कुल रुपया बेबाक न करने की दशा में ब्याजदर सवा रुपया सैकडा मासिक हर छः माही पर देता रहूंगा। और अगर छः माही पर ब्याज न अदा करूं तो हर छः माही पर बिना अदा किये हुये सूद को मूलधन में शामिल करके ब्याज पर ब्याज उक्त ब्याजके हिसाब से दूंगा और कुल रुपया जब मांगें तभी देना होगा इस लिये यह तमस्सुक लिख दिया कि प्रमाण रहे।

अलब्द———————द गवाह शु———————द

गवाह शु————————द तहरीर तारीख मुकाम

———— बकलम लेखक

विविध प्रतिज्ञाओं की टीप

मैं कि नौबतसिंह बेटा पदमसिंह जात ठाकुर पुंडीर साकिन कौड़ियागंज परगना अकराबाद तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ का हूँ जो कि २५००) दो हजार पांच सौ रुपये सिक्के सरकार कि उसके आधे १२५०) एक हजार दो सौ पचास रुपये होते हैं बालकिशन वल्द लाल जीवन कौम बौहरा साकिन पुरागांव परगना अतरौली जिला अलीगढ़ के इस ब्यौरे से कि मध्ये टीप रजिस्टरी १३ दिसम्बर सन् १८७३ १०००) मध्ये हिसाब बहीखाता ६६८=) छै सौ अड़सठ रुपये चार आने अब नक़द वसूल पाये ८२१॥।) आठसौ इक्की रुपये बारह आना कुल २५००) मेरे जिम्मे है। और देने रखता हू इस लिये इकरार करता हू और लिखे देता हू कि उक्त रुपयों में से १०००) एक हज़ार रुपया १।) सवा रुपया माहवारी सूद सहित एक मुश्त जब मांगे तब उक्त बौहरे को दे दूगा कुछ बहाना न करु गा ऊपर लिखे हुये रुपयों का ब्याज छ माही पर देता रहूँगा अगर सूद छ माही पर अदा न करू तो चढे हुये सूद को मूलधन में शामिल करके सूद पर सूद १।) सैकड़ा मासिक के हिसाब से अदा करू गा और बाकी १५००) में से ५००) उक्त सूद दर से अदा की तारीख तक मार्च सन १८७७ ई० के अन्त तक देने ठहरे हैं और उसके मध्ये यह शर्त ठहरी है कि उक्त ऋण को मैं आज की तारीख से एक साल के अन्दर अदा करदू तो उस पर १।) सैकड़ा मासिक सूद की जगह १) सैकड़ा मासिक सूद लगाया जावे और शेष १०००) दो किस्त में बिना ब्याज के देने ठहरे पहिली किस्त ३१ जनवरी सन् १८७६ को और दूसरी किस्त ३१ जौलाई सन् १८७६ को देने योग्य होगी। और किसी किस्त के चूकने पर शेष ऋण एक साथ १) सैकड़ा मासिक सूद के हिसाब से चूकने की तारीख से

वसूल करने के योग्य होगा जो रुपया दाता को किसी मध्ये दूंगा उसको इस तमस्सुक की पीठ पर लिखा दूंगा या नियमानुसार रसीद लेता रहूंगा इस लिये यह टीप लिख दी कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दस्त——————————	दर सा——————————ख़ी
नौबतसिंह कौम ठाकुर इकरार करने वाला	झाऊलाल वल्द लेखराज वैश्य पेशा परचूनी साकिन कौडियागज बखत सराफी
सा——————————ख़ी	सा——————————ख़ी
दलपतसिंह वल्द केसरीसिंह कौम ठाकुर पेशा जमीदारी नम्बरदार साकिन देह बखत हिन्दी	द० बहादुरसिंह वल्द श्यामसुंदर कौम कायस्थ साकिन कौडियागज पटवारी दस्तावेज लेखक

लिखतम तारीख ३१ जौलाई सन् १८७५ ई० स्थान दर्याजा तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़।

———

टीप सट्टा सादा

मैं कि झम्मनसिंह वल्द खुशालसिंह क़ौम ठाकुर साकिन व काश्तकार मौजा उखलाना परगना मोर्थल तहसील कोल जिला अलीगढ का हूं जो कि ७५) सिक्के चलन बाजार कि आधे जिस के ३७॥) होते हैं लाला तुलसीप्रसाद वल्द लाला देवीप्रसाद वैश्य सिकन्दराराऊ मालिक कोठा नील मौजा ग्वालरा उक्त परगना और तहसील से मार्फत बाबू छोनरमल गुमाश्ता के पेशगी लेकर इकरार

करता हूँ कि उक्त रुपयों के बदले एक रुपया सैकड़ा माहवारी सूद के साथ अपनी खेती की पैदावार का नील का लांक अव्वल किस्म का कारिन्दे के मांगने पर अपनी बाररदारी उक्त कोठी पर पहुंचा कर तुलवा दूंगा और उसका मोल २५) सौ मन के हिसाब से मुजरा लूंगा और जो मेरी नील का लाक उक्त कोठी में अधिक पहुंचेगा उसका मोल खुशखरीद भाव से उक्त लाला साहिब को देना होगा जो लाक कोठी पर न पहुंचाऊंगा या दूसरी जगह बेचदूं तो उक्त लाला साहिब को अधिकार होगा कि पेशगी दिये हुये रुपये को ३) सैकड़ा माहवारी सूद और उस हर्जे के साथ जो मेरी प्रतिष्ठाहानि से हो मुझसे और मेरी जायदाद से जब चाहें और जैसे चाहें वसूल करलें मुझको कुछ उजर न होगा इस लिये यह थोड़े से शब्द तमस्सुक बदनी लांक नील के तौर-पर लिख दिये कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आवे।

अलअब्द ——————————— गवाह शुद ——————— द

झम्मनसिंह वल्द खुशहालसिंह
मुकिर बकलम खुद

दस्तखत मथुराप्रसाद
वल्द मानसुख कौम का
यस्थ पेशा नौकरी सा०
मौजा उखलाना मजकूर

गवाह शुद ——————————————— द

कल्यानसिंह वल्द हीरासिंह कौम ठाकुर पेशा काश्तकारी साकिन सफेदपुर बयान महाजनी ———————

तहरीर बतारीख ५ मई सन् १८६६ ई० बकलम अजुध्याप्रसाद वल्द कुंज बिहारीलाल कौम कायस्थ साकिन कोल कातिब वसीका हिजा

———

(विविध प्रतिज्ञाओं की टीप सट्टा)

हम कि रामनरायन वल्द गंगाधर व जीवाराम वल्द माधौप्रसाद कौम ब्राह्मण पेशा खेती साकिन मौजा जलुपुर सेहोर पर्गना अकराबाद जिला अलीगढ़ के हैं जोकि मुबलिग २५०) दोसौ पचास रुपया कि आधे जिसके मुबलिग १२५) सवा सौ रुपये सिक्के सरकार के होते हैं बाकतनी लाला जसराम वल्द मोहनलाल कौम बौहरा साकिन मौजा मजकूर हमारे जिम्मे नीचे लिखे ब्यौरे अनुसार चाहियें।

बाबत बकाया एक कितआ तमस्सुक सादा तादादी ४६) उनन्चास रुपया लिखा हुआ इकरार करने वालेका देने वाले नाम के १३ मार्च सन् १६२० का लिखा हुआ ६१॥।=)	बाबत बकाया हिसाब खाद व बीज आजकी तारीख़ तक जो मेरे नाम देने वाले के निकले। ३८=)
गेहूं व जौ जा फ़स्ल रबी की बुवाई के लिये देने वाले से लिय कीमती ७५)	एक बैल खरीदने के लिये नकद लिये ७५)

इकरार यह है कि उक्त ऋण में से १५०) और उसका ब्याज १॥) मासिक दर के बदले में गेहूं व जौ अगले बैसाख में अवतोअ के भाव बाजार के हिसाब से उक्त महाशय को अदा कर दूंगा और बाकी १००) और उसकी ऊपर लिखी ब्याज के बदले में नील का

लाक अगले साल की पैदावार का ३०) सेकड़ा मन के भावसे दाता की कोठी नील मौजा जलूपुर पर लाकर तुलवा दूंगा और इस तरह कुल ऋण दस्तावेज का मूल और व्याज बेबाक कर दूंगा दोनों अथवा एक प्रतिज्ञा तोड़ने की दशा में उक्त दाता को अधिकार होगा कि दस्तावेज लिखित ऋण को उक्त दर की व्याज सहित दस्तावेज लिखने की तारीख से हम लोगों की व्यक्ति और सम्पत्तिसे वसूल कर लेवें हमको कोई उजर न होगा और सूद छ माही ऐसी दशामें उक्त रुपयों का दर छमाही पर देना वाजिब होगा और भुगतान न होने की दशा में व्याज पर व्याज हर छ माही बाद देना होगा इस लिये यह थोड़े से शब्द सट्टे के दस्तावेज के रूप में लिख दिये कि प्रमाण रहे।

अलअ———द अलअ———द गवा———ह गवा———ह
लिखने की तारीख——मुकाम——बकलम——लेखक——

बैनामा (विक्रय पत्र)

बैअ की तारीफ (बिक्री की परिभाषा) बैअ के शब्द से तात्पर्य मिलकियत का परिवर्तन कीमत के बदले में जो अदा की जावे या जिसके अदा करने का वायदा (प्रतिज्ञा) किया जावे या कुछ हिस्सा अदा किया जावे और कुछ हिस्से की प्रतिज्ञा हो——— दफे ५४ कानून इन्तिकाल जायदाद।

अकसाम व तरीका बैअ (बिक्री के भेद व रीति)

ऐसा परिवर्तन जो कि किसी अचल या उस सम्पत्ति के विषय में हो जिसका मूल्य १००) रु० से अधिक हो और

या ऐसे स्वत्व के विषय में हो जो लौटता हो या अन्य किसी अप्राकृतिक वस्तु के विषय में हो तो केवल रजिस्टर्ड विक्रीपत्र द्वारा हो सकता है।

जब प्राकृतिक अचल सम्पत्ति एक सौ रुपये से कम मूल्य की हो तो उचित है कि उसका परिवर्तन रजिस्ट्री की हुई बैनामे के द्वारा हो या जायदाद के सौंपने के द्वारा और अचल प्राकृतिक सम्पत्ति की सौंप उस समय हो जाती है जब कि बेचने वाला मोल लेने वाले या जिसको वह बतलावे उसको सम्पत्ति पर अधिकारी करदे।

चल सम्पत्ति के बेचने के लिये किसी लेख की आवश्यकता नहीं है साधारणतया मालके सौंपने या मूल्य वसूल पाने की रसीद लिखाई जाती है रसीद पर अगर बीस रुपये से अधिक की मालियत हो तो एक आने का टिकट लगाना चाहिये।

साधारण सूचना—कोई मनुष्य किसी सम्पत्ति के मध्ये उस स्वत्व से अधिक और अच्छा जो आप रखता हो दूसरे को नहीं दे सकता इस लिये आवश्यक है कि बैनामे में बेचने वाले का स्वत्व बेची हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रगट किया जावे यदि उक्त स्वत्व उसके पास पहिले परिवर्तनों द्वारा आया हो या उसके मध्ये कोई न्यायालय का निबटारा हुआ हो तो उसका वर्णन दस्तावेज के भीतर लिखा जावे। इसके अतिरिक्त जब तक कोई दूसरी (प्रतिज्ञा) दोनों पक्ष के बीच में निश्चय हुई हो तो उचित है कि बेचने वाले की ओर से यह शर्त लिखी जावे कि उसके स्वत्व न होने की दशा में या बेचने वाले के किसी साझी की दावे दारी से या उसके स्वामित्व के किसी खोट से बेची हुई जायदाद या उसका कोई भाग मोल लेने वाले के अधिकार से निकल जाये तो बेचने वाला

रहित वेची जावे तो किसी ऋण या भार के निकल आने की दशा में वेचने वाला उसका उत्तर दाता होगा। जो कुछ दोनों उसके विषय में ठहरा लें वह दस्तावेज लेखक को लिखना चाहिये।

जो नियमावली उभय पत्तों के पते सम्पत्ति के ब्यौरे और उस के सबन्धित और आश्रित स्वत्वों और मूल्य का विवरण और उस के चुकाने आदि के विषय में लिखी जाचुकी है वेअनामेके लिखने में उनकी सावधानी विशेषतया रखनी चाहिये। क्योंकि वेअनामे के द्वारा एक मनुष्य का स्वत्व दूसरे मनुष्यकी ओर स्थायी रूप से बदल जाता है। और वह सदा को स्वत्व प्रमाणपत्रकी भांति मनुष्यों के हाथ में जाता है और उसीके द्वारा बहुत से स्वत्वों का निबटारा होजाता है।

रहायशी सम्पत्ति के विक्रय, पत्र में जो सम्पत्ति का विवरण लिखा जावे उसमे इस वातका ध्यान रक्खा जावे कि उस सम्पत्ति का कोई अंग जो परिवर्तन होती है रह न जावे न उसके रह जाने का सन्देह हो सके, सन्देह रहजाने की जगह यह अच्छा होता है कि एक बात दोवार वरन आवश्यकताऽनुसार तीन वार लिखदी जावे जो आसाइश का स्वत्व, परनाले, रोशनदान खिडकी, जगला, मारी आने जाने का द्वार आदि की भांति जो वेची हुई जायदाद के किसी ओर या किसी मनुष्य के विरुद्ध हो वह अवश्य लिखना चाहिये। वेअनामे के लिये अधिकार का परिवर्तन होना आवश्यक है चाहे वह वास्तव में हो या नियमबद्ध हो इस लिये अधिकार सौंपनेका वर्णन भी विक्रियपत्रमें अवश्य लिखा जाना चाहिये।

अन्य विषय जैसे स्वत्वादि सम्बन्धी पत्रादिका देना आड और अ य भार मालिकाना खान पान आदिका चुकाना। इस विषय में जो निश्चय दोनों पक्षोंने किया हो, लिखना चाहिये।

स्टाम्प हस्थ मद २३ जमीमा १ कानून स्टाम्प

यदि कीमत के रुपये की संख्या पचाससे अधिक न हो ॥)
सौ रुपये तक १)
फिर एक हजार रुपये तक हर सैकडे या उसके टुकडे पर १)
फिर एक हजार रुपये से ऊपर हर पाच सौ रुपये या उस के टुकडे पर ५)

रहायशी सम्पत्ति का साधारण विक्रिय पत्र

मैं कि रोशन अली वलद जाहिद अली साकिन कस्वा अहमद नगर परगनह व तहसील खुर्जा जिला बुलन्द शहर का हू। जो कि मुझ इकरार करने वाले को कर्जा (ऋण) चुकाने और दूसरे घरेलू खर्चों के कारण अपनी जायदाद का कुछ भाग वेचना स्वीकार है और कोई कारण परिवर्तन का रोकने वाला नहीं है इस लिये अपनी स्वस्थ इन्द्रियं तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी की जबरदस्ती और रुचि दिलाने के एक मकान पक्का बना हुआ कस्वा अहमद नगर उक्त परगने और जिले वाले का सात सौ रुपये ७००) के बदले (कि जिसके आधे साढे तीन सौ रुपये होते है)उक्त कस्बेके रईस सैयद औमाफ अली वलद सैयद बाकर अली के हाथ बिक्रीकिया और बिल्कुल बेचदिया और मूल्यका रुपया उक्त मोललेने वालेसे नीचे लिखे ब्यौरे अनुसार प्राप्त कर लिया ,पैसा कौडी उक्त मोल लेने वाले के ऊपर मेरा शेष नहीं रहा, और बेची हुई वस्तु पर अपने समान मोल लेने वाले को स्वत्व और अधिकार दे दिया अब मुझ को और मेरे दायभागियों और प्रतिनिधियों को बेची हुई वस्तु से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा और न आगे को होगा, उक्त वस्तु हर प्रकार के ऋणों और

झगडे टंटों से शुद्ध और पवित्र है, उस में कोई मेरा साझी और हिस्सेदार नहीं है अगर कोई शरीक या साझी पैदा होकर किसी प्रकार का दावा बेची हुई वस्तु पर करे उसका मैं उत्तर दाता हूं और अगर इस प्रकार की दावेदारी या मेरे स्वत्व की किसी त्रुटि के कारण कोई अंश वा समस्त जायदाद मोल लेने वाले के अधिकार से निकल जावें और कोई ऋण या भार किसी मेरे कारण से मोल लेने वाले को चुकाना पडे तो मोल लेने वाले को अधिकार होगा कि अपने मूल्य का सारा रुपया हानि और व्यय सहित जो उस पर पडे एक रुपये मासिक सैंकडा व्याज सहित बेची हुई वस्तु और मेरी व्यक्ति और अन्य सम्पत्ति से जैसे चाहे प्राप्त कर लेवे, किसी प्रकार बहाना न होगा और बेची हुई वस्तु इस ऋण में आड समझी जावेगी, बेची हुई सम्पत्ति की स्वत्व से सम्बन्ध रखने वाली समस्त दस्तावेजें मोल लेने वाले को सौंप दी गई जो रुपया मोल लेने वाले के पास मेरा ऋण चुकाने के लिये धरोहर छोडा गया है उसको उक्त खरीदार का कर्तव्य होगा कि बहुत शीघ्र चुका कर दस्तावेज लौटा लेवे और उसको मेरे सुपुर्द करदे, जो व्याज उक्त दस्तावेज के रुपयें पर आज से पडेगा उसका उत्तरदाता ग्राहक है, इसलिये यह थोड़े शब्द विक्रय पत्र के सदृश लिख दिये कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आवें।

बेचे हुए मकान की चारों सीमा

पूर——————व	पश्चि——————म
सडक	हरदेव माली का घर
दक्षि——————ण	उत्त——————र
रामबख्श चमार का घर	गली

मूल्य के रुपये का ब्यौरा

राम सहाय ब्राह्मण अहमद नगर निवासी के पहिले ऋण के चुकाने के लिये जो दस्तावेज ३ मार्च सन् १८९८ ई० को लिखा गया जिस में मेरी जायदाद आड है। ग्राहक के पास धरोहर छोड़े। १७५)

दस्तावेज का रुपया आज की तारीख तक मूल और व्याज सहित इतना ही होता है।

रजिस्ट्री के समय रोक पाये ५२५)

हस्ता ———————— हर साक्षी

साक्षी ————————

लिखतम २५ जनवरी सन् १९०२ स्थान अहमद नगर

बकलम अहमद यारखां बेटा मुहम्मद यार खां
टीप लेखक—

दूसरी रिहायशी जायदाद का विक्रय पत्र

मैं कि मुसम्मात सुन्दरिया खैराती की स्त्री जाति कांछि, यारा रहने वाली कोल मुहल्ला मामू भानजा जिला अलीगढ़ की हूं। जोकि एक मकान कच्चा बना हुआ जिसमें भीतर की ओर एक कोठा उत्तर मुहाना और उक्त कोठे के आगे एक दरादालान लकड़ी की कड़ी से पटा हुआ और उसके साथ चौखट बाजू और दो जोड़ी किवाड़ और ५६ गज जमीन सहित जो शहर कोल के मुहल्ले मामू भान्जे में है। उसकी सीमा निम्न लिखित हैं।

पूर्व ———————— में	पश्चिम ———————— में
इस मकान की दीवार उसके	इस मकान की दीवार उसके

पश्चात् मकान मोहन लाल राज का | पश्चात् मकान जयम... और मकान बैनीराम
दक्षि——————णी | उत्त——————
इस मकान की दीवार और एक परनाला इस बेचे हुए कोठे का फिर रास्ता | इस मकान का दरव... चक्कर की सड़क

लम्बाई | चौड़ाई
उत्तर दक्षिण | पूरब
१२ गज,१८ तसू | ४ गज

जोड़ ४६ गज

उक्त मकानको वर्तमान भूमि सहित, जिसको मेरे पति ने १७ अप्रैल सन् १८७६ ई० के लिखे और रजिस्ट्री किये हुए पत्र द्वारा खरीदा था पाच मास की अवधि हुई कि दैवयो... पति का स्वर्गवास होगया अब मैं सुन्दरिया उसकी ... हूं और उक्त मकान पर किसी साझी आदि के बिना ... अधिकारिणी हूं आप अपने पति के ... बैनीराम बेटा कुढेराम जाति ... था और अपने खाने पीने के ... और स्थिर बुद्धि की अवस्था ... कि उसके आधे ४६०) होते ... कठियारा साकिन कोल ... और उसके मूल्य का ७५५ ...

मध्ये रहननामा ...
अपने पति के लिखे ...

उक्त सब रुपये को काम में लाकर उक्त ग्राहक को समस्त बेची हुई वस्तु पर अपनी सदृश स्वामी और अधिकारी बना दिया और रुपया कौडो २ भर पाया जो आगे को रुपया न पाने का या कम पाने का बहाना करू तो वह झूठा समझा जावे और आज की तारीखसे उक्त ग्राहक अपने लिये इस बेची हुई वस्तु का पक्का स्वामी और पूरा अधिकारी समझे अगर किसी समय कोई मेरा साझी पैदा होकर बेची हुई चीज पर किसी प्रकार का दावा करे तो मूल्य के रुपये और न्यायालय के व्यय की मैं उत्तर दात्री हू। उक्त ग्राहक से किसी प्रकार का सम्बन्ध है और न होगा यदि दैवात बेची हुई वस्तु मेरे ऋण चाहने वाले के झगडे के कारण ग्राहक के अधिकार से निकल जावे तो ग्राहक को अधिकार है कि अपने मूल्य का रुपया मेरी दूसरी जायदाद और मेरी व्यक्ति से जैसे चाहे प्राप्त करले मैं कुछ बहाना न करू गी और अब मुझको या मेरे उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को कुछ स्वत्व और अधिकार शेष नहीं रहा और एक विक्रय पत्र उस मकान का जो १७ अप्रेल सन् १८७८ का लिखा और रजिस्ट्री किया हुआ मेरे पास था उक्त ग्राहक को सौप दिया इस लिये यह थोडे शब्द विक्रियपत्र की रीति से लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर कामआवे।

बकलम अजुध्याप्रसाद पुत्र बालमुकन्द जाति दूसर रहने वाला कोल मुह०ला मियागज। लिखतम् ६ जौलाई सन् १८८३ तदनुसार आसाढ़ सुदी ५ स० १९४०

हस्ता——————दर गवा——————ह

निशानी अगूठा सु दरिया पत्नी द० सेवाराम वल्द कचनसिंह सैराती जाति कठियारा मुहल्ला कौम कठियारा साकिन काल मामूँभानजा काल नगर, महल्ला मामू भानजा निवासी

गवा——————ह

गोपाल वल्द भमानीराम जाति कठियारा सा० मुहल्ला मामूभानजा

युवा हुए स्वामियों की ओर से पहले संरक्षक के लिये हुए ऋण चुकाने के निमित्त

विक्रय-पत्र

हम देवकीनन्दन व शिवदयालु व तेजपाल बेटे अजेराम जाति वैश्य चूड़ीवाल अग्रवाल सिकन्दराऊ जिला अलीगढ़ निवासी हैं। जो एक कच्ची व पक्की नील की कोठी समस्त कोठी की सामिग्री सहित ननामी परगना व तहसील हाथरस जिला अलीगढ़ में निम्न लिखित सीमा बद्ध स्थित है। जिसमें आधे के साझी हम लोग है। और एक पक्का मकान डाक खाने के समीप कस्बा सिकन्दरा राऊ जिला अलीगढ़ में स्थित है। उसमें आधे साझी हम लाग और शेष के लाला तातारास हैं। और जो एक तिहाई भाग ज़मीदारी कसवा सिकन्दराराऊ महाल एक सुलस तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ खाता खेवट न० १ में स्थित हैं उसके आधे के हम लोग स्वामी और अधिकारी हैं। यह उपरोक्त सर्व सम्पत्ति अन्य दूसरी सम्पत्तियों सहित दो तमस्सुकों द्वारा लाला हरसुखराय व लाला दुलीचन्द साहुआन कस्बे हाथरस के यहां आड है। यह दोनों तमस्सुक हम लोगों की माता तथा सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षक के लिखे हुए हैं (जब हम लोग नाबालिग थे) एक तमस्सुक ६०००) रुपये का ११ अगस्त सन् १८८४ ई० का लिखा और रजिस्ट्री किया हुआ है और दूसरा ७५००) का ३ जनवरी का लिखा और ८ जनवरी सन् १८८५ ई० का रजिस्ट्री किया हुआ है। और सिवाय इस आड के कोठी और मकान और उपरोक्त जमींदारी अब तक समस्त परिवर्तनों से हमारे जान और समझ के अनुकूल बची हुई और पाक है चूँकि उक्त साहुओं का तकाजा उपरोक्त तमस्सुकों के रुपये की मध्ये अत्यन्त है और उक्त

तमस्सुक के रुपये के असल और सूद में से कुछ रुपया हम लोगों ने चुका दिया है और कुछ रुपया उक्त साहू साहिबों ने छोड दिया है अब केवल ५०००) उपरोक्त दोनों तमस्सुकों के मध्ये हम लोगों को चुकाना है और सिवाय उक्त कोठी और मकान और हक्कियत के परिवर्तन करने और बेचने के उक्त साहिबों के ऋण चुकाने का और कोई मार्ग नहीं है। इस लिये अब ऊपर लिखे हुये मकान, कोठी और हक्कियत को अपनी स्वस्थ इन्द्री और स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी प्रसन्नता और खुशी के साथ ५०००) सिक्के सरकार कि बदले कि जिसके आधे २५००) होते हैं लाला हरमुखराय वल्द लाला भगतराम व लाला तुलीचन्द वल्द उक्त लाला हरमुखराय जाति बनिये अग्रवाल चुड़ुवाल साहू रहने वाले और रईस कस्बा हाथरस जिला अलीगढ़ के हाथ समस्त अधिकार और स्वत्व बाहरी व भीतरी सहित कोठी नील व मकान और उपरोक्त जमीन्दारी जुतऊ व जुतऊभूमि व बनजर व जलकर व शोर व चरागाह मवेशियान व चाही

व लाखी व वजनकशी व बागात व चाहात पक्के, कच्चे और ढाका और फलदार और बे फल वाले पेड और बगाही भूसा व करब और मरे हुये ढारों का चमड़ा और रास्ता व तालाब, पोखर तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण स्वत्व और अधिकार सहित बिक्री की और बेची और मूल्य का रुपया पूरा २ उक्त दोनों तमस्सुक प१ में जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है ग्राहकों से मुजरा और वसूल पा लिया कौडी पैसा ग्राहकों के ऊपर शेष नहीं रहा अगर कम पाने या बिलकुल न पाने रुपये का बहाना करें तो अदालत में सुनने योग्य न होगा और ग्राहकों को, बिक्रिय पत्र की लिखने की तारीख से अपनी तरह से बेची हुई जायदाद का मालिक और अधिकारी बना दिया और ग्राहक अपने अधिकार और कब्जे में ले आये अर्थात् जो अधिकार और स्वत्व हमको प्राप्त था वह आज की ता० से

ग्राहकों की ओर परिवर्तन हुआ अब इस विक्रिय पत्र के लिखने के पश्चात हमको या हमारे उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों या हमारे दायभागियों को किसी प्रकार का बहाना और इन्कार शेष नहीं रहा अगर कोई हमारा साझी पैदा होकर बेची हुई जायदाद के मध्ये कुछ दावा किसी प्रकार का करे या हमने अपनी ओर से मिलकर या अलग २ सिवाय ऊपर लिखे हुये आड के कोई और परिवर्तन कियाहो या बेची हुई जमींदारी किसी ऋण से गृसित हुई निकले या पूरा २ अधिकार ग्राहकों को न मिले या दाखिल खारिज का सवाल महकमा माल में गुजरान कर ग्राहकों का नाम खेवट में न लिखवावें तो ऐसी दशा में खरीदारों को अधिकार है कि कुल रुपया कीमत का अपना दिया हुआ आठ आने सैकड़ा माहवारी ब्याज सहित जिस तरह चाहें हमारी व्यक्ति और जायदाद मनकूला और गैर मनकूला हमारी से जैसे चाहें वसूल करलें अगर किसी गैर शख्स के दावा करने के कारण खरीदारों के कब्जे से जायदाद निकल जावे तो उसके जिम्मेदार हम इकरार करने वाले नहीं है इस लिये ये थोड़े से शब्द बैनामे की रीति से लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

चारों सीमा कोठी नील निनामई तहसील हाथरस

पूर———————बी	पश्चि———————मी
खेत चेता चमार	रास्ता
दक्खि———————न	उत्त———————र
खेत मन्दिर	आंबादी गांव

चारों सीमा मकान पटा हुआ चाबकरी व चौखट, बाजू, किवाड़, वाकअ कस्बा सिकन्दराराऊ

पूर्व——————————य पश्चिम——————————म

मकान कल्लू मोती सड़क सरकारी

उत्त——————————र दक्षिण——————————न

मकान मक्खन लाल मकान कल्लू भटियारा

फिर रास्ता

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

देवकी नन्दन शिवदयाल तेजपाल बकलम हिन्दी

साक्षी——————————साक्षी——————————

लाला प्यारेलाल मुख्तार आम लाला तुलसीमल द रईस सि कन्दराराऊ बकलम खुद

गोपालसहाय बेटा हीरालाल काम बनिया साकिन सिक न्दराराऊ

हस्ताक्षर——————————

मेवतीराम लेपालक बेटा लाला मिट्ठनलाल अग्रवाल चूड़ीवाल सिकन्दराराऊ निवासी

हस्ताक्षर——————————

तोताराम बेटा लाला गुलाबराय जाति बनियां अग्रवाल चूड़ीवाल सिकन्दराराऊ निवासी

भू सम्पत्ति का साधारण विक्रयपत्र

मं कि मोहनसिंह वल्द नीलकंठ जाति ठाकुर रहनेवाला जमीदार मौजा शेखा परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ़ का हूं आकि हविक्रयन एक बीघा छः बिस्वा पक्की भूमि बाग नम्बरी १०३ जमई एक रुपय ३ आना मिनजुमला पाच बीघा ? बिस्वा जमई १४॥) खेवट न० १० थोक सुमेरसिंह पट्टी हीरासिंह ग्राम शेखा परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ में मेरी सीर और मेरे अधिकार में है और, मं उस का इस समय अधिकारी और स्वामी

ग्राहकों की ओर परिवर्तन हुआ अब इस विक्रिय पत्र के लिखने के पश्चात हमको या हमारे उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों या हमारे दायभागियों को किसी प्रकार का बहाना और इन्कार शेष नहीं रहा अगर कोई हमारा साझी पैदा होकर बेची हुई जायदाद के मध्ये कुछ दावा किसी प्रकार का करें या हमने अपनी ओर से मिलकर या अलग २ सिवाय ऊपर लिखे हुये आड के कोई और परिवर्तन कियाहो या बेची हुई जमींदारी किसी ऋण से गृसित हुई निकले या पूरा २ अधिकार ग्राहकों को न मिले या दाखिल खारिज का सवाल महकमा माल में गुजरान कर ग्राहकों का नाम खेवट में न लिखवावें तो ऐसी दशा में खरीदारों को अधिकार है कि कुल रुपया कीमत का अपना दिया हुआ आठ आने सैकड़ा माहवारी ब्याज सहित जिस तरह चाहें हमारी व्यक्ति और जायदाद मनकूला और गैर मनकूला हमारी से जैसे चाहें वसूल करलें अगर किसी गैर शख्स के दावा करने के कारण खरीदारों के कब्जे से जायदाद निकल जावे तो उसके जिम्मेदार हम इकरार करने वाले नहीं है इस लिये ये थोड़े से शब्द बैनामे की रीति से लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

चारों सीमा कोठी नील निनामई तहसील हाथरस

पूर———————— बी खेत चेता चमार	पश्चि———————— मी रास्ता
दक्खि———————— न खेत मन्दिर	उत्त———————— र आंयादी गांव

चारों सीमा मकान पटा हुआ चावकरी व चौखट, बाजू, किवाड, वाक़ा क़स्बा सिकन्द्राराऊ

पूर्व ——————— य   पश्चिम ——————— म

मकान कल्लू मोती   सडक सरकारी

उत्तर ——————— र   दक्षिण ——————— न

मकान मक्खन लाल   मकान कल्लू भटियारा

फिर रास्ता

हस्ताक्षर   हस्ताक्षर   हस्ताक्षर

देवकी नन्दन   शिवदयाल   तेजपाल बकलम हिन्दी

साक्षी ———————— साक्षी ————————

लाला प्यारेलाल मुख्तार ग्राम   गोपालसहाय बेटा हीरालाल

लाला तुलसीप्रसाद रईस सि   कौम बनिया साकिन सिक

कन्दराराऊ बकलम खुद   न्दराराऊ

हस्ताक्षर ————————

मेवतीराम लेपालक बेटा लाला मिट्ठनलाल अग्रवाल
चूड़ीवाल सिकन्दराराऊ निवासी

हस्ताक्षर ————————

तोताराम बेटा लाला गुलाबराय जाति बनिया अग्रवाल
चूड़ीवाल सिकन्दराराऊ निवासी

भू सम्पत्ति का साधारण विक्रयपत्र

मैं कि मोहनसिंह वल्द मोलकठ जाति ठाकुर रहनेवाला जमीदार मोजा शेखा परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ़ का हूं जाकि हकियत एक बीघा छः बिस्वा पक्की भूमि बाग नम्बरी १०३ जमई एक रुपय ३ आना मिनजुमला पांच बीघा २ बिस्वा जमई १४॥) खेवट नं० १० थोक सुमेरसिंह पट्टी हीरासिंह ग्राम शेखा परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ में मेरी सीर और मेरे अधिकार में है और मैं उस का इस समय अधिकारी और स्वामी

है रूपरामसिंह के भार व आड के अतिरिक्त कि जिसे
ब्याज दिन २ वढता जाता हैं और जिस से सारी जमींदारी
डूब जाने का भय है सब प्रकार के भार आड आदि से सुरक्षि
और पवित्र है। इस लिये अब अपनी स्वस्थ इन्द्रियों और स्थि
बुद्धि की अवस्था में अपनी खुशी और प्रसन्नता से बिना किसी
क दवाव या बहकाने और फुसलाने के उक्त जमीन को नीचे लिखे
हुए बाग के पेड़ों सहित समस्त स्वत्व और अधिकार बाहरी
और भीतरी समेत जो उक्त भूमि से सम्बन्ध रखते हों
छ सौ रुपये ६००) चहरेदार के बदले में कि जिसके आधे ३००)
रुपया होते हैं रूपरामसिंह वल्द मोतीसिंह जाति ठाकुर रहने
वाले मौजा चाद्गंज परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ़ के
हाथ बेच डाली और अधिकार दे दिया और बिक्री का रुपया
पूरा पूरा चुकाने में तीन तमस्सुकों एक आडा मेरा लिखा
हुआ बशमूल नाम प्रसादीसिंह व श्यामलाल प्रसिद्धि श्यामा भाई
हकीकी बनाम मरे हुये मोतीसिंह ग्राहक के पिता के लिखा
हुआ और रजिस्ट्री किया १७ मार्च सन् १६०३ का तादादी २००)
और दूसरा उपरोक्त ग्राहक के नाम लिखा हुआ १८ सितम्बर सन्
१६ ७ का तादादी ४०) का और तीसरा उक्त ग्राहक के नाम ता० २८
जौलाई सन् १६०६ मेरा लिखा हुआ तादादी ६६) का इन
तीनों तमस्सुकों के ब्याज सहित मुजरा देकर ६००) वसूल पा लिये
अब एक कौड़ी भी मेरी ग्राहक के नाम शेष नहीं रही अगर आगे को
वसूल न होने या कम वसूल होने का बहाना करू तो इस दस्ता
वेज के अनुसार नाजाइज होवे और आज की तारीख से ग्राहक
को अपनी तरह स्वामी और अधिकारी बना दिया ग्राहक को
चाहिये कि अपने को पक्का स्वामी और पूरा अधिकारी बेंची
हुई वस्तु का समझ कर सर्कारी मालगुजारी भुगताने के पश्चात्
हानि लाभ उठावे और हर प्रकार का अधिकार परिवर्तन और

बेचने आदि का ग्राहक को प्राप्त है अब मेरा और मेरे उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को किसी प्रकार का स्वत्व और अधिकार नहीं रहा और न आगे को होगा अगर कोई मेरा साझी य अंशी पैदा होकर बेची हुई वस्तु पर किसी प्रकार का दावा करे और उसके दावे से समस्त या कोई अंश बेची हुई वस्तु का ग्राहक के अधिकार और कब्जे से निकल जावे तो उसको अधिकार होगा कि कुल रुपया बिक्री का १) सैकड़ा मासिक ब्याज सहित बेची हुई वस्तु और मेरी व्यक्ति और हर प्रकार की मेरी दूसरी वर्तमान सम्पत्ति और मेरे उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति से जैसे चाहे प्राप्त करे और दाखिल खारिज महकमा माल में उपरोक्त ग्राहक के नाम करा दूगा अगर न कराऊं तो उसको अधिकार होगा कि नियमानुसार न्यायालय से अपने नाम दाखिल खारिज कराले और व्यय और हानि मुझ से प्राप्त करले किसी प्रकार का बहाना न होगा इस लिये यह थोड़े से शब्द विक्रय पत्र के ढंग पर लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

वृक्षों का ब्यौरा

आम के पेड	सिरस केपेड	बहेरे के पेड	आमले के वृक्ष
२३	८	३	३

लिखने की ता० २१ मार्च सन् १९१० ई० बकलम किशोरीलाल पुत्र मुंशी रामप्रसाद जाति कायस्थ कोल निवासी ड्रीप लेखक स्थान कोल अहाता दीवानी में प्रतिज्ञा करने वाले के कहने पर लिखा गया।

दस्त—————दार गया—————ह गया—————ह

निशानी अगूठा मोहन- नरायनसिंह वल्द अब्दुल रजाक वल्द
सिंह उक्त प्रतिज्ञाकारी गंगाराम जाति ठाकुर हमीदुल्ला कौम
साकिनमौजा शेखा शेख पटवारी शेखा
पेशा खेती निशानी अगूठा बकलम खुद

गवाह शु—————द गवाह शु—————द
बाबूलाल वल्द नन्दराम कायस्थ मगलसेन बेटा नरायनसिंह
शेखा निवासी जीविका नौकरी पेशा जमींदारी महदपुर निवासी
बकलम खुद

जुतऊ भू सम्पत्ति का साधारण विक्रिय पत्र

हम कि नजर हुसैन प्रसिद्ध नज़र अहमदखा पुत्र मुहम्दखा व मुसम्मात मलूकी बेवा अताउल्ला व मुसम्मात हरन बेवा अब्दुल लतीफखां मौजा हाल उक्त नजर अहमद खा जाति मेवाती पेशा जमींदारी साकिनान मौजा पिलखना तहसील सिकन्दरा-राऊ हकियतदारमौजा शेखा परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के हैं।

जोकि मौजा शेखा परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ में हकियत व जिमींदारी एक बिस्वा २ बिस्वांसी ४ कचवासी १८ ननवासी रकबी ६३ बीघा १२ बिस्वा पक्की भूमि जमई ५५) खाता खेवट न० ५ थोक जोधाराम पट्टी उत्तमसिंह में इस ब्योरे से हमारे अधिकार और स्वामत्व में है।

२२ बीघा १२ बिस्वे के आधी अर्थात् ११ बीघा ६ बिस्वे हमारे स्वत्व और अधिकार में रहन से सुरक्षित है और

११ बीघे २ बिस्वे में से उसकी आधी ५ बीघा, ११ बिस्वे हकराहिनी।

चूँकि यह हकियत हमारी ओर से मुसम्मात अजुध्याकुमरि मगलसेन की पत्नी के पास रहन है और दूसरी जगह हर प्रकार के बार आड से पाक और साफ है हमको इस समय लगान और आबपाशी हकियत मौजा पिलखना और दूसरे घरेलू खर्चोंके लिये रुपये की आवश्यकता है इसलिये हमने अपनी स्वस्थ इन्द्रियों और स्थिर बुद्धि की अवस्थामें अपनी आवश्यकताके लिये १६ बीघे १७ बिस्वे हकियत रहन से सुरक्षित और हक राहिनी दोनों उपरोक्त मौजा शेखा की जमीन मुतऽक और गैर मुतऽक हर प्रकार की ऊसर, बजर, जलकर बकर, खाने, कक्कर, शोरा, आगर, आबादी रास्ता, पुला, पटेल, गांडर, डगरों की चरागाह, मरघट, कब्रिस्थान, कुये, बाग, फलवाले व बेफलके वृक्ष, आबादी के घर गैर आबादी आमदनी सिवाय तुलाई, उघाई भूसा, करब इत्यादि अन्न बाच का रुपया चौकीदारी, सीर खुद, काश्त, भूमि स्वत्व त्यक्त बो, परजौट समस्त अधिकार व शामिलात खेवट नं० १२ तादादी ३२५ बीघा १४ बिस्वा समस्त अधिकार व स्वत्व, बाहिरी व भीतरी सब स्थित आश्रित सहित उक्त हकियत को ७००) सिक्के चहरेदार के बदले में कि जिसके आधे ३५०) होते हैं महाराज श्यामलाल बेटा रामजीमल ब्राह्मण रहने वाला कस्बा अलाली तहसील कोल जिला अलीगढ़ पेशा जमींदारी और लेन देन के हाथ बेच डाली और समस्त रुपया बिक्री का इस प्रकार कि वास्ते अदा करने आधे मुतालबे रहन अपने हिस्से के मुतहिन हकियत ५ बीघा ११ बिस्वे के लिये ग्राहक के पास अमानत छोड़े १००) और रजिस्ट्री के समय नजर अहमदखा विक्रेता को दिये जायगे २००) और रजिस्ट्री के समय मलूकी नाम्मी बिधवा अताउल्लाखा, और

हूरन नाम्नी विधवा अब्दुललतीफ वर्तमान पत्नी नजर अहमदखा को दिये जावेंगे ३००) अब एक कौडी बिक्री के रुपये ७००) में से उक्त ग्राहक के ऊपर शेष नहीं रहा आज की तारीख से उपरोक्त ग्राहक हमारी व्यक्ति को तरह पक्का स्वामी समस्त उक्त हकियत हकराहिनी और रहन से बची हुई का हुआ। दाखिल खारिज मार्च सन् १३२० फसली से नियमानुकूल महकमा माल में कराले और जब चाहे तब आधा हिस्सा हमारे रहन के रुपये का जो उसके पास धरोहर छोडा है चुका कर सब को रहन से छुटादे हमको और हमारे उत्तराधिकारियों को दाखिल खारिज और इन्फिकाक (रहन छुडाना) के वक्त कुछ उज्र न होगा अब हमारा और हमारे उत्तराधिकारियों प्रतिनिधियों और स्थानपन्नों का किसी प्रकार का कुछ अधिकार बेची हुई हकियत के मध्ये नहीं रहा और न आगे को होगा और दैवयोग से आगे को हम या कोई हमारा साझी अशो किसी प्रकार की किफालत या भार वाला पैदा होकर दावा या झगडा करे और उसके कारण से समस्त या कोई भाग बेची हुई हकियत का ग्राहक के अधिकार से निकल जावे उस दशा में खरीदार अपना बिक्री का कुल रुपया ॥) सैकडा मासिक व्याज सहित हमारी जात खास और बेची हुई हकियत और दूसरी जायदाद वर्तमान और आगामी हर प्रकार हमारी से जिस तरह हो सके वसूल करे हम को कुछ उज्र न होगा हमने अपना अधिकार और दखल सब छोड दिया और ग्राहक को कब्जा दे दिया चाहे आप खेती करावे या पट्टे पर उठावे या बटवारा करावे या बेचे तात्पर्य यह कि जैसे चाहे उस का प्रबन्ध करे हर प्रकार का बदलने और परिवर्तन करने का उस को अधिकार है और सन् १३१६ फसली तक का बकाया लगान आसामियों से लेना है उस को हम उघावेंगे खरीदार को उस के उघाने का अधिकार न

होगा इस दस्तावेज की लिखी सब शर्तें हम पर और हमारे प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को माननीय और प्रमाणित होंगी इस लिये यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। ता० ३ अगस्त सन् १६१० ई० इतवार स्थान पिलखना।

दस्तावेज लेखक चंचलप्रसाद वल्द ठाकुरप्रसाद कौम कायस्थ साकिन पिलखना।

अल अ—————————न्द अलअ—————————न्द
नजर अहमदउल वल्द अताउ निशानी अंगूठा हुरन इकरार
रला खा साकिन कसवा पिल करने वाली
खना बकलम खुद
हस्ताक्षर—————————
निशानी अंगूठा मलूकी नाम्नी प्रतिज्ञा करनेवाली
सा—————————क्षी सा—————————क्षी
मन्नूलाल बेटा बालमुकन्द नैनकुमार बेटा प्रसादीलाल
कसबा पिलखना निवासी ब्राह्मण पिलखना निवासी

हिन्दू पिता कर्त्ता कुटुम्बकी ओर से विक्रिय पत्र घर की आवश्यकता निमित्त

मैं कि बाबू कामता नाथ बेटा बाबू हरप्रसाद ब्राह्मण रहने वाला मुहल्ला त्रिपालिया शहर इलाहाबाद का हूं।

जो कि मैं प्रतिज्ञा करने वाला और मेरे दो लड़के रामेश्वर नाथ और अमर नाथ नाबालिग अविभक्त हिन्दू कुल के मेम्बर हैं। और मैं कुटुम्बका अधिष्ठाता और कर्त्ता हूं एक मकान कच्चा व पक्का

महल्ला मीर गंज शहर इलाहाबाद न० १८ मेरी पैत्रिक सम्पत्ति है, और मैं प्रबन्धक और कर्ता परिवार रूप से उस पर बिना किसी साझी के स्वामी और अधिकारी हूँ उक्त मकान इस समय हर प्रकार के ऋण, परिवर्तन और आड़ आदि के बोझ भार से शुद्ध और अलग है, मेरे छोटे लड़के अमरनाथ की सगाई हो चुकी है और उस का विवाह होने को है, उक्त अमरनाथ के विवाह के व्यय और दूसरे घरेलू खर्चों के निमित्त उक्त मकान का बेचना अभीष्ट है। इस लिये इन्द्रियों के स्वस्थ और स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से बिना किसी जबर दस्ती या दबाव और रुचि दिलाने और बहकाने फुसलाने आदि के मैंने नीचे लिखी सीमा वाले उक्त घर को समस्त भूमि अमला चारो ओर का दीवार और सर्व प्रकार के बाहरी व भीतरी मकान से सम्बन्ध रखने वाले स्वत्व और अधिकार के सहित किसी वस्तु या स्वत्व के छोड़े बिना सब का सब नौ हजार पांचसौ रुपये के बदले में कि जिसके आधे चार हजार सात सौ पचास रुपये होते हैं राधेश्याम बेटा लाला सीतल चन्द जाति वैश्य बारह सैनी महल्ला मीरगंज शहर इलाहाबाद निवासी के हाथ बिक्री किया और बेचा और बेची हुई वस्तु पर ग्राहक को अपनी तरह स्वामी और अधिकारी बना दिया और अपना हर प्रकार का स्वत्व और अधिकार उठा लिया, अब मुझ बेचने वाले और मेरे उत्तराधिकारियों प्रतिनिधियों का कुछ स्वत्व और अधिकार बेचे हुए मकान में नहीं रहा और बिक्री का रुपया उपरोक्त ग्राहक से नीचे लिखे अनुसार प्राप्त कर लिया

३१ अक्टूबर सन् १९१८ ई० साई की रसीद द्वारा	सब रजिस्ट्रार साहिब के सामने रोक लेना ठहरे
५००)	९०००)

अब कोडी पैसा उपरोक्त ग्राहक के ऊपर शेष नहीं रहा। अब कोई मेरा अशी साझी पैदा होकर कुछ दावा बेची हुई वस्तु पर करे तो मैं उसका उत्तर दाता हूं। अगर किसी साझी या शरीक के दावा करने पर या मेरे स्वत्व की किसी त्रुटि के कारण समस्त मकान या उसका कोई अंश ग्राहक के अधिकार से निकल जावे, या इस प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रुपया ग्राहक का देना पड़े तो उसको अधिकार होगा कि समस्त बिक्री का रुपया और व्यय और हानि जो उठानी पड़े आठ आने मासिक सैकड़ा व्याज सहित सब बेची हुई सम्पति और मेरी व्यक्ति और मेरी दूसरी सम्पति से जिस प्रकार चाहे प्राप्त करले में कुछ बहाना न करूंगा और बेची हुई वस्तु उक्त रुपये में आड समझी जावेगी इस लिये यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

चारों सीमा

पूर—————व पश्चिम —————उत्तर—————दक्षिण

हस्ताक्षर	साक्षी	साक्षी
लेख तारीख स्थान	बकलम	इस विक्रिय पत्र का लेखक

हिन्दू विधवा की ओर से विक्रय पत्र पति का ऋण उतारने के निमित्त

मैं कि जयदेवी विधवा हीरामन ब्राह्मण रहनेवाली ग्राम रामपुर परगना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर की हूं। जो कि मेरे पति जमीदारी मौजे अटारी तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद के स्वामी थे और उक्त जायदाद उनको ओर से दस्तावेज़ मु० २५ जून

१६१२ ई० लिखित द्वारा तीन हजार रुपये के बदले मुबारकहुसैन बेटा इनाइतुल्ला जाति शेख अनवरगज निवासी के पास आड चला आती थी, मेरे पति का मई सन् १६१७ में स्वर्ग वास हो गया, और वह अपने जीवन में उक्त दस्तावेज का ऋण न चुका सके अर उक्त ऋण की सख्या ५०००) होती है, उपरोक्त सम्पत्ति की आय केवल ३५०) रुपया वार्षिक है जो ब्याज के लिये भी पर्याप्त नहीं होती, इस कारण उक्त जायदाद के डूब जाने का भय है, मेरे पति की सम्पत्ति में उस हक्कियत के अतिरिक्त एक रहायशी मकान और है जिस से कोई आमदनी नहीं होती, मुझ इकरार करनेवाली के लिये कोई खान पान का सहारा नहीं है, उपरोक्त जायदाद क कुछ भाग से पति का ऋण चुक सका है और कुछ भाग मेरे निर्वाह के लिये बच सका है इस लिये अपनी स्वस्थ इन्द्रिय और स्थिर बुद्धि की अवस्था में मैं चौथाई भाग मिनजुमला तीन बिसवा १६ बिसवासी कुछ कसरअधिक हक्कियत जमींदारी खाता खेवट न० ५ महाल पत्ती सुरज मय हक्कियत शामिलात थोक मुन्दरजा खेवट न० १ और शामिलात देह मुन्दरजा खेवट न० २६ वाकिश्र मौजा अटारी तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद मय तमाम हक्क हकूक बाहिरी व भीतरी ५०००) रुपये के बदले आधे उस के दो हजार पांच सौ रुपये होते हैं बदस्त नईमुल्ला वल्द करीमुल्ला कौम शेख साकिन मौजा नारई तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद क बेची और बिक्री का रुपया दाम दाम सारा उक्त ग्राहक से वास्ते अदा करने बार किफालत उक्त मुबारकहुसेन के अमानत छोड़ा उक्त जायदाद पर उक्त ग्राहक को स्वामी के सदृश अधिकार दे दिया आज की तारीख से मुझ को और मेरे उत्तराधिकारियों प्रतिनिधियों और स्थानापन्नों को कोई लगाव और सम्बन्ध बेची हुई वस्तु से नहीं रहा न आगे को होगा, ग्राहक को चाहिये कि तत्काल बिक्री का रुपया उक्त आड वाले को देकर सम्पत्ति को छुड़ा लेवे

और बेची हुई जायदाद पर कागजात सरकारीमें मेरी जगह अपना नाम लिखा लेवें मुझ को कुछ उज्र न होगा उक्त जायदाद सिवाय मतालबा किफालत जिसके अदा करने के लिये रुपया खरीदार के पास अमानत छोड़ा गया है, हर प्रकार के ऋण आदि के बाझ से सुरक्षित है, और इस में कोई मेरा साझी अंशी नहीं है अगर कोई पुराना ऋण बेची हुई जायदाद पर निकल आवे यदि उस के कारण और मुझ इकरार करने वाली के किसी साझी के दावेदारी से या मेरी मिलकियत के किसी खोट से बेची हुई जायदाद का कोई भाग या सारी जायदाद खरीदार के हाथ से निकल जावे या कोई मुतालबा खरीदार को देना पड़े या और कोई हरजा उठाना पड़े तो खरीदार को अधिकार है के अपनी कीमतका रुपया हरजा और खरचा सब आठ आना सेकडा माहावारी ब्याज सहित मुझ से और बेची हुई जायदाद और मेरी दूसरी जायदाद से जैसे चाहे वसूलकर लेवें मुझे किसी तरहका उज्र न होगा आजकी तारीख से २५ जून सन् १९१२ ई० के लिये हुये आडी दस्तावेज का सूद खरीदार को देना होगा अगर किफालत के रुपय के भुगतान न करने के कारण कोई भाग या सारा मुतालबा किफालत का उस हक्कियत पर जो बेचने के पीछे मेरी मिलकियत रही है पडेगा तो उस के वसूल का अधिकार हरजा और खरचा और दस्तावेज की दरसे सूद सहित उक्त खरीदार से मुझ इकरार करने वाली का प्राप्त होगा। और मुझ को यह भी अधिकार होगा कि इस बैनामे की मनसूखी कराकर हरजा और खरचा और सूद खरीदार से वसूल करू इस लिये यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

अलअ———द गवाहशुद गवाहशुद तारीख मुकाम

बैनामे का लेखक

उत्तराधिकारियों के साथ सम्मिलित और सहमत होकर हिन्दू विधवा का विक्रय पत्र

हम कि कमला विधवा व्रज विहारीलाल और चमेली विधवा बनारसीदास व मुसम्मात कैलासी विधवा काशीनाथ तथा विश्वेश्वर दयाल व रामेश्वर दयाल बेटे मोहनदास जाति खत्री रहने वाले कसबे इटावे के हैं।

जो कि काशीनाथ, व बनारसीदास व विश्वेश्वर दयाल व रामेश्वरदयाल सगे भाई लाला श्यामसुन्दरलाल के लड़के थे और दूकान आढ़त आदि के जिस पर श्यामसुन्दरलाल रामरतनका नाम कसबे इटावा में पड़ता था मालिक थे उक्त भाइयों का कुटम्ब बटा हुआ था वह बराबर के उस दूकान में साझी थे उक्त दूकान की एक डिगरी न० ११५ सन् १८९९ अदालत सबजजी अलीगढ़ की विजयलाल वगैरह मदयूनों पर थी उक्त डिगरी के इजरा में नीचे लिखी हुई जायदाद नीलाम हुई उसको डिगरीदारों ने तारीख ८ मार्च सन् १९०७ को खरीदा उसके पश्चात् काशीनाथ का स्वर्ग वास हो गया और विश्वेश्वर दयाल व रामेश्वर दयाल ने बजरिये दस्तबरदारी रजिस्ट्री शुद मुवर्रखे १ मई सन् १९०९ मिल कियत दूकान व जायदाद मुतअल्लका से व शमूल जायदाद मजकूर बहक व्रज विहारीलाल काशीनाथ स्वर्गवासी व बनारसीदास दस्तबरदारी कर्‌ ... से ... ी लाल व बनारसीदास ... सन्

मुसम्मात कैलाशी काशीनाथ की विधवा है जो मुझ इकरार करने वाली नं० १ के साथ रहती और खान पान करती है।

हम इकरार करने वालियों नं० १ व २ को रुपये की अपने पतियों के ऋण चुकाने (तीर्थ यात्रा गया श्राद्ध पुत्री के विवाह आदि) के लिये आवश्यका है और इतनी आमदनी नहीं है कि उससे उक्त आवश्यकता पूरी हो सके और कोई मार्ग जायदाद बेचने के अतिरिक्त नहीं है।

ऊपर लिखी हुई जायदाद कसबे हाथरस में है जो इटावे से सौ मील के लगभग है, और उसमें केवल एक तिहाई हिस्सा हम इकरार करने वालियों का है और बहुत काल से मरम्मत के बिना पड़ी हुई है, और साझे और दूरी तथा मरम्मत न होने के कारण कोई आमदनी उस जायदाद से हम को नहीं होती, नं० ४ व ५ के इकरार करने वालो का कोई हक्क उस जायदाद पर सन् १६०६ की दस्तबरदारी के कारण नहीं है परन्तु वे ग्राहक को विश्वास इस विषय में दिलाने के लिये विक्रिय पत्र लिखने और उसके पूरा करने में सम्मिलत होते हैं कि हम इकरार करने वाली नं० १ व २ को वास्तव में आवश्यका बेचने की है इस लिये हम समस्त इकरार करने वाले स्वस्थचित्त और स्थिर बुद्धि से उपरोक्त सम्पत्ति को जिसका ब्यौरा नीचे लिखा है समस्त और सब प्रकार के बाहिरी और भीतरी सत्व व अधिकारों के साथ मुबलिग छः हजार पांच सौ रुपये के बदले जिसके आधे तीन हजार दो सौ पचास रुपये होते हैं लाला गोरख राम बेटा साह अमृतलाल कौम खत्री साकिन व रईस हाथरस के हाथ बेचा और विक्रय किया और मूल्य का कुल रुपया पूरा पूरा उक्त ग्राहक से अपने पतियों के ऋण चुकाने के निमित्त वसूल पा लिया कौड़ी पैसा शेष नहीं रहा और बेची हुई जायदाद पर खरीदार को कब्ज़ा दे दिया। अब हम बेचने वालों

और हमारे उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों का किसी प्रकार का कोई स्वत्व बेची हुई जायदाद पर नहीं रहा न आगे को होगा, बेची हुई जायदाद हर प्रकार के ऋण आदि के बोझ से मुक्त और शुद्ध है। और इस में हम इकरार करने वालियों का कोई साझी और अंशी नहीं है। यदि कोई भार किसी प्रकार का बेची हुई जायदाद पर निकले और उस कारण से या किसी साझी या अंशी के दावेदारी से या और किसी प्रकार की हमारे स्वत्व की त्रुटि से समस्त जायदाद या उसका कोई अंश उक्त खरीदार के अधिकार से निकल जावे। या कोई ऋण या भार किसी प्रकार का उसको देना पड़े तो खरीदार को अधिकार होगा। कि समस्त मूल्य धन अपना हानि और व्यय सहित जो उठे तथा आठ आना सैकड़ा मासिक व्याज समेत हम इकरार करने वालियों से तथा बेची हुई जायदाद और अन्य हमारी जायदाद से जैसे चाहे वसूल करले–इस लिये यह बिक्रिय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहै।

बेची हुई जायदाद का ब्यौरा

(१) एक मकान कच्चा पक्का मुहल्ले लखपती शहर हाथरस में स्थित नीचे लिखी उक्त मकानके दो परनाले बरसाती एक मंजिला के खूबीराम के मकान के आंगन में गिरते हैं और तीन रोशनदान पश्चिम की ओर मोतीराम सर्राफ के एक मंजिला मकान की ओर बने हुए हैं।

पूर——————व	पश्चि——————म
बेचे हुए मकान का सदर दरवाजा फिर सड़क	मकान मोतीराम सर्राफ
दक्षि——————ण	उत्त——————र
मकान खूबीराम गुड़िया	कूचा नाफिज़ा (रस्ते वाला)

(२) एक दूकान पक्की पत्थर बाज़ार में नीचे की सीमा वाली,

पूर्व	पश्चिम
दरवाजा दूकान फिर सड़क सरकारी	मकान रामलाल लोहिया इस में परनाला बरसाती छत दो मंजिला बेची हुई दूकान का गिरता है।
दक्षिण	**उत्तर**
दूकान राम अवतार पांडे	दूकान रामधनदास श्रावक

बिक्री के रुपये का ब्यौरा

मुकिरा नं० १ की पुत्री पार्वती के विवाह निमित्त २०००)	गया जगन्नाथ के आने जाने तथा ब्रह्मभोज के निमित्त १५००)

यावत् देवाकी असल व सूद मुतालबा दस्तावेज साधा तादादी २५००) लिखा हुआ मुकिर नं० १ के पति का मुवर्रखा १३ अगस्त सन् १९११ का
२०००)

हस्ताक्षर——— दस्तखत हिन्दी मुसम्मात कमला मुकिरा	हस्ताक्षर——— दस्तखत चमेली इकरार करने वाली
हस्ताक्षर——— निशानी सीधा अंगूठा कैलाशी	हस्ताक्षर——— विश्वेश्वर दयाल मुकिर
हस्ताक्षर——— परमेश्वरी दयाल मुकिर बकलम खुद	साक्षी

तारीख १६ नवम्बर सन् १९२३ स्थान हाथरस

बकलम नन्दकिशोर बेटा ज्ञानचन्द्र ब्राह्मण हाथरस निवासी विक्रय पत्र लेखक।

विक्रय पत्र सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षिका की ओर से

मैं कि मुसम्मात इन्द्रकुवरि पत्नी निर्मल स्वय तथा माता और सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षिका सम्पत्ति सुमेरसिंह पुत्र नाबालिग अपने की जाति जाट साकिन व हक्कियत दार मौजा पालर परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ की हूँ। यह कि मौजा पालर परगना टप्पल थोक धर्मसिंह पनस्वरदारी राम प्रसाद नम्बरदार में हक्कियत जमीदारी सुमेरसिंह नाबालिग पुत्र मेरे की १०७ बीघा पक्की भूमि जिस पर मालगुजारी सरकार १०७) रुपया है खाता खेवट न० १० की बिना किसी साझी के और मिन जुमला आठ हिस्सा १६१ बीघा ११ बिसवा पक्की भूमि खाता खेवट न० १२ की जिस की जमा शामिल खाता असली है साझे में रामप्रसाद आदि के ४ हिस्सा व मिनजुमला २ बीघा ६ बिसवा पुख्ता आराजी शामिलात खाता न० ११ के आधा हिस्सा मय हक्क व हिस्सा मिन जुमला ६७५ बीघा पुख्ता आराजी शामिलात देह खाता खेवट न० २३ की हैं इस में से आधी जमीदारी निर्मल सुमेर सिंह के बाप की छोड़ी हुई है। और आधी सुमेरसिंह को उस के चचा भोला से जो बे औलाद मरा पहुंची है और १०७ बीघा ६ बिसवा पुख्ता आराजी खाता न० १० खेवट की असली हक्कियत और मिन जुमला चार हिस्सा दर आठ हिस्सा १६१ बीघा ११ बिसवा पुख्ता आराजी खाता न० १२ खेवट के एक हिस्सा हक्कियत भोला मजकूर बमूजिब रहन नामा मुवर्रखा ७ फर्वरी सन् १८८७ बयवज ८००, पास रामप्रसाद वल्द टीकम जाति जाट साकिन व नम्बरदार मौजा मजकूर रहन दगली है। और बाकी हक्कियत पर हम काबिज हैं और

ायत मुतालय अमल व सूद एक डिगरी अदालत मुंसिफी इगलास ज़िला अलीगढ़ नं० ८८५ सन् १८९८ मुफसला २५ मई ा १८९९ बावत जर कर्ज़ा जिसमें उक्त भोलादादनी गजाधर बेटा छमन दास कौम ब्राह्मण साकिन मौज़ा भोजुआका परगना रल और नीज ३००) बाबत मुतालवा जर असल व सूद एक मस्सुक आधी तादादी ४६। मुवर्रखः कातिक सम्बत १९४६ छमन दास के भोला पर हैं। कि जिसका सूद रोज़ व रोज़ बढ़ता जाता है। और मकफूल जायदाद के डूब जाने का भय है और सिवाय इसके मुबलग २००) की आवश्यकता खर्च शादी और दूसरे घरेलू खर्चों उक्त सुमेरसिंह नाबालिग के हैं, इस लिये वासते मुतालबा जरे कर्ज़ा डिगरी व तमस्सुक व जरे रहन मजकूरा बाला व खर्च शादी वगैरह सुमेरसिंह नाबालिग मजकूर के मैंने लछमन दास व जयकृष्ण दास पिसरान देवीचन्द कौम ब्राह्मण साकिन मौज़ा भोजुआका परगना टप्पल को आमादा ख़रीदारी तमाम हकियत मनकूर्का भोला लॉरलद मरहूम अर्थात् आधा हिस्सा मिन जुमला १०१ बीघा ६ बिसवा पुख्ता आराजी खाता नम्बर १० खेवट व दो हिस्सा मिन् जुमला चार हिस्सा आधे आठ हिस्से १६१ बीघा ११ बिसवा पुख्ता आराजी खाता नं० १२ व चौथाई हिस्सा मिन् जुमला ७ बीघा ६ बिसवा पुख्ता आराजी शामिलात खाता नं० ११ खेवट मअ हकक व हिस्सा मिन् जुमले ६७। बीघे पुख्ता आराजी शामिलात देह खाता मजकूरा बाला मौसूम व मलूक सुमेसिंह मजकूर नाबालिग जिसमें मेरा नाम शामिल है और असल में सब हकियत का मालिक सुमेरसिंह है वकीमत मुबलिग १७००) के आरूढ़ कर के इजाजत इन्तिकाल हकियत मजकूर की अदालत साहिब जज बहादुर ज़िला अलीगढ़ से हासिल करली, इस लिये अपनी खुशी व रजामन्दी से आधा हिस्सा मिन् जुमला १०१ बीघा ६ बिसवा

पुख्त आराजी खाता न० १० खेवट व दो हिस्सा मिन् जुमला च
हिस्से निसफो आठ हिस्से १६१ बोघा ११ बिसवा पुख्त आरा
खाता न० १२ खेवट व चौथाई हिस्सा मिन् जुमला २बोघा ६ ि
सवा पुख्त: आराजी शामिलात खाता न० ११ खेवट मजकूरा बा
हकियत जमींदारी मतरूका भोला लालचन्द मरहूम ममलूका सु
रसिंह नाबालिग मजकूर जिसमें मेरा नाम बशमूल नाम सुमेरसि
दर्ज कागजात है मय हक्क व हिस्सा मिन्-जुमला ६
बीघा पुख्त आराजी खाता न० २३ खेवट मय तमाम लवाजमा
हक्क हुकूक दाखिली व खारिजी व आराजियात हर किस्म,अ
व बंजर व जलकर व शोर व तालाब व चाहात पुख्त' व खा
फलदार व बेफले वृक्ष, आबादी, खेड़ा,बो, परजोट, हकबजनक
उघाई आदि, बकोमत १७००) सिक्के सरकार कि उसके अ
८५०) होते, हैं बदस्त लछमनदास, जेकिशनदास पिसरान देवीच
कौम ब्राह्मण बोहरा साकिनान मौज़े मौजुआ का परगना रुप
व हिस्सा बराबर बेच,डाली और बिक्री की और कीमत का रुपया प
२ उक्त खरीदारों से नीचे लिखे अनुसार वसूल पाया कौडी पै
बाकी नहीं रहा वसूल न होने और कम वसूल होने का उज्र भू
होय इकरार यह है कि उक्त खरीदार आज की तारीख से बे
हुई चीज का पक्का मालिक जानकर जो हक्कीयत पास रामप्रस
रहन है उसको रहन का रुपया अदा करके छुडाले उस पर तारी
छुडाने से और बाकी हकियत बेची हुई पर आज की तारीख
मालिक और अधिकारी होकर सर्कारी मालगुजारी अदा होने
बाद लाभ, हानि के सहन करने वाले होवें, अमानत का रुपया अप
जिम्मे जानें अब मुझको व सुमेरसिंह नाबालिग पुत्र मेरे को कु
दावा किसी तरह का बेची हुई चीज की बाबत नहीं रहा रजिस्
क बाद,इसका दाखिल खारिज माल के महकमे से करा दूंगी अग

हस्व आज्ञा करा लेवें इस लिये यह वैअनामा लिख दिया ताकि प्रमाण रहे।

क़ीमत के रुपये का ब्यौरा

आधे रहन के रुपये के अदा करने के लिये जो कि आराजी पुख्ता १० बीघे ६ बिस्वे नं० १० रेरेट में है रामप्रसाद मुरतहिन के लिये खरीदारों के पास अमानत छोड़े ४००)

बाबत मुतालबा असल सूद कर्जा १ डिगरी अदालत मुन्सिफी हवाली नं० ८६५ सन् १८६५ दादनी गजाधर डिगरीदार वल्द लक्षमन दास खरीदार मुजरा दिये ७३१॥।=) ४ पा०

बाबत मुतालबा जरे असल सूद तमस्सुक तादादी ४६) मुवर्रिख कातिक संवत १६४६ लिखा हुआ भोला लाचलद स्वर्गवासी चचा सुमेर सिंह नाबालिग का बनाम लक्षमन दास खरीदार को मुजरा देकर वसूल पाये ७००)

नाबालिग की परवरिश के लिये, अखराजात इन्तिकाल सार्टीफिकेट दिलाने के लिये नकद लिये ६८०) ८ पा०

अब सामने रजिस्टार रजिस्ट्री के वक्त शादी उक्त सुमेरसिंह नाबालिग के लिये नकद लिये २ ०)

तारीख १७ अक्तूबर सन् १८६६ मिती क्वार सुदी १३

संवत् १६५६

लेखक दस्तावेज़

देवीप्रसाद वल्द राधेमोहन कोम कायस्थ साकिन गेर पेशा

दस्तावेज़ नवीसी

मु० गेर में लिखा गया

अल———————————————दः गवा———————————————ह	
निशानी अंगूठा मुसम्मात इन्दर फुवरि इकरार करने वाली	दुर्गाप्रसाद वल्द हरप्रसाद कौम वैश्य पेशा पटवारी मौजा पालर परगना टप्पल
गवा———————————————ह	गवा———————————————ह
पहुकरदास वल्द गंगाराम कौम ब्राह्मण पेशा लैनदैन साकिन मौजा जट्टारी परगना टप्पल	धनीराम वल्द नाथूराम कौम ब्राह्मण बौहरा पेशा लैनदैन साकिन मौजा मौजुआ का परगना टप्पल बरात सराफी

वैनामा इस्तहक़ाक़ नालिश

हम कि हेतराम, खूबचन्द पुत्र उत्तमचन्द सरावगी साकिन कोल ज़िला अलीगढ़ महल्ला छपीटी के हैं।

जो कि एक कितअ दस्तावेज किस्तबन्दी तादादी २६०) तारीख ७ अक्टूबर सन् १८६८ ई० नविश्त शिवलाल वल्द मानसिंह कौम बनिया बारहसैनी साकिन महल्ला बाबरीमंडी शहर कोल मिल्कियत हमारी है और हम को उक्त दस्तावेज के म०ये ४५) जो उसकी पीठ पर लिखे हुये हैं वसूल हुये हैं बाकी किस्तें अभी तक शेष हैं और मुतालबा (ऋण) दस्तावेज एक मुश्त होकर हिसाब की रूसे २५७) मदयून के नाम बाकी निकलते हैं उक्त मुतालबे (मांग) के लिये मुबलिग २५०) के बदले जिसके आधे १२५) होते हैं लाला ज्वालाप्रसाद, डालचन्द बेटे मानसिंह बनिये बारहसैनी रहने वाले मुहल्ला बाबरीमंडी शहर कोल के हाथ बेचा और कीमत का रुपया दाम दाम खरीदारों से नीचे लिखे ब्यौरे से वसूल पाया।

आज की तारीख में एक तमस्सुक खरीदारों से अपने नाम लिखाया ५०)

नक़द वसूल पाये। २००)

खरीदारों को अधिकार है कि उक्त दस्तावेज का रुपया मदयून से अदालत द्वारा जैसे चाहें वैसे वसूल करें, हमको या हमारे उत्तराधिकारियों को कुछ उज्र न होगा यदि दैवात हमारे किसी कारण से उक्त रुपया खरीदारों को वसूल न होवे और हम इक़रार करने वालों को मदयून से ४५) से अधिक प्राप्त होना सिद्ध हो तो ग्राहकों को अधिकार है कि समस्त कीमत का रुपया १) सैकड़ा माहवारी सूद हर्जा और खर्चा जो उठे उसके साथ हमारी जात और जायदाद से वसूल करलें बेची हुई असल दस्तावेज, एक हुंडवी तादादी २६०) मवर्रख सावन बदी ६ सवत १६५२ जिसके बदले में बेचा हुआ दस्तावेज लिखो गया था खरीदारों को सौंप दी गई इस लिये यह कुछ शब्द बैनामे की रीति पर लिखे गये कि प्रमाण रहे तहरीर ता० १६ अक्टूबर सन् १६१२ । कोल में लिखा गया।

बकलम सैयद फजलहुसैन लेखक वल्द सैयद हसनअली साकिन कोल।

अल——————द अल——————द

हेतराम वल्द उत्तमचद ब० खुद खूबचद वल्द उत्तमचद ब० खुद

गवा——————ह गवा——————ह

जोराधर वल्द गोकलचद गवा——————ह

सरावगी साकिन कोल रेवती वल्द कमाल सरावगी साकिन

बकलम खुद कोल महल्ला शाहपाड़ा पेशा दुकान-

दारी ब० खुद,

जुतऊ जमीन का विक्रय पत्र

हम कि जहांगीरीमल व ज्वालाप्रसाद बेटे भीमसेन ब्राह्मण निवासी और जमींदार मौजा मौहरसा परगना अहार तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के हैं।

जो कि हम इकरार करने वाले मौजा मौहरसा परगना अहार महाल गौरा हुक्का पट्टी जहांगीरीसिंह मुन्दरजा खाता खेवट नं० १, तादादी ७ बिश्वासी १८ ननवासी ७ $\frac{1}{१}$ कचवासी रकबी २६ बीघा ८ बिस्वा ३ बिस्वासी जमई ४७॥-) के मालिक और हिस्सेदार हैं और हम को उक्त हकियत पर बेचने और बदलने आदि के सर्व प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं और उक्त हकियत हमारी ओर से बज़रिये दस्तावेज़ रहन्नामा बिला दखली मवर्रख ४- दिसम्बर सन् १९०३ ई० को जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है पास बाबू लीलाधर बेटा महाराज चुन्नीलाल ब्राह्मण निवासी शहर बरेली हाल रहने वाले मौहरसा परगना अहार के रहन दखली चली आती है और किसी प्रकार की बाधा या रुकावट उस हकियत को हमारे परिवर्तन करने में नहीं है इसलिये अब स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि से प्रसन्नता और इच्छा पूर्वक उक्त हकियत की समस्त भूमि जुतऊ और गैर जुतऊ बनजर, जलकर, शोर, कल्लर, चरागाह, गैरचरागाह, फले, बेफले आपउगे हुए वृक्ष व बागात, कुए, पक्के, कच्चे, पोखर, तालाब, खेडा, आबाद गैरआबाद, चौपरजोर तुलाई उगाही भूसा, करब आदि सारांश यह कि उक्त हकियतसे सम्बन्ध रखने वाली जो कुछ चीज हैं सब के समेत तथा एक मकान छप्पर खसपोश मशहूर मवेशी खाना मुन्दरजा खसरा सहनाई नम्बरी ५३६ मिनजुमेला बाग वाक़ आ मौजे मौहरसा परगना अहार ३०००) के बदले में कि आधे जिस के १५००) सिक्के चहरेदार होते हैं

वदस्त महाराज शिवदत्त बेटा नौवत एक हिस्सा, गोविन्द सहाय फल्लू पुत्र मोहनसिंह व हिस्सा बराबर एक हिस्सा रामचन्द्र, लछमन बेटे दुर्जन के व हिस्सा बराबर एक हिस्सा जाति ब्राह्मण निवासी मौजा मुहरसा पर्गना अहार तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के विक्रय किये और बेचे और कीमत का रुपया पूरा २ नीचे लिखे ब्यौरे से उक्त खरीदारों से मुजरा व वसूल पा लिया कौड़ी पैसा हमारा ग्राहकों पर बाकी नहीं रहा, उक्त बेची हुई हकिक यत पर उक्त खरीदनेवालों को अपनी तरह से काबिज और अधिकारी बना दिया और हर तरह के अधिकार दे दिये कि चाहे जिस तरह बेची हुई हकिकयत से मालगुजारी सरकार अदा करने के पश्चात् लाभ उठावें। और कार्य में लावें इकरार यह है कि यदि कोई हमारा साझी और दाय भागी पैदा होकर बची हुई हकिकयत के मध्ये दावेदार या उज़र दार होगा तो उस की जवाबदही हर तरह हम बेचने वालों के जिम्मे है मोल लेने वालों से कोई सबन्ध न होगा और बेची हुई हकिकयत का दाखिल खारिज नियम पूर्वक मोल लेने वालों के नाम माल में करा देंगे दाखिल खारिज न कराने की दशा में मोल लेने वालों को अधिकार होगा कि अपने नाम का अमल दरामद माल के कागजों में करालें हम उसके हर्जे और खर्चे के देने वाले होंगे यदि दैवात बेची हुई समस्त हकिकयत या उसका कोई भाग किसी कारण से मोल लेने वालों के कब्जे से निकल जावे या और कोई भार किसी प्रकार का उक्त हकिकयत पर नीचे क भार के अतिरिक्त निकले या हम दखल न दें या दखल देने के पश्चात् बेदखल कर दें या दखल में बाधक हों तो खरीदारों को अधिकार होगा कि अपनी कीमत का रुपया नियम पूर्वक नालिश करके हमसे और हमारी व्यक्ति से और हर प्रकार की जाय दाद मनकूला गैर मनकूला, बेची हुई और न बेची हुई वर्तमान और आगामी हमारी से चाहे जिस तरह २) सैकड़ा मासिक ब्याज सहित

वसूल करलें हमको किसी प्रकार का कोई उजर न होगा और इस दस्तावेज की शर्तें हम पर और हमारे उत्तराधिकारियों, व स्थानापन्नों पर माननीय व प्रमाणित होंगी इस लिये यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे

व्यौरा ,वसूलयाबी मुबलिग ३०००) जरे समन का वास्ते चुकाने ऋण आडी दस्तावेज रजिस्ट्री ४ दिसम्बर सन् १९०३ हमारी लिखी हुई बाबू लीलाधर के नाम जिसमें बेची हुई हकियत आड़ है। हिसाब होकर इस दस्तावेज के रुपये जो हमारे ऊपर बाबू लीलाधर के निकले वह लीलाधर को देने के लिये उक्त ग्राहकों के पास अमानत छोड कर वसूल पाये २५००) वास्ते अदाय मुतालबा एक कतआ तमस्सुक रहन नामा बिला दखली मुवरख २७ मई सन् १९०६ई० रजिस्ट्री २० मई सन् १९०६ नविश्त हम मुकिरान मौसूमा बाबू लीलाधर बिल मुफ्ता मूल मय ब्याज आज की तारीख तक खरीदारों के पास अमानत छोड कर वसूल पाये ४९५)

ता० ६ अगस्त सन् १९१० को मु० अनूप शहर में लिखा गया बकलम भवानी प्रसाद बेटा मोहन लाल भार्गव अनूपशहर निवासी

अलअ———————————अद्	अलअ———————————अद्
जहांगीरी मल बकलम खुद	निशानी अंगूठा ज्वाला प्रसाद
गवा———————————ह	गवा———————————ह
रेवतीराम वल्द दुर्गाप्रसाद ब्राह्मण साकिन मोहरसा पेशा पंडिताई व खुद	लीलाधर वल्द प० चुन्नी लाल ब्राह्मण वारिदहाल (वर्तमान निवासी) मोहरसा पेशा दुकानदारी बकलम खुद

गवा———————————————————————ह

नन्दकिशोर बजाज मुहरसा बकलम खुद

———

रहन नामा

परिभाषा, रहन, राहिन, मुरतहिन आदि ।

रहन शब्द से आशय किसी मुख्य अचल सम्पत्ति के स्वत्व परिवर्तन से है जो उस रुपये के चुकाने के विश्वास के निमित्त किया गया हो। जो वर्तमान या आगामी के ऋण रूप में दिया गया हो या जिस के देने की प्रतिज्ञा की हो या किसी प्रतिज्ञा पालन के अर्थ जिससे नकद रुपये की जिम्मेदारी पैदा हो किया गया हो।

राहिन—इन्तकाल (परिवर्तन) करने वाला

मुरतहिन—जिसके पास रहन रक्खी जावे या जिसकी तरफ इन्तिकाल किया जावे

जरे रहन—वह असल मय सूद जिसके अदा के इतमीनान के लिये जायदाद कुछ दिनों तक आड की जावे

रहननामा—जिस दस्तावेज़ के द्वारा एक जायदाद किसी दूसरे की ओर इन्तिकाल की जावे रहन नामा कहलाता है

रहन सादा या आड़—जब रहन की हुई जायदाद पर दखल दिये बिना राहिन अपने आप को रहन का रुपया चुकाने का पाबन्द करे, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिज्ञा करे कि रहन का रुपया प्रतिज्ञानुसार न चुकाने की अवस्था में मुरतहिन को अधिकार होगा कि आडी सम्पत्ति को नीलाम कराये और नीलाम के रुपये से रहन का रुपया आवश्यकताऽनुसार चुकावे। ऐसा व्यवहार आड या रहन सादा और ऐसा मुरतहिन सादा कहलाता है।

तारीफ़ रहन बैयिल वफ़ा—जब राहिन रहनकी हुई जायदाद को प्रत्यक्ष रूप से इन शर्तों के साथ बेचे यानी इस शर्त पर कि यदि रहन का रुपया एक नियत तारीख पर अदा न किया जावे तो रहन का व्यवहार बिक्री का व्यवहार हो जावेगा। या

इस शर्त पर कि रहन का रुपया ऊपर लिखे हुये ब्यौरे के अनुसार अदा हो जावे तो मुआमला बै का फस्ख हो जायगा (टूट जायगा)

या इस शर्त पर कि रहन के रुपये अदा होने पर खरीदार जायदाद को बेचने वाले के नाम परिवर्तन कर देगा तो ऐसा रहन बैयिल वफा कहलाता है।

और ऐसे मुआमले का मुरतहिन बैअबिल वफादार कहलावेगा

तारीफ रहन दखली—(भोगबन्धक) जब राहिन जायदादे मरहूना पर मुरतहिन को काबिज करादे और इसको अधिकार दे कि रहन के रुपये अदा होने तक वह उस पर काबिज बना रहे और लगान का रुपया और मुनाफा जो उस जायदाद से पैदा हो लेता रहे और लगान के रुपये और मुनाफे को बजाइ सूद या बजाइ असल जरे रहन या कुछ हिस्से को सूद में और कुछ को असल जर रहन में महसूब करे तो यह मुआमिला रहन दखली या रहन भोगबन्धक कहलाता है।

और ऐसा मुरतहिन, मुरतहिन दखली कहलावेगा।

तारीफ रहन इंगलिशिया—जब राहिन यह इकरार करे कि किसी नियत तारीख पर रहन का रुपया अदा करदेगा और जायदाद मरहूना को कतई मुरतहिन के पास मुन्तकिल करदे मगर इस शर्त पर कि जिस वक्त जरे रहन इकरारके मुआफिक अदा कर दिया जावे तो मुरतहिन उक्त जायदाद को फिर राहिन के

पास मुन्तकिल कर देगा तो यह मुआमिला रहन इगलिशिया कहलाता है।

(दफा ५८ कानून इन्तकाल जायदाद)

रहन प्रणाली

जब मूल धन जिसके अदा के लिये जायदाद आड हो एक सौ रुपया या उससे अधिक हो तो उस का रहन केवल ऐसे रहन नामा रजिस्ट्री द्वारा हो सका है जिस पर रहन कराने वाले के हस्ताक्षर हों और कम से कम दो साक्षियों ने उस को प्रमाणित किया हो।

जब जिसके भुगतान के लिये जायदाद आड हुई हो एक सौ रुपये से कम हो तो (रहन साधा की दशा के अतिरिक्त) जाइज है कि उस का रहन दस्तावेज रजिस्ट्री द्वारा जिस पर हस्ताक्षर और साक्षी उपरोक्त रीति से हुई हो या जायदाद की सुपर्दगी के द्वारा हो।

(दफा ५६ कानून इन्तिकाल जायदाद)

तात्पर्य यह है रहन नामा साधा किसी मुतालबेका हो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है इसके अतिरिक्त दूसरी प्रकार की रहन सौ या सौ रुपये से अधिक मालियत की रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज के द्वारा हो सकती है और इससे कम मालियत की रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज के द्वारा तथा जायदाद सौंपने के द्वारा भी हो सकी है।

स्टाम्प, साधा रहन की दशा में, तमस्सुक साधा के अनुसार मद १५ जमीमा १ कानून स्टाम्प के अनुसार स्टाम्प लगता है।

(परिशिष्ट) अर्थात्

दस रुपये मालियत तक ≈)

पचास रुपये तक ।)
सौ रुपये तक ॥)

एक हजार रुपये तक फी सौ रुपया अधिक पर ॥) फिर हर पांच सौ रुपया या उसके अधिक भाग पर २॥)

दूसरे रहन की दशा में जब कि रहन की हुई जायदाद रहन ग्रहीता को अधिकार दिया जावे वही रसूम जो विक्रय पत्र के लिये नियत है। (देखो बाब बेश्र)

जो रहननामे उन परिभाषाओं में जो ऊपर वर्णनकी गई हैं नहीं आते वह रहननामे असाधारण प्रतिज्ञायें कहलाते हैं। और जो रहननामे दो प्रकार के रहन नामों की प्रतिज्ञाये सम्मिलित हों वे रहन नामे सम्मिलित कहलाते है। ऊपर लिखी हुई परिभाषाओं से प्रकट होगा कि साधारण तया रहन चार प्रकार की होती हैं।

(१) रहन सादा में रहन की हुई सम्पत्ति पर रहन कर्ता स्वयं अधिकार रखता है। और वह सम्पत्ति रहन के रुपये के मूल और व्याज में मकफूल व आड रहती है। रहन कर्त्ता का व्यक्ति गत उत्तरदायित्व रहन का ऋण चुकाने का होता है और उस उत्तर दायित्व को पूरा न करने की दशा में रहन ग्रहीता को अपने ऋण के भरपाने का अधिकार रहन की हुई सम्पत्ति से प्राप्त होता है।

(२) रहन दखली (भोग बन्धक) में इसके विपरीति रहन कर्त्ता रहन की हुई सम्पत्ति पर रहन ग्रहीता को अधिकार देता है, और रहन की हुई सम्पत्ति की आय से व्याज अथवा कुछ भाग व्याज में कुछ भाग रहन के मूल धन में अदा होता रहता है इस प्रकार की रहन में रहन कर्त्ता का व्यक्ति गत उत्तरदायित्व रहन का रुपया चुकाने के विषय में नहीं होता न रहन ग्रहीता को रहन काल में रहने का रुपया मांगने का अधिकार होता है,

हाँ अगर रहन नामे में दोनों पक्षों ने इस के विपरीति प्रतिज्ञा की हो तो लिखी जा सकी है। और उस दशा में रहन ग्रहीता को रुपया मागने का अधिकार और रहन कर्त्ता का व्यक्ति गत उत्तरदायित्व दोनों हो सके हैं। और रहन की हुई जायदाद ऋण न चुकाने की दशा में नीलाम हो सकी है। परन्तु ऐसा रहन नामा एक सम्मिलित रहन नामा कहलावेगा जिसमें रहन दखली और रहन साद दोनों की शर्तें शामिल होंगी।

(३) रहन बैउलवफा (विक्रो सम रहन) में रहन की हुई जायदाद, प्रत्यक्ष में तो रहन ग्रहीता के हक्क में विक्री होती है, परन्तु उक्त विक्री किसी मुख्य प्रतिज्ञा वा निश्चित व्यवहार के आश्रित होती है कि जिसको रहन कर्त्ता पूरा कर दे तो विक्री रद्द होजाती है। और अगर प्रतिज्ञा पूरी न करे तो विक्री पूरी होजाती है। और इस परिवर्तन में सम्पत्ति परिवर्तन ग्रहीता के अधिकार और प्रबन्ध में रहती है और जो तारीख प्रतिज्ञा पूरा करने की होती है उस पर प्रतिज्ञा भंग होने की दशा में रहन ग्रहीता अधिकारी होता है कि उक्त परिवर्तन को अदालत से विक्रीवत् करा ले, इस प्रकार के रहन में कोई नीलाम की कार्यवाही नहीं होती, और रहन के रुपये के भुगतान करने की दशा में सम्पत्ति रहन कर्त्ता को वापस मिल जाती है, नहीं तो रहन ग्रहीता उसका स्वामी होजाता है।

(४) रहन इगलिशिया में पूरा परिवर्तन रहन ग्रहीता के प्रति होता है, परन्तु उस में रहनकर्त्ता अपने को किसी नियत तारीख पर रहन के रुपया चुकाने का पाबन्द करता है, और ऐसा करने की दशा में रहन ग्रहीता उस जायदाद को रहनकर्त्ता के प्रति लौटा देता है, ऐसी रहन कानून के अनुसार केवल विशेष २ दशामें और मुख्य २ कस्बों में जाइज रक्खी गई है।

सादः रहन नामे में चूंकि रहन कर्त्ता की व्यक्ति उत्तर दाता होती है इस लिये वास्तव में वह एक तमस्सुक होता है, जिस में तमस्सुक की शर्तों के अतिरिक्त यह शर्त अधिक होती है। कि आड सम्पत्ति भी दोनों पक्षों को प्रतिज्ञा पूरा कराने की जामिन व उत्तर दाता होती है इस लिये साधा रहन की कच्ची लिपि अधिक लिखना विस्तार का कारण होगा, दस्तावेज लेखक को चाहिये कि साधारण रहन लिखने में पहले तमस्सुक का आशय दोनों पक्षों की प्रतिज्ञा के अनुसार लिखे, तत्पश्चात् रहन की हुई जायदाद के मध्दे लिखे कि वह दाता के विश्वास के लिये आड की जाती है, जायदादका ब्योरा लिखने में उन समस्त बातों का ध्यान रक्खे जो इस पुस्तक में दस्तावेज लेखक के प्रारम्भिक काम के क्रम और विक्री पत्रों के विषय में लिखी जा चुकी। है रहन दखली और विक्री सम रहन के नमूने विक्रिय पत्र के नमूने के सदृश बनाने चाहिये।

जो सूचनायें पहले लिखी जाचुकी हैं। दस्तावेज लेखक ध्यान रक्खे अधिक बातें जो इस प्रकार के दस्तावेजों में लिखी जाती हैं वे नमूने से प्रकट होंगी।

रहन इंगलिशिया साधारण तथा प्रचलित नहीं है और न हर जगह कानून द्वारा आज्ञा है इस लिये उस का कोई नमूना नहीं लिखा गया।

साधारण रहन नामा (दृष्टि बन्धक)

मैं कि राम अवतार बेटा भज राधे ब्राह्मण सारस्वत रहने वाला ग्राम नया बास परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ का हूं। जो कि छ सौ रुपये सिक्के चहरेदार कि उसके आधे तीन सौ रुपये होते हैं, नीचे लिखे हुए ब्योरे के अनुसार, मिर्जा करीम बख्श बेटा मिर्जा रहीम बख्श जाति मुगल साकिन मौजा नया बास उप रोक्त के मुझ को देने हैं। प्रतिज्ञा करता हूं और लिखेदेता हूं कि

उक्त रुपये को नीचे लिखी हुई खन्दियों से उक्त (दाता) को बिना ब्याज के चुका दूगा और कोई सी दो खन्दी चूक जाने पर कुल रुपया एक साथ बारह आने सैकड़े मासिक ब्याज समेत दूगा और दाता के विश्वास के लिये एक पक्का मकान उक्त मौजे में, नीचे लिखी हुई चौहद्दी अनुसार अपनी मिलिकियत इस दस्तावेज के रुपये में आड करता हूं, जब तक इस दस्तावेज का रुपया अदा न हो उसको दूसरी जगह किसी प्रकार परिवर्तन न करूं गा और अगर करूं तो इस दस्तावेज के सामने वे असर होगा। इस लिये यह आड नामा लिख दिया कि सनद रहे।

रुपया पाने का व्यौरा

दाता के पहले बहीखाते के शेष के मध्ये हिसाब समझ कर मुजरा दिये	३४५)
दो बैलों के मूल्य के मध्ये जो आज दाता से मोल लिये हैं	१८५)
रजिस्ट्री के समय रोकड़ी लेना ठहरे	७०)

खन्दी का व्यौरा

वैसाख सम्वत्	१००)
कातिक सम्वत्	१००)
वैसाख सम्वत्	१००)
कातिक सम्वत्	१००)
वैसाख सम्वत्	१००)
कातिक सम्वत्	१००)

आड किये मकान की चौहद्दी

पूर्व————————————प पश्चिम————————————म

दरवाजा आडी मकानका फिर सड़क   मकान मगा तेली

दक्षि——————————ण	उ——————————त्तर
यावरहुसैन की पड़ी हुई जमीन इस ओर आड किये हुए मकान का एक परनाला बरसाती और एक सदा का जारी है	दूकान अहमदहुसैन अत्तार
दस्ता——————खत	गवाह——————————ह
रामओतार	गुलामरसूल बेटा हुसेनअली खां जाति पठान पेशा नोकरी रहने वाला नयाबास बकलम खुद
गवाह——————————ह	गवाह——————————ह
चेदराम बेटा गगाराम कायस्थ पेशा नौकरी पटवारी नयाबास ता० २४।७।१६१३	गणेशीलाल बेटा भवानीदास ब्राह्मण पेशा पडिताई अमापुर परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ निवासी

स्थान नये बास में लिखा गया
दस्तावेज ले——————खक
राधेलाल वलद श्यामलाल कायस्थ

साधारण रहन नामा (दृष्टि बन्धक पत्र)

मैं कि सालिगराम बेटा कृष्ण सहाय जाति ब्राह्मण रहने वाला कसबे महावन जिला मथुरा व हक्कियतदार मोजा पलोई परगना अकराबाद तहसील सिकन्दरह राऊ जिला अलीगढ

जो कि एक हजार [illegible] के आ[illegible]
होते हैं जिन का ब्योरा यह [illegible]

कोठी विजयगढ़ के मध्ये देने लाला तुलसी प्रसाद
व लाला दुली चन्द्र के अपने ऊपर देने स्वीकार किये ७००)
अब ऋण लिये रोकडी ३०१)

पास लाला तुलसी प्रसाद बेटा लाला देवी प्रसाद साहू निवासी व रईस कसबे सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ मालिक कोठी ग्राम बसई से उधार लिये हैं। इसलिये प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपरोक्त रुपये ग्यारह आना सैकडा मासिक ब्याज सहित उक्त लाला साहिब को जब मागें तब भुगतान और निश्शेष करूंगा और उपरोक्त रुपये का ब्याज छः माही को छः माही देता रहूंगा। अगर छः माही की छः माही ब्याज अदा न करूं तो चढ़ी हुई छः माही का ब्याज मूल में सम्मिलित होकर ब्याज पर ब्याज उपरोक्त ब्याजदर से उक्त लाला साहिब को अदा व निश्शेष करूंगा और जो रुपया दूंगा इस तमस्सुक की पीठ पर वसूल लिखा लूंगा, या दाता के हस्ताक्षर लिखित रसीद ले लूंगा, बिना तमस्सुक की पीठ पर वसूल लिखाये या रसीद लेने के एक कौडी मुजरा न पाऊंगा, जबानी अदा करने का बहाना अनुचित होगा उक्त दाता के विश्वास के लिये, इस तमस्सुक के मूल और ब्याज के बदले १ बिसवा १३ बिसवासी ६ कचवासी १३ ननवासी रकबी २५६ बीघा १५ बिसवा हकिकयत जमींदारी ग्राम पलोई परगना अकराबाद तहसील सिकन्दराऊ जिला अलीगढ़ खाता खेवट नं० ३ महाल सुन्दर सिंह में स्थित है और जो समस्त ऋण आदि से सुरक्षित और बची हुई है आड करता हूँ इस रुपये के मूल व ब्याज के चुकाने तक दूसरी जगह किसी प्रकार का रहन बिक्री, दान, पट्टा ठेका, आड आदि न करूंगा, अगर करूं तो इस तमस्सुक के सामने नाजाइज़ होवें, इसलिये यह रहननामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे॥

लिखने की तारीख १७ जुलाई सन् १८९३

लेखक दस्तावेज ब्रजवासी लाल कायस्थ, कसबा सिकन्दराऊ निवासी

दस्ता———————खत	सा——————ही
सालिगराम बकलम खुद	श्री कृष्ण दास वलद जयसुख
सा———————ही	कायस्थ पटवारी नौरता
हर नारायण बेटा छाजनलाल	ईसापुर बकलम खुद
वैश्य सिकन्दरा राऊ निवासी	

साधारण रहननामा (दृष्टि बन्धक पत्र)

मैं कि गुलाबसिंह बेटा बदले जाति जाट पेशा जमींदारी व खेती रहनेवाला ग्राम आखर मजरआ मान परगना हसनगढ़ तहसील इगलास जिला अलीगढ़ व जमींदार ग्राम डासौली परगना जेवर तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर का हूँ।

१. जोकि मैंने दो हजार २०००) रुपये सिक्के चहरेदार कि जिसके आधे एक हजार रुपये होते हैं, बजरूरत दाखिल करने मुतालबा तमस्सुक १३००) तेरहसौ रु० इकरारी रामजीत बेटा चन्द्रसेन जाट उक्त आखर निवासी व जयराम व रामधन व बलदेव व शिवसिंह जाति जाट रहने वाले कलाखुरी परगना जेवर के नाम लिखा हुआ और रजिस्ट्री किया हुआ ता० २२ जुलाई सन् १८०१ ई० कि जिस के मध्ये मैंने नालिश शुफा अदालत मुंसिफी खुर्जा में जयराम आदि के नाम दायर कर के डिग्री पाई और दूसरे खर्च मुकद्दमा और घरेलू के लिये पास बल्ला बेटा खुशहाली जाट रहने वाले ग्राम सलल परगना नोह जिला मथुरा व नत्थू बेटा रामप्रसाद व हरना रायन बेटा हरीसिंह जाति जाट रहनेवाले ग्राम डासौली परगना

जेवर से—इस ब्योरे से कि बल्ला से ५००) नत्थुवा से ६००) हरनारायण से ६००) रोकड़ी उधार लिये, इस लिये प्रतिज्ञा करता हू और लिखे देता हू कि उक्त रुपये ह आनेसैकड़ा मासिक व्याज सहित माँगने पर बिना बहाने के उक्त दाताओं को भुगता कर निश्शेष कर दूगा और उक्त दाताओं के विश्वास के लिये खाता खेवट नं० ५ तादादी छ बिस्वः रकबी १५२बीघा जमई १६२॥।=) में से तीन बटानी ३ अर्थात् दो बिसवा और खाता खेवट नं० ८ तादादी ६२ बीघा १२ बिसवा पक्की भूमि में से हिस्सा रसदी आराजी हक्कियत ज़मींदारी मालिकी वाकिअमौजा डांसौली परगना जेवर हरीसिंह वाली कि जो मुझको डिगरी शुफा अदालत सब जज़ी अलीगढ़ के द्वारा मिली हैं इस तमस्सुक के ऋण में आड अर्थात् रहन दृष्टि बन्धक की जब तक इस तमस्सुक का सारा रुपया मूलव्याजका निश्शेषन होजावे तब तक ज़मींदारी आड़ी को कदापि किसी प्रकार परिवर्तन न करूगा अगर करू तो नाजाइज होगा इस लिये यह तमस्सुक रहन नामा दृष्टि बन्धक लिख दिया कि प्रमाण रहे।

तारीख २२ अगस्त सन् १६०२ स्थान खुर्जा बकलम बंसीधर बेटा खूबीलाल वैश्य खुर्जा निवासी दस्तावेज लेखक

हस्ता———————————दार	सा———————————क्षी
गुलाबसिंह मुकिर बकलम खुद साक्षी बिगह निशानी अगूठा पर माल बेटा इच्छा जाट पेशा खेती डांसोली निवासी	अजुध्या परसाद बेटा राधेलाल जाति कायस्थ पटवारी ग्राम डांसौली
सा———————————क्षी	सा———————————क्षी
निशानी अगूठा कल्लू बेटा टीका राम ब्राह्मण डांसौली निवासी पेशा खेती	रामफल बेटा हेमराज ब्राह्मण रहने वाला ग्राममल परगना मोह तहसील महावन जिला मथुरा बकलम खुद

दखली रहन नामा

हम कि जहानसिंह पुत्र व मुसम्मात जल कुवर पत्नी हर घसश व मुसम्मात भवन कुवर पत्नी पदमसिंह व खुशीराम बेटा हरनारायण स्वय व सार्टीफिकट प्राप्त सरक्षक महतावसिंह पुत्र नाबालिग दरयावसिंह स्वर्गवासी भतीजा खुद जाति जाट रहनेवाले मौजा खेडा कृष्ण परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के हैं।

जो कि मौजा अट्टारी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ में महाल व पट्टी जहानसिंह में ३५३ बीघा ५ विस्वा पक्की भूमि जिसकी माल गुजारी २६२) खाता खेवट न० १ हकियत जमीदारी हमारी निम्न लिखित है।

जहानसिंह व जलकुवर व भवन कुवरि सम भाग आधी

खुशीराम व महतावसिंह नाबालिग समभाग आधी

और चूकि उक्त हकियत पर ऋण है और जायदाद के डूब जाने का भय है और मुझ खुशीराम ने महतावसिंह नाबालिग के मध्ये जज साहिब से आज्ञा प्राप्त करली है, इसलिये उक्त हकियत में से १७१ बीघा १२ बिसवा १० बिसवांसी नीचे लिखी हुई पक्की भूमि को हर प्रकार के बाहिरी और भीतरी स्वत्व तथा अधिकार सहित, स्वस्थचित्त तथा स्थिर बुद्धिकी अवस्थामें हमने ६ ००) रु० के बदले में जिसके आधे तीन हजार रुपये होते हैं लाला गंगा प्रसाद व गोपीलाल बेटे लाला नथारामजाति वैश्य निवासी खडहा परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के हाथ समान भाग से नीचे लिखी हुई शर्तों के अनुसार दखली रहनकी और मूल्यका रुपया उक्त रहनदारों से नीचे लिखे हुए ब्यौरे के अनुसार प्राप्तकर

लिया कोडी पैसा शेष नहीं रहा अगर आगे को रुपया न पाने या कम पाने का बहाना करें तो वह झूठा समझा जावेगा, और आज की तारीख से रहन दार कब्जा और अधिकार पाकर लगान उघावें और सरकारी माल गुजारी देकर जायदाद का लाभ ब्याज की जगह लेते रहें रहन दारों को सूद का और रहन करने वालों को मुनाफे का दावा एक दूसरे से न होगा। जिस समय जेठ मास के अन्त में रहन का सब रुपया भुगता देंगे रहन छुड़ा लेंगे॥

(२) रहन के बीच में हम रहन कर्ता रहन ग्रहीताओं के प्रबन्ध व अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करेंगे रहनदारों को अधिकार होगा चाहे जमीन में आप खेती करें या आसामियों से करावें अगर हम भूमि के कुछ भाग में रहन ग्रहीताओं की आज्ञा से, खेती करेंगे तो उसका लगान उनको देते रहेंगे। अगर कुछ लगान रहन छुडाने के समय शेष रहेगा वह भी रहन छुडाने के समय अदा कर देंगे और उसके अदा न करने पर रहन न छूट सकेगी।

(३) जो बकाया आसामियों के ऊपर रहन छुडाने के समय तमादी शुद होगी वह भी रहन के रुपये के साथ अदा की जावेगी और उसके अदा न करने पर रहन न छूटेगी।

(४) रहनदारों को अधिकार है कि रहन काल में खेती के औजारों तथा घर के खर्चा के लिये रहन की हुई जायदाद के पेड़ों की लकड़ी अपने अधिकार से लेते रहें।

(५) रहन की हुई जायदाद इस ऋण के अतिरिक्त कि जिसके चुकाने के लिये यह रहननामा लिखा जाता है और हर प्रकार के ऋण और भार से सुरक्षित तथा निर्दोष है उसमें कोई हमारा सा

व अंशी नहीं है। अगर कोई भार या ऋण आदि रहनदारों को देना पड़े-या सब या कोई भाग रहनकी हुई जायदाद का किसी साझी व अंशी की दावेदारी से या किसी हमारे दूसरे कारण से रहनदारों के अधिकार से निकल जावे तो उन को अधिकार होगा कि अपने रहन का रुपया हानि व व्यय और उस भार सहित जो उठाना पड़े एक रुपया सैकड़ा मासिक व्याज सहित हमसे और हमारी दूसरी जायदाद से प्राप्त कर लेवें और रहन की हुई जायदाद उस रुपये में आड़ समझी जावेगी।

(६) हक्कियत का दाखिल खारिज हम रहन कर्त्ता रहन ग्रहीतों के नाम नियम पूर्वक करा देंगे। नहीं तो रहन ग्रहीता अपने अधिकार से करा लें और उसका व्यय हम लोग रहन छुड़ाने के समय व्याज १) मासिक सैकड़ा सहित अदा करेंगे।

(७) जो आबादीके नम्बर रहन की हुई हक्कियत के भीतर हैं। उन में रहनदारों को अधिकार है कि चाहे वह मकान बनाकर अपने काम में लावें या दूसरे लोगों को बसावें। इस लिये यह रहननामा लिख दिया कि प्रमाण रहे॥

रहन की हुई हक्कियत का ब्यौरा नम्बरों सहित

१७१ बीघ १२ बिसवा १० बिसवासी वाक़िअ मौजा अटारी परगना ८८पल तहसील खैर ज़िला अलीगढ़।

नम्बरों का ब्यौरा

२७९	२७६	२७७	३१८
२ बीघा ८ बि०	१ बीघा १५ बि०	१ बीघा १५ बि०	२ बीघा २ बि०
३१९	३२५	३३९	३४९
१ बीघा ११ बि०	३ बीघा	२ बीघा ३ बि०	१ बीघा ६ बि०
३५०	३४८	३९१	३६८
२ बीघा ७ बि०	१८ बिसवा	१ बीघा ५ बि०	१ बीघा ८ बि०

३६९	३७०	३७१	
१ बीघा १० बिसवा	१० बिसवा	१० बीघा ५ बिसवा	
३७२	३७३	३७४	
१६ बिसवा	१० बिसवा	१८ बिसवा	
३७५	३७६	३७७	३७८
६ बिसवा	१६ बिसवा	५ बिसवा	५ बिसवा
३७९	३९१	३९२	
७ बिसवा	४ बीघा १५ बिसवा	६ बिसवा	
४०४	४०८	४ ९	
३ बीघा ३ बिसवा	१ बीघा १८ बिसवा	१ बीघा ८ बिसवा	
४१०	४११	४१२	
२ बीघा	३ बीघा ४ बिसवा	१५ बिसवा	
४१३	४१८	४१९	
२ बीघा ७ बिसवा	२ बीघा	३ बीघा १२ बिसवा	
४२३	४२६	४३०	
१५ बिसवा	३ बीघा ४ बिसवा	१ बीघा १५ बिसवा	
४४०	४४१	४४२	
२ बीघा ४ बिसवा	१ बीघा ३ बिसवा	२ बिसवा	
४४४	४४५	४४९	
१३ बिसवा	१ बिसवा	१ बीघा १७ बिसवा	
४५१	[illegible]	४५३	
२ बीघा ४ बिसवा	२ बीघा १२ बिसवा	२ बीघा १ बिसवा	
४५४	४६६	४७२	४८४
२ बीघा ४ बि०	२ बीघा १४ बि०	२ बिसवा	२ बीघा ६ बि०
४६४	४७५	४७८	४८०
२ बीघा ५ बि०	५ बीघा ११ बि०	३ बीघा	३ बीघा
४८१	४८२	४८३	
३ बीघा १ बि०	२ बीघा १ बिसवा	५ बीघा ७ बिसवा	
४८५	४८६	४८७	
२ बीघा ४ बिसवा	१ बीघा १६ बिसवा	१ बिसवा	
४८८	४८९	४९०	
२ बीघा १ बिसवा	२ बीघा ५ बिसवा	१ बीघा ६ बिसवा	

४९८	५०२	५०३
४ बीघा १२ बिसवा	३ बीघा १८	१ बीघा १८ बिसवा
५०४	५०५	५०६
२ बीघा ५ बिसवा	३ बीघा ३ बिसवा	२ बीघा ४ बिसवा
५११ कायम	५११	५१२
५ बीघा ७ बिसवा	३ बीघा १२ बिसवा	६ बीघा १७ बिसवा
५१८ / १	५१२	५६३
२ बीघा १० बिसवासी	१ बीघा ५ बिसवा	३ बीघा १० बिसवा
५६४	५८८	५६६
३ बीघा १० बिसवा	१ बीघा १२ बिसवा	२ बीघा ३ बिसवा
५७१	५८० कायम / ३	५९६ / २
२ बीघा ७ बिसवा	१ बीघा १ बिसवा	१ बीघा
६०२ / ०	६०३ / ५	६०५ / ४
३ बिसवा	१ बीघा ७ बिसवा	४ बिसवा
६३३ / ५	६८० / २	६८१
१ बीघा ११ बिसवा	४ बिसवा	८ बिसवा
६८६		६९० / ६
२ बीघा १ बिसवा १० बिसवासी		३ बिसवा १० बिसवासी

कुल जोड़ १७१ बीघा १२ बिसवा १० बिसवासी।

मूल्य के रुपये का ब्योरा

बाबत ये बाकी दस्तावेज, ११ अगस्त सन् १९०५ रजिस्ट्री इकरारी हरनारायण वगैरह, बनाम मुहरसिंह तादादी ९००) असल व सूद इस तारीख तक अमानत छोड़ा १५००)

बावत बेबाकी दस्तावेज मुवर्रख १६ फर्वरी सन् १६०४ रजिस्ट्री शुद इकरारी हरनारायण वगैरह बनाम मुहरसिंह तादादी ६००) जिसका असल व सूद इस तारीख तक अमानत छोडा १०५०)

बावत बे बाकी दस्तावेज मुवर्रखा ६ अगस्त सन् १६ ० ई० रजिस्ट्री शुदा नविश्ता जहानसिंह व खुशी राम बनाम मुहरसिंह जो व एवज दस्तावेज साबिका मुवर्रखा १० अक्टूबर सन् १८८५ नविश्ता हरबख्श व हरनारायण मूरिस नाबालिग लिखा गया तादादी ७८०) जिस की माग आज की तारीख तक असल व सूद अमानत छोडा ६००)

बावत बे बाकी दस्तावेज रजिस्ट्री मुवर्रखा ११ अगस्त सन् १६०५ ई० इकरारी जहानसिंह मौसूमा मुहरसिंह तादादी ८००) जिस की माग आज की तारीख तक असल व सूद सहित जोड कर अमानत छोडा १५००)

बावत बेबाकी दस्तावेज मुवर्रखा १६ फर्वरी सन् १६०६ रजिस्ट्री शुदा इकरारी जहानसिंह मौसूमा मुहरसिंह तादादी ६००) जिसकी माग असल व सूद आज की तारीख तक अमानत छोडा १०५०)

कुल जोड ६०००)

हस्ता———हर हस्ता ——— हर हस्ता——— हर

हस्ताक्षर—गवा ——————— गवाह ——— ———

लिखने की तारीख स्थान बकलम रामचन्द्र दस्तावेज लेखक

जुतऊ भूमि का दखली रहन नामा
(भोग बन्धक पत्र)

हम कि कुवर अब्दुल गफूरखा बेटा कुवर सरदारखा व मुसम्मात मुहम्मदी बेगम जोजा कुवर अब्दुलगफूर जाति राजपूत नौमुसलिम, जमींदारान मौजा हरदुआ गज रहनेवाले व रईस कसबा अतरौली जिला अलीगढ के हैं ॥ जो कि मुझ इकरार करने वाले न० १ को ३८० बीघा ८ बिसवा हकियत जमींदारी महाल गैर दस्तकारान वाकअ मौजा हरदुआगज खाता खेवट न० १ मौसूमा फतह गढ़ी दानपत्र द्वारा अपने पिता कुवर सरदार खा साहिब से मिली है और खेवट शामिलात से सम्बन्धित न० ३ तादादी ६६०० बीघा ६ बिसवा वाकिअ हरदुआगज के १२ हिस्सों में से दो हिस्सा पैत्रिक सम्पत्ति द्वारा मुझ अब्दुल गफूर को मिली है

यह दोनों हकियत मेरी ओर से रहन नामा रजिस्ट्री तारीख जुलाई सन् १८६२ द्वारा छोतीलाल व मोतीलाल के पास रहन दखला हुई, तत्पश्चात् मै ने उपरोक्त रहन छुडाने और अन्य, ऋण चुकाने के लिये उस हकियत को रहन नामे भोग बन्धक तारीख १५ जून और रजिस्ट्री तारीख २८ जून सन् १६०४ द्वारा पास कुवर अब्दुल शकूर खां बेटा कुवर अब्दुलजुहूर खा जाति राजपूत नो मुसलिम साकिन हरदुआ गज सगे भतीजे अपने के रहन दखली की। और उपरोक्त रहन ग्रहीता उनपर काबिज और दखील हैं। इस के पीछे मुझ इकरार करने वाले न० १ ने उपरोक्त जायदाद का हक्क राहिनी, नीचे लिखे हुए तमस्सुकों में आड किया है।

(१ तमस्सुक आडी ४५००) तारीख ५ फर्वरी सन् १६०८ बनाम लालचन्द्र, मोतीलाल गोविन्दराम व मक्खन लाल।

(२) तमस्सुक आढो ५०८०) तारीख ८ सितम्बर सन् १९०८ बनाम मगलसेन।

(३) तमस्सुक आढो २५००) तारीख १० रजिस्ट्री १२ अगस्त सन् १९१० बनाम रघुवर दयालु

(४) तमस्सुक आढो ३००००) तारीख २५ नवम्बर सन् १९१० रजिस्ट्री ७ दिसम्बर सन् १९१० बनाम मुसम्मात मुहम्मदी बेगम व अब्बासी बेगम।

मुझ अब्दुल गफूर ने कुल हकियत का १ सिहाम शामिलात पेयर व डब्बर विक्री पत्र रजिस्ट्री तारीख १७ फर्वरी सन् १९१२ द्वारा मुसम्मात मुहम्मदी बेगम अपनी पत्नी के हाथ बेच दिया और जफरअली खा। अब्दुल गफूर के भतीजे का पेयर शामिलात में १२ हिस्सों में से १ हिस्सा जफर अली खा के कर्ज में जिसकी इजराय डिग्री उस के मरने पर कुंवर अब्दुल जहूर खा उस के पिता पर जो उस का दायभागी हुआ हुई नीलाम होकर मक्खनलाल ने खरीदा और मक्खनलाल ने उस को मुझ इकरार करने वाले नं० १ को बेच दिया।

इस प्रकार ३८० बीघा भूमि पक्की और पेयर शामिलात में से १ सिहामकी मालिक मुसम्मात मुहम्मदी बेगम इकरार करनेवाली नं० २ है। और पेयर शामिलात में से दो सिहाम का मालिक इकरार करने वाला नं० १ है। अब हम दोनों इकरार करने वाले उपरोक्त हकियत को समस्त भीतरी व बाहरी वर्तमान व आगामी स्वत्वों सहित बिना छोड़े किसी वस्तु और स्वत्व के स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा और प्रसन्नता से, अब्दुलशकूरखा वाली रहन के रुपये चुकाने तथा अपनी दूसरी आवश्यकता के लिये तीस हजार रुपये ३००००) के बदले में जिसके आधे पन्द्रह हजार रुपये १५०००) होते हैं। लाला

रामलाल व श्यामलाल बेटे लाला किशोरीलाल जाति वैश्य, रहने वाले कोल पेशा लेन देन व तिजारत के हाथ निम्न लिखित शर्तों के हाथ दखली रहन (भोगबन्धक) करते हैं।

(१) उपरोक्त रहन का रुपया पूरा पूरा उक्त रहन ग्रहीताओं से निम्न लिखित विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया।

उपरोक्त कुंवर अब्दुलग़फ़ूरखां के नाम मुक्र अब्दुलगफ़ारखां मुकिर न० १ के १५ जून के लिखे और २८ जून सन् १९१४ ई० के रजिस्ट्री किये हुए दखली रहननामे का रुपया चुकाने और रहन छुड़ाने के निमित्त ग्रहीताओं के पास अमानत छोटे १५०००) एक दस्तावेज आडी रहन ता० १२ अगस्त के लिखे और १६ अगस्त सन् १९१० के रजिस्ट्री किये हुए तादादी १००००) रुपये के विक्रिय पत्र के मूल्य का रुपया चुकाने के निमित्त जो आज की तारीख में रहन ग्रहीताओं ने मुसम्मात मुहम्मदी बेगम इकरार करने वाली न० २ के हाथ बेचा है १५०००) मुजरा लिये।

(२) रहन के रुपयेका सूद और उपरोक्त हकियत का मुनाफा बराबर ठहरा है। अर्थात् न तो रहन ग्रहीताओं को ब्याज का दावा और न हम रहन करने वलों को मुनाफे का दावा होगा और रहन काल में जो लगान बढ़े उसके पाने और मालगुजारी की बढती के देनदार रहन ग्रहीता होंगे रहन कर्ताओं को उससे कुछ सम्बन्ध न होगा।

(३) १७ फर्वरी सन् १९१३ के लिखे व रजिस्ट्री किये विक्रय पत्र के द्वारा मुसम्मात मुहम्मदीबेगम का दाखिल खारिज अबतक नहीं हुआ है और न ९ फर्वरी सन् १९११ ई० लिखित विक्री पत्र द्वारा मुक्र कुंवर अब्दुलगफ़ूरखां का जफरअलीखां वाली हकियतका दाखिलखारिज हुआ मुकिरान इकरार करते हैं कि कारवाई

दाखिल खारिज दोनों जुदी २ हकिकयतों की निस्वत अर्थात् पहि-ली रहन की हुई हकिकयत और एक हिस्सा खरीदी हुई जो कि मक्खनलाल ने मोल लिया है, दाखिल खारिज की दरख्वास्त देकर दाखिल खारिज उस पर करादिया जावेगा और रहन ग्रहीताओंका नाम मुरतहन और अपना नाम राहिनकी मद्में दर्ज करालेंगे ऐसा न कराने की दशा में रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि वह नियमाऽनुसार दाखिल खारिज करालें और जो कुछ खर्च दाखिल खारिज में हो वह रहन के रुपये का भाग होकर छ आना सैकड़ा माहवारी व्याज सहित रहन छुडाने के समय वसूल करने योग्य होगा और उसको अदा न करने पर रहन न छुड़ा सकेंगे।

(५) रहन काल में रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि आसामियों को बेदखल करें-लगान में बढती करावें। और दूसरे अधिकार मालिकाना हमारी तरह वर्ते और जो रहन काल में अधिक मुनाफा हो उस के मालिक रहन ग्रहीता होंगे हम रहन कर्त्ताओं का कुछ सम्बन्ध न होगा।

(६) रहन काल में हम इकरार करने वाले किसी तरह पर रहन ग्रहीताओं के अधिकार को न रोकेंगे और रहन ग्रहीताओं को आसामियों की इच्छानुसार पक्के कुए खुदवाने की आवश्यकता हो तो हम रहन करने वालों से लेना वह आज्ञा प्राप्त करें।

(७) उपरोक्त रहन के रुपये का चुकाना और रहन की हुई जायदाद का भार से निर्दोष कराना हम रहन कर्त्ताओंका कर्तव्य है। और विशेष सावधानी व विश्वासके निमित्त आजकी तारीखमें एक जमानत नामा कुंवर अब्दुलवासितखां से रहन ग्रहीताओं के प्रति लिखा दिया गया है कि, वह उसका सुबक दोष करा देंगे। और रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि वह दस्तावेज़ों का रुपया स्वयं चुका कर रहन की हुई जायदाद के अतिरिक्त जो और

जायदाद उन दस्तावेजों में आड है उस से चुकाया हुआ रुपया वसूल करें।

(८) २५ नवम्बर की लिखी और ७ दिसम्बर सन् १६१० की रजिस्ट्री की हुई ३०००० की दस्तावेज जिस के अन्दर रहन की हुई जायदाद का भाग भी रहन है उस के मध्ये रहन कर्ताओं से उक्त रहन की हुई जायदाद का एक त्याग पत्र आज की तारीख में लिख कर रजिस्ट्री करा दिया है। और उसका भार रहन की हुई जायदाद पर नहीं रहा।

(६) विदित हो कि जो उपरोक्त रहन की हुई जायदाद का इतिहास हम रहन कर्त्ता ऊपर वर्णन कर आये हैं वह ज्यों का त्यों ठीक है और रहन की हुई जायदाद उन परिवर्तनों के अतिरिक्त जिनका वर्णन उस में है अन्य प्रकार से किसी दूसरी जगह परिवर्तित नहीं है। और दूसरे हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निर्दोष है। उसमें कोई हमारा साझी व अंशी नहीं है। यदि हमारी जायदाद की त्रुटि के कारण या किसी साझीव अंशी की दावेदारी से रहन की हुई जायदाद का कोई भाग अथवा समस्त सम्पत्ति रहन ग्रहीताओं के अधिकार से निकल जावे। या हम रहन ग्रहीता प्रतिज्ञाऽनुसार पुराना ऋण न चुकावें और रहन न छुडावे जिसका चुकाना हम लोगों ने अपने ऊपर ओढ़ लिया है अथवा किसी हमारे दूसरे भार के कारण रहन ग्रहीताओं को कुछ हानि उठानी पड़े तो रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि रहन का रुपया आठ आना सैकड़ा माहवारी व्याज सहित रहन की हुई जायदाद और हमारी व्यक्ति और अन्य प्रकार की जायदाद से वसूल करलें इस प्रकार की मुकद्दमेबाजी में जबाब दही और रहन ग्रहीताओं के स्वत्वों की रक्षा करना हम रहन कर्ताओं का कर्तव्य होगा। और रहन ग्रहीताओं को रहन की हुई जायदाद की हर प्रकार की रक्षा हमारे समान करना होगा।

(१०) रहन छुडाने के समय रहन का रुपया हम रहन कर्ताओं को उस शेप लगान सहित जो काश्तकारों के ऊपर जो मीआद (अवधि) के भीतर सरकारी कागजों में हो, चुकाना होगा, और उसके बिना चुकाये रहन न छुडा सकेंगे।

(११) इस रहन नामे का आरम्भ १ जुलाई सन् १८१२ से होगा और रहन की हुई जायदाद पर रहन ग्रहीताओं का अधिकार उस समय होगा जब पहले रहन ग्रहीताओं के रहन का रुपया वर्तमान रहन ग्रहीता चुकादें। उस समय अधिकार दिलाना हम इकरारियों का काम है।

(१२) जेठ मास के अन्त में जब हम रहन कर्ता रहन का समस्त रुपया उस रुपये सहित जो कूआ बनाने आदि के मध्ये रहन ग्रहीताओं का इस रहन नामे के नियमाऽनुसार देना हो चुकावेंगे। तब जायदाद को छुडा लेंगे। और रहन ग्रहीताओं को रहन के रुपया वापस मांगने का अधिकार किसी समय न होगा। इस लिये यह रहन नामा लिख दिया कि सनद रहे।

हस्ताक्ष———————र
कुवर अब्दुलगफूर या मुकिर न० १ बकलम खुद

गवा———————ह
मदनलाल बेटा सुन्दरलाल जाति वैश्य पेशा नोकरी सिकन्दराराऊ निवासी बकलम खुद

हस्ता———————क्षर
मुहर मुसम्मात मुहम्मदी बेगम मुकिरा न० २

गवा———————ह
गिरजालाल बेटा मिट्ठूलाल वैश्य वर्तमान निवासी सिकन्दराराऊ बकलम खुद

- लिखतम तारीख १६ जून सन् १८२१ स्थान सिकन्दराराऊ बकलम नसीमुल्ला बेटा फहीमुल्ला जाति शेख साकिन सिकन्दरा राऊ दस्तावेज लेखक

रहायशी सम्पत्ति का दखली रहननामा

मैं कि तुरसी राम बेटा खुशहाल चन्द जाति महाजन पेशा जमीदार रहने वाला कस्बा दहगवां परगना सहावर जिला एटा का हूं।

जोकि सात दुकानें पक्की वाला बनी सहित सब प्रकार से बनी हुई बाजार सब्जी मण्डी कस्बे दहगवा कि जिन की चौहद्दी नीचे लिखी है मैं स्वामी और अधिकारी हूं। और वे ३२००) के दस्तावेज ता० २१ मार्च सन् १९०६ द्वारा मेरी ओर से पास गिरधारी लाल कायस्थ इटाव निवासी के आड हैं। सिवाय इस आड के हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निर्दोष हैं। अब मुझ को आड का रुपया जिस पर ब्याज प्रति दिन बढता जाता है देने के लिये तथा अन्य ग्रह कार्य के लिये उपरोक्त दुकानों को रहन भोग बन्धक करना अभीष्ट है। इस लिये स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में उपरोक्त सात दुकानो को सब प्रकार के बाहिरी और भीतरी स्वत्व और अधिकारों सहित ५०००) रुपये के बदले में जिसके आधे २५००) होते हैं वलीमुहम्मद बेटा अली मुहम्मद जाति शेख पेशा तिजारत के पास रहन दखली की है। और रहन का रुपया पूरा २ उक्त रहन दार से निम्न लिखित ब्यौरे से वसूल पाकर रहन की हुई जायदाद, पर अपने समान रहन ग्रहीता को स्वामी और अधिकारी कर दिया। रहन की शर्तें निम्न लिखित ठहरीं।

१-रहन के रुपये का सूद और रहन की हुई जायदाद का मुनाफा बराबर ठहरा रहनकालमें रहनग्रहीता को ब्याजका दावा और मुझ रहन कर्ता को मुनाफे का दावा एक दूसरे पर न होगा।

२–रहन की अवधि आठ साल की ठहरी इस बीच में न मुझ रहनकर्ता को रहन छुडाने का अधिकार होगा और न रहन ग्रहीता को रहन का रुपया मांगने का अधिकार होगा।

३–आठ साल की अवधि बीत जाने पर मुझ रहन कर्ता को अधिकार होगा कि जब रहन का रुपया भुगता कर रहन की हुई जायदाद को छुड़ाले ऐसे ही अवधि बीत जाने पर रहन दार को अधिकार वसूल करने रहन के रुपये का मुझ रहन कर्ता की व्यक्ति (जात) तथा रहन की हुई जायदाद से नीलाम की कार्यवाही द्वारा प्राप्त होगा।

४–साधारण लिपाई दिहसाई और छत्त पर मट्टी डालना रहनदार के जिम्मे है और दूसरी मरम्मत टूट फूट तथा चडी किवाड आदि की मुझ रहन कर्ता के जिम्मे है अगर तारीख सूचना देनेसे एक मासके भीतर में रहनकर्ता मरम्मत टूट फूटकी न कराऊ तो रहन दार को आज्ञा है कि वह अपने अधिकार से मरम्मत करा लेवे और जो कुछ व्यय उसमें पडे वह मुझ रहन कर्ता से माग ले न देने की दशा में वह रुपया रहन का भाग समझा जायगा और रहन छुडाने के समय ॥) सैकडा माहवारी व्याज सहित उसका अदा करना आवश्यक होगा और बिना उसके अदा किये रहन न छुट सकेगी ठीक हिसाब इस प्रकार के खर्च का बना कर रहन कर्ता के पास भेजना रहन दार का काम होगा।

५–उपरोक्त आठ के अतिरिक्त जिसके भुगतान के लिए रहन दार के पास रुपया छोड़ा गया है और अगर कोई भार रहन की हुई जायदाद पर निकले और उसके कारण से या किसी साझी व अंशी के दावा करने या किसी मेरे स्वत्व की त्रुटि के कारण रहन की हुई जायदाद या उसका कोई भाग रहनदार के कब्जे से निकल जाय या कोई रुपया रहनदार को देना पड़े या उस का कोई और

हानि उठानी पड़े तो रहन दार को अधिकार होगा कि रहन का रुपया अपना व्यय और हानि तथा व्याज सहित मुझ राहिन की हर प्रकार की जायदाद से वसूल कर लेवे और रहन की हुई जायदाद उस रुपये में, आड समझी जावेगी इस लिये यह रहन नामा दखली लिख दिया कि सनद रहे।

रुपया पाने का ब्योरा

वास्ते बेबाकी असल व सूद मुतालबा दस्तावेज आड नविश्ता मुकिर मौसूमा गिरधारीलाल कायस्थ तादादी ३२००)
मुवरखः २१ मार्च सन् १६०७ पास मुरतहिन अमानत छोड़े ४२७५)
नकद वक्त रजिस्ट्री लेने ठहरे ७२५)

चोहद्दी ७ दुकान रहन की हुई एक दूसरे से मिली हुई स्थित बाज़ार सब्जी मंडी कस्बे दहगवा।

पूरब	पच्छिम	उत्तर	दक्खिन
अल———	——द गवा———	——ह गवाहशु———	——द गवाहशु———
तहरीर तारीख	मुकाम	बकलम	कातिब

जुतऊ जायदाद का दखली रहननामा

मैं कि रामेराम बेटा सीताराम जाति जाट साकिन व जमीदार मौजा बाजौता परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ का हूँ जो कि मौजा बाजौता परगना टप्पल थोक कल्लू ब्राह्मण व नम्बरदारी साहबराम नम्बरदारमें मिनजुमला २३१ बीघा १ बिस्वा आराजी जमई १६४≈)॥ माल गुजारी मुन्दरजा खाता नं० ७ खेवट के आठवां हिस्सा जमींदारी मेरी बिना किसी साझी के है और उपरोक्त जमींदारी से सम्बन्धित रसदी हिस्सा मिनजुमले ६२ बीघे ७ बिस्वे पुख्ता आराजी शामिलात मुन्दर्जे खाते खेवट नं० ८ और

रसदी हिस्सा आराज़ी शामिलात थोक कल्लू ब्राह्मण का है। इस कुल जमींदारी का मैं इस समय तक स्वामी और अधिकारी हूं। अपने ऊपर का ऋण चुकाने के लिये उपरोक्त जमींदारी का दो तिहाई हिस्सा अर्थात् बारहवां हिस्सा मिनजुमले २३१ बीघे १ बिस्वे पुख्ता आराजी मुन्दर्जा खाता खेवट नं० ७ मय रसदी हिस्सा मिन जुमले ३२ बीघे १७ बिस्वे पुख्ता आराजी शामिलात मुन्दर्जा खाते खेवट नं० ८ व रसदी हिस्सा आराजी शामिलात थोक कल्लू ब्राह्मण सब प्रकार के बाहिरी और भीतरी व सम्बन्धित स्वत्व और अधिकारों सहित मुबलिग ३००) रुपये सिक्के सरकार के बदले कि जिस के आधे १५०) रुपये होते हैं पास राम दयालु व बिहारी लाल व किशोरी लाल बेटे टोडर मल वैश्य रहने वाले मौजे पिलोरा परगना खुर्जा जिला बुलन्द शहर समान भाग आधा हिस्सा, व सीताराम व तिरखा राम बेटे नेतराम जाति बनिये रहने वाले मौजा और परगना टप्पल तहसील खेर जिला अलीगढ समान भाग आधा हिस्सा रहन दखली मुजरई ७ साल की मीआद से की और गिरवी रक्खी, रहन का रुपया पूरा २ उक्त मुरतहनों से नीचे लिखे हुए अनुसार वसूल पाया कोई कौडी पैसा बाकी नहीं रहा, वसूल न होने और कम वसूल होने का बहाना झूठा होवे। इकरार और शर्त रहन यह है कि उक्त मुरतहिन आज की तारीख से रहन की हुई आराजी पर काबिज़ और दखील होकर सरकारी माल गुजारी अदा करने के पश्चात् जो कुछ बचे असल व सूद जर रहन में लेते रहें और सात साल की अवधि बीतने पर रहन की हुई आराज़ी को अपने कब्ज व दखल से निकाल कर मुभ्राहिन के कब्जे में दे दें अब तक जो आराजी रहन में लकड़ी मौजूद है उसको मैं राहिन काट लूंगा और रहन की अवधि में जो लकड़ी आगे को पैदा होगी उसके काटने व

बेचने का अधिकार मुरतहनों को होगा रजिस्ट्रीकी पूर्ति के पश्चात् उसका दाखिल खारिज नियम पूर्वक सर रिश्तेमाल से करादूगा, अगर दाखिल खारिज न कराऊ या मुरतहनों के दखल में हस्तक्षेप करू या बाधक होऊ या मेरी मिलकियत की त्रुटि या मेरे किसी अन्य कारण से समस्त या कुछ भाग रहन की हुई जायदाद का मुरतहिनोंके कब्जे स निकल जावे तो मुरतहनोंको अधिकार है कि रहननामेका सारा रुपया मअसूद फी सदी १) रुपया माहवारी मुझ से और मेरी जायदाद से वसूलकरलें मुझको उज्र न होगा इस लिये यह थोडे शब्द रहन मुजरई के रूप में लिख दिये कि सनद रहे।

तफसील बे बाकी ३००) जर रहन मजकूरा वाला

बाबत बेबाकी हिस्सा निसफी मुताल्बा एक डिग्री अदालत मुन्सिफी हवाली अलीगढ़ न० २१६ मुवर्रखा २७ मार्च सन् १८७६ बजा राम दयाल व बिहारी लाल व किशोरीलाल व मनसा राम मुरतहनान मोखूमा खुद शामिलाती खुशी राम वगैरह दीगर मदयूनान बाबत हिस्सा निसफी रहन के मुरतहनान को मुजरा दिये २९०)

अब लिये १०)

हस्ताक्षर
घासेराम बकलम खुद

गवाह
शोभा राम ब्राह्मण साकिन बाजोता बकलम खुद

गवाह
रामजीलाल वल्द रामसिंह जाट साकिन बाजोता बक० लम हिन्दी खुद

ता० ३० जनवरी सन् १९२० स्थान
दस्तावेज लेखक

दखली रहननामा (भोग बन्धक पत्र)

मैंकि पैमराज पुत्र नाथूराम ब्राह्मण चौहरा निवासी तथा जमीदार ग्राम समराऊ परगना व तहसील जलेसर जिला एटे का हूं जोकि दो बिसवे की एक तिहाई जमींदारी का जो चार बिसवेकी पट्टी पैमराज महाल १६ बिसवा मौजा समराऊ परगना व तहसील जलेसर जिला एटा में है मै स्वामी और अधिकारी हूं और अब कानूनी बटवारे द्वारा महाल पैमराज खेवट न० १ मौजा समराऊ परगना व तहसील जलेसर जिला एटा के कागजों में उस का लेख—१३ बिसवासी १६ कचवासी १२ तनवासी तादादी ५६ एकड़ २२ डिसमिल जमई ६३=) हुआ है यह जमींदारी मेरे लिये आड़नामे रजिस्टरी ता० २७ अगस्त सन् १८६७ तादादी १२२०) के द्वारा प० कृष्णलाल ब्राह्मण और लीलाधर चौहरे के पास आड़ चली आती है और प्रति दिन व्याज बढ़ता चला जाता है।

इस लिये मैं स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में उपरोक्त सम्पूर्ण जमींदारी १३ बिसवासी १६ कचवासी १२ तनवासी जुतऊ व बे जुतऊ भूमि और फलदार और बे फलवाले वृक्ष बाग फड़वे व पक्के कूप, तालाब, नदी नाले, पोखर, झील, डहर जल कर, बनकर, वाँ परऔट, बथान, जंगल ढाका, ऊसर, बंजर, पशु चारनभूमि, गाहर-पूला सींक व आबादी, व आमदनी सिवाय व सायर व हिस्सा आमदनी ठेका नगला भगवानपुर और ३ एकड़ ६ डिसमिल भूमि अपनी जात, और सब प्रकार के बाहिरी, भीतरी वर्तमान और आगामी स्वत्व और अधिकारों समेत २७००) रुपये सिक्के सरकार के बदल में कि जिसके आधे १३५०) रु० होते हैं—पास प० कृष्णलाल व प० ज्वालाशंकरसहाय व प० शम्भूनाथ पुत्र प० द्वारिकाप्रसाद जाति ब्राह्मण गौड़ रहने वाले कस्बे जले-

सर जिला एटा के नौ आना सैकडा माहवारी ब्याज पर भोग बन्धक (रहन दखली) करदी और गिरवी रक्खी, और रहन का रुपया पूरा व कुल नीचे लिखे विवरण अनुसार पालिया, और रहन की हुई जमीदारी पर उक्त पंडितों का अधिकार और दखल करा दिया और निम्न लिखित नियम उभय पक्ष में ठहरे।

(१) रहन ग्रहीता हक्कियत पर स्वामी और अधिकारी रह कर सब प्रकार की आमदनी वसूल करें। और सरकारी मालगुजारी और वसूल का खर्च काट कर जो कुछ बचे उसको पहले ब्याज में फिर मूल में मुजरा दें।

(२) रहन ग्रहीताओं को समस्त अधिकार लगान उघाने, लगान नियत करने और बकाया व बेदखली की नालिश करने और लगान बढाने, कुर्की खुद इख्तियारी आदि के प्राप्त होंगे। मुझको और मेरे दायभागियों को रहन काल में कुछ अधिकार न होगा।

(३) रहन ग्रहीताओं को खेती के औजारों के लिये वृक्षों की लकडी काटने का अधिकार प्राप्त होगा। उसके मध्ये मेरा कोई दावा किसी समय या रहन छुडाने के समय न होगा।

(४) इस महाल में ५ एकड १४ डिसमिल आराजी जमई ग्यारह रुपये चौदह आना सालाना खेवट नं० २ मेरे लडके छीतर मल के नाम है। और यह मालगुजारी वह जो खेवट नं० २ का मालिक है अदा करता रहा है। सो आगे को भी इसी तरह अदा करता रहेगा। अगर किसी कारण से यह मालगुजारी रहन ग्रहीताओं को देनी पड़े तो रहन ग्रहीता उसको १) सैकडा माहवारी ब्याज सहित खेवट नं० २ के मालिक से वसूल करेंगे। जो उससे वसूल न हो तो वह मालगुजारी नौ आना सैकडा माहवारी सूद

समेत रहन के रुपये में बढती रहेगी और उसको मैं इकरार करने वाला रहन के रुपये के साथ रहन दारोंको अदा करूंगा।

(५) ३ एकड ६ डिसमिल आराजी खुद काश्त मुझ इकरार करने वाले की है, जिसको कबुलित मने ३६) सालाना लगान की रहन दारों के नाम २ साल के लिये लिख दी है। यह लगान का रुपया बिना किसी बहाने और टाल के मैं रहन दारों को अदा करूंगा। जो अदा न करूं तो रहन ग्रहीताओं को अधिकार है कि मुझको नियमाऽनुकूल दफे ५६ कानून लगान की इजराय डिग्री द्वारा बेदखल करादें। और लगान का रुपया अपना मुझ से वसूल करें।

(६) रहन की मिआद गुजर जाने पर कुल रहन का रुपया तथा उपरोक्त मदों का रुपया यदि कुछ हो और जितनी बाकी आसामियों पर हो, यह सब जब जेठ मास में खाली खेत पर एक साथ अदा करूंगा तब रहन की हुई वस्तु को रहन से छुडा लूंगा। रहन का रुपया अदा किये बिना मुझ को या मेरे दाय भागियों को रहन छुडाने का अधिकार किसी अवस्था में न होगा।

(७) उपरोक्त जमीदारी ऊपर लिखे हुए दस्तावेज में आड है और उसका भार पूर्व का है, इस लिये रहन ग्रहीताओं को पूर्व भार के समस्त स्वत्व और अधिकार प्राप्त रहेंगे। और दूसरे मनुष्यों के सम्मुख उनको सब प्रकार विशेषता रहेगी।

(८) रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि दो साल की मीआद गुजर जाने पर या जिस समय उचित समझें अपने कुल रुपये की व्याज आदि सहित नालिश दाइर करके रहन की हुई जायदाद के नीलाम द्वारा कुल ऋण अपना वसूल करें या।

रहन को उसी प्रकार स्थिर रक्खें। इस कुल भार में उपरोक्त जायदाद आड और जमी रहेगी।

(६) इस दस्तावेज की रजिस्ट्री कराकर दाखिल खारिज महकमे माल में रहन ग्रहीताओं के नाम का कराढूंगा। यदि कोई बहाना या टाल करू तो जो कुछ हानि और व्यय रहन ग्रहीताओं का होगा वह सब मेरे ऊपर है।

(१०) इस दस्तावेज के भार के सन्मुख और कोई पूर्व भार या ऋण नहीं है। यदि रहन ग्रहीताओं को कोई ऐसा भार चुकाना पड़े या मुझ रहन कर्त्ता के स्वत्व की त्रुटि से कुल रहन की हुई वस्तु अथवा उसका कोई भाग उनके अधिकार से निकल जावे या कोई व्यय उनको सहन करना पड़े तो रहनदारोंको अधिकारी होगा कि अपना कुल रुपया रहन की हुई वस्तु व मुझ रहनकर्त्ता की व्यक्ति और मेरी हर प्रकार की दूसरी सम्पत्ति से पूर्व भार के रूप में वसूल करें या अन्य उपाय काम में लावें। इस लिये यह रहन नामा लिख दिया कि सनद रहे।

बाबत चुकाने रुपया दस्तावेज २२ अगस्त रजिस्ट्री ३१ अगस्त सन् १८६७ जो बौहरे लीलाधर बेटा बौहरे सदासुख अलेसर निवासी के देने हैं रहन ग्रहीताओं के पास छोड़े १४६६) मध्ये दस्तावेज २२ अगस्त रजिस्ट्री ३१ अगस्त सन् १८६७ के मध्ये देने प० कृष्णलाल रहनदार के पहली अदायगी काट कर अब मुजरा दिये १२५१)

तारीख २ सितम्बर सन् १६०६ को भग्गामल बेटा नाथूराम जाति वैश्य अगरवाल अलेसर निवासी लेखक दस्तावेज ने लिखा
हस्ता——————————स्तर सा———————————क्षी
सा———————————क्षी सा———————————क्षी

रहननाम दख्ली (भोग बन्धक) जमींदारी

हम कि चिरञ्जीलाल व अमृत लाल बेटे लाला सन्तलाल के यम् । और अपने सगे नाबालिग भाइयों मोहन लाल व बिहारी ाल बेटा उपरोक्त लाला सन्तलाल के सरक्षक, व हैसियत मैनेजर ा कर्ता खानदान जाति वैश्य अगरवाल चूड़ीवाल रहने वाले हल्ला राई डोरा कस्बा खुर्जा जिला बुलन्दशहर के हैं ।

जो कि लाला सन्तलाल कुटम्ब के पुरखा के अधिकार में ैत्रिक सम्पत्ति थी, उसके सिवाय वह अनाज का व्यापार और ाढ़त खुर्जे की मंडी में बहुत काल से करते थे। व्योपार और मींदारी की आमदनी से उन्होंने पैत्रिक सम्पत्ति के अतिरिक्त ्विध रहायशी जायदाद मोल लेकर बनाई । जीवन के अन्तिम ाल में व्यापार की हानि के कारण उनके ऊपर लगभग पांच ज़ार रुपये का ऋण हो गया था जिसको वह अदा न कर सके । ौर १७ फर्वरी सन् १६१३ को उन का स्वर्ग वास हो गया। हम तिज्ञा करने वालों ने उक्त ऋण चुकाने के निमित्त २६७ बीघे बिसवे पक्की भूमि जमई ३४२) हक्कियत जमींदारी खाता ेवट नं० २ वाकिअ मौज़ा नहरई परगना खुर्जा और चौहत्तर ७४ ीघा आठ बिस्वा पक्की भूमि जमई १८१) खाता खेवट नं० ५ ाकअ मौज़ा गढ़ी कन्धारी परगना हाथरस जिला अलीगढ़ पास ाला छेदा लाल बेटा बसीधर जाति सुनार रहने वाले मुहल्ला ाजियायी कसबे हाथरस छ हजार ६०००) रुपये के बदले १६ जून न् १६१५ लिखित दस्तावेज द्वारा आड़ की और कुल ऋण चुका देया पूँजी न होने के कारण व्यापार तथा आढ़त का काम हुत कम हो गया है । जिसके कारण से कुटुम्ब पालन में कठिनाई ड़ती है । और कारबार के ज़रिये रुपये की आवश्यका है,

इस के अतिरिक्त बीबी चम्पादेवी हमारी बहन का विवाह पिछले फाल्गुण में हुआ था और उसके निमित्त हमको द्वारा ऋण लेना पड़ा उस का चुकाना आवश्यक है, आड़ी दस्तावेज की ब्याज दर १) सैकड़ा मासिक है, और प्रत्यक्ष में कोई ढग ऋण चुकाने का नहीं है इस लिये पैत्रिक सम्पत्ति के डूब जाने की शंका है। इस बात का ध्यान करके हम प्रतिज्ञा कर्ताओं ने आड़ी हनिकयत को रहन मुजरई करने की इच्छा की है। जिस स सुगमता के साथ होले २ ऋण अदा हो जावे। और पैत्रिक सम्पत्ति सुरक्षित रहे इसलिये स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में हमने स्वयम् और अपने नाबालिग भाइयों के संरक्षक और अविभक्त कुल के कर्ता की हैसियत से उपरोक्त जायदाद जमीदारी को बिना किसी स्वत्व व वस्तु के छोड़ने के समस्त स्वत्व व अधिकार भीतरी व बाहिरी सहित नौ हजार ९०००) रुपये सिक्क सरकार के बदले कि जिसके आधे चार हजार पाच सौ ४५००) रुपये होते हैं ना आना सैकड़ा मासिक ब्याज दर से उपरोक्त दाता लाला छेदालाल बेटा बसीधर जाति सुनार रहने वाले मुहल्ला नजयाई कस्बा हाथरस के पास निम्न लिखित शर्तों अनुसार रहन दखली मुजरई की ओर गिरवी रक्खी।

(न० १) यह कि कुल रहनका रुपया, निम्न लिखित जमीमा (अ) के ब्योरे के अनुकूल उपरोक्त रहन ग्रहीता से वसूल पा लिया, एक कौड़ी उस के ऊपर शेष नहीं रहा, आगे कम पाने या कुल न पाने का बहाना हमारी ओर से या हमारे दायभागियों प्रतिनिधियों व स्थानापन्नों की ओर से झूठा और सुनने के अयोग्य, होगा।

(न० २)—यह कि रहन की हुई जायदाद पर इस दस्तावेज के नीचे लिखे जमीमा (ब) के अनुकूल, उपरोक्त रहन ग्रहीता को अपने समान स्वामी और अधिकारी करा दिया। रहन की स्थिति

तक हम रहन कर्ता किसी प्रकार का हस्ताक्षेप उक्त रहन ग्रहीता और उस के दायभागियों, स्थानापन्नों और प्रतिनिधियों के स्वत्व व अधिकार में न करेंगे।

(नं० ३)—यह कि उक्त रहन ग्रहीता का नाम कागजात माल में दरख्वास्त देकर रहन ग्रहीता रूप में लिखा देंगे। और ऐसा न करने की दशा में रहन ग्रहीता का अधिकार होगा कि वह अपना दाखिल खारिज स्वयम् करा ले। और जो कुछ दाखिल खारिज में खर्च पड़े वह रहन के रुपये का भाग होगा और नौ आना सैकड़ा मासिक ब्याज दर से रहन के रुपये के साथ और सम्मिलित चुकाना होगा।

(नं० ४)—यह कि रहन काल में उक्त रहन ग्रहीता स्वामी व अधिकारी रह कर हर प्रकार की आमदनी रहन की हुई जायदाद की उठावे और उससे पहले माल गुजारी तथा दूसरा रुपया सरकारी देने योग्य अगर कोई हो अदा करे और बाद मिनहाई (काटने) खर्चे तहसील व तशखीस और खर्च गाव के जो बच रहे उसको प्रथम ब्याज में तत्पश्चात् मूल धन में मुजरा दे।

(नं० ५) यह कि माल गुजारी की घटोतरी बढ़ोतरी हम इकरार करने वालों के जिम्मे है रहन ग्रहीता को हिसाब में वह रुपया मुजरा दिया जावेगा जो वास्तव में वह अदा करे।

(नं० ६)—यह कि हिसाब आमदनी व ब्याज का उभय पक्ष के बीच में सालाना हुआ करेगा। और रहन के रुपये का ब्याज और रहन की हुई जायदाद की आमदनी भी सालाना मुजरा की जाया करेगी रहन ग्रहीता का कर्तव्य होगा कि वह उस की नकल हर साल १ अगस्त को रहन कर्ताओं के पास भेज देवे।

(न० ७) यह कि रहन काल में रहन ग्रहीता को अधिकार होगा कि आसामियों को वे दखल करे इजाफा (वृद्धि) या तखफीफ लगान कराये और हमारे समान स्वामियों के से दूसरे अधिकार काम में लावे। जो वृद्धि लगान में होगी उसके स्वत्वाधिकारी हम रहन कर्ता होंगे। जो खर्च रहन ग्रहीता का लगान बढ़ाने में पड़ेगा वह रहन के रुपये का भाग समझा जाकर उसके साथ व शामिल उक्त दर के ब्याज सहित हिसाब में शामिल होगा और हम रहनकर्त्ता उस के देनदार होंगे।

(न० ८) यह कि रहन काल में रहन गृहीता को अधिकार होगा कि वह विविध वृक्षों की सूखी व गीली लकड़ी खेती के औजारों के लिये कटवा लेवे। परन्तु उसको लकड़ी बेचने और किसी बाग को कटवाने का अधिकार न होगा।

(न० ९) यह कि रहनकी हुई जायदाद सिवाय आडके भार के कि जिस के भुगतान के लिये रहन गृहीता के पास रुपया अमानत छोड़ा है अन्य हर प्रकार के ऋण और भार से रहित व निर्दोष है। और नउसमें कोई साझी व अंशी हमारा है। अगर किसी पूर्व भार या ऋण के या किसी साझी व अंशी के दावा करने से अथवा हम रहन कर्ताओं की जायदाद की किसी त्रुटि के कारण कुल या कोई भाग रहन की हुई जायदाद का रहन ग्रहीता के अधिकार से निकल जावे। या कोई रुपया या भार अन्य प्रकार का हमारे कारण रहन ग्रहीता को चुकाना पड़े तो उस को अधिकार होगा कि अपनी रहन का रुपया और अन्य दूसरा अदाकिया हुआ रुपया नौ आना सैकड़ा मासिक ब्याज सहित रहन की हुई जायदाद और हमारी व्यक्ति तथा दूसरी हर प्रकार की हमारी जायदाद से वसूल करे और रहनकी हुई जायदाद उस रुपये में आड समझी जावेगी।

(१०) यह कि रहन काल में हम रहन कर्ताओं का कर्तव्य होगा कि अपने स्वत्वों तथा रहन ग्रहीता के स्वत्वों की रक्षा रहन की हुई जायदाद के मध्ये करते रहें। और रहन ग्रहीता को उन स्वत्वों की रक्षा करने में सहायता करें।

(११) यह कि इस रहन की मीआद (अवधि) खरीफ़ सन् १३२६ फसली से अन्तिम रबीअ सन् १३३३ फसली अर्थात् आठ सालकी ठहरी है। और उपरोक्त मीआदके बीत जानेपर किसीसाल जेठ मास के अन्त में जब हम रहन कर्ता रहन ग्रहीता का देना रुपया जो रहन के मध्ये और दूसरे रुपये जो इस रहन नाम की प्रतिज्ञाऽनुकूल हम रहन कर्ताओं को देने ठहरे हैं अदा करेंगे जायदाद को रहन से छुडा लेंगे। रहन छुडाने के समय जितना रुपया आसामियोंके नाम मीआदके अन्दर शेष होगा वह हम रहनकर्ताओं को अदा करना होगा उस के चुकाने के बिना भी रहन न छूटेगी।

(१२) अगर इस साल के बीतने पर रहन का रुपया बेबाक़ न होवे तो रहन ग्रहीता को भी अधिकार होगा कि वह अपना रुपया आड की हुई जायदाद के नीलाम द्वारा वसूल करे

(१३) यह कि इस रहन की प्रतिज्ञाओं का पालन करना हम रहनकर्ता व रहन ग्रहीता और दोनों पक्षों के दायभागियों प्रतिनिधियों व स्थानापन्नों का कर्तव्य होगा। इस लिये यह थोडे शब्द रहननामा दखली के रूप में लिख दिये कि सनद रहे।

जमीमा (अ) रहन के रुपया चुकाने का विवरण

१६ जून सन् १६१५ लिखित आडी दस्तावेज के मूल व ब्याज के मध्ये उक्त रहन ग्रहीता को मुजरा दिये ७२५।३)

बीबी चम्पा देवी के विवाह खर्च निमित्त जो ऋण १७ फरवरी सन् १६१७ लिखित रुक्के द्वारा कन्हैया लाल बेटा राम लाल ब्राह्मण

खुर्जा निवासी से लिया था वह उक्त दाता को दिला कर रुक्का वापस करा दिया ६४७)

इस रहन नामे की पूर्त्ति के निमित्त वसूल पाये १५०)

अनाज की दूकान के कार बार के लिये रजिस्ट्री के समय लिये जावेगे ६५०)

जमीमा (ब) रहन की हुई जायदाद का विवरण

(१) आराजी हकियत जमींदारी खाता खेवट नं० २ वाकिअ मौजा महरई परगना खुर्जा जिला बुलन्दशहर २६७ बीघा ७ बिसवा जमई ३५२)

(२) आराजी हकियत जमींदारी खाता खेवट नं० ५ वाकिअ मौजा गढोकन्धारी परगना हाथरस जिला अलीगढ़ ७४ बीघे ११ बिसवे जमई १८१)

हस्ता———————दर हस्ता———————दर
चिरंजीलाल मुकिर नं० १ स्वय अमोलतल मुकिर नं० २
व मोहनलाल व बिहारीलाल
अपने सगे भाइयों का सरक्षक

सा———————ही सा———————ही
हीरालाल सर्राफ हाथरस तुलसीराम सुनार हाथरस निवासी
निवासी बकलम खुद

तारीख स्थान बकलम रहननामा लेखक

रहायशी जायदाद का दखली रहन नामा

हम कि अहमद अली व शाहिद रजाअली बेटे व मुसम्मात नसीरुन्निसा स्वयम् व सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षक शाकिरअली पिसर व नाबालिग व मुस्तमात मासूमन व रहीमन दुख्तरान नाबालिगान रजाअली जाति शेख पेशा जमींदारी रहने वाले मौजा रहीमाबाद परगना मुस्तफापुर जिला बदायूँ के हैं। जो कि हम इकरार करने वालों के पुरखा रजा अली विविध रहायशी जायदादों के स्वामी और अधिकारी थे। उन्होंने तारीख २६ अक्टूबर सन् १९१४ ई० का वफात (मौत) पाई। उस समय उन पर लगभग ३०००) रुपया ऋण था और उसमें कुल जायदाद विविधब्याज दर से आड थी। हम इकरार करने वाले दायभागी शरअ के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति के मालिक व अधिकारी हुए और जायदाद की आमदनी से अत्यन्त प्रयत्न ऋण चुकाने का किया। परन्तु अतीव प्रयत्न व परिश्रम करने पर केवल कुछ भाग ब्याज का अदा हो सका, ऋण की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती थी। विवश होकर मुझ मुसम्मात नसीरुन्निसा इकरार करने वाली ने शाकिर अली नाबालिग बेटे व मासूमन व रहीमन नाबालिग बेटियों रजा अली की रक्षा का सार्टीफिकट जज साहिब बदायूं की अदालत से तारीख २१ अगस्त सन् १९१६ ई० को प्राप्त किया। तत्पश्चात् मरे हुए पुरखा की सम्पत्ति के कुछ भाग के रहन करने की आज्ञा नाबालिगों के हिस्से के शामिल तारीख १३ नवम्बर सन् १९१६ को प्राप्त की। उक्त आज्ञा के अनुकूल नीचे लिखी हुई रहायशी जायदाद को समस्त आश्रित व सम्बन्धित स्वत्वों सहित ५०००) के बदले में कि जिसके आधे २५००) रुपये होते हैं दस आना सैंकड़ा मासिक ब्याजदर से पास मौलवी समी उल्ला बेटा हाफिज इनाय तुल्ला जाति शेख रहने वाले उक्त मौजे व जिले के नीच

लिखी शर्तों के साथ स्वस्थचित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी जबरदस्ती व दबाव के रहन दखली करते हैं। निम्न लिखित समस्त शर्तें हम इकरार करने वालों और हमारे स्थानापन्नों व दायभागियों पर रहन की स्थिति तक पालन करने व मानने के योग्य होंगी।

(१) उपरोक्त रहन का ५०००) रुपया निम्न लिखित ब्यौरे से उक्त रहन ग्रहीता से वसूल पालिया।

रजा अली लिखित आडी दस्तावेज के मूल व व्याज की बेबाकी के मध्ये जो उक्त रहन ग्रहीता के नाम २५ दिसम्बर सन् १६१३ को लिखा था मुजरा दिये ७६०)

१३ जनवरी सन् १६१२ ई० को रजा अली लिखित आडी दस्तावेज तादादी १२००) के असल व सूद के भुगतान के लिये जो कन्हैयालाल बेटा रामलाल ब्राह्मण शेखुपुर निवासी जिला मुजफ्फरपुर के नाम लिखा गया रहन ग्रहीता के पास अमानत छोड़े २२१०)

२३ जून सन् १६१२ ई० को रजा अली लिखित सादा रहन नामे तादादी १७००) के बकाया के मध्ये जो लाल मुहम्मद बेटा अली मुहम्मद कौम शेख साकिन रियाजपुर जिला बदायू के नाम लिखा गया उक्त रहन ग्रहीता से दिला कर रहन नामा उसको वापस दिलाया ८५०)

इस रहन नामे के पूर्ति के निमित्त रहन ग्रहीता से तहरीर के समय वसूल पाये १५०)

कोई भाग रहन के रुपये का उक्त रहन लिखने के ऊपर शेष नहीं रहा न पाने या कम पाने का बहाना हमारी ओर से या हमारे दायभागियों व स्थानापन्नों की ओर से झूठा और न सुनने योग्य होगा।

(२) उक्त रहनदार को रहन की हुई जायदाद पर अपने समान अधिकारी और मालिक बना दिया और वास्तविक में अधिकार दे दिया रहन ग्रहीता उस पर अधिकारी व स्वामी रह कर किराया वसूल करे और उसको रहन के रुपये के ब्याज में लेता रहे, कमती बढती के लेनदार और पानेवाले हम रहन कर्त्ता हैं।

(३) जो रहन काल में किराये में बढ़ती होगी उसके लेनदार हम रहन कर्त्ता होंगे और रहन ग्रहीता के किसी अनुचित व्यवहार के सिवाय अगर किसी और कारण से कोई भाग रहन की हुई जायदाद का खाली रहेगा उसके जिम्मेदार भी हम रहन कर्त्ता होंगे। रहन ग्रहीता जायदाद के वास्तविक किराये का जिम्मेदार होगा परन्तु किराया वसूल न होने का जिम्मेदार रहन ग्रहीता होगा।

(४) अगर रहन ग्रहीता जायदाद का कोई भाग अपने अधिकार में रक्खेगा तो उसका उचित किराया रहन ग्रहीता को हिसाब में मुजरा देना होगा।

(५) किराये की आमदनी और ब्याज का हिसाब सालाना हुआ करेगा और रहनदार का कर्तव्य होगा कि ब्यौरे वार हिसाब की एक प्रति सालाना रहन कर्ताओं को देता रहे।

(६) लिपाई लिसाई और छत पर मट्टी डलाई आदि सामान्य मरम्मत रहन ग्रहीता के ऊपर ठहरी है। और असाधारण टूट फूट की मरम्मत हम रहन कर्ताओं के ऊपर है। अगर हम रहन कर्ता न करावें तो रहन ग्रहीता को अधिकार है कि अपने प्रबन्ध और खर्च से करा लेवे यह मरम्मत का रुपया सालाना हिसाब में हम रहन कर्ता मुजरा देंगे। परन्तु ऐसा करने से पहले रहन ग्रहीता का कर्तव्य होगा कि हम रहन कर्ताओं को एक सप्ताह

की मीआद का नौटिस देवे और हमारे मरम्मत न कराने की द
में स्वयम् करा लेवे।

(७) रहन की मीआद ७ साल की ठहरी है, मीआद के अ
न हम रहन कर्ताओं को रहन छुडाने का अधिकार न रहन ग्रही
को अपने रुपये मागने का अधिकार होगा मीआद बीत ज
पर हम रहन कर्ताओं को अधिकार होगा कि जिस समय र
का रुपया और रहन ग्रहीता का दूसरा रुपया अगर कुछ हो अ
करें रहन छुडालें इसी प्रकार रहन ग्रहीता को अधिकार होगा
अपना लेना रुपया हम से मागे। और अदा न करने की दशा
रहन की हुई जायदाद से वसूल करे। रहन की हुई जायदाद उ
रुपये में आड़ समझी जावेगी।

(८) रहन की हुई जायदाद हर प्रकार के ऋण व भार से अ
रुपयों के चुकाने के पश्चात् जो रहन ग्रहीता के पास अमानत छो
गये है रहित और निर्दोष होगी। यदि कोई अन्य ऋण या भ
किसी प्रकार का निकले या कोई साझी व अशी उत्पन्न हो
बाधक या रोकने वाला रहन ग्रहीता का रहन की हुई जायदा
के दखल में हो तो हम उसके उत्तर दाता होंगे अगर इस प्रका
के व्यवहार से रहन की हुई जायदाद कुल या उसका कोई भा
रहन ग्रहीता के अधिकार से निकल जावे अथवा कोई भार
ऋण अधिक देना पड़े तो हम रहन कर्ता उसके उत्तर दाता होंगे

और रहन ग्रहीता को अपने पाने योग्य कुल रुपये वसूल कर
का अधिकार हानि और खर्च और उक्त दर से व्याज सहित ह
रहन कर्ता और और रहन की हुई जायदाद से प्राप्त होगा।

इस लिये यह कुछ शब्द रहननामा दस्तली के भांति लिख दिये
कि सनद रहे।

जमीमा (अ) रहन की हुई जायदाद का ब्योरा

(१) एक मकान पक्का बना हुआ मौजा रहीमा, बाद में समस्त स्वत्व आसायश भीतरी व बाहिरी सहित। जिस की चारों सीमा निम्न लिखित हैं।

पूर———————————————————व

इस मकान का द्वार और द्वार के आगे मकान का चबूतरा व जीना व पक्का कुआ फिर सरकारी सड़क

पश्चि———————————————————म

पड़ी हुई भूमि मुहम्मद हुसैन शेख की जिस में इस मकान के तीन परनाले गिरते हैं एक नित्य का व दो बरसाती, और तीन जगले पहिली मंजिल के बने हुए हैं।

दक्षि———————————————————ण

मकान याकूब हुसैन दर्जी का जिस में एक जंगला व रोशन दान इस मकान की दूसरी मंजिल का है।

उ———————————————————त्तर

निकल ने की गली-और इस मकान का एक दरवाजा इस तरफ को है और दो जगले गली में है।

(२) एक पक्की दूकान पूरब मुहानी जिस से लगा हुआ उत्तर में जीना उक्त दूकान का बाजार रहीमाबाद में स्थित जिस की चौहद्दी नीचे लिखी है और जिस पर इन दिनों बुद्धसेन माली कियायेदार है।

पूर———————————————————ब

उक्त दूकान का दरवाजा फिर सड़क

पश्चि —————————————————— म

आम चक जिस में दो परनाले उक्त दूकान के गिरते हैं।

दक्षि —————————————————— ण

दूकान वफाती रंगरेज इस ओर को दूकान से मिली हुई कोई दीवार वफाती की नहीं है।

उ —————————————————— त्तर

उक्त दूकान का जीना तत्पश्चात् अब्दुल्ला भटयारे तमाकू बेचने वाले की दूकान

(३) एक कच्चा नौहरा। निम्न लिखित चौहद्दी वाला

पूर ———————— व	पश्चि ———————— म
आम रास्ता	नौहरा गोविन्द राम माली
दक्षि ———————— ण	उ ———————— त्तर
पड़ी हुई भूमि पंचायती	मकान नौबत राम ब्राह्मण

(४) दो दूकानें पक्की एक दूसरे से मिली हुई बाज़ार रहीमा बाद में निम्न चौहद्दी वाली जो आज कल अब्दुल मजीद दरजी के के पास किराये पर है।

पूर ———————— व	पश्चि ———————— म
दूकानों के दरवाज़े फिर सड़क	मकानात अब्दुल भटियारा व मुहम्मदी तेली
दक्षि ———————— ण	उ ———————— त्तर
गली जिस में दो परनाले दूकानों के गिरते हैं। और दो जंगले लगे हुए हैं।	दूकान रामसहाय मेवा फरोश

ह ———————— स्ताक्षर	हस्ताक्ष ———————— र
अहमद मुकिर बकलम खुद	वाहिद अली मुकिर बकलम खुद

हस्ता —————————————————— क्षर

निशानी अंगूठा मुसम्मात नन्हीं मुन्निमा खुद व सरिश्ता शाकिर अपा म मुसम्मात मासन व रहीमन

गवाह ——————————————————————— ह

अजीम बेग बेटा मिर्जा सआदत बेग मुगल साकिन रहीमाबाद पेशा काश्तकारी बकलम खुद

गवाह ——————————————————————— ह

मस्तू बेग बेटा इमदाद बेग मुगल पेशा तिजारत साकिन रहीमाबाद बकलम खुद

गवाह ——————————————————————— ह

मिर्जा महमूद हुसैन बेटा हाजी अन्द अली बेग मुगल साकिन रहीमाबाद बकलम खुद

ता० २६ नवम्बर सन् १६१४ स्थान रहीमाबाद

बकलम अहमद हुसैन बेटा इमदाद हुसैन मुगल साकिन रहीमाबाद इस दस्तावेज का लेखक

रहन नामा मशरूतुल रहन (पूर्व रहन संयुक्त रहन नामा)

मैं कि हुकम सिंह बेटा राम रतन जाति तगा रहने वाला व जमींदार मौजा बैरा फीरोज पुर परगना स्याना जिला बुलन्दशहर का हूं

जो कि ३८ बीघा ६ बिसवा पक्की भूमि निम्न लिखित खातों की मेरी जमींदारी मौजा बेरा फीरोज पुर परगना स्याना जिला बुलन्दशहर में १६ सितम्बर सन् १८८७ ई० के रहन नामे द्वारा ३५००) के बदले राम प्रसाद बेटा खुशहाल सिंह जाट रहने वाला गाव इख्तियार पुर परगना हापुड जिला मेरठ के पास रहन दख़ली चली आती है। और म १०००) एक हजार रुपया सिक्के चहरे शाही कि जिस के आधे ५००) पाच सौ रुपये होते हैं

सैकड़ा मासिक ब्याज दर से उक्त रहन ग्रहीता से नया ऋण लेकर अपने काम, और, खर्च में लाया हूं । प्रतिज्ञा यह है कि उपरोक्त रहन की हुई जायदाद आज की तारीख से दोनों दस्तावेजों में रहन और गिरवी समझी जावेगी, रहन की हुई जायदाद पर उक्त रहन ग्रहीता पूर्ववत अधिकारी रहेगा परन्तु उसका अधिकार दोनों दस्तावेजों के बदले समझा जावेगा इस रहन नामे का रुपया मूल व ब्याज का १६ सितम्बर सन् १८८७ के रहन नामे लिखित रहन छुड़ाने के समय भुगताया और निश्शेष किया जावेगा। दोनों रहन नामों के रुपयों के बिना चुकाये रहन की हुई जायदाद न छूटेगी। इस लिये यह थोड़े शब्द पूर्व रहन संयुक्त रहन नामे के समान लिख दिये कि सनद रहे और आवश्यक्ता के समय काम आवे।

रहन की हुई ३८ बीघा ९ बिसवा भूमि का विवरण

खाता नं० ७२ तादादी ४६ बीघा ५ बिसवे में से १० बीघा ६ बिसवा।

खाता नं० ७३ तादादी ४६ बीघे ६ बिसवे मेंसे ११ बीघे १२ बिसवे।

खाता नं० ७४ तादादी २२ बीघे १३ बिसवे में से १६ बीघा ८ बिसवा।

दस्ता————————————————————क्षर

हुक्म सिंह प्रतिज्ञा कारी बकलम खुद

गवा————————————————————ही

हरजस सिंह बेटा सवाई सिंह जाति जाट पेशा खेती बेरा फीरोज पुर परगना स्याना ज़िला बुलन्द शहर निवासी बकलम खुद

सा————————————————————क्षी

शिवलाल बेटा दुर्गादास वैश्य पेशा दुकानदारी गाव बैरा फीरोजपुर परगना स्याना जिला बुलन्द शहर निवासी बकलम सराफी

सा————————————————————क्षी

हरदेव सिंह बेटा नरायन सिंह जाट पेशा जमींदारी व लेन देन गाव बैरा फीरोज पुर परगना स्याना जिला बुलन्द शहर निवासी।

लिखने की तारीख १६ सितम्बर सन् १८८८

स्थान सिकन्दरावाद बकलम हरदयाल सिंह बेटा शम्भु नाथ वैश्य अग्रवाल सिकन्दरा वाद निवासी दस्तावेज लेखक।

पूर्व रहन संयुक्त रहन नामा

हम कि खुश वक्त राय प्रसिद्ध छोटे लाल बेटा मुशी छज्जूसिंह व गिर राज सिंह बेटा उक्त खुश वक्तराय जाति कायस्थ रहने वाले शहर कोल मुहल्ला सराय बीबी जिला अलीगढ़ के हैं। जो कि एक हजार दो सौ पचास १२५०) रुपये सिक्के चहरे दार कि जिसके आधे छ सौ पच्चीस ६२५) रुपये होते हैं दूसरे ऋण कर्ता गिर राज सिंह के विवाह के लिये बाबू गोकुल चन्द डाक्टर बेटा पंडित जीवा राम ब्राह्मण रहने वाले कचौरा परगना सिकन्दरा राऊ जिला, अलीगढ के पास से एक रुपया सैकड़ा मासिक ब्याज दर से रोकड़ी उधार लिये हैं। उक्त रुपये ब्याज सहित के बदले अपने रहने का पक्का मकान नीचे लिखी चौहद्दी वाला सराय बीबी शहर अलीगढ़ में स्थित जो उपरोक्त दाता के पास १७ मई सन् १८८७ लिखित रहन नामें द्वारा रहन दखली चला आता है दूसरी बार रहन रखते और गिरवी करते हैं प्रतिज्ञा यह है कि उक्त रहनदार इस दस्तावेज के रुपये के बदले भी

रहन की हुई जायदाद पर पहिले की तरह अधिकारी रहे। इस दस्तावेज का रुपया सूद सहित १७ मई सन् १८६७ ई० की रहन छुडाने के समय अदा किया जावेगा। दोनों दस्तावेजों का रुपया एक जगह और इकट्ठा समझा जावेगा, इस दस्तावेज के मूल व व्याज के भुगताये विना जायदाद न छूट सकेगी। इस लिए यह थोडे शब्द पूर्व सयुक्त रहननामेके सदृश लिख दिये कि प्रमाण रहे।

रहन की हुई जायदाद की चारों सीमा

पूर————————————————————व

इस मकान का दरवाजा फिर सडक व पक्का कूआ

पश्चि————————————————————म

मकान लाला गगा प्रसाद वकील मुसिफी कोल। रहन किये हुए मकान से इस ओर मिली हुई उक्त मकानकी कोई दीवार नहीं है।

दक्षि————————————————————ण

मकान वावू नन्द लाल कायस्थ, आसा राम किराए दार के पास

उत्त————————————————————र

मकान खूब चन्द टीकाराम दरजी

लिखने की तारीख ११ जनवरी सन् १८६२ बकलम खुश बक्त राय मुकिर नं० १ स्थान अलीगढ

हस्ता——————क्ष	हस्ताक्ष——————र
खुश बक्त राय मुकिर	गिरराज सिंह मुकिर
बकलम खुद	बकलम खुद
सा——————क्षी	सा——————क्षी
विहारी लाल बेटा नेत राम जाति ठाकुर राठौर पेशा नौकरी रहने वाला कोल बकलम खुद	माधौलाल बेटा नाथूराम जाति कायस्थ; रहने वाला सराय ग्वाली शहर कोल पेशा नौकरी बकलम खुद

पूर्व रहन संयुक्त रहन नामा

मैं कि ज्वालाप्रसाद बेटा रतीराम जाति ब्राह्मण रहने वाला व नम्बरदार कस्बा पटियाली परगना खुद जिला एटा का हू ।

जो कि हकियत जमींदारी खाता खेवट न० ३ पट्टी हर गोविन्दप्रसाद शामिलात थोक व शामिलात देह सहित उक्त पट्टी के हिस्सा रसदी अनुसार कस्बा पटियाली जिला एटा में मेरे अधिकार में है। उक्त हकियत में से आधी हकियत अर्थात् सवा विसवा छ सौ ६००) रुपये के बदले १७ अक्टूबर सन् १६१० ई लिखित रहन नामे द्वारा लाला काजीप्रसाद बेटा लाला सुखवीर सिंह जाति कायस्थ रहने वाले कस्बे पटियाली के पास सूद व मुनाफे पर बराबर दखली रहन चली आती है। मुझ को अन्य ऋण लेने की आवश्यका थी और विचार था कि उक्त हकियत को कम व्याज पर दूसरी जगह रहन करके पहला रहन छुड़ा लू । परन्तु उक्त लाला काजीप्रसाद इस बात पर रजामन्द (प्रसन्न) हो गये कि वह चार सौ ४००) रुपया उस रहन के रुपये पर और अधिक दे देंगे। और कुल एक हजार १०००) रुपये में उक्त हकियत बराबर सूद व मुनाफे पर पहिले की भांति उन के यहा रहन हो जावेगी इस लिये मैं स्वस्थचित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में चार सौ ४००) रुपये कि जिसके आधे दो सौ २००) रुपये होते हैं अधिक रुपया उक्त लाला काजी प्रसाद से रोक लेकर प्रतिज्ञा करता हु और लिखे देता हु कि अपनी जमींदारी में से सवा विसवा जमींदारी कस्बा पटियाली खाता खेवट न० ३ पट्टी हरगोविन्द जो पहिले से १७ अक्टूबर सन् १६१० ई० लिखित रहन नामे द्वारा उक्त लालाजी के पास रहन दखली है। इस दस्तावेज के के रुपये में भी रहन दखली रहेगी। और रह-

की हुई हक्रियत का मुनाफा पहले रहन नामे व वर्तमान रहन नामे के सूद के बदले उक्त रहन दार लेते रहेंगे। इस दस्तावेज का रुपया १७ अक्टूबर सन् १६१० ई० लिखित दस्तावेज के साथ अदा किया जावेगा। और दोनों रहन एक साथ व एक जाई छुड़ाये जावेंगे। इस दस्तावेज के रुपये भुगताये विना रहन न छूटे सकेगी। दूसरी सब शर्तें १७ अक्टूबर सन् १६१० ई० लिखित रहन नामे की इस दस्तावेज़ से भी सम्बन्धित होंगी। इस लिये यह पूर्व सयुक्त रहन नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यक्ता के समय काम आवे।

हस्ता——————————————दर

सा——————ची सा——————ची

लिखने की तारीख स्थान

यकलम इस रहन नामे का लेखक

जुतऊ जमीन का विक्रिय सम रहन नामा

मैं कि हुकमसिंह बेटा रामसिंह जाति तगा रहने वाला व जमींदार हिस्सेदार ग्राम वैरा फीरोजपुर परगना स्याना जिला बुलन्दशहर का हूं जो कि मणकर्ता ग्राम वैरा फीरोजपुर परगना स्याने में निम्न लिखित जमींदारी का स्वामी हूं।

खाता नं० ७० रकबी—	खाता न० ७३ रकबी-	खाता न० ७४ रकबी
४६ बीघा ५ बिसवा	४६ बीघा ५ बिसवा	१५७ बीघा ७ बिसवा
कुल	कुल	में से
		२२ बीघा १२ बिसवा

यह कुल हक्रियत दो रहन नामों द्वारा एक १४ नवम्बर सन् १८७० लिखित तादादी दो हजार पाच सो २५००) रुपये व दूसरा १४ नवम्बर सन् १८७६ लिखित तादादी एक हजार दो सौ १२००)

रुपये कुल तीन हजार सात सौ ३७००) रुपये के बदले, लाला किशन सहाय बेटा लाला रामप्रसाद जाति वैश्य रहने वाले, कसबे स्याने के पास रहन दखली है। और उसके द्वारा रहनदार अधिकारी व स्वामी है। इस समय स्वस्थचित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दबाव बहकावट के एक सौ पन्द्रह बीघे ७ बिसवे उपरोक्त पक्की भूमि में से जिसका मैं स्वामी हूं ३५ बीघे ६ बिसवे पक्की भूमि तीनों खातों में से जिसकी मालगुजारी ५५) और नम्बर नीचे लिखे हुए हैं तीन हजार सात सौ ३७००) रुपये के बदले कि जिसके आधे एक हजार आठ सौ पचास १८५०) रुपये होते हैं पास किशनसिंह बेटा खुशहालसिंह जाति जाट निवासी गांव रजापुर तहसील हापुड़ जिला मेरठ विक्रिय सम रहन की, और रहन का रुपया कुल और पूरा वास्ते देने किशन सहाय पूर्व रहनदार के पास वर्तमान रहनदार के अमानत छोड़ा।

प्रतिज्ञा यह है कि आपस के समझौते या न्यायालय की कार्यवाही द्वारा मैं प्रण कर्ता रहन की हुई सम्पत्ति को किशन सहाय पूर्व रहन दार से छुड़ा दूंगा और रहन का रुपया वर्तमान रहन दार से पूर्व रहन दार को दिला दूंगा। और पूर्व रहन छूटने के पश्चात् रहन की हुई वस्तु पर वर्तमान रहन दार को अधिकार देकर दाखिल खारिज उसका सरिश्ते माल में करा दूंगा। विशेष प्रतिज्ञा यह है कि रहन दार स्वामी रूप से उपरोक्त सम्पत्ति पर स्वामी और अधिकारी रहे। और हर प्रकार के समस्त अधिकार कार्य में लावे। यदि मैं प्रण कर्ता आज की तारीख से पांच साल पीछे जून सन् १९१९ में इस रहन नामा का रुपया चुकादूं तो जायदाद रहन से छूट कर मुझ को मिल जावे, अन्यथा उक्त रहन दार उस का चिर स्थाई और स्थिर स्वामी हो जावेगा। और मुझ प्रण कर्ता और मेरे दायभागी उत्तराधिकारी या स्थानापन्नों का कोई स्वत्व

किसी प्रकार का शेष नहीं रहेगा, रहन की हुई सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निर्दोष है। और उस में कोई साझी व अंशी मुझ प्रण कर्ता का नहीं है। यदि कोई पूर्व भार निकले या कोई साझी व अंसी पैदा होकर किसी प्रकार का दावा करे तो उसका उत्तर देना मेरे ऊपर है और इस प्रकार के झगड़े की दशा में या मेरे स्वामित्व की किसी त्रुटि के कारण रहन दार को हानि पहुचे या रहन की हुई सम्पत्ति कुल या उस का कोई भाग रहन दार के हाथ से निकल जावे या मैं प्रण कर्ता उस के अधिकार और प्रबन्ध में बाधा या रुकावट डालूँ तो रहनदार का अधिकार होगा कि वह- कुल अपना रुपया हानि व आठ आना सैकड़ा मासिक ब्याज सहित रहन की हुई सम्पत्ति और मुझ प्रण कर्ता की व्यक्ति और अन्य सम्पत्ति से प्राप्त कर लेवे। दो नग बैनामे और तीन नग अन्य दस्तावेज जिन का रहन की हुई जायदाद से सम्बन्ध है रहनदार को सौंप दिये। पूर्व के रहन नामे भी रहन छूटने पश्चात् उक्त रहन दार के पास रहेंगे। रहन छूटने और जायदाद वापस होने की दशा में यह कुल दस्तावेजात मुझ प्रण कर्ता को रहनदार वापस देगा। इसलिये यह विक्रिय सम रहन नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे, और समय पर काम आवे।

हस्ता————————— हर सा—————————क्षी

हुकमसिंह प्रण कर्ता दस्तावेज

जवाहर लाल बेटा मोहनलाल ब्राह्मण पेशा पंडिताई रहने वाला गांव बैरा फीरोज पुर

सा—————————क्षी

अशरफी लाल बेटा गनेशी लाल जाति वैश्य पेशा दूकान दारी निवासी बैरा फीरोज पुर

लिखने की तारीख स्थान

बखत सराफी ——— बकलम

विक्रय सम रहन नामा

मैं कि भोला प्रसाद बेटा छोतर मल जाति कायस्थ पेशा नौकरी निवासी कोल मुहल्ला नमाटोला का हूं ।

जो कि चार नग दूकान पक्की बनी हुई शहर कोल में स्थित नीचे लिखी सीमाऽनुसार मेरी पैदा की हुई सम्पत्ति हैं। और हर प्रकार के ऋण और भार से शुद्ध और रहित हैं। इस समय मुझ प्रण कर्ता को ग्रह कार्य के लिये रुपये की अत्यन्त आवश्यका है। इस कारण स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में उपरोक्त चारों दूकानों को चार हजार ४०००) रुपये सिक्के चहरे दार के बदले कि जिसके आधे दो हजार २०००) रुपये उक्त सिक्के के होते हैं। हाथ लाला मिश्री लाल बेटा मेघराज जाति बौहरा निवासी कोल मुहल्ला सराय बीर नरायन के विक्रिय सम रहन की और रहन का रुपया कुल और पूरा ग्राहक से निम्न लेख अनुसार प्राप्त कर लिया।

मध्ये पूर्व ऋण के जो प्रामेसरी नोट १०००) तारीख १४ जून सन् १९११ द्वारा उक्त लाला मिश्रीलाल का देना था मुजरा दिये	१२२५)
मध्ये बही खाते द्वारा ऋण के उक्त बौहरे को मुजरा दिये	७७५)
रजिस्ट्री के समय रोक लेना ठहरे	२०००)

उक्त ग्राहक को अपने समान जायदाद पर कब्जा और अधिकार दे दिया उस को चाहिये कि मुझ प्रण कर्ता की नाई उस पर अधिकारी रह कर हर प्रकार के मालिकी के अधिकार बर्ताव में लावे।

विमी की प्रतिज्ञा यह निश्चय हुई है कि यदि मैं प्रण कर्ता आज की तारीख से पाच साल के भीतर इस दस्तावेज़ का

ग्राहक को भुगतान करदूं तो मैं जायदाद वापस मांगने का अधिकारी हूंगा। और ग्राहक का कर्तव्य होगा कि जायदाद को मेरी ओर परिवर्तित करे, और जो खर्च जायदाद के वापस करने में पड़ेगा वह मेरे ऊपर रहेगा, ग्राहक के कब्जा रखने के समय में जो कुछ खर्च उसके पास से टूट फूट की मरम्मत में या किसी भूमि व आकाश सम्बन्धि दैवी आपत्ति के कारण होगा वह भी सम्पत्ति लौटने की दशा में मुझ प्रण कर्ता को चुकाना होगा, यदि जायदाद पर कोई ऋण या भार निकले या कोई साझी या अशी यनऊर दावा करे तो उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। और किसी भार या ऋण के ग्राहक के ऊपर पड़ने की दशा में तथा कुल या कुछ भाग जायदाद का मेरी त्रुटि या मेरे अन्य दोष के कारण निकल जाने की अवस्था में ग्राहक को अधिकार होगा कि कुल रुपया अपना हानि और व्यय सहित जो उसे उठाना पड़े मुझ से और मेरी अन्य सम्पत्ति से प्राप्त कर लेवे। इस लिये यह विक्रय सम रहन लिखदी कि प्रमाण रहे।

जायदाद का ब्यौरा

(१) एक दुकान बाजार मियागंज शहर कोल में स्थित जिस पर इस समय जगन्नाथ किराए दार बैठता है।

पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
मकान सोलू महाजन	सड़क सरकारी	दुकान मुन्ना लाल वैश्य	दुकान मोहन लाल गुजराती

(२) दो दुकानें एक दूसरे से मिली हुई बड़े बाजार शहर कोल में स्थित।

पूर्व	पश्चिम
दुकान खुश वक्त राय कायस्थ	मकान कम्मू खां रंगरेज

उत्त————————र दक्षि————————ण
मकान लाला शिवप्रसाद प्रण कर्ता का भाई सड़क

(३) एक दूकान मुहल्ला नया टोला शहर कोल में स्थित

पूर्व————————व पश्चि————————म
मकान राधे लाल कमरा लाला शिव प्रसाद प्रण कर्ता का भाई

उत्त————————र दक्षि————————ण
गली सड़क सरकारी

ह————————स्ताक्षर ह्या————————ह
गवा————————ह
स्थान बकलम लेखक

पट्टा

पट्टे की परिभाषा/ पट्टा अचल सम्पत्ति का एक परिवर्तन पत्र है जो उक्त सम्पत्ति के वर्तने और काम में लाने के स्वत्व का किसी प्रत्यक्ष या अर्थापत्ति जनक अवधि के लिये या सर्वदा के लिए उस मूल्य के बदले किया जाए जो दिया गया हो या जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो, या किसी नकद रुपये या फसल के भाग या किसी सेवा या और मूल्य रखने वाली वस्तु के बदले ठहरा हो जिसका चुकाना और देना परिवर्तन कर्ता को परिवर्तन ग्रहीता किस्त वार या नियत समयों पर अपने ऊपर ले। और ऐसा परिवर्तन परिवर्तन ग्रहीता उक्त प्रतिज्ञाओं के साथ लेना स्वीकार करे।

परिवर्तन कर्ता से पट्टा देने वाला तात्पर्य है। और परिवर्तन ग्रहीता से पट्टा लेने वाला।

और रोक या फसल आदि का भाग या सेवा या मूल्यवान और वस्तु जिसके चुकाने की प्रतिज्ञा हो लगान का रुपया या किराया कहलाती है।

(दफ़े १०५ क़ानून इन्तिक़ाल जायदाद)

यह दस्तावेज जिस के द्वारा पट्टा लेने वाला पट्टे की लिखा प्रतिज्ञाओं पर जायदाद पट्टा लेना स्वीकार और अंगी कार करता है क़ुबूलियत (स्वीकार पत्र) कहलाती है।

अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला पट्टा जो प्रति वर्ष के लिये या किसी अवधि के लिये हो जोएक वर्ष से अधिक हो या जिस में लगान के रुपये के वार्षिक देने की प्रतिज्ञा हो केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा होसक्ती है।

जाइज (उचित) है कि अचल सम्पत्ति के समस्त पट्टे चाहे रजिस्ट्री की हुई दस्तावेज द्वारा या मौखिक प्रतिज्ञा द्वारा क़ब्जेकी सौंप सहित लिये जावें।

जैसा कि उपरोक्त परिभाषा से ज्ञात होगा पट्टा सम्पत्ति के स्वामी की ओर से लिखा जाता है और उसमें समस्त प्रतिज्ञाए मध्ये अवधिकाल, मूल्य के रुपये, लगान या किराये के चुकाने की लिखी जाती हैं। इसके विपरीति क़बूलियत (स्वीकार पत्र) पट्टा लेने वाले की ओर से लिखी जाती है और उसमें वही प्रतिज्ञाए लिखी जाती हैं जोकि पट्टेमें, पट्टे के द्वारा सम्पत्तिका स्वामी और स्वीकार पत्रद्वारा पट्टा लेने वाला परस्पर नियतकी हुई प्रतिज्ञाओं को स्वीकार व अंगीकार करने और उनके पालन करने का प्रण करते हैं पट्टा किरायेदार के लिये और स्वीकार पत्र स्वामी के लिये लिखा जाता है।

रजिस्ट्री को कानून द्वारा पट्टे की परिभाषा में स्वीकार पत्र प्रति लिपि पट्टा, खेती करने की प्रतिज्ञा या क़ब्जा और पट्टा लेने

की प्रतिज्ञा भी जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये हो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है।

किसी भेट या पेशगी रुपये के चुकाने या न चुकाने के विचार से सामान्य तया पट्टा दो प्रकार का होता है। एक साधारण जिस में कोई पेशगी रुपया न दिया जावे। और उचित समय पर लगान चुकाने योग्य हो, दूसरा पेशगी रुपये वाला, जिसमें पट्टा दाता कुल या अंश पेशगी लगान पट्टे लेन वाले से लेता है। यह रुपया होले हौले भाग या कुल अवधि काल में चुक जाता है। जरे पेशगी पट्टा और रहन दखली मुजरई में लगभग कुछ अन्तर नहीं होता कब्जा लौटाने के समय जो पेशगी रुपया किसी पट्टे में वापस देना ठहरे तो यह पट्टा रहन दखली के सदृश होता है। नमूनोंमें विविध प्रतिज्ञाएं जो इस प्रकार के पट्टों में होती हैं प्रगट होंगी, अधिकतर प्रतिज्ञाएं उभय पक्ष के समझौते पर निर्भर हैं। जो कुछ दोनों पक्षों में ठहर जावे दस्तावेज लेखक को लिखना चाहिये।

पट्टे की परिभाषा में ठेका भी सम्मिलित है जिसके द्वारा भूसम्पत्ति या स्थायी जायदाद किसी मनुष्य को लगान उघाने के लिये और वार्षिक ठहरे हुए रुपये के भुगतानके निमित्त दीजावे।

कानून स्टाम्प के अनुसार जो पट्टे किसानों को खेती करने के प्रयोजन से दिये जावें (खेती के प्रयोजन में वृक्षोंका पट्टा जोवास्ते पैदावार खाने पीने की वस्तु के दिया जावे सम्मिलित है) और जिनके मध्ये कोई भेट या पेशगी रुपया न दिया गया हो और नियत अवधि के लियेहो और वह नियत अवधि एक वर्ष से अधिक न हो और लगान का वार्षिक परता एक सौ रुपय से अधिक न हो स्टाम्प से मुआफ है।

इसी प्रकार विविध सूबों में ऐसे पट्टे जिनका वार्षिक लगा
पचास रुपये और अवधि ५ सालसे अधिक न हो उनकी रजिस्
नहीं होती।

जो अधिक अवधि और लगान के पट्टे होते हैं उनकी रजिस्
सामान्य रीति के अतिरिक्त कानूनगो द्वारा भी हो जाती है। इ
प्रकार के पट्टों के विषय में दस्तावेज लेखक का काम है कि उन
नियमाऽनुकूल वर्ताव करे जोकिसी विशेष सूबेमें प्रचलित हों।

स्टाम्प

मद ३५ जमीमा अव्वल कानून स्टाम्प द्वारा निम्नलिखित लगता है
पट्टा मय पट्टा ज़ैली या पट्टा शिकमी व इकरार नामा

पट्टा या शिकमी

(अ) जब ऐसे पट्टे के द्वारा लगान का रुपया नियत हो और कोई भेट चुकाई या सौंपी न हो। (१) जब कि उक्त पट्टे से एक वर्ष से कम अवधि का होना पाया जाता हो।	वही रसूम जो तमस्सुक के लिये नियत है उस कुल संख्या के मध्ये जो वैसे पट्टे द्वारा भुगतान या सौंपने योग्य हो।
(२) जब कि उक्त पट्टे से एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक अवधि का न होना पाया जाता हो।	वही रसूम जो तमस्सुक के लिये नियत है उस संख्या या मूल्य पर जो उक्त दस्तावेज में वार्षिक लगान का परता हो।

(३) जब उक्त पट्टे से अवधि तीन वर्ष से अधिक होनी पाई जाती हो।	वही रुसूम जो विक्रिय पत्र के लिये नियत है, उस बदल के ऊपर जो उक्त दस्तावेज में लिखे हुए सालाना लगान के परते की मालियत के बराबर हो।
(४) जब कि उक्त पट्टे से किसी नियत अवधि का होना न पाया जावे।	वही रुसूम जो विक्रिय पत्र के लिये नियत है उस बदल के ऊपर जो सालाना परते लगान की उस संख्या या मूल्य के बराबर जो पहले दस वर्ष के मध्ये यदि पट्टा उस समय तक स्थित रहता अदा या सुपुर्द की जाती।
(५) जब उक्त पट्टे से सर्वदा के लिये होना पाया जाता हो।	वही रसूम जो बैनामे के लिये नियत है उस बदल पर जो उस इकट्ठे लगान की बराबर हो जो उक्त पट्टे के पहले ५० वर्ष के मध्ये अदा या सौंपा जाता।
(ब) जब उक्त पट्टा किसी नजराना या भेट या जर पेशगी के बदले में दिया जाय और लगान उसमें लिखा न हो।	वही रसूम जो बैनामे के लिये नियत है उस बदल पर जो नजराना या भेट या जरे पेशगी पट्टे की संख्या या मूल्य के बराबर हो।
(ज) जब उक्त पट्टा नियत लगान के अतिरिक्त किसी नज	वही रसूम जो बैनामे के लिये नियत है उस बदल पर जो

राना या भेट या जरे पेशगी के बदले दिया जाये।

वैसे नजराने या भेट या जर पेशगी पट्टे की संख्या या मूल्य के बराबर हो। उस रसूम के सिवाय जो वैसे पट्टे के ऊपर उस दशा में ली जाती जब कि कोई नजराना या भेट या जर पेशगी अदा या सुपुर्द न किया जाता। परन्तु शर्त यह है कि जिस दशा में किसी पट्टे लिखने के प्रतिज्ञा पत्र पर स्टाम्प उस मालियत पर जो पट्टे के लिये नियत है दिया जा चुका हो और वैसी प्रतिज्ञा के अनुसार कोई पट्टा पीछे से लिखा जाये तो ऐसे पट्टे की रसूम आठ आने से अधिक न होगी।

संयुक्त प्रांत में तथा दूसरे अन्य सूबों में पट्टे और कबूलियत (स्वीकार पत्र) की जगह यह प्रचार है कि जायदाद का मालिक कोई दस्तावेज पट्टे के रूप में नहीं लिखता, केवल काश्तकार या किरायेदार से कबूलियत लिखाली जाती है। जुतऊ जायदाद की दशा में उसको कबूलियत के नाम से बोलते हैं और रहायशी जायदाद की दशा में वह कहीं किराये नामा कहीं सरखत बोली जाती है। किरायेनामे द्वारा दोनों पक्षों के मध्य में पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वाले का सम्बन्ध होजाता है या नहीं एक ऐसा विषय है जिस पर हिन्दुस्तान की हाई कोर्टें सहमत नहीं हैं। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि किरायेनामे या सरखत द्वारा जायदाद को

किराये पर उठाने का प्रचार बहुत समय से चला आता है और सामान्यतया लोगों को इसका अभ्यास पड़ा हुआ है मद २५ जमीमा अ वल कानून स्टाम्प के अनुसार कबूलियत (स्वीकार पत्र) या किसी दस्तावेज के दूसरे परत पर स्टाम्प यदि असल दस्तावेज पर जिस की यह कुबूलियत या दूसरा पत्र हो उचित स्टाम्प दिया जा चुका हो तो असल दस्तावेज पर एक रुपये से कम स्टाम्प लगने की दशा में असल दस्तावेज के बराबर स्टाम्प लगता है, और अन्य दशाओं में एक रुपये का स्टाम्प लगता है, अगर असल दस्तावेज स्टाम्प से मुआफ हो तो कुबूलियत भी मुआफ होगी।

जुतऊ भूमि का पट्टा

पट्टा लिखापित लाला देवीदयाल बेटा लाला शिवस्मरदयाल जाति वैश्य निवासी व जमींदार रामपुर तहसील सिकन्द्राराऊ जिला अलीगढ़ ———————————— जमींदार

बनाम

चिरंजी बेटा देवी जाति अहीर साकिन व काश्तकार मौजा रामपुर परगना अकराबाद तहसील सिकन्द्राराऊ जिला अलीगढ़ ———————————— काश्तकार

जो मुझ जमींदार ने २५ बीघा पक्की भूमि का जिसके नम्बर नीचे लिखे हैं मौजा रामपुर की जिसका मैं स्वामी और अधिकारी हूँ पट्टा उपरोक्त चिरंजी काश्तकार को एकसौ पचास १५०) रुपया सालाना नियत लगान पर जोतने के लिये सन् १३२५ फसली से सन् १३२८ फसली तक पांच साल के लिए नीचे लिखी शर्तों पर दिया है।

(१) उक्त काश्तकार नियत लगान को आधा फसल खरीफ में तारीख १ नवम्बर को और आधा फ़सल रवी में ता० १ अप्रैल को हर साल पैदा न होने या कम पैदा होने के बहाने बिना मुझ जमींदार को अदा करता रहेगा।

(२) लगान के नियत मिती पर अदा न करने की दशा में उक्त काश्तकार को १) सैकड़ा मासिक ब्याज देना होगा और दो किस्त का लगान न अदा होने की दशा में बिना विचार अवधिके बेदखली के योग्य होगा।

(३) उपरोक्त अवधि के बीत जाने पर भूमि को उपरोक्त काश्तकार अपनी जोत से बिना किसी झगड़े या बहानेया किसी प्रकार के दावे के अपने आप छोड़ देगा।

(४) अपने सिवाय किसी दूसरे को खेती में साझी न करेगा न कोई रहने का या अन्य प्रकार का मकान बनावेगा, न कोई वृक्ष लगावेगा। ऐसा करने की दशा में बेदखली के योग्य होगा और मकान या अन्य तामीर या लगाये हुए वृक्षों में जमींदार मालिक हूंगा और काश्तकार उस हानि को सहन करेगा जो उसके कार्य से होगी।

(५) जो वृक्ष लगाये हुए या स्वयं उगे हुए खेत की मेंड या खेत के भीतर स्थित हैं, या आगे को पैदा होंगे उसकी रखवाली और देखभाल उक्त काश्तकार के ऊपर है।

(६) काश्तकार के इस पट्टे के नियमाऽनुसार कार्य करने की दशा में अवधि के भीतर में जमींदार किसी प्रकार का हस्तक्षेप या झगड़ा उक्त काश्तकार के कब्जे में न करूंगा। इस लिये यह थोड़े से शब्द पाच साक्षा पट्टे के रूपमें लिखदिये कि प्रमाण रहे।

उपरोक्त पट्टे से सम्बन्धित कबूलियत

मैं कि चिरंजी बेटा देवी जाति अहीर साकिन व काश्तकार मौजा राम पुर परगना अकरा बाद तहसील सिकन्दरा राऊ जिला अलीगढ़ का हू ।

जो कि २५ बीघा पक्की भूमि जिसके नम्बर नीचे लिखे हैं मौजा रामपुर में स्थित जिसके मालिक व अधिकारी लाला देवीदयाल बेटा विश्वम्भर दयाल जाति वैश्य रहने वाले व जमीदार रामपुर परगना अकराबाद तहसील सिकन्दरा राऊ जिला अलीगढ़ के हैं ।

उक्त जमीन का पट्टा उपरोक्त लाला साहिब से खेती करने के निमित्त सन् १३२५ फसली से सन् १३२६ फसली तक पाच साल के लिये निम्न शर्तों पर लिया है ।

(१) नियत लगान का आधा फसल खरीफ में १ नम्बर को और आधा फसल रबी में १ अप्रेल को हर साल पैदा न होने या कम होने या कम पैदा होने के बहाने बिना उक्त जमीदार को अदा करता रहू गा ।

(२) नियत मिती पर लगान न भुगतान की दशा में एक रुपया सैकडा मासिक ब्याज का देनदार हू गा । और दो किस्त का लगान अदा न करने की दशा में बिना विचार अवधि के बेदखली के योग्य हू गा ।

(३) उक्त अवधि के बीतने के पश्चात् भूमि को अपनी काश्त के कब्जे से बिना झगडे बहाने या किसी प्रकार के दावे के स्वय छोड दूगा ।

(४) अपने सिवाय किसी दूसरे को खेती में साझी न करूँगा न कोई मकान रहायशी या अन्य प्रकार का भूमि पर न बनाऊगा न नये वृक्ष लगाऊँगा ऐसा करने की दशा में जमींदार को बिना मियाद अवधि के मेरे बे दखल करने का अधिकार होगा। और मकान या दूसरी तामीर या लगाये हुए वृक्षों का मालिक जमीदार होगा उनके मध्ये में किसी प्रकार के बदल पाने का अधिकारी न हूंगा और ज़मीदार मुझसे उस हानि के प्राप्ति करने का अधिकारी होगा जो ऐसे काम से होगी।

(५) जो पेड़ लगाए हुये या स्वय उगे हुए खेत की मेंड या खेत के भीतर स्थित हैं या आगे को पैदा हों उनकी रखवाली और देख भाल मुझ काश्तकार के ऊपर है।

(६) पट्टे की अवधि काल में मेरे इस क़ुबूलियत की शर्तों के अनुसार चलने की दशा में उक्त जमींदार को अधिकार मेरी बेदखली या मेरे कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने या दखल देनेका न होगा। इस लिये यह थोड़े शब्द क़बूलियत की नाई लिख दिये कि प्रमाण रहे।

नम्बरों का ब्यौरा

हस्ता——————————क्षर गवा——————ह

गवा——————————ह

लिखने की तारीख

स्थान बकुलम लेखक

दूसरा पट्टा

मैं कि मोहन लाल बेटा नरायन लाल जाति ब्राह्मण निवासी व ज़मींदार मौज़ा काज़िम पुर परगना व्रपल तहसील और ज़िला अलीगढ़ का हूँ। जो कि पन्द्रह बीघा १६ बिस्वा पक्की भूमि जिसके नम्बर नीचे लिखे हैं मौज़े काज़िम पुर महाल घासीराम मेरी जमादारी व नम्बरदारी की ६३॥) सालाना लगान पर चार साल के लिये सन् १३२६ फसली से १३२६ फसली तक सायलिया बेटा रामधन जाति चमार निवासी उक्त मौज़ा काज़िम पुर को पट्टे पर दी है शर्त यह है कि पट्टेदार उक्त ज़मीन पर नियत समय तक काबिज़ और अधिकारी रहकर उसको आप जोते और सालाना लगान आधा कातिक और आधा बैसाख में मुझ पट्टेदाता को देता रहे। पट्टेदार को उक्त ज़मीन में पेड़ लगाने या उस में से मट्टी खोदने या कोई दूसरा ऐसा काम करने का अधिकार न होगा जो उक्त भूमि के जोतमें काम आने के लिए बाधक और हानिकारक हो जब अवधि का अन्तिम साल आरम्भ हो तो पट्टेदार को उचित होगा कि उक्त भूमि का त्याग पत्र (इस्तेफा) कानून लगान के अनुसार, मुझ पट्टेदाता के नाम दाखिल कर देवे और अवधि बीत जाने पर उक्त भूमि को अपनी जोत से निकाल कर मुझ पट्टेदाता के अधिकार में देदेवें इस पट्टे की अवधि के बीच में पट्टेदाता पट्टेदार के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप और रुकावट न करेगा यदि पट्टेदार लगान हर फसल पर अदा न करे या कोई कार्य भूमि के विषय में इस पट्टे के नियमों के प्रतिकूल करे तो पट्टेदाता को पट्टे की अवधि के भीतर भी पट्टेदार को बेदखल करने का अधिकार होगा। अवधि बीत जाने पर मैं पट्टेदाता हर दशा में पट्टेदार को बेदखल कराने का अधिकारी हूँगा। इस लिये यह पट्टा लिख दिया कि सनद रहे।"

हस्ताक्षर—साक्षी—साक्षी—स्थान—मुकाम—लेखक।

दूसरी कुबूलियत (स्वीकार पत्र)

मैं कि मुनवा बेटा सूरजा जाति लोधा निवासी व काश्तकार मौजा चंदनियां तहसील कोल जिला अलीगढ का हूं। जो कि मुझ प्रण कर्ता ने ३७ बीघा १५ बिस्वा पक्की जमीन जिसके नम्बर नीचे लिखे हैं मोजा चंदनिया महाल सब्ज लाला देवकी नन्दन बेटा लाला ज्योती प्रसाद जाति वैश्य जमीदार व नम्बरदार उक्त महाल से,१६३॥=) सालाना लगान पर पांच साल के लिए सन् १३२६ फसली से सन् १३३० फसली तक पट्टे परली है। इस लिए निम्न लिखित प्रतिज्ञा करता हूं कि =१॥।~) आधा रुपया लगान का अक्टूबर के अन्त में और शेष आधा =१॥।~) लगान का रुपया अप्रैल के अन्त में विना बहाने पैदा न होने और कम पैदा होने के उक्त जमीदार को रसीद लेकर अदा करता रहूंगा।

(२) नियत मितो पर लगान न चुकाने की दशा में उस पर १) सैकडा मासिक ब्याज अदा करूंगा। और दो फसल का लगान अदा न करने की दशा में स्वीकार पत्र की अवधि के विचार बिना उक्त जमीदार को मेरी बेदखली का अधिकार होगा, अपनी जोत के अतिरिक्त किसी दूसरे से खेती न कराऊंगा और न भूमि पर कोई मकान या कूआ बनाऊंगा और न कोई इस प्रकार का काम करूंगा जो खेती के अतिरिक्त हो। और भूमि को उससे हानि पहुंचे और इन शर्तों के विरुद्ध चलने की दशा में बिना विचार पट्टे की अवधि के बेदखली के योग्य हूंगा। जो वृक्ष लगाये हुए या स्वयं उगे हुए खेत की मेंड या उसके भीतर हैं उनकी रखवाली और देख रेख प्रण कर्ता के ऊपर है न मैं स्वयं काम में लाऊंगा न किसी को लाने दूंगा।

(३) उक्त अवधि के बीत जाने पर भूमि को अपनी जोत से बिना किसी झगड़े व बहाने के स्वयं छोड़ दूंगा। और कोई स्वत्व खेती के कब्जे और भूमि की हैसियत वृद्धि आदि का शेष न रहेगा। इस लिये यह स्वीकार पत्र लिख दिया कि सनद रहे और आवश्यका के समय काम आवे।

नम्बरों का ब्यौरा

ह——————स्ताक्षर सा——————क्षी
सा——————क्षी लिखने की मिती
स्थान बकलम कुबूलियत लेखक

रहायशी जायदाद का पट्टा

मैं कि कामतानाथ बेटा श्रीनाथ जाति खत्री पेशा जमींदारी रहने वाला मुहल्ला सराय खिरनी शहर इलाहाबाद का —

जो कि मने एक पक्की दूकान निम्न लिखित सीमा वाली बाजार चौक शहर इलाहाबाद में स्थित सोलह रुपये मासिक किराये की दर से खूबचन्द बेटा जवाहरलाल जाति कलवार पेशा बजाजी शहर इलाहाबाद को तीन साल की अवधि के लिये नीचे लिखी हुई शर्तों के साथ किराये पर दी है—

(१) उक्त किरायेदार नियत अवधि तक उपरोक्त दूकान पर काबिज़ व अधिकारी रहकर उसमें स्वयम् रहे अथवा दूसरे प्रकार से काम में लावे वह बिना विचार काम में आने या खाली रहने के किराये का देनदार होगा—

(२) किराया प्रतिमास मुझ प्रण कर्ता को बिना किसी झगड़े और बहाने के रसीद लेकर या पट्टे की पीठ पर लिखा कर देता रहे, किसी मास के किराये के शेष रहने की दशा में वह उस पर

एक रुपया सैकड़ा मासिक की दर से ब्याज देने का जिम्मेदार होगा—

(३) किरायेदारी के समय में सामान्य मरम्मत लिपाई पुताई मिट्टी डलाई आदि उक्त किरायेदार के ऊपर है और टूट फूट की मरम्मत मेरे ऊपर—

(४) नियत अवधि के बीतने के बिना मुझको उक्त किरायेदार के बेदखल करने का अधिकार न होगा हां, यदि उक्त किरायेदार के ऊपर तीन मास का किराया शेष रहेगा तो अवधि के भीतर भी बेदखली के योग्य होगा।

(५) अवधि बीतने के पश्चात् किरायेदार का कर्त्तव्य होगा कि वह उक्त दूकान को अपने कब्जे और अधिकार से खाली करके मेरे कब्जे और अधिकार में दे देवे।

(६) नियत अवधि के बीतने पर दूकान खाली कराने के लिये किसी खाली कराने के नोटिस देने की आवश्यकता न होगी इस लिये यह थोड़े शब्द पट्टा किरायेदारी की नाईं लिख दिये कि प्रमाण रहे।

दूकान की चारों सीमा

पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण

हस्ताक्षर गवा ——————ह गवा——————ह



"रहायशी जायदाद के किरायेदारी का स्वीकार पत्र या किरायेनामा"

मैं कि सूर्यचन्द बेटा जवाहरलाल जाति कलवार पेशा बजाजी रहने वाला मुहल्ला सराय मीरखा शहर इलाहाबाद का हूं।

जो कि मैंने एक दुकान पक्की निम्न लिखित सीमा वाली बाजार चौक शहर इलाहाबाद में स्थित मुन्शी कामतानाथ बेटा श्रीनाथ जाति खत्री पेशा जमीदारी रहने वाले मुहल्ला सराय खिरनी शहर इलाहाबाद उक्त दुकान के मालिक से नीचे की शर्तों के अनुसार तीन साल की अवधि के लिये किराये पर लेकर किरायेदारी स्वीकार की है।

(१) मैं किरायादार नियत अवधि तक उक्त दुकान में स्वयम निवास करूंगा अथवा अन्य प्रकार से काम में लाऊंगा, और उक्त दुकान के किराये का देनदार बिना विचार काम में लाने या खाली रहने के रहूंगा।

(२) किराया प्रतिमास उक्त मालिक को बिना किसी झगड़े और बहाने के रसीद लेकर या किराय नामे की पीठ पर लिखाकर देता रहूंगा, किसी मास का किराया शेष रहने की दशा में उस पर एक रुपया सैकड़ा मासिक ब्याज दरम ब्याजका देनदार हूंगा।

(३) किरायेदारी के समय में साधारण मरम्मत लिपाई पुताई और मिट्टी डलाई मेरे ऊपर है और टूट फूट की मरम्मत उक्त मालिक के जिम्मे है

(४) नियत अवधि के बीत जाने तक उक्त मालिक को किसी बहाने से मुझ किरायेदार को बेदखल करनेका अधिकार न होगा–

हां।-यदि तीन मासका किराया मेरे ऊपर शेष रहजाय तोमैं अवधि के भीतर भी बेदखली के योग्य हूंगा।

(५) नियत अवधि के बीतने के पश्चात् दुकान के खाली कराने के लिये, किसी खाली कराने के नोटिस देने की आवश्यकता न होगी–इस लिये यह थोड़े शब्द किरायानामा या कुबूलियत की भांति लिख दिये कि प्रमाण रहे।

दूकान की चारों सीमा

पू———र्व पश्चि———म
उत्त———र दक्षि———ण
हस्ताक्ष———र गवा———ह गवा———ह
लिखने की तारीख———स्थान———
बकलम——— लेखक

"साधारण किरायेनामा"

मैं कि इमदाद खां वल्द इलाही बख्श कौम राजपूत नौमुसलिम पेशा जरदोजी साकिन कस्बा खुर्जा जिला बुलन्द शहर का हूं। जो कि मैंने अपनी प्रसन्नता व इच्छा से एक पक्का बना हुआ मकान पश्चिम मुहाना उत्तर मुहाने दो कोठों से सम्मिलित और उसके आगे चौक, और पूर्व रुखी दुवारी मुहल्ला करोडी कस्बा खुर्जा में निम्न लिखित सीमा वाला जो लाला प्यारे लाल बेटा तेजपाल जाति वैश्य चूडवाल रहने वाले कस्बा खुर्जा के कब्जे और अधिकार में है अब उस मकान का उक्त मालिक से एक रुपया चार आना मासिक किराए की दर से ग्यारह मास की अवधि के लिए एक सितम्बर सन् १९१८ ई० से एक अगस्त सन्

अन प्रतिज्ञा करता हू और लिखे देता हू कि ऊपर नियत किया हुआ किराये का रुपया प्रतिमास उक्त मालिक को रसीद लेकर या इस किराए नामे की पीठ पर वसूल लिखा कर देता रहू गा। और नियत अवधि के बीत जाने पर उक्त मकान को अपने कब्जे और अधिकार से विना झगड़े और बहाने के छोड़ दूगा। टूट फूट की मरम्मत उक्त मालिक के जिम्मे है, और लिपाई लिहसाई और छत्त पर मिट्टी डलाई मेरे जिम्मे है। किराये के न चुकाने की दशा में उक्त मालिक को बिना विचार अवधि अधिकार होगा कि मुझको मकान से बेदखल करदें और किराया चढे हुये को मुझ से जिस प्रकार चाहें वसूल करें इस लिये यह किराये नामा लिख दिया कि सनद रहे।

इति

मकान की चारों सीमा

पूरब	पश्चिम	दक्षिण	उत्तर
मकान दुर्गा राज	इस मकान का दरवाजा फिर रास्ता	आजम अलीखा के दायभागियों की रिआया का मकान	उक्त मालिकका दूसरा मकान

हस्ताक्षर	गवाह	गवाह
इमदाद खा वल्द इलाही बख्श ब० खुद	सैयद मुमताज अली वल्द उसमान खा कौम सैय्यद पेशा वैद्यक साकिन गुर्जा ब० खुद	रोशन अली वल्द ब"द अली कौम सय्यद पेशा दूकानदारी साकिन गुर्जा मुहल्ला सादात ब० खुद

लिखने की तारीख ———— स्थान ———— बकलम ————

किराये नामे का लेखक

"पेशगी रुपये का पट्टा"

हम कि सालिगराम बेटा व मुसम्मात मेंडो विधवा अमरसिंह जाति जाट रहने वाले व खेती करने वाले गांव भीमपुर परगना तहसील अतरौली जिला अलीगढ के हैं—

जोकि उक्त ग्राम भीमपुर में ३५ बीघा ११ बिसवा पक्की भूमि नीचे लिखे हुये नम्बरों वाली हमारी सीर है और हम अपने दूसरे काम धन्धों के कारण उसका प्रबन्ध और रखवाली नहीं कर सकते। इस लिये उपरोक्त भूमि को १७५) रुपये सालाना लगान पर रामदयाल बेटा रामकिशन जाति ब्राह्मण उक्त ग्राम निवासी को पाच वर्ष के लिये खरीफ सन् १३२१ फस्ली के आदि से रबीअ सन् १३२५ फस्ली के अन्त तक पट्टे पर देदी और ४०० रुपया कि जिसके आधे २००) रुपये होते हैं उक्त रामलाल से पेशगी लगान की नाईं प्राप्तकर लिये और उक्त भूमिपर उसको दखल दे दिया, पट्टेदार को चाहिये कि चाहे आप खेती करे या किसी दूसरे मनुष्यों से कराये और लगान के रुपये में पहिले चार साल में १००) रु० साल काट कर ७५) रुपये साल हमको देता रहे और पिछले साल में कुल १७५) रु० अदा करे आधा आधा लगान का रुपया फसल वार ता० १५ अक्टूबर व १५ अप्रैल को चुकाने योग्य होगा। नियत तारीख पर लगान वाजिब अदा न करने की दशा में उस पर एक रुपया सैकड़ा मासिक ब्याज देना होगा और पट्टे की अवधि के भीतर हम प्रणकर्त्ता बाधक और रुकावट डालने वाले पट्टेदार के न होंगे और उसको बेदखल न करेंगे। हमारे ऐसा करने की दशा में या हमारी किसी त्रुटि या खोट के कारण उक्त पट्टेदार पट्टे की बेदखल हो जावे तो उसको अधिकार होगा कि अपना जो बिना भुगतान रहा हो-हानि और व्यय सहित हमारी ... से वसूल करे।

पट्टेदार को कोई अधिकार पट्टे की भूमि में पेड़ लगाने, मिट्टी खोदने या दूसरा कोई काम खेती के प्रयोजन के विरुद्ध करने का न होगा और अवधि के बीत जाने पर उसका कर्तव्य होगा कि पट्टे की भूमि को अपने अधिकार से निकाल कर हमारे कब्जे में दे दे। इस लिये यह थोड़े से शब्द जरे पेशगी पट्टे की नाई लिख दिये कि सनद रहे।

नम्बरों का ब्यौरा

हस्ताक्षर————र	गवा————ह	गवा————ह
लिखने की तारीख	मुकाम	लिखने वाला दस्तावेज का

———

ठेका जरे पेशगी

मैं कि मुसम्मात नूरेफातिमा बेटी मौलवी अहमदहुसैन जाति शेख पेशा जमींदारी रहने वाली कस्बे मलीहाबाद जिला लखनऊ की हूँ।

जोकि मुझ प्रतिज्ञा करने वाली को १३ मई सन् १८८१ ई० के लिखे और १८ मई सन् १८८१ ई० की रजिस्ट्री किये हुए दान पत्र द्वारा नीचे लिखे ब्यौरे अनुसार जायदाद मौलवी अहमदहुसैन मेरे पिताने पैत्रिक प्रेमकी दृष्टिसे दानकी उसपर उसी दिनसे मैं मालिक की तरह काबिज और अधिकारिणी हूं। परन्तु परदे में रहने के कारण मैं स्वयम् उक्त जायदाद का प्रबन्ध और रखवाली नहीं कर सकती और नार्थवैस्टरन बैंक मेरठ के ऋण का भारी भार वर्तमान प्रबन्धक के कुप्रबन्ध के कारण मेरे ऊपर होगया है, अब तक कोई मार्ग ऋण चुकाने और भार से हलका होने का प्राप्त नहीं हो सका। वरन ब्याज भी उक्त ऋण का नहीं चुक सका इस कारण उक्त ऋण के रुपये में वृद्धि होकर उसकी संख्या तेतालीस हजार ४३०००) रुपये के लगभग होगई है। और दिन पर दिन मेरी

जायदाद बोझिल होती चली जाती है। जिससे मुझको अपनी जायदाद के नष्ट होजाने की शंका है, जायदाद की रक्षा और उक्त ऋण चुकाने के लिये प्रबन्ध करना आवश्यक और उचित है।

अब मेरी प्रार्थना पर मेरे पिता उक्त मौलवी अहमदहुसेन साहिब रईस मलीहाबाद जो अदालत की आज्ञाऽनुसार मुहम्मद अहमदसईदखा की ओर से नियम पूर्वक सरक्षक नियत हैं उक्त नाबालिग की ओर से उसकी जायदाद की आमदनी से साहिब जज बहादुर की आज्ञाऽनुसार उपरोक्त जायदाद का ठेका ११ साल के लिये लेने और ४३०००)ठेकेका रु० पेशगी देने पर राजी होगयेहैं। और ठेके के नियम निम्न लिखित ठहरे हैं। इस लिये स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि व इन्द्रियों की ठीक अवस्था में अपनी इच्छा और प्रसन्नता से बिना किसी दबाव या बहकावट के यह दस्तावेज़ ठेका जरे पेशगी का मुहम्मद अहमदसईदखा पुत्र नाबालिग मुहम्मद अब्दुश्शकूरखा कौम शेख साकिन मलीहाबाद के नाम अपने पिता मौलवी अहमदहुसैन की सरक्षिता में लिखती हू। और नीचे लिखे अनुसार प्रण और प्रतिज्ञा करती हू।

(१) ४३०१०) जरे पेशगी उक्त मौलवी साहिब सरक्षक मुहम्मद अहमदसईदखा नाबालिग से इस प्रकार वसूल पाये कि कुल उक्त रुपया नार्थवेस्टरन बैंक मेरठ का ऋण चुकाने के लिये उक्त मौलवी साहिब के पास छोड दिये कि उक्त ऋण का भुगतान करके मेरा लिखा तमस्सुक वापस कर लें।

(२) ठेके की कुल जायदाद पर आजकी तारीखसे उक्त मोलवी साहिब को उक्त नाबालिग के हितार्थ बतौर ठेकेदार अपने समान करा दिया। उक्त मौलवी साहिब को उचितहै कि कागजात

ने ठेकेदार के रूप में दाखिल करा लें मुझको किसी प्रकार का बहाना और आक्षेप नाम दर्ज होने में न होगा।

(३) यह कि ठेके की अवधि ग्यारह साल की फसल खरीफ सन् १३०४ से रबीअ सन् १३१४ फसली तक ठहरी और सरकारी माल गुजारी व अन्य हर प्रकार के खर्चा के अतिरिक्त जो ठेकेदार के जिम्मे ठहरे हैं ठेके का रुपया सालाना ७५१०) रुपया ठहरा उसमें से ३९१०) रुपया सालाना उक्त ठेकेदार अपना पेशगी रुपया काटते और हिसाब में लगाते रहें और शेष ३६००) सालाना अर्थात् १८००) छः माही बैसाख और कातिक मास में मुझ ठेके देने वाली को देते रहें।

(४) उक्त जायदाद के छूटने तक उपरोक्त ठहरा हुआ रुपया पाने के सिवाय मुझको और मेरे दाय भागियों और स्थाना पन्नों और प्रतिनिधियों को जायदाद से कुछ सम्बन्ध न होगा, जायदाद का हर प्रकार का प्रबन्ध उक्त मौलवी साहिब और उनके स्थानापन्न के अधिकार में रहेगा।

(५) यह कि जो बकाया लगान व आबपाशी पिछली साल की आसामियों के ऊपर शेष है उसके उघाने का भी अधिकार ठेकेदार को है ठेका सालाना नियत करने में उसका विचार कर लिया है।

(६) यह कि ठेके के समय में समस्त भूमि व आकाश सम्बन्धी आपत्ति ठेकेदार के जिम्मे ठहरी है। वह सरकारी मालगुजारी और मुझ को ठेके सालाना का रुपया अदा करने का जिम्मेदार बिना विचार पैदावार न होने या कम पैदावार होने के रहेगा। हां अगर कोई किस्त मालगुजारी की मुआफ या मुलतवी हो जाय तो उसके पाने का अधिकारी ठेकेदार है, परन्तु प्रत्येक दशा में उस का १८००) छः माही मुझ ठेका देने वाली का अदा करते रहेंगे।

(७) यह कि ठेके के दिनों में कोई हस्तक्षेप ठेकेदार के अधिकार और प्रबन्ध में मुझ ठेका देने वाली की ओर से न होगा, यदि मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप करूं या मेरे स्वामित्व की त्रुटि या किसी अन्य मेरे कारण से समस्त या कोई भाग ठेके की जायदाद का ठेकेदार के अधिकार से निकल जावे तो ठेकेदार को अधिकार होगा कि उतना ही रसदी रुपया सालाना ठेके या कुल गावों की मालगुजारी पर जो परतेसे पड़े कम कर लेवे। और मैं ठेका देनेवाली ठेकेदार को हानि और व्यय जो ठेकेदार को करना पड़े देने की जिम्मेवार हूं।

(८) यह कि ठेके की नियत अवधि बीत जाने पर ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि जायदाद को अपने अधिकार और प्रबन्ध से निकाल कर मुझ ठेका देने वाली के प्रबन्ध में दे देवे।

(९) ठेके के दिनों में ठेकेदार को इमारती लकड़ी या बागात के काटने और बेचने का अधिकार न होगा। किन्तु बबूल के पेड़ और दूसरी इधर उधर पड़ी लकड़ी खेती के औजारों के लिये ठेकेदार कटवा सकेगा।

(१०) यह कि इस ठेके नामे के नियम और प्रतिज्ञा दोनों पक्षों और उनके दायभागी और स्थानापन्नों को पालन करना होगी। और कोई उनके विरुद्ध न कर सकेगा। इसलिये यह थोड़े से शब्द ठेका जरे पेशगी के रूप में लिख दिये कि प्रमाण रहे।

ठेके की जायदाद का ब्यौरा।

हस्ता———————————तर गवा———————————ह
गवा———————————ह



हिबा नामा (दानपत्र)

परिभाषा। दान एक परिवर्तन है किसी वर्तमान व नियत जायदाद का चल हो या अचल जो कोई मनुष्य इच्छा पूर्वक और बिना लेने किसी बदले के दूसरे के प्रति करे।

परिवर्तन कर्ता दानी और परिवर्तन लेने वाला दान ग्रहीता कहलाता है। दान ग्रहीता स्वयं या उसकी ओर से और कोई मनुष्य दान स्वीकार करे।

(दफा १२२ क़ानून इन्तिकाल जायदाद)

नियम। अचल जायदाद के दान के लिये आवश्यक है कि उस का परिवर्तन रजिस्ट्री दस्तावेज़ द्वारा हो। जिस पर दानी या उसकी ओर से किसी और मनुष्य के हस्ताक्षर हों और कम से कम दो साक्षियों ने उसको प्रमाणित किया हो। चल जायदाद के दान के लिये आज्ञा है कि उसका परिवर्तन चाहे किसी लिखी हुई रजिस्ट्री दस्तावेज़ द्वारा (जिस पर ऊपर लिखे अनुसार हस्ताक्षर आदि हों) चाहे सौंपने द्वारा किया जाए। और आज्ञा है कि सौंपना उसी प्रकार हो जैसे बेचे हुए माल की होती है।

(दफा १२३ क़ानून इन्तिकाल जायदाद)

यदि दान में वर्तमान और आगामी दोनों जायदाद सम्मिलित हों तो आगामी जायदाद के विषय में दान निरर्थक समझा जावेगा।

व्याख्या

दान के लिए आवश्यक है कि वह नियत सम्पत्ति का हो और वह सम्पत्ति वर्तमान स्थिति रखती हो। अनियत और ...

सम्पत्ति का दान कानून के अनुसार नाजाइज होता है। इसके सिवाय दानी ने इच्छा पूर्वक उसको दूसरे मनुष्य को दिया हो। ऐसा नहो कि धोखे व छल आदि से उससे दान पत्र लिखा लिया हो। और दान विना किसी वदले के हो, जो दान वदल सहित होता है उसको मुहम्मदी धर्मशास्त्रानुसार हिबा बिलएवज कहते हैं। वह वैअ के समान होता है और वैअ नामे की तरह लिखा जाता है सामान्य सूचना। दान पत्रमें दान की हुई जायदाद की मालियत का परिमाण अवश्य लिखना चाहिये जिससे उचित स्टाम्प लगाया जासके।

स्टाम्प। वही रसूम जो वैअनामे के लिए नियत है अर्थात् यदि दान की हुई जायदाद का मूल्य ५०) से अधिक न हो तो ॥) सौ रुपये तक १) एक हजार रुपये तक हर सौ पर १) एक हजार रुपये के पश्चात् हर अधिक पांच सो रुपया या उसके भाग पर ५)

मद २३ जमीमा १ कानून स्टाम्प एक्ट २
सन् १८९९ ई०

दान पत्र

मैं कि हरफूल वेटा सीताराम जाति ठाकुर जादौं रहने वाला व हकियतदार ग्राम स्यारौल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ का हूं।

जोकि मेरे पिता सीताराम का लगभग २५ वर्ष
छोडे किसी जायदाद या घर की सामिग्री
भाई मनफूल की आयु [illegible]

लग भग उसी समय से फौज में नौकरी करली । अब तक वहां नौकर हैं, और उस समय से मेरा पर पितृकुल के समान रहते और अपना निर्वाह करते हैं अपनी आमदनी से जो कुछ जायदाद उन्हों ने पैदा की है उस पर वह और उनकी सन्तान आप्त अधिकारी है, मुझ अकेले ने भी उस समय से व्यौपार का काम अपना प्रारम्भ किया उक्त कारबार में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई और अपने बाहुबल से मैंने नीचे लिखी हुई विविध सम्पत्ति उपार्जन की जिस पर मैं बिना किसी की शरकत और साझे के अब तक काबिज और अधिकारी हूं, यह जायदाद हर प्रकार के ऋण और भार से निर्वाध है, उस में मेरा कोई साझी व वारी नहीं है इसके सबब मुझ को हर प्रकार के परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है मेरी सन्तान में कोई पुत्र नहीं है, केवल एक लड़की लीलावती है जो मौजा शेरपुर जिला मेरठ में हरयशसिंह को ब्याही है उक्त लड़की के पेट से एक लड़का रामसहाय सिंह लग भग बारह वर्ष की आयु का है जो बहुत थोड़ी अवस्था से मेरे पास रहता है, मैंने उसको अपने बालक के समान पाला है, और मुझको उससे अत्यन्त प्रेम है मैं उस प्रेम के वश जो मुझ को उक्त राम सहाय सिंह से है नीचे लिखी हुई जायदाद लगभग २०००) के मूल्य वाली को उसको देना और अपने जीते जी उसको उसका स्वामी बनाना चाहता हूं । और कोई बात धर्म में बाधक नहीं है, इस बात पर दृष्टि डालकर मैंने स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में, अपनी इच्छा और प्रसन्नता से बिना किसी जबरदस्ती और दबाव के नीचे लिखी हुई जायदाद अपने धेवते उक्त रामसहाय सिंह बेटा हरयश सिंह जाति ठाकुर जादौं रहने वाले ग्राम सारौल जिला अलीगढ़ के प्रति दान की और कब्ज़ा दी और मालिकों के समान वास्तविक अधिकार दान की हुई जायदाद पर दान ग्रहीता को दे दिया।

आज की तारीख से न रहा मेरा और मेरे दाय भागी स्थाना पन्नों और प्रति निधियों का कोई स्वत्व और अधिकार किसी प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर।

दान ग्रहीता के नाम का दाखिल खारिज कागजात माल में नियम पूर्वक करा दूंगा, अन्यथा दान ग्रहीता अपने अधिकार से करा लेवे किसी प्रकार का बहाना न करूं गा इसलिये यह थोड़े से शब्द दान पत्र के रूप में लिख दिये कि प्रमाण रहे।

दान की हुई जायदाद का ब्यौरा जो समस्त बाहिरी व भीतरी स्वत्व व अधिकार सहित बिना छोडने किसी स्वत्व व वस्तु के दान की गई।

हस्ता———हर	गवा———ह	गवा———ह	
स्थान	बकलम	दानपत्र लेखक	

दान पत्र।

मैंकि हस्सन बेग बेटा गुलाम हुसैन जाति मुगल पेशा खेती व व्यौपार रहने वाला गांव साखनी परगना अनूपशहर जिला बुलन्द शहर का हूं। जोकि इस दस्तावेज के नीचे जमीमा (अ) में लिखी जायदाद मेरी पैदा की हुई है, और इस दस्तावेज के नीचे ज़मीमा (ब) लिखित जायदाद मुझको दायभागी रूप में मेरे चचा यूसुफ बेग से लगभग सात साल की मुद्दत हुई मिली है, दोनों प्रकार की जायदादों पर मैं प्रण कर्ता बिना किसी अन्य के साझे और शरकत के मालिकों के समान अधिकारी और स्वामी हूं। मुझको उक्त जायदाद के मध्ये हर प्रकार के अधिकार

के कारण बहुधा रोगी रहता हूँ मेरे लड़के पनजहुसैन और उस की पत्नी मुसम्मात रहीमन ने मेरी बहुत कुछ सेवा और सत्कार किया है और मैं उनके चलन व बर्ताव से अत्यन्त प्रसन्न हूँ बहुत काल से मेरा विचार जमीमा (अ) व (ब) में लिखी जायदाद को पनज हुसैन व मुसम्मात रहीमन के प्रति उनकी सेवा और सत्कार के पुरस्कार रूप में देने का है, और कोई बात परिवर्तन की बाधक नहीं है।

इस बात को विचार कर अपनी इच्छा और प्रसन्नता से इस जायदाद के नीचे जमीमा (अ) व (ब) में लिखी हुई जायदाद को बिना बहकावट और दबाव के समस्त अधिकार व स्वत्व आश्रित सहित बिना किसी स्वत्व के छोड़े और बिना भाग के त्यागे पनज हुसैन व उक्त मुसम्मात रहीमन के प्रति समान भाग से दान किया और बख्श दिया और दान की हुई जायदाद म अपना स्वत्व और अधिकार उठाकर दान ग्रहीता को अधिकारी और काबिज़ कर दिया अब मुझको और मेरे दायभागियों स्थानापन्नों और प्रतिनिधियों को कोई सम्बन्ध और प्रयोजन किसी प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर नहीं रहा, दान ग्रहीता को समस्त अधिकार स्वामियों के समान परिवर्तन के मेरी तरह प्राप्त होंगे। इस लिये यह दान पत्र लिखा दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ता ———————— दर गवा ———————— ह

गवाह,

लिखने की तारीख ,स्थान

बक़लम दान पत्र लेखक.



आज की तारीख से न रहा मेरा और मेरे दाय भागी स्थाना पन्नों और प्रति निधियों का कोई स्वत्व और अधिकार किसी प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर।

दान ग्रहीता के नाम का दाखिल खारिज कागजात माल में नियम पूर्वक करा दूंगा, अन्यथा दान ग्रहीता अपने अधिकार से करा लेवे किसी प्रकार का बहाना न करू गा इसलिये यह थोडे से शब्द दान पत्र के रूप में लिख दिये कि प्रमाण रहे।

दान की हुई जायदाद का ब्योरा जो समस्त बाहिरी व भीतरी स्वत्व व अधिकार सहित बिना छोडने किसी स्वत्व व वस्तु के दान की गई।

हस्ता———दा॰ गवा———ह गवा———ह
स्थान वकलम दानपत्र
लेखक

दान-पत्र।

मैंकि हस्सन बेग बेटा गुलाम हुसैन जाति मुगल पेशा खेती व व्योपार रहने वाला गाव सासनी परगना अनूपशहर जिला बुलन्द शहर का हू। जोकि इस दस्तावेज के नीचे जमीमा (अ) में लिखी जायदाद मेरी पैदा की हुई है, और इस दस्तावेज के नीचे जमीमा (ब) लिखित जायदाद मुझको दायभागी रूप में मेरे चचा नूरबेग से लगभग सात साल की मुद्दत हुई मिली है, दोनों प्रकार की जायदादों पर मैं प्रण कर्ता बिना किसी अन्य के साझे और शरकत के मालिकों के समान अधिकारी और स्वामी हू मुझको उक्त जायदाद के मध्ये हर प्रकार के अधिकार प्राप्त है, मैं कुछ काल से आखों से अन्धा हो गया हू और निर्बलता

के कारण बहुधा रोगी रहता हूँ मेरे लड़के फपजहुसैन और उस की पत्नी मुसम्मात रहीमन ने मेरी बहुत कुछ सेवा और सत्कार किया है और मैं उनके चलन व बर्ताव से अत्यन्त प्रसन्न हूं बहुत काल से मेरा विचार जमीमा (अ) व (ब) में लिखी जायदाद की पफजहुसैन व मुसम्मात रहीमन के प्रति उनकी सेवा और सत्कार के पुरस्कार रूप में देने का है, और कोई बात परिवर्तन की बाधक नहीं है।

इस बात को विचार कर अपनी इच्छा और प्रसन्नता से इस जायदाद के नीचे जमीमा (अ) व (ब) में लिखी हुई जायदाद को बिना बहकावट और दबाव के समस्त अधिकार व स्वत्व आश्रित सहित बिना किसी स्वत्व के छोड़े और बिना भाग के स्वामी फपज हुसैन व उक्त मुसम्मात रहीमन के प्रति समान भाग से दान किया और बख्श दिया और दान की हुई जायदाद मे अपना स्वत्व और अधिकार उठाकर दान ग्रहीता को अधिकारी और क़ाबिज कर दिया अब मुझको और मेरे दायभागियों स्थानापन्नों और प्रतिनिधियों को कोई सम्बन्ध और प्रयोजन किसी प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर नहीं रहा, दान ग्रहीता को समस्त अधिकार स्वामियों के समान परिवर्तन के मेरी तरह प्राप्त होंगे। इस लिये यह दान पत्र लिखा दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ता———————दार गवा——————— ह

गवाह

लिखने की तारीख स्थान

बक़लम दान पत्र लेखक



तमलीक नामा (समर्पण पत्र)

तमलीक नामे से तात्पर्य चल या अचल सम्पत्ति के समर्पण से है जो लेख द्वारा किया जाय और वह लेख

(अ) विवाह के बदले में हो या

(ब) वास्ते बांटने सम्पत्ति के समर्पण करने वाले के सम्बन्धी या उन मनुष्यों के बीच में हो जिनका वह पालन करना चाहता हो। या वास्ते पालन करने किसी ऐसे मनुष्य के हो जो उसका आश्रित हो या

(स) वास्ते किसी धार्मिक काम के हो या किसी पुण्य के लिये हो। और उक्त शब्द में ऐसा प्रतिज्ञा पत्र भी सम्मिलित है जिसमें ऐसे समर्पण की प्रतिज्ञा की जावे।

स्टाम्प। तमलीक नामे पर स्टाम्प तमस्सुक की दर से जायदाद की मालियत पर लगताहै। और अगर समर्पण के प्रतिज्ञा पत्र पर पूरा स्टाम्प लगा दिया जावे तो फिर जो तमलीक नामा लिखा जावे उस पर केवल ॥) का स्टाम्प लगेगा। तमलीक नामे के खण्डन पर भी स्टाम्प तमस्सुक की रीति से लगता है। परन्तु १०) से अधिक का स्टाम्प नहीं लगता।

(क़ानून स्टाम्प ज़मीमा १ मद्द ५८)

रजिस्ट्री। तमलीक नामा यदि अचल सम्पत्तिसे सम्बन्ध रखता हो और उसका मूल्य सौ रुपये से अधिक हो तो उसकी रजिस्ट्री होना आवश्यक है।

(एक्ट रजिस्ट्री दफे १७)

तमलीक नामा [समर्पण पत्र]

मैं कि मुहम्मद अहमद बेटा सुलतान अहमद जाति शेख रहने वाला मौजा   जिला   का हूं ।

जो कि मेरी आयु लग भग सत्तर ७० साल के है और बहुधा बीमार रहता हूं, इसलिये दूरदर्शिता के विचार से यह उचित समझता हूं कि मैं अपने जीते जी अपने दाय भागियों को अपनी सम्पत्ति का स्वामी बना दूं, जिस से आगे को लडाई झगडा न मचे और मेरे दायभागी उस को सुख शान्ति के साथ भाग सकें मुझ मण कर्ता के दो लडके शफीअअहमद और नजीरअहमद नामक मेरी पहली पत्नी कलसूमुन्निसा नाम्नी के पेट से हैं जो लग भग दस साल का समय हुआ मरगई, और एक लडका बशीर अहमद और दो लडकियां जेबुन्निसा व इम्तियाजुन्निसा मेरी दूसरी पत्नी न्याज फातिमा नाम्नी के पेट से हैं,और न्याज फातिमा अबतक जीवित है । इस लिये मैं स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि और पंच इन्द्रियों के ठीक ठीक होने की अवस्था में अपनी स्वयं पैदा की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति के निम्न लिखित स्वामी बनाता हूं ।

जायदाद का ब्यौरा

शफीअ अहमद । एक पक्का मकान नीचे की सीमा व ब्यौरे वाला
नजीर अहमद „ „
बशीर अहमद „ „
जेबुन्निसा नाम्नी पुत्री „
इम्तियाजुन्निसा नाम्नी पुत्री „
न्याज फातिमा नाम्नी पत्नी „

जिस जायदाद का जो स्वामी बनाया गया उसको वास्तविक रूप से उस पर अधिकार दे दिया, और आज की तारीख से

उसको निश्चय स्वामी बना दिया, म् सम्पत्ति पर हर एक अधिकारी का नाम माल के कागजा में लिखा दूगा, अन्यथा वह अपने अधिकार से लिखालेवें। आजकी तारीखसे मेरे हर एक दाय भागी को उस सम्पत्ति से कुछ सम्बन्ध व प्रयोजन नहीं रहा जिस के स्वामी दूसरे दाय भागी बनाये गये हैं। और न आगें को होगा। मेरे जीते जी बशीर अहमद उस जायदाद के मुनाफे में से मुझ को २५) मासिक रोटी कपड़े के खर्च के लिये देता रहेगा जिसका वह स्वामी बनाया गया है। और वह जायदाद मेरे जीते जी उस भार की ज़िम्मेवार होगी और उस में आड और ऋणग्रसित रहेगी शेष मनुष्यों की सम्पत्तियों से मुझ को कुछ सम्बन्ध नहीं रहा। न आगे को होगा। स्वामी बनाई हुई समस्त सम्पत्ति सर्व प्रकार के भार और ऋण से रहित व निर्दोष है, ईश्वर न करे यदि किसी प्रकार का ऋण या भार निकले या कोई झगडा तमलीक (समर्पण) की हुई जायदाद के मध्ये पैदा हो तो उसका सहन करने वाला और उत्तर दाता वही मनुष्य होगा जिसको उस जायदाद का स्वामी बनाया गया है इस लिये यह तमलीक नामा, लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

हस्ता——————हर   गवा——————ह

गवा——————ह   लिखने की तारीख

स्थान   बकलम   लेखक

दूसरा समर्पण पत्र

मैंकि रामधन बेटा बुद्धिसेन जाति ब्राह्मण रहने वाला अमुक जिला अमुक का हूं। जोकि मेरी सन्तान में से कोई पुत्र नहीं है

मेरे दो विवाह हुए हैं और दोनों पत्नियों का देहान्त होगया, पहली स्त्री की सन्तानमें केवल एक लड़की लीलावती नाम्नीहै और उस का एक नाबालिग लड़का चैनसुख है जो अपने मा बाप के साथ सहावर गांव में रहता है दूसरी पत्नी की सन्तान में भी एक पुत्री रामप्यारी नाम्नी थी परन्तु उसका मेरे जीवन में देहान्त होगया, उसका एक लड़का रामसुख है जो बहुत छोटी अवस्था से मेरे पास रहता है। और मैंने उसका पालन किया है। उसकी आयु अब ११ सालके लगभग है। इन लोगों के अतिरिक्त और कोई मेरा दाय भागी नहीं है। मेरे सगे भाई सीताराम का एक लड़का सूरजपाल है। यद्यपि वह मेरा दाय भागी विभक्त कुल और बहुत काल से अलग रहने कारण नहीं है परन्तु मुझको उससे प्रेम व प्रीति है। और मैं उसको भी अपनी सम्पत्ति से कुछ देना चाहता हूं। मेरे पिता बुद्धसेन बीस बिसवे मौजे रामनगर के स्वामी व अधिकारी थे मेरे और सीताराम के बटवारे के समय जिसको लगभग ३५ वर्ष हुए आधा भाग उक्त गांव का मुझको मिला, और उसका मैंने बटवारा कराकर अलग महाल बनवालिया, जो अब महाल रामधन कहलाता है, और खाता खेवट नम्बर २ में है, पैतृक मकान में जो मुझको बटवारे द्वारा मिला था और उसको मैंने बहुत सी लागत लगाकर नये सिरे से बनवा लिया है उस में मैं अपने धेवते रामसुख सहित रहता हूं। इसके अतिरिक्त एकनौहरा स्वयं मेरा मोल लिया और बनवाया हुआ है जो पशुओं आदि के काम आता है, इसके सिवाय मौजे हयातपुर परगने फरीदनगर में पांच बिसवे हकियत जमींदारी खाता खेवट नं० ६ और मौजे मुहसिनपुर परगने जलालाबाद में साढे सात बिसवा जमींदारी खाता खेवट नं०४ स्वयं मेरी पैदा की हुई है पिछला मौजा सहावर लीलावती और चैनसुख के निवास स्थान से बहुत समीप है।

दूर दर्शिता के विचार से मैं यह उचित समझता हू कि अपने जीवन में उसके अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति का स्वामी बना दू जिससे, आगे को कोई लडाई झगडा न कर सके। और सन्तोष के साथ उससे सुख और लाभ उठावें।

इस लिये बिना बहकावट और दबाव के अपनी इच्छा और प्रसन्नता से दस बिसवे हकियत मौजा रामनगर अपने हिस्से व महाल को अपने भतीजे सूरजपाल के प्रति और पैतृक मकान और नौहरा नीचे लिखी हुई सीमाऽनुसार मौजे रामनगर में स्थित और पाच बिसवे हकियत गांव हयातपुर में स्थित खाता खेवट न० ६ को रामसुख अपने बेवते के प्रति, और साढ़े सात बिसवा हकियत जमीदारी वाकिअ मौजे मुहसिनपुर परगना जलालाबाद को लीलावती नाम्नी अपनी पुत्री व चैनसुख बेवते के प्रति बराबर २ तमलीक करता और स्वामी बनाता हू, और हर प्रकार के बाहिरी भीतरी समस्त स्वत्व व अधिकार हर एक जायदाद से सम्बधित उसके साथ परिवर्तित करता हू।

स्वामित्व प्राप्त सम्पत्ति पर हर एक स्वत्वाधिकारी को अधिकार देदिया और उसको स्थिर और स्थाई स्वामी उसका बना दिया अब मुझ को समर्पण की हुई जायदाद से कोई सम्बन्ध नहीं रहा और न आगे को होगा। जो जायदाद जिस मनुष्य को समर्पण की गई है वह उस पर अपना नाम दाखिल करा लेवे और जिस प्रकार चाहे उससे स्वामि रूप में लाभ उठावे। इस लिये यह समर्पण पत्र लिखदिया कि सनद रहे। और समयपर काम आवे।

हस्ता ———————— हर गवा ————————

गवा ———————————————————— ह

लिखने की तारीख ———————— स्थान ————————

बकलम ———————————— लेखक समर्पण पत्र

वसीयतनामा (निष्ठापत्र)

शब्द वसीयत (निष्ठा) से अभिप्राय उस सकल्प के राजनीति अनुसार प्रकट करने से है जो निष्ठा करने वाला अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में रखता हो। और जिसका पूरा होना वह अपने मरने के पीछे चाहता हो।

परिशिष्ट निष्ठा पत्र से तात्पर्य उस दस्तावेज से है जो निष्ठा पत्र से सम्बन्ध रखता हो। और जिसके अनुसार निष्ठा पत्र के अभिप्रायों की व्याख्या, या तबदीली (बदल) या उनमें अधिकता की जाय। और परिशिष्ट निष्ठा पत्र अधिक भाग निष्ठा पत्र का समझा जाता है। प्रोबेट शब्द से तात्पर्य निष्ठा पत्र की लिपि से है जो किसी अधिकारप्राप्त न्यायालय की मुहर, से, प्रमाणित हो जब कि उसके साथ अधिकार पत्र निष्ठा करने वाले की सम्पति के प्रबन्ध करने का सम्मिलित हो। वसी (अध्यक्ष) से तात्पर्य उस मनुष्य से है जिसको निष्ठा करने वाले ने अपने अन्तिम निष्ठा पत्र के कार्य करने के लिये उस निष्ठापत्र द्वारा नियत किया हो। शब्द ऐडमिनिस्ट्रेटर (शासक) से अभिप्राय उस मनुष्य से है जिसको अध्यक्ष न होने की दशा में किसी अधिकार प्राप्त हाकिम ने किसी मृत मनुष्य की सम्पति के प्रबन्ध के लिये नियत किया हो।

स्टाम्प। वसीयत नामे के लिये किसी स्टाम्प की आवश्यक्ता नहीं वह सादा कागज पर लिखा जा सका है रजिस्ट्री उसकी स्वाधीन है सिवाय उन जातियों के जिनसे ऐक्ट सन् १८६५ सम्बन्ध रखता है दूसरे मनुष्यों के निष्ठा पत्र के लिये साक्षियों के हस्ताक्षर की भी आवश्यक्ता राजनीति अनुसार नहीं है किन्तु जबानी वसीयत जाइज है।

वसीयत नामे के प्रारम्भिक शब्द बहुधा यह होते हैं।

चूंकि मैं वृद्ध हू या कि अब मेरा बुढ़ापे का समय है। जीवन का कुछ भरोसा नहीं कि कब काल ग्रसित हो जावे।

चूंकि संसार असार है और स्वप्न के समान है। इस संसार के समस्त कार्य अनिश्चित और चलायमान हैं।

मनुष्य जीवन पानी के बबूले के समान और क्षण भंगुर है और मेरे कोई सन्तति किसी प्रकार की नहीं है।

जैसा अवसर हो वैसे शब्द प्रयोग करने चाहियें। और जो वास्तविक कारण निष्ठा पत्र लिखने का हो वह लिखना चाहिये।

वसीयतनामा (निष्ठापत्र)

मैं कि राम ओतार बेटा महाराज भगवत जाति ब्राह्मण सारस्वत निवासी ग्राम अमुक परगना व तहसील अमुक जिला अमुक का हू।

जो कि मेरी आयु ६० साल के लग भग है और बहुधा शरीर रोगी रहता है न जाने किस समय जीवन का अन्त हो जावे और प्राण पखेरू शरीर पिञ्जडे से उडजावे। इस दूर दर्शिता के विचार से आवश्यक व उचित है कि मैं जायदाद का ऐसा प्रबन्ध करदू जो मेरी मृत्यु के पश्चात् झगडे पैदा होकर नष्ट न हो और जिस कार्य और प्रयोजनमें मेरा संकल्प उसके लगानेका है वह पूरा हो जावे। मेरे पहिले विवाह से एक लडका कृष्णअवतार था जो दैव इच्छा से निस्सन्तान मर गया, उसकी पत्नी दुलारी नाम जीवित है और उसका पालन पोषण तथा रक्षण करना मैं अपना कर्तव्य समझता हू। मेरे दूसरे विवाह से एक लडकी रुकमा नाम है और उसका एक लडका राम आधीन है जिसकी अवस्था पांच साल के लग भग है उस लडकी और धेवते के पालन, रक्षण आगामी करना चाहता हू, इस के अतिरिक्त

मेरे पिता की बनाई हुई है उस के व्यय का कोई प्रबन्ध मेरे स्वर्ग वासी पिता अपने जीवन में नहीं कर सके। इस कारण उसकी दशा अत्यन्त हीन और शोचनीय है मेरे पूज्य पिताकी यह हार्दिक इच्छा थी कि वह धर्मशाला अत्यन्त श्रेष्ठ और उत्तमता के साथ सदैव स्थित रहे। और मैं उनकी उस इच्छा को पूरा करना चाहता हू। इस बात पर दृष्टि रख कर स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि तथा इन्द्रियों के ठीक होने की दशा में निम्न लिखित निष्ठा (वसीयत) करता हू।

(१) जो कुछ हर प्रकार की पैत्रिक सम्पत्ति तथा मेरी पैदा की हुई मेरे अधिकार में है या आगे जो मैं उपार्जन करु उसका मैं अपने जीते जी निश्चित व स्थिर स्वामी रहूंगा।

(२) मेरे मरने के पश्चात् मेरी पैत्रिक सम्पत्ति में से निम्नस्थ ज़मीमा (अ) लिखित अमुक ग्रामकी जमींदारी की स्वामिनी अपने जीवन पर्यन्त मेरे पुत्र कृष्ण अवतार की विधवा दुलारी नाम्नी होगी उसका अधिकार होगा कि जब तक वह जीवित रहे उस जायदाद की आमदनी चाहे जसे व्यय करे। परन्तु उसका कोई अधिकार प्रत्यक्ष रीति या बहानेसे उक्त सम्पत्तिके परिवर्तन करनेका किसी प्रकार व रूप स प्राप्त न होगा। दुलारी के मरने के पीछे उक्त जायदाद रुक्मा की पुत्र सन्तति को जो उस समय विद्यमान हो चिरस्थाई रूप से पहुंचेगी। और उक्त रुक्मा की कोई पुत्र सन्तति जीवित न होने की दशा में उसके लड़कों के लड़के उस सम्पत्ति के चिरस्थाई स्वामी होंगे।

(३) निम्नस्थ जमीमा (ब) लिखित जायदाद को मैं रुक्मा के नाम उसके जीते जी के लिये वसीयत करता हू। जीवन भर वह उसकी मालिक रहेगी। और उसको अधिकार होगा कि उ

जायदाद को चाहे जैसे काम में लावे। और उसका मुनाफा अपनी इच्छा व अधिकार से व्यय करे। उक्त रुकमा के मरने पर उस जायदाद के स्वामी उस के लड़के जो उस समय विद्यमान हों समान भाग से होंगे। यदि उसका कोई बेटा उसके जीवन में मरगया हो परन्तु उसकी पुत्र सन्तति विद्यमान हो तो उसकी सन्तान मिलकर एक लड़के के बराबर हिस्सा पावेगी। इस अर्थ के लिये यह समझा जावेगा कि मानो उनका बाप रुकमा के मरते समय जीवित था।

(४) जमीमा (ज), लिखित जायदाद को मैं भगवत नामक धर्मशाला की स्थिति और व्यय के निमित्त पुण्य करता हूं। उस की आमदनी से उक्त धर्मशाला के हर प्रकार के खर्च अदा किये जावेंगे और जो कुछ उस में टूट फूट आदि होगी उस की मरम्मत की जावेगी। आने जाने वालों के सुख और चैन के लिये जो प्रबन्ध और सामिग्री आवश्यक हो उस में खर्च होगी। इस के प्रबन्ध के लिये मैं जीते जी स्वयं प्रबन्धक रहूंगा। मेरे मरने के पश्चात् धर्मशाला और आमदनी व खर्च जायदाद का प्रबन्ध मेरी निष्ठाऽनुसार मेरी लड़की रुकमा और उसकी पुत्र सन्तति के जो योग्य और सुपात्र हो पीढी दर पीढी अधिकार में रहेगा। यदि इस प्रकार का कोई मनुष्य न रहे या किसी प्रबन्ध कर्ता की ओर से चोरी या बेईमानी पाई जावे तो मुसम्मात रुकमा की औलाद के अन्य मनुष्यों तथा सर्व साधारण को अधिकार होगा कि दूसरा मनुष्य प्रबन्धकर्ता और अधिष्ठाता पुण्य की हुई सम्पत्ति और धर्म शाला का न्यायालय से नियत करा लेवें। न्यायालय का नियत किया हुआ प्रबन्ध कर्त्ता और [illegible] जायदाद पर अधिकार रक्खेगा और [illegible]

(५) नेनसुख [illegible] दिनों से

में मैं घसीयत करता हूँ कि यदि यह या उसके मरण पश्चात् उस की सन्तान में से कोई उसका लडका पूर्ववत् मेरे यहा नौकर रहे और अपना काय पहले के समान करता रहै तो उन में से जो कोई मनुष्य मेरे मरते समय मेरी नौकरी में हो उसको १००) रोकड़ी मेरी सम्पत्ति स दिया जावे।

(६) मेरा क्रिया कर्म और तेरहवीं आदि उचित रीतिसे करना मुसम्मात दुलारी और मुसम्मात रुक्मा का कर्तव्य होगा। मेरा दाह कर्म रामाधीन के हाथ से कराया जावे।

इसलिये यह निष्ठापत्र लिखदिया कि प्रमाण रहे।

जायदाद का ब्यौरा

जमीमा (अ)
जमीमा (ब)
जमीमा (ज)

हस्ता———————हार गया——————————ह
गया ——————ई तारीख
स्थान
बकलम लेखक

दूसरा निष्ठापत्र

मैंकि लाल गोविन्दपालसिंह दत्तक पुत्र ठाकुर रामप्रसादसिंह जाति राजपूत यदुवशी रईस हसनगढ़ जिला एटा वर्तमान निवासी ग्राम धनीपुर परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ का हूँ।

जो कि मैं रियासत हसनगढ़ के समस्त ग्रामों का विना साझे व सयाग किसी दूसरे के स्वामी व अधिकारी हू

का विवरण परिशिष्ट (अ) में लिखा है। इस समय तक मेरे कोई सन्तान नही है। सात मास व्यतीत हुए कि मेरी पत्नी ठकुरानी महताब कुवरि का देहान्त हो गया। अभी तक मैंने दूसरा विवाह नहीं किया और चूंकि मैं बहुधा बीमार रहता हू जीवन का कोई भरोसा नहीं न जाने किस समय यह क्षण भंगुर कलेवर काल का ग्रास हो जावे। इस लिये दूर दर्शिता के विचार से आवश्यक व उचित समझता हू कि लिखा द्वारा आगे के लिये ऐसा प्रबन्ध करदू कि मेरे न होने की दशा में, रियासत हसनगढ पूर्ववत स्थित रहै। और कोई ऐसा झगडा बखेडा न उठे जिससे रियासत नष्ट हो जावे।

विदित हो कि मेरी अवस्था गोद लेने के समय केवल १४ मास की थी उस समय से रियासत मुसम्मात मानकुवरि विधवा ठाकुर रामप्रसाद सिंह मेरी उप माता, के स्वाधीन व अधिकार में रही, जब मेरी आयु उन्नीस साल की हुई तब मैंने रियासत पर अधिकार और उसका प्रबन्ध करना अपने आप चाहा, परन्तु उक्त मान कुवरि ने मुझ को रियासत पर अधिकार नहीं दिया वरन मुझको और मेरी पत्नी महताब कुवरि को
... सिंह कारिन्दा हसनगढ़ की सहायता और बहकाने से
... दिया, और कुल गहना और असबाव रियासत और दहेज
... लिया, उस समय लाचार हो कर मुझे दीवानी अदालत
दावा करना पडा जो ८ अक्टूबर सन् १९०७ को अदालत
... जजी अलीगढ से डिगरी हुआ, और हसनगढ़ की हवेली
अतिरिक्त रियासत हसनगढ़ से सम्बन्ध रखने वाले समस्त
ग्रामों पर मेरा नाम दाखिल हो गया। मुसम्मात मान कु...
... ने उस फैसले का अपील हाईकोर्ट में ...

न्यायालयकी प्रेरणासे मेरा और मुसम्मात मान कुवरिका परस्पर निबटारा हो गया और निबटारे के अनुसार जीवन भर तक खान पान के लिये १८०० रुपया सालाना और १० बीघा पक्की भूमि और हसनगढ़ की हवेली पर रहने का स्वत्व मुसम्मात मान कुंवरि को दिया गया अब उक्त जमीदारीके गावोंमें से जमींदारी व काश्त दखील कारी व मालिकाना मौजा गज गामनी परगना फीरोजाबाद जिला आगरे पर मै स्वयम् अधिकारी हू और शेष-गावों का ठेका मेरी ओर से सन् १३१७ फसली से सन् १३२४ फसली तक ८ वर्ष के लिये ठाकुर कल्याणसिंह-साहिब राय बहादुर साकिन व रईस अलीपुर के पास था, ठेकेदार ठेके की हकियत पर अन्तिम सन् १३१८ फसली तक काबिज (अधिकारी) रहे और सन् १३१८ के अन्त तक का मुनाफा मुझको भुगता चुके और उस का हिसाब मैंने उनसे समझ लिया। उक्त ठेकेदार ने ठेके की शेष अवधि के लिये मेरी इच्छाऽनुसार त्याग पत्र दे दिया। और मैंने भी इस विचार से कि म कुल रियासत हसनगढ़ के मध्ये निष्ठा (वसीयत) करना चाहता हू उक्त ठेका शेष अवधि के लिये तोड़ दिया और ठेकेदार को यह अधिकार दे दिया कि काश्तकारों के ऊपर का शेष रुपया सन् १३१७ व १३१८ फसली के मध्ये नालिश द्वारा या जैसे उचित समझे प्राप्त करलें। मेरा उससे कुछ सबन्ध नहीं है।

आगे के लिये मैं रियासत हसनगढके मध्ये निम्नलिखित निष्ठा हूं।

(१) जीतेजी मैं रियासत हसनगढ़ का स्वय स्वामी व अधि-

समय मेरे कोई सन्तान नहीं है नीरोग हो जाने की ...मरा विवाह करने की है यदि उस विवाह

से कोई पुत्र सन्तान उत्पन्न हो तो मेरे मरण पश्चात् वह रियासत का स्वामी होगा, और उक्त सन्तान की नाबालिगी के दिनों में मेरी पत्नी यदि उस समय जीवित हो सरक्षिकाके रूपमें रियासत का प्रबन्ध करेगी।

(३) मेरे विवाह न करने या विवाह करने पर पुत्र सन्तति पैदा न होने की अवस्था में रियासतका स्वामी दुरगपालसिंह बेटा ठाकुर सरदारसिंह जाति ठाकुर रहने वाला मौजा गागनी परगना फीरोजाबाद जिला आगरा होगा। और उस के न होने अथवा उस के पुत्र सन्तति जीवित न होने की दशा में बुद्धपालसिंह उस का छोटा भाई स्वामी होगा।

(४) दुर्गपालसिंह व बुद्धपालसिंह में से जो कोई रियासत का मालिक हो उस का कर्तव्य होगा कि वह मेरी विधवा की अपनी माता के समान सेवा सुश्रूषा तथा आज्ञा पालन करे। और उस के जीते जी हसनगढ़ की गढी रहने के लिये उस को दी जावे, और १००) मासिक खान पान तथा दान पुण्य के खर्च के लिये दिया जावे। और जो मैं पुत्री सन्तति छोड़ूं उन के विवाह व भात छोछक की रीति व्यवहार आदि रियासत के नियमानुसार किये जावें।

(५) चूंकि दुर्गपालसिंह व बुद्धपालसिंह इस समय नाबालिग है उन में से नाबालिगी के समय में जो कोई हसनगढ़ की रियासत का मालिक हो उस की इक्कीस साल की आयु प्राप्त होने तक रायबहादुर ठाकुर कल्यानसिंह साहिब रईस धनीपुर उस के सरक्षक और रियासत के प्रबन्धक रहेंगे और उन को अधिकार होगा कि अपनी जगह किसी अन्य योग्य पुरुष को सरक्षक तथा प्रबन्धक नियत करें या लिखा द्वारा किसी को नियुक्त (नामजद) करें जिस से रियासत ...

(६) दुर्गपालसिंह व बुद्धपालसिंह को मैं अपने व्यय से शिक्षा दिला रहा हू । मेरे मरण पश्चात् जो कोई हसनगढ़ की रियासतें का मालिक हो वह तथा उस का संरक्षक भी उनका पूर्ववत् अपनी देख भाल में इक्कीस वर्ष की आयु होने तक शिक्षा दिलाते रहें और शिक्षा का उचित व्यय रियासत हसनगढ़ से दिया जावे।

(७) दुर्गपालसिंह व बुद्धपाल सिंह की माता मुसम्मात मोहन कुंवरि को मैंने १००) वार्षिक वृति नियत कर रक्खी है वह उक्त मुसम्मात के जीते जी पूर्ववत् उसको देना रियासतके हर मालिक का कर्तव्य होगा।

(८) चूं कि बड़ी हसनगढ़ ठकुरानी मानकुंवरि साहिबा को जीवन पर्यन्त अदालतसे दिलवाई गई है। इस लिये मैं एक मकान अपने तथा उन लोगों के रहने के लिये जिन को डिग्री की गई है हसनगढ़ के खेड़े के ऊपर लग भग चार पांच हजार रुपये की लागत से बनाना चाहता हू और मेरी इच्छा सड़क के किनारे पर किसी उचित स्थान पर एक बाग और कूआ यादगारी के लिये बनाने की है यदि मैं अपने जीवन में यह दोनों काम न कर सकूं तो ठाकुर कल्यानसिंह साहिब रायबहादुर को अधिकार देता हू कि वह अपनी देख रेख और अधिकार से उक्त मकान बनवा दें और बाग व कूआ उचित स्थान पर सड़क के किनारे लगावें। और दोनों का खर्च रियासत से लिया जाय।

(९) रियासत हसनगढ़ की आमदनी सरकारी मालगुजारी चुकाने के पश्चात् लग भग सात हजार ७०००) रुपया सालाना खालिस होती है इसके अतिरिक्त लग भग ३००) रुपया वार्षिक मुनाफा मौजे गज गांई का होता है इस कुल ७३००) सालाना में से मैं सूचित करता हू। १८००)सालाना मुसम्मात मान कुंवरि

को ८ फरवरी सन् १६१० ई० लिखित प्रतिज्ञापत्र के नियमाऽनुसार दिया जावे। और ६००) रुपया सालाना दुर्गपाल सिंह व बुद्धपाल सिंह की पढ़ाई में खर्च किया जावे। और१००)सालाना मुसम्मात मोहन कुवरि को वृत्ति में दिया जावे। शेष रुपया मेरी स्त्री के खान पान और मेरी सन्तान के चलन व्योहार की अगर कोई हो और अन्य उचित खर्चों को काट कर मेरे ऊपर के ऋण चुकाने में लगाया जावे। और यह व्यवहार व वर्ताव मेरे ऊपर के ऋण के निश्शेष होने तक मेरे दाय भागियों और सरक्षकों का कर्तव्य होगा।

ऋण के निश्शेष होने के पश्चात् मालिक रियासतको अधिकार होगा कि बचत के रुपये को अपनी इच्छाऽनुसार व्यय करे। मेरे ऊपर ऋण का विवरण नीचे के परिशिष्ट (ब) में लिखा है।

(१०) मेरी इस निष्ठा के पालन करने वाले राय बहादुर ठाकुर कल्यान सिंह साहिब रईस धनीपुर होंगे। और उनको मेरे इस लेखाऽनुसार इस निष्ठा का पालन करना होगा।

इस लिये यह निष्ठा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यका के समय काम में आवे।

परिशिष्ट (अ)

रियासत हसनगढ परगना जलेसर जिला एटा की काश्तकारी दखीलकारी व बाग आदिक मौजे गज गांगनी परगना फीरोजाबाद ज़िला आगरा सहित हकियत का ब्यौरा

नाम मौज़ा	तादाद हिक्कयत	क्षेत्र फल	अब बाब सहित माल गुजारी

हसनगढ़	बीस बिसवा	१७३१ एकड़ ६२ डिसमिल	२,३१)
महमूदपुर	बीस बिसवा	४२६ एकड़ ६३ डिसमिल	७७०)
दौलतपुर मुश्की महाल १८ बिसवा	१५ बिसवा	४२८ एकड़ ७० डिसमिल	८४६।)
दौलतपुर मुश्की महाल २ बिसवा		४० एकड़ ८० डिसमिल	११०)
अजपुर चन्द्रा महाल १२ बिसवा		२१३ एकड़ ८८ डिसमिल } आधा	४८॥)॥

मह की महाल नरायनसिंह	३६० एकड़ ५१ डिसमिल	७८७)
महकी महाल मुरलीसिंह मयें हिस्से में ६ बिसवासी ८ कचवासी		५)
सलाई	२१ एकड़ ८६ डिसमिल	७६॥)॥

खाता काश्त दखीलकारी मौजे गज गागनी लगानी महाल राजा साहब ५५५)

खाता काश्त दखीलकारी उक्त मौजा लगानी महाल राजा साहब १७७८) ४ पाई

बाग ३५ बीघा पक्का वाक्त्रि मौजे गज गागनी जिसमें तुरशाये आदि के पृक्ष हैं

मालिकाना १००) सालाना मौजा गज्ञ गागनी -परगना फीरोज़ाबाद जिला आगरा।

परिशिष्ठ [थ]

ठाकुर कल्यानसिंह साहिब रईस जलालपुर के दस्तावेज द्वारा देने ४०००)

राय बहादुर कल्यानसिंह साहिब रईस धनीपुर के देने लगभग ७०००)

रियासत अवागढ बाबत् काश्त दखीलकारी मौजा गर्जगांगनी डिगरी आदि लगभग ५०००)

हस्ताक्षर ———— र गवा ————

गवा ———— ह लिखतम १७ अगस्त सन् १९११

बकलम टीकाराम बेटा लाला श्री कृष्णदास जाति वैश्य अग्रवाल साकिन कोल इस दस्तावेज का लेखक

तबादले नामा (बदल पत्र)

परिभाषा। जब दो मनुष्य परस्पर एक वस्तु की मिलकियत दूसरी वस्तु की मिलकियत के बदले में लें और दें और दोनों वस्तुओं में से कोई वस्तु रोक रुपये के रूप में न हो या दोनों वस्तु रोक रुपये के रूप में हों तो यह व्यवहार बदल कहलायेगा।

सम्पत्ति का परिवर्तन जिसकी पूर्ति बदले के रूप में करनी अभीष्ट हो केवल उस प्रकार हो सक्ता है जो वैसी जायदाद की बिक्री द्वारा परिवर्तन करने के लिये नियत हुआ है।

स्टाम्प—बदल के परिवर्तन में स्टाम्प बैनामे की नाईं मालियत के अनुसार बदली हुए जायदाद पर लगता है और उसकी रजिस्ट्री के विषय में भी यही नियम और बन्धन है। बदले की दस्तावेज में स्टाम्प के नियत करने के निमित्त बदली हुई जायदादों के मूल्य का प्रगट करना आवश्यक है।

बदले की पूर्ति एकना दो दस्तावेजों के द्वारा दोनों पक्षों की इच्छाऽनुसार हो सक्ती है।

बदल पत्र दोनों पक्षों का

हम कि अहमद हुसैन बेटा इम्तियाज अली जाति शेख रहने वाला गाव शाहपुर परगना व तहसील अलीगंज जिला एटा पहला पक्ष, व मोहनलाल बेटा सोहनलाल जाति कायस्थ रहने वाला गाव नदरई परगना व तहसील कासगंज जिला एटा दूसरा पक्ष जो कि मुझ पहले पक्ष का एक आम का बाग गाव शाहपुर परगना व तहसील अलीगंज जिला एटा में स्थित है उस से मिली हुई पश्चिमकी ओर एक टुकड़ा भूमि न० २५५-दो बीघा ७ बिस्वा एककी क्षेत्रफल वाली खाता खेवट न० २ उक्त गाव की दूसरे पक्ष की अधिकार प्राप्त सम्पत्ति है जो बहुत दिनों से बे छुनक ओर बेकार है उस से कुछ लाभ दूसरे पक्ष को प्राप्त नहीं होता—मुझ दूसरे पक्ष के रहायशी मकान गाव नदरई से मिला हुआ एक कच्चा मकान नीचे की सीमा वाला पूरब की ओर स्थित है जो पहले एक मनुष्य मक्खन लाल का था उससो मुझ पहले पक्ष ने नीलाम द्वारा मोल लेकर अधिकार प्राप्त किया है। उक्त मकान दूसरे पक्ष के रहायशी मकान में सम्मिलित हो सका है और उसकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता है। हम दोनों पक्षों ने अपनी आवश्यकताओं को विचार करके स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी बहकावट या दबाव के अपनी इच्छा व प्रसन्नता से दोनों जायदादों का बदला परस्पर कर लिया। मुझ दूसरे पक्ष ने उक्त अपनी भूमि न० २५५ उपरोक्त कच्चे मकान के बदले में पहले पक्ष को और मुझ पहले पक्षने अपना उक्त मकान उपरोक्त भूमि के बदले में दूसरे पक्ष का दे दिया। और परस्पर एक दूसरे के बदले का अधिकार व्यवहार में आया। और हर एक पक्ष ने बदली हुई जायदाद पर अधिकार और कब्जा पा लिया।

तारीख से मुझ दूसरे पक्ष और मेरे दायभागी, स्थानापन्नों और प्रति निधियों को कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का स्वत्व और कब्जा भूमि नं० ३५५ से और मुझ पहले पक्ष और मेरे दाय भागियों, स्थानापन्नों और प्रति निधियों को कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का स्वत्व और कब्ज़ा गांव नदरई वाले उपरोक्त मकान से नहीं रहा न आगे को होगा बदली हुई दोनों जायदादें हर प्रकारके परिवर्तन व भार से रहित व निर्दोष हैं। उन पर किसी प्रकार का ऋण नहीं है। यदि किसी पक्ष की मिलकियत की त्रुटि या किसी साझी व अर्थी की दावेदारी से दूसरे पक्ष के अधिकार से बदली हुई जायदाद समस्त या उसका कोई भाग निकल जावे या कोई भार या ऋण उसको देना पड़े तो पक्षों को त्रुटि वाले पक्ष से अपनी जायदाद को लौटा लेने तथा उससे हानि और व्यय का रुपया जो छठे आठ आने सैकड़ा मासिक ब्याज सहित लेने का अधिकार प्राप्त होगा। मिलकियत के कागजात जो हर एक पक्ष के कब्जे में बदली हुई जायदाद के मध्ये थे वह अधिकारी पक्ष को सौंप दिये गये।

इस लिये यह बदल पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

परिशिष्ट (अ)

उस जायदादका विवरण जो दूसरे पक्षने पहले पक्षको परिवर्तनकी

आम का बाग नं० ३५५ रकबी ९ बीघा ७ बिसवा पक्की भूमि, खाता खेवट नं० ३- गांव शाहपुर परगना व तहसील अलीगंज जिला एटा में स्थित

परि शिष्ट (ब)

उस जायदादका विवरण जो पहले पक्षने दूसरे पक्षके प्रति परिवर्तन की नीचे की सीमावाला एक कच्चा मकान गांव नदरईपरगना व तहसील कासगंज जिला एटा में स्थित।

मकान की चारो सीमा

पूर्—————————व पश्चिम—————————म
मकान सैनू चमार रास्ता फिर सड़क
दक्षि—————————ण उत्त—————————र
मकान सोहन तेली गली

हस्ता —————————हर हस्ता —————————हर
अहमद हुसैन पहला पक्ष ब० खुद सोहनलाल दूसरा पक्ष ब० खुद

गवा —————————ह गवा —————————ह
लिखतम स्थान
बकलम तबादले नामा लेखक

बदल पत्र पृथक पृथक

मैं कि अली अहमद बेटा शफीक अहमद जाति मुगल रहने वाला कस्बा मुहसिनाबाद जिला उन्नाव का हूं। जो कि मैं स्वामी व अधिकारी एक मकान कच्चे व पक्के बने हुए का हूं जो नीचे लिखी हुई सीमाओं से घिरा हुआ मुहल्ला बावरी मण्डी शहर लखनऊ में स्थित है।

स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में मैंने उपरोक्त मकान को नीचे लिखी हुई चौहद्दी वाले उपरोक्त मुहल्ले व शहर में स्थित एक दूसरे कच्चे मकान के बदले में अहमद अली बेटा सआदत अली जाति बढ़ई उपरोक्त मुहल्ला निवासी के हाथ बदले में देकर उसको उक्त मकान का स्वामी व अधिकारी बना दिया, आज की तारीख से उक्त परिवर्तन ग्रहीता स्थिर स्वामी बदले हुए

का हो गया, मुझको और मेरे दायभागियों स्थाना पन्नों और प्रति निधियों को अब कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उपरोक्त मकान से नहीं रहा, यदि दैवात उक्त मकान पर कोई भार निकले या किसी साझी व अंशी के दावा करने या मेरी मिलकियत की किसी त्रुटि के कारण बदला हुआ मकान उक्त बदला पाने वाले के कब्जे और अधिकार से निकल जावे तो उसको अधिकार होगा कि जो मकान मुझको बदले में दिया है वापस ले लेवे। और जो कुछ हानि और व्यय उस पर पड़े वह मेरी व्यक्ति और दूसरी जायदाद से प्राप्त करलेवे।

इस लिये यह बदल पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ता ——————	ह गवा ——————	ह गवा	—————— ह
तारीख	स्थान	पकगम	लेखक

नोट। उसी प्रकार दूसरा दस्तावेज दूसरे पक्ष की ओर से उन्हीं शर्तों के साथ लिखना चाहिये।

साझा

साझा, वह सम्बन्ध है जो उन मनुष्यों के बीच में होता है जिन्होंने अपनी सम्पत्ति, परिश्रम या हुनर किसी में एक साथ लगाने और उसका लाभ परस्पर बांटने की प्रतिज्ञा की हो।

जो मनुष्य एक दूसरे के साथ साझे के काम में साझी होते हैं समूह रूप में फर्म कहलाते हैं।

(दफा २३६ कानून मुआहदा)

साझा दो या दो से अधिक मनुष्यों के मध्य में हो सक्ता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर एक साझी एक ही प्रकार की सम्पत्ति, श्रम या हुनर साझे में लगावे, बहुधा एक मनुष्य का

हुनर दूसरे की पूजी और तीसरे का श्रम साझे में काम आता है, और उनके विचार से वह विविधि लाभ के अधिकारी होते हैं और विविधि कार्य उनको सौंपे जाते हैं जो प्रतिज्ञापत्रसाझी साझे के नियमों के विषय में लिखते हैं उसको शराकत नामा (साझापत्र) कहते हैं। और जिस दस्तावेज के द्वारा साझी लोग अपनी प्रसन्नता से साझे से अलग होते हैं वह दस्तावेज साझा भगपत्र कहा जाता है।

साझा पत्र के लिखने में भागों का परिमाण-काम की रीति लाभ बाटने के नियम आवश्यक होते हैं। शेष नियम वह होते हैं जो सब पक्ष परस्पर ठहरावें। इसीप्रकार साझा भगपत्र में समस्त पक्षों की पृथकता और हिसाब का निबटारा हो जाना आवश्यक अङ्ग होते हैं।

शराकतनामे पर स्टाम्प। यदि साझे की पूंजी ५००) रु० से अधिक न हो २॥) रु० लगता है अन्य दशाओं में पूंजी कितनी ही क्यों न हो १०) रु० का स्टाम्प पर्याप्त होता है। साझा भगपत्र पर ५) रु० का स्टाम्प लगता है।

(मद ४६ जमीमा १ कानून स्टाम्प)

साझापत्र और साझा भगपत्र की रजिस्ट्री स्वाधीन है परन्तु शर्त यह है कि अगर उक्त दस्तावेज किसी अचल सम्पत्ति के मध्ये कोई स्वत्व उत्पन्न या प्रकट या नियत करती हो और उस स्वत्व का मूल्य सौ रुपये से अधिक हो तो उसकी रजिस्ट्री कानून रजिस्ट्री की धारा १७ के अभिप्रायाऽनुसार आवश्यक होगी। साझा पत्र और साझा भगपत्र सामान्यतया बहु मूल्य चल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखते हैं, और उनकी रजिस्ट्री कराना सुरक्षित रीति समझी जाती है।

साझा पत्र

शिव मुखराय बेटा शकरराय जाति वैश्य अग्रवाल चूड़ीवाल रहने वाले महल्ला शेखान कस्बा खुर्जा जिला बुलन्दशहर प्रथम पक्ष

राम दयाल बेटा भूपालदास जाति खत्री रहने वाला कस्बे अतरौली जिला अलीगढ़ द्वितीय पक्ष

सुखानन्द बेटा रामचन्द्रदास जाति ब्राह्मण रहने वाला सुनारान शहर हाथरस तृतीय पक्ष

जो कि हम प्रणकर्ताओं ने व्यापार क्रय विक्रय अन्न व कपास तथा अन्य व्यापारिक वस्तुओं का साझे में शिवमुखराय सुखानन्द के नाम से स्थान अलीगढ़ बाजार कल्यान गंज में कुछ दिनों से चला रक्खा है, परन्तु उसके विषयमें कोई साझेका प्रतिज्ञापत्र नहीं लिखा गया। हम प्रणकर्ता चाहते हैं कि उक्त शराकत के मध्य नियमाऽनुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख जावे। जिसके अनुसार हम सब लोग नियम बद्ध रहें। आगे को कोई झगड़ा पैदा न हो।

इस लिये हम सब उपरोक्त प्रणकर्ता साझे का प्रतिज्ञापत्र स्वस्थचित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था, बिना किसी अन्य के बहलाने फुसलाने व रुचि दिलाने के नीचे के नियम लिखते हैं।

(१) साझे की पूंजी इस समय दस हजार १००००) रुपया है। जो हमने नीचे लिखे विवरण से दिया है।

शिव मुखराय	सुखनन्द	रामदयाल
४०००)	४०००)	२०००)

आगे भी यही पूंजी सामान्य साझे की रहेगी और इसी परिमाण के विचार से हम प्रण कर्त्ताओं का वार, उक्त व्यापार में ठहरा है।

(२) साझे का काम काज सम्प्रति एक किराये की दूकान बाजार कल्यानगंज शहर अलीगढ़ में शिर्व मुखराय सुखानन्द के नाम से होता है पूर्ववत् उसी नाम से होता रहेगा। और जो चिट्ठियां हुंडियां तथा अन्य लेख साझे की ओर से लिखी जायगी वह सब इसी नाम से लिखी जावेंगी।

(३) साझे के कारवार के मध्ये सामान्यतया रोकड़ व बही खाते का काम शिर्व मुखराय,मोल लेने व बेचने का काम सुखानन्द और बाहिर माल मोल लाने और बाहिर माल बेचने को ले जाने का काम रामदयाल करेंगे। परन्तु सब साझियों को आवश्यकता ऽनुसार हर काम में सम्मिलित होने का अधिकार होगा। और हर एक साझी का कर्तव्य होगा कि वह दूसरे साझी को साझे के काम में हर प्रकार की सहायता करे।

(४) साझे के काम काज के मध्ये जो कुछ व्यय होगा वह साझे के बही खाते में खर्च खाते में डाला जावेगा। इसके सिवाय जो कोई साझी साझे की दूकान से अपने निजी खर्च और काम के लिये रुपया लेगा वह उसके नाम हिसाब में लिखा जावेगा। परन्तु शर्त यह है कि किसी साझी का २५) मासिक से अधिक साझे की दूकान म अपने निजी खाते में रुपया लेने का अधिकार न होगा।

(५) साझे के व्योपार में दस हजार से जो अधिक पूंजी लगेगी वह ऋण से लगाई जायेगी। और उस पर व्याज साझे से दिया जावेगा, हर एक साझी का अधिकार है कि वह अपना अधिक रुपया ऋण के रूप में साझे में आवश्यकतानुसार लगा देवे, वह उस पर दूसरे ऋण दाताओं के समान व्याज पाने का अधिकारी होगा। साझे के ऋण की व्याज पर ।) सैकड़ा

मासिक ठहरी है परन्तु इसके विपरीति दोनों पक्ष ठहरा सकते सक्ते हैं और ऐसी दशा में व्याज उसी दर से लगेगी।

(६) साझे के सब काम सब साझियों की सम्मति और सलाह से हुआ करेंगे। और आवश्यक्ता की दशा में और अवसर पर हर एक साझी साझे का काम अपनी जिम्मेवारी और अपने अधिकार से कर सकेगा और उसका प्रभाव हर एक साझी पर होगा। परन्तु प्रत्येक साझी का कर्तव्य है कि वह साझे का काम अत्यन्त ईमानदारी और धर्म व परिश्रम से इस प्रकार करे कि मानो उसका निजी काम है।

(७) साझे का हिसाब कार्तिक मास में वार्षिक हुआ करेगा। और हिसाब समझाना उस साझी का कर्तव्य होगा जिस के अधिकार में खाता और रोकड़ रहेगी।

(८) समस्त साझी हानि लाभ के सहन कर्ता प्रथम नियम लिखित भागों के अनुसार होंगे।

(९) साझे के व्यापार में लाभ का रुपया समस्त साझियों की सम्मति के अनुसार बटा करेगा। या कुछ भाग बाटा जायगा और कुछ भाग जमा होता रहेगा और जो कुछ जायदाद आदिक साझे की पूंजी से पैदा होगी वह समस्त साझियों की मिलकियत साझे के भागों के अनुसार होगी।

(१०) सब साझी और उन के दायभागी व स्थानापन्न और प्रति निधि वर्ग इस प्रतिज्ञापत्र की समस्त प्रतिज्ञाओं के पालन कर्ता होंगे। और दस साल की अवधि तक जब तक कोई प्रत्यक्ष बेईमानी या दुष्कर्म किसी साझी का न पाया जावेगा, साझा

तोड़ने का किसी साझी को अधिकार न होगा इस लिये यह साझा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ताक्षर गवाह आदि

दूसरा

दूसरा साझा पत्र

राजाराम	प्रण कर्त्ता नं० १	पहला पक्ष
मोहनलाल	प्रण कर्त्ता नं० २	दूसरा पक्ष
माधो प्रसाद	प्रण कर्त्ता नं० ३	तीसरा पक्ष
बरकतुल्ला	प्रण कर्त्ता नं० ४	चौथा पक्ष
नई मुल्ला	प्रण कर्त्ता नं० ५	पाचवां पक्ष
बेनीराम	प्रण कर्त्ता नं० ६	छठा पक्ष

जोकि बहुत दिनों से हम प्रण कर्त्ताओं का विचार साझे में एक कारखाना कपास की उटाई व रुई की गांठ की खिचाई का स्थान हाथरस में आरम्भ करने का था और इसी निमित्त २ बीघा ७ बिसवा पक्की भूमि नं० ५४३ खाता खेवट नं० ५ महाल श्याम लाल कस्बे हाथरस में स्थित १३५०) में विक्रय पत्र ता० १६ जून सन् १९२० द्वारा माधो प्रसाद व बेनीराम प्रण कर्त्ता। नं० ३ व ६ के नाम से खरीदी गई। अब हम समस्त प्रण कर्त्ता उक्त भूमि पर आवश्यक मकान बनाकर और कल अ जन आदि लगा कर उक्त कार्य प्रारम्भ करना चाहते हैं। इस लिये यह निम्नलिखित साझा मेल बद्ध करते हैं।

(१) उक्त साझे में हम प्रण कर्ताओं का हिस्सा इस प्रकार ठहरा है।

न० १ राजाराम	न० २ मोहनलाल	न० ३ माधोप्रसाद	
=)	=)॥	≡)॥	
न० ४ बरकतुल्ला	न० ५ नईमुल्ला	न० ६ बेनीराम	जोड़
≡)	≤)॥—	≡)॥	१६ आना

(२) कुल पूजी साझे की कारखाने की स्थिति और चलाने के लिये डेढ़ लाख रुपये की ठहरी है यह हम सब साझी अपने२ हिस्से के अनुसार देंगे।

(३) जो भूमि विक्रयपत्र तारीख १६ जून सन् १९२० द्वारा मोल लागई है वह साझे की मिलकियत रहेगी और उसका मोल १३५०) माधोप्रसाद व बेनीराम अपने हिस्स की पूंजी में से मुजरा कर लें।

(४) कुल काम मैशीन खरीदने और इमारत बनवाने का मुशी बरकतुल्ला प्रणकर्ता न०,४ के प्रबन्ध और देखभाल में होगा जो पास शुदा इंजनियर और इस काम में अनुभवी हैं। परन्तु वह सब, साझियों को मैशीनों की खरीदारी और इमारत की तैयारी का हिसाब समझाने के जिम्मेवार होंगे।

(५) कारखाना बन जाने के पश्चात् मैशीन के चलाने और उसकी सफाई, और देख भाल आदि का काम मुशी बरकतुल्ला इंजनियर के सुपुर्द रहेगा, और कपास व रुई आदि के खरीदने व बेचने का सब काम लाला राजाराम करेंगे और वे ही मुख्य अधिष्ठाता साझे के कार बार के होंगे। और साझे का कुल काम उन के प्रबन्ध और देख भाल में होगा।

(६) साझे के काम में जो लाभ होगा उस में से साढ़े सात प्रति सैकड़ा मुंशी परकतुल्ला को और पांच प्रति सैकड़ा लाला राजाराम को उनकी सुधारक बदले में दिया जावेगा। और साढ़े बारह सैकड़ा रक्षानिधि में रहेगा शेष पचहत्तर सैकड़ा सब साझियों में उनके हिस्से के अनुसार बांट दिया जावेगा। और हानि होने की दशा में कुल साझी उसको अपने हिस्सों के अनुसार सहन करेंगे।

(७) लाला राजाराम अधिष्ठाता का कर्तव्य होगा कि साझे के कारखाने के हानि लाभ का सालाना हिसाब अन्तिम मास जून में बनाकर हर एक साझी के पास भेज दें और आवश्यकतानुसार उन को समझावें और उसके एक मास पश्चात् जो मुनाफे का रुपया हो उस को हिस्सों के अनुसार साझियों में बांट दें।

(८) हिसाब पहुंचने के पश्चात् सब साझियों की एक सालाना कमेटी हिसाब की जांच और साझे के अन्य कार्यों की देखभाल और विचारार्थ कारखाने की इमारत में हुआ करेगी जिसकी तारीख अधिष्ठाता या दूसरे साझी अन्य काम का विचार रखते हुए नियत करेंगे। उस कमेटी में जो आगामी साल के लिये कार्य प्रणाली माल के खरीदने और बेचने या और काम करने के लिये नियत की जायगी, उस पर मैनेजर (अधिष्ठाता) और इंजिनियर को चलना होगा।

(९) साझे के कार बार काल में जो रुपया साधारण मरम्मत व सफाई कारखाने में लगेगा वह साझे के खर्च खाते में डाला जावेगा परन्तु जो रुपया असाधारण मरम्मत या किसी नई मैशीन मंगाने या नई इमारत बनाने के लिये आवश्यक होगा वह रक्षानिधि से और उस फण्ड में रुपया न होने की दशा में साझे की रोकड़ से दिया जायगा।

(१०) साधारण कार बार रुई कपास व रुई की गांठ खिंचाई के अतिरिक्त यदि कोई अन्य नया काम साझे के मध्ये किया जावेगा

तो सब साझियों की बहुसम्मति अनुसार हो सकेगा परन्तु ब
सम्मति निश्चय करने में सम्मति देनेवाले साझी के हिस्सेके परिमा
ण पर विचार किया जायेगा। जो सम्मति अधिक परिमाण के हिस्
के साझियों की होगी वह माननीय होगी।

(११) मुंशी बरकतुल्ला इञ्जनियर और राजाराम मैनेजर अपन
काम सचाई और ईमानदारी से करने की दशा में अलग करने के
योग्य न होंगे। परन्तु उनकी बेईमानी या चोरी या बुरा कार्य निश्चय
होनेकी दशा में अन्य साझियों को उनके पृथक करने और उनकी
जगह अन्य मनुष्य बहुसम्मति अनुसार नियत करने का
अधिकार होगा। नया मैनेजर और नया इञ्जनियर उस वेतन
या मुनाफे का हिस्सा पाने का अधिकारी होगा जो साझी लोग उस
के नियत करते समय, बहुसम्मति से निश्चय करें। और वर्तमान
मैनेजर और वर्तमान इञ्जनियर मर जाने या काम करनेके अयोग्य
होजाने की दशा में भी यही रीति नये मैनेजर और नये इञ्जनियर के
नियत करने में काम में लाई जावेगी।

(१२) यदि कोई साझी अपना हिस्सा साझे के कारखाने का
बेचना या अन्य प्रकार परिवर्तन करना चाहे तो उसका कर्तव्य होगा
कि दूसरे हिस्सेदारों को एक मास का नोटिस देवे और उन के
अस्वीकार करने की दशामें वह अन्य मनुष्यके हाथ परिवर्तन करने
का अधिकारी होगा किसी साझी के इसके विपरीत कार्य करनेपर
साझियों को उक्त परिवर्तन पर हक्क शुफा प्राप्त होगा। एक से
अधिक हिस्सेदार शुफा करने और परिवर्तन लेनेके इच्छित होने
की दशा में परिवर्तन करने वाले का हिस्सा उन साझियों में उनके
हिस्सेके परिमाणानुसार बाटने योग्य होगा।

(१३) दस साल तक किसी साझी को साझा भंग करने का
अधिकार न होगा। दस साल की अवधि बीत जाने पर यदि कोई

साझी साझा तोड़ने का दावा दाइर करे तो दूसरे साझियों को अधिकार होगा कि वह उसका हिस्सा उचित मूल्य अदालत द्वारा खरीद लें। या हिस्सेदारों में उसका हिस्सा अदालत द्वारा नीलाम करावें और वह सब से अधिक मूल्य देनेवाले को दिया जावे।

(१४) इस साझे पत्र की समस्त प्रतिज्ञाओं का पालन करना हम प्रण कर्ता व हमारे दाय भागियों व स्थाना पन्नों व प्रतिनिधियों पर आवश्यक होगा। जो कोई साझी मर जावेगा उसके दायभागी उसके प्रतिनिधि और उसकी जगह मिलकर एक हिस्सेदार समझे जावेंगे और उनको सम्मिलित रूप में उक्त हिस्से के मध्ये साझे के अधिकार प्राप्त होंगे। इस लिये यह साझा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ता—————————————————हर गवाह आदि

लेखतिथि स्थान

वक़्फ़ (धर्मार्थ या पुण्यार्थ)

किसी चल या अचल सम्पत्ति को किसी मन्दिर, मसजिद, इमामबाड़े, अनाथालय, धर्मशाला या दूसरे पुण्यकार्य या परोपकार के काम में लगा देने को वक़्फ़ (पुण्य) कहते हैं। किसी जायदाद के पुण्य होजानेसे यह प्रयोजन होता है कि उसका स्वामी कोई मुख्य मनुष्य नहीं रहता और वह सर्वदा के लिये दायभाग के अयोग्य और उस पुण्य कार्य के अतिरिक्त जिसके लिये वह वक़्फ़ (पुण्य) की गई हो अन्य प्रकार से अपरिवर्तनीय होजाती है। जिस दस्तावेज़ के द्वारा इस प्रकार का पुण्य किया जावे वह पुण्य पत्र कहलाता है।

पुण्य की योग्यता और स्थिरता के लिये किसी मैनेजर अधि-
ष्ठाता, मुतवल्ली महन्त या किसी अन्य कमेटी का होना आवश्यक
है जिसके द्वारा उसका प्रबन्ध होसके, कभी पुण्यपत्र में समस्त
नियम पुण्य की हुई सम्पत्ति के प्रबन्ध अधिष्ठाता या मुतवल्ली के
नियत और पृथक करने और अन्य कार्य के विषय में लिखे होतेहैं
कभी मैनेजर और मुतवल्ली के नियत और अलग करने के विषय में
पृथक दस्तावेज लिखी जाती है। और उसमें उनके अधिकार पुण्य
का हेतु पूरा करने तकसीम बद्ध और नियत किये जाते हैं। और
अन्य उचित और आवश्यक विषय उसमें लिखे जाते हैं। इसप्रकार
की दस्तावेज बहुधा ट्रस्टीनामा कहलाता है। ट्रस्टीनामे अन्य
कार्यों के भी होते है।

पुण्यपत्र पर जो ट्रस्टकी परिभाषामें आताहै स्टाम्प जमीमा १
मद ६४ कानून स्टाम्प के अनुसार तमस्सुक की दर से पुण्य की
हुई जायदाद की मालियत पर लगता है। परन्तु यह नियम है कि
किसी दशा में १५) से अधिक स्टाम्प नहीं लगता।

पुण्यपत्र की जो अचल सम्पत्ति से जिसकी मालियत सौ रुपये
से अधिक हो सम्बन्ध रखताहो उसकी रजिस्ट्री होना आवश्यक है।

धर्मार्थ पत्र

मैंकि इनायतुल्ला बेटा खैरातुल्ला जाति शेख रहनेवाला कस्बा
हयातनगर जिला मुरादाबाद का हूं।

जोकि मेरे बाप ने मुहल्ला बाबूगंज शहर इलाहाबाद में एक
मसजिद पक्की बनवाई और उससे मिला हुआ एक इमामबाड़ा
बहुत सी लागत लगाकर बनवाया परन्तु दोनों के साधारण खर्चों
और स्थिति के लिये कोई प्रबन्ध न कर सके और उनका देहान्त
होगया उसी समय से मैं उक्त मसजिद व इमामबाड़े का कुल खर्च

उठाता हूं मसजिद में एक अजान देने वाला रहता है और बंधना बोरिया (चटाई) व हम्माम (स्नान गृह) आदि का भी खर्च होता है इमामबाड़े में एक झाड़ू लगाने वाले की नौकरी देनी पड़ती है और ताजियेदारी, मरसिया रवानी व फातिहा आदि अन्य खर्च भी होते हैं। मैं चाहता हूं कि उचित आमदनी की जायदाद वक्फ कर के उक्त मसजिद व इमामबाड़े से लगा दूं जिस से सदा के लिये उनका खर्च चलता रहे और उनकी स्थिरता व देख भाल हो सके, इस बात पर दृष्टि डाल कर स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि व इन्द्रियों की आरोग्यता की अवस्था में बिना किसी की बहकावट व फुसलावट तथा दबाव डालने व रुचि दिलाने के निम्न लिखित जायदाद का जो बिना किसी साझे व शरकत के मेरी मिल्कियत है। उसको उक्त मसजिद व इमामबाड़े के हितार्थ माल वक्फ (पुण्य सम्पत्ति) करार देता हूं। आज की तारीख से मुझ का या मेरे दाय भागियों स्थानापन्नों व प्रतिनिधियों का उक्त जायदाद के स्वत्व से कोई काम और सम्बन्ध नहीं रहा न आगे को होगा उक्त सम्पत्ति समस्त वाहिरी व भीतरी स्वत्व व अधिकार समेत बिना किसी स्वत्व व वस्तु के छोड़े सब की सब उक्त इमामबाड़े व मसजिद से सम्बन्धित पुण्यार्थ होगई। जब तक मैं जीता हूं उक्त सम्पत्ति का प्रबन्ध मुतवल्ली रूप से मैं करता रहूंगा और मेरे मरने के पीछे जो कोई मनुष्य मेरे कुल में सब से बड़ा और योग्य होगा वह मुतवल्ली नियत होगा, और यही क्रम आगे को मुतवल्ली नियत होने का जारी रहेगा, मेरा और प्रत्येक मुतवल्ली का जो मेरे पश्चात् नियत हो यह कर्तव्य होगा कि वह पुण्य सम्पत्ति का प्रबन्ध भले प्रकार कर के उसकी आमदनी से उक्त मसजिद और इमामबाड़े को स्थिर और स्थित रक्खे। और जो खर्च उक्त मसजिद व इमामबाड़े के सम्बन्ध में अब तक होता रहा है, वह

पेश करता रहे। जो आमदनी साधारण खर्च और असाधारण टूट फूट की मरम्मत करने के पश्चात् बचे उसको कंगालों व भिखारियों के पालन पोषण में खर्च करे। प्रत्येक मुतवल्लीका यह भी कर्तव्य होगा कि पुण्य सम्पत्ति का प्रबन्ध अत्यन्त ईमानदारी व सचाई के साथ करे, उनकी बेईमानी, चोरी या अन्य बुरा काम सिद्ध होने की दशा में वह पृथक्ता के योग्य होगा। और अन्य मुतवल्ली उपरोक्त नियमानुसार मेरे कुल से चुना और नियत किया जावेगा किसी मुतवल्ली को पुण्य सम्पत्ति के किसी प्रकार परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त न होगा।

इसलिये यह पुण्य पत्र लिख दिया कि सनद रहे।

परिशिष्ट (अ) पुण्य जायदाद का ब्योरा

हस्ता——————————दर गवा——————ह

गवा——————————ह लिखने की तारीख

स्थान

बकलम लेखक दस्तावेज

पुण्य पत्र व ट्रस्टीनामा

हमकि हरमुखराय बेटा लाला भगतराम व बसीधर बेटा उमरावलाल व छोटेलाल बेटे उक्त लाला हरमुखराय व मोती राम बेटा लाला दुलीचन्द जाति वैश्य अग्रवाल चूड़वाल रहने वाले व साहूकार कसबे हाथरस ज़िला अलीगढ़ के हैं।

जोकि तीन चौक वाली धर्मशाला और १२ नग दुकानें उक्त धर्मशाला से मिली हुई और एक नग हवेली उक्त धर्मशाल से लगी हुई यह सब इमारत पक्की बनी हुई उनके नीचे की भूमि सहित बाजार शामीघाट शहर मथुरा में स्थित (जिन का ब्योरा नीचे

परिशिष्ट (अ) में लिखा है) और एक बागीचा फलदार व मेफल के पेड़ों का कुआ व पक्के मकान व भूमि जिस में उक्त बागीचा लगा हुआ है सासनी दरवाजा नयागंज कसबे हाथरस में चुंगी की हद के अन्दर सिकन्दरा राऊ की सड़क के किनारे (जिसका ब्यौरा परिशिष्ट (ब) में दिया है) हमारी ओर से पुण्यार्थ चले आते हैं, और उक्त धर्मशाला व हवेली व बागीचा में यात्री लोग और आने जाने वाले मुफ्त ठहरते हैं। और उक्त धर्म शाला से लगी हुई दूकानों के किराये और बगीचा की आमदनी धर्मशाला और बागीचे के नौकरों की तनुखा और मरम्मत और पुण्य की जायदाद के अन्य आवश्यक कार्यों में खर्च होती है। उसके आगामी प्रबन्ध के लिये ट्रस्ट नामा लिखना आवश्यक है जिससे आगे को हमारे पीछे यह पुण्य कार्य का प्रबन्ध सदैव स्थित रहै और कोई मनुष्य दाय भाग द्वारा उसमें हस्तक्षेप न करे। इसलिये स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी प्रसन्नता और रुचि से इस पत्र-द्वारा प्रतिज्ञा करते है कि उपरोक्त कुल जायदाद मालियती लगभग अस्सी हजार रुपये की सर्व साधारण के उपकारार्थ पूर्व वत पुण्यार्थ रहेगी। और अपने जीवन तक क हैया लाल व मोती राम प्रण कर्ता साझे में व अलग २ अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता पुण्य की हुई जायदाद के रहेंगे। और उनके मरण पश्चात् पीढ़ी दर पीढ़ी लाला हरसुख राय के कुल से दो मनुष्य जो मुखिया और योग्य होंगे अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता होते रहेंगे और उन के न होने की दशा में या कुप्रबन्ध या चोरी या बेईमानी करने की अवस्था में उक्त लाला के खानदान वालों को अधिकार उनके पृथक करने और उस खानदान से अन्य मनुष्यों को अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता नियत करने का प्राप्त होगा।

अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता का उचित है कि पुण्य की हुई जायदाद की आमदनी, उक्त जायदाद की मरम्मत व दुरुस्ती

उस धर्मशाला के नौकरों की तनुखाह आदि और सर्व साधारण के उपकार के कामों तथा कंगालों के पालन में व्यय और खर्च करते रहैं। अपने निजी या किसी अन्य काम में खर्च न करें और किसी दशा में हम को, और हमारे दाय-भागियों, स्थाना पन्नों व प्रति निधियों को उक्त जायदाद के परिवर्तन का अधिकार रहन, बिक्री दान व श्राद्ध आदि के प्राप्त न होगा न कोई भार किसी ऋण या झगडे का पुण्य सम्पति पर पडेगा। यदि कोई मनुष्य उपरोक्त पुण्यार्थ सम्पत्ति पर किसी प्रकार का दावा या तलब करे या हम प्रण कर्ता या हमारे दाय भागी या स्थानापन्न या प्रतिनिधि वग कोई परिवर्तन किसी प्रकार का उक्त समस्त जायदाद या उसके किसी भाग के मध्ये किसी मनुष्य के नाम करे तो वह इस दस्तावेज के सामने अनुचित व झूठा होवे।

इसलिये यह ट्रस्टी नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यक्ता के समय काम आवे।

परिशिष्ट (अ) परिशिष्ट (ब)

हस्ताक्षर व गवाहियाँ—स्थान, लेख तिथि लेखक

पुण्य पर पुण्य

हम कि कन्हैया लाल बेटा ला० हरिसुख राय व मोतीराम बेटा ला० दुलीचन्द व वंसीधर बेटा ला० उमराव लाल व मुसम्मात गोमती कुवँर विधवा ला० छोटेलाल मालिकान दूकान लाला हरिसुखराय दुलीचन्द्र जाति वैश्य अग्रवाल चूड़ीवाले साहूकार व रईस कस्बा हाथरस जिला अलीगढ़ के हैं।

जो कि तीन चौक वाली धर्मशाला और १३ नग दूकानें उक्त धर्मशाला से मिली हुई और एक नग हवेली उक्त धर्मशाला से

लगी हुई यह सब-इमारत पक्की बनी हुई उनके नीचे की भूमि सहित, बाजार शामीघाट शहर मथुरा में स्थित (जिन का ब्यौरा नीचे परिशिष्ट (अ) में लिखा है) और एक बागीचा फलदार व व फल क पेड़ों का कुआ व पक्के मकान व भूमि जिस में उक्त बागीचा लगा हुआ है, सासनी दरवाजा नया गंज कसबे हाथरस में चुंगी की हद के अन्दर सिकन्दरा राऊ की सड़क के किनारे (जिसका ब्यौरा परिशिष्ट (ब) में दिया हुआ है। दूकान लाला हर सुखराय दुलीचन्द के मालिकान की ओर से सर्व साधारण के परोपकारार्थ पुण्य चली आती है। और उस के आगामी प्रबन्ध के लिये उक्त दूकान के मालिकान की ओर से एक ट्रस्टी पत्र ८ जून सन् १९०७ को लिखा जाकर उसी मास की १६ तारीख को रजिस्ट्री हो गया है। और उक्त पत्र के नियमानुसार कार्य चल रहा है। और उसी पत्र के अनुकूल हमें कन्हैयालाल व मोतीराम प्रबन्धकर्ता अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता उक्त सम्पत्ति के साझे में और अलग २ हैं चूँकि उक्त जायदाद की आमदनी हम को कम प्रतीत हुई इसलिये हमने निम्न लिखित जायदाद मालियती ६५००) रुपये जिसके सरकार-को उक्त पुण्यार्थ धर्मशाला और बागीचा से लगाकर पूर्व पुण्य-की हुई जायदाद के सम्मलित कर दिया है। और निम्न लिखित विवरण अनुसार धर्मशाला और बागीचा से लगा दिया है इसलिये प्रतिज्ञा करते हैं और लिखे देते हैं कि जायदाद परिशिष्ट (अ) में इस पत्र के नीचे लिखी हुई उपरोक्त पूर्व ट्रस्टी पत्र लिखित पुण्य सम्पत्ति में सम्मिलित रहेगी। और उसके भी अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता उक्त लाला कन्हैयालाल व मोतीराम साझे में और अलग अलग उक्त ट्रस्टी पत्र के नियमानुसार रहेंगे। और इस जायदाद के विषय में भी उक्त ट्रस्टी पत्र के नियम हम को और हमारे स्थानापन्नों और उत्तराधिकारियों को माननीय होंगे। और यह पत्र उक्त पूर्व ट्रस्टी पत्र का एक अंग समझा जावेगा। और

उक्त पूर्व ट्रस्टी पत्र के जिन नियमों के अनुसार पूर्व पुण्यार्थ जायदाद की आमदनी खर्च होती है उन्हीं नियमों के अनुकूल इस पत्र में लिखी हुई जायदाद की आमदनी खर्च होती रहेगी। हमको और हमारे दायभागी और स्थाना पन्नों को उक्त जायदाद से कुछ सम्बन्ध और स्वत्व किसी प्रकार का नहीं रहा और न आगे को होगा।

इसलिये यह ट्रस्टी पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब)

परिशिष्ट (ज)

हस्ताक्षर—गवाही, स्थान, लेख, तिथि, लेखक।

ट्रस्टी पत्र

हमकि-कन्हैयालाल बेटा-लाला हरमुखराय व मुसम्मात भगवानदेवी विधवा रामनरायन जाति वैश्य अग्रवाल रहनेवाले कसबे हाथरस जिला अलीगढ़ के हैं।

जोकि रामनारायन मुफ कन्हैयालाल के सगे भतीजे और मुफ भगवानदेवी के पति ने ५००००) रुपये हाथरस जिला अलीगढ़ में एक अनाथालय बनवाने और उसको चलाने के लिये पुण्यार्थ कर के हम प्रणकर्ताओं को निष्ठा की थी कि हम प्रणकर्ता उस अभीष्ट की पूर्ति के लिये एक उचित कमेटी नियत करदें। और उस के लिये आवश्यक नियम बनादें जिससे उक्त कमेटी पुरुष के मनोरथों को भले प्रकार पूरे करती रहे।

हम प्रणकर्ता उक्त पुरुष और निष्ठा को स्वीकार कर के उस निष्ठा के अनुसार नीचे लिखे मनुष्यों की कमेटी नियत करते हैं। और उसके लिये नियम निश्चय करते हैं।

(१) अनाथालय का नाम "छोटेलाल रामनरायन अनाथालय हाथरस" होगा।

(२) उक्त अनाथालय का प्रबन्ध एक कमेटी के हाथ में रहेगा जिस के सभासदों की संख्या ६ होगी। और इस समय हम इस पत्र के नीचे लिखे परिशिष्ट (अ) के मनुष्योंको सभासद नियत करतेहैं।

(३) ६ सभासदों में से लाला कन्हैयालाल अपने जीवन पर्यन्त उक्त कमेटी के प्रधान रहेंगे। इनके सिवाय शेष सभासदों में से एक मंत्री और एक कोषाध्यक्ष सभासदों के बहु पक्षाऽनुसार चुना जावेगा।

(४) विविधि पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार वह होंगे जो कमेटी अपने अधिवशनों में बहु पक्षाऽनुसार निश्चय करे परन्तु वह इस पत्र के अभिप्राय और अर्थ के प्रतिकूल न होंगे।

(५) कमेटी को अपने सभासदों की संख्या न्यूनाधिक करने का अधिकार प्राप्त न होगा। परन्तु शर्त यह है कि अपने जीवन पर्यन्त लाला कन्हैयालाल व लाला यसोधर उक्त कमेटीके सभासद रहेंगे। और उनके पश्चात् पीढ़ी दर पीढ़ी दो मनुष्य जो योग्य हों हमारे कुलमें कमेटी के सभासद होते रहेंगे। और किसी जलसे का कोरम पूर्ण करने के लिये दोतिहाई सभासदों की उपस्थिति पर्याप्त होगी। और सम्पूर्ण कार्य बहु पक्षाऽनुसार निश्चय हुआ करेंगे और समान सम्मति भेद होने पर प्रधान की दो सम्मति होंगी।

(६) सिवाय हमारे कुल के सभासदों के चुनाव हर तीसरे साल कमेटी के सभासदों के करगा। यदि कोई सभासद [illegible] या

से काम न कर सके या त्यागपत्र देदे या किसी अपराध करने के कारण कमेटी उसको सभासद रखना चाहे तो अन्य योग्य पुरुष उसकी जगह बहु पक्षाऽनुसार चुना जावेगा।

(७) पचास हजार ५००००) रुपये में से दसहजार १००००) रुपये तक इमारत बनाने में खर्च किया जावेगा और शेष चालीस हजार ४००००) रुपये की आमदनी से अनाथालय का खर्च चलाया जावेगा।

(८) कमेटी को अधिकार होगा कि पुण्यार्थ रुपये को किसी सुरक्षित बैंक में जमा करे या कोई अचल सम्पत्ति मोल लेले मूल धन चालीस हजार ४०००८) रुपये में से किसी अंशके खर्च करने का कमेटी को अधिकार नहीं होगा।

(६) कमेटी को अनाथालय के चलाने और प्रबंध करने निमित्त नियम बनाने का और उनको समय समय पर बदलनेका भी अधिकार होगा और वह विशेष काम के लिये व प्रबन्ध के निमित्त सब कमेटी बना सकेगी।

(१०) अनाथालयमें हिन्दू बालक लिये जावेंगे जहांतक कि समाई हो।

(११) लड़के १६ साल की अवस्था तक व लड़कियां १४साल की आयु तक अनाथालय में रक्खी जावेगी, लड़कियों के बिवाह के लिए उचित प्रबन्ध जहां तक होसकेगा कमेटी करेगी।

(१२) लड़के व लड़कियों को पालन कालमें प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य दीजावेगी और उनको कोई ऐसा उद्यम अवश्य सिखलाया जावेगा जिससे वह अनाथालय से निकलने के पश्चात् अपना निर्वाह उचित रीति से कर सकें।

(१३) अनाथों के खान पान व शारीरिक स्वास्थ व पालन पोषण तथा चिकित्सा के विषय में कमेटी उचित प्रबन्ध रक्खेगी।

(१४) भगवानदेवी नामी प्रण करने वाली उक्त अनाथालय की पैट्रन (पालक) रहेगी।

(१५) कमेटी को अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी रजिस्ट्री नियमाऽनुसार कराले और कुल जायदाद अपने नाम से खरीद करे।

(१६) इस प्रतिज्ञा पत्र का पालन करना हम प्रण कर्ता और हमारे दायभागी और प्रतिनिधियों का आवश्यक कर्तव्य होगा।

इस लिये यह ट्रस्टी पत्र लिख दिया कि सनद रहे।

परिशिष्ट (अ) सभासदों के नामों का ब्यौरा

(१) लाला कन्हैयालाल बेटा लाला हरसुखराय चूड़ीवाल साहू हाथरस

(२) लाला यशोधर बेटा लाला उमरावलाल चूड़ीवाल साहू हाथरस

(३) लाला मुन्नूलाल बेटा सेठ बेनीराम चूड़ीवाल साहू हाथरस

(४) सेठ चिरंजीलाल बेटा लेपालक पुत्र लाला मोहनलाल चूड़ीवाल साहू हाथरस

(५) लाला बाबूलाल बेटा लाला किशनलाल चूड़ीवाल साहू हाथरस

(६) डाक्टर किशनप्रसाद बेटा बाबू चुन्नीलाल ब्राह्मण कस्बा मंडू।

(७) बाबू विद्याप्रसाद वकील अदालत मुंसिफी हाथरस

(८) लाला खुंचलाल बेटा लाला तुलसीप्रसाद रईस सिकन्दरा राऊ

(९) बाबू श्रीराम मैनेजर अनाथालय आगरा।

दस्ताक्षर गवाह गवाह

लेख तिथि स्थान

दस्तावेज़ लेखक

बटवारा

जो जायदाद एक से अधिक मनुष्यों की मिलकियत हो वह साझे की सम्पत्ति कहलाती है। एक या कई साझे की जायदादों को उसके विधिधि हिस्सेदारों में बांटने को बटवारा कहते हैं। जिस दस्तावेज़ के द्वारा इस प्रकार का बाट या बटवारा कार्य रूप में आवे वह विभाग पत्र या बटवारा पत्र कहलाती है।

विभाग पत्र पर स्टाम्प तमस्सुक की दर से अलग किये हुए हिस्से या हिस्सों की मालियत पर लगता है। परन्तु विशेष नियम यह है कि यदि अलग किया हुआ हिस्सा या हिस्से और बचे हुए हिस्से की मालियत में अन्तर हो तो बिना विचार इस बात कि कौन हिस्सा अलग हुआ है और कौनसा बच रहा है स्टाम्प सब से अधिक मालियत के हिस्से के मूल्य के विचार से देना होगा यदि हिस्से समान मालियत के हों तो एक हिस्से की मालियत पर स्टाम्प लगता है।

स्टाम्प के प्रयोजन के लिये विभाग पत्र में हर ऐसा पत्र सम्मिलित है जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के स्वामी उसका बटवारा करें या अलग अलग करने की प्रतिज्ञा करें और तब

ऐसा पचांयती निवटारा भी सम्मिलित है जिसमें बाटने की आशा की गई हो परन्तु जब किसी बटवारे के विषय में पहले प्रतिज्ञा पत्र बाट करने के लिये लिखा जा चुका हो और उस पर स्टाम्प लग चुका हो और फिर उस प्रतिज्ञा पत्र के अनुकूल बटवारा होवे तो पिछले बटवारा पत्र पर स्टाम्प पहले दिये स्टाम्प की क़ीमत काट कर लगता है। परन्तु किसी अवस्था में आठ आने से कम का स्टाम्प नहीं लगता।

(मद ४५ जमीमा १ कानून स्टाम्प)

विभाग पत्र अचल सम्पत्ति का जिसकी मालियत सौ १००) रुपये से अधिक हो रजिस्ट्री होना आवश्यक है।

विभाग पत्र

हमकि रामसहाय बेटा रामरतन व केवलराम, बेटा इन्द्रमन व मोहनलाल बेटा देवीसहाय जाति वैश्य चूड़ूवाल रहने वाले कसबे सादाबाद जिला मथुरा के हैं

जोकि हम प्रणकर्ताओं की विविध पैत्रिक चल व अचल सम्पत्ति साझे की हैं जिसमें हम तीनों पक्षों का एक २ तिहाई बराबर २ हिस्सा है इसके अतिरिक्त बहुत सी जायदादें हम लोगों ने पैत्रिक सम्पत्ति की सहायता तथा अपने भुजबल से साझे में पैदा की हैं और वे कुल जायदादें पैत्रिक सम्पत्ति की नाईं हम लोगों की साझे की मिलकियत बराबर २ हैं। साझे की जायदाद के काममें लाने और मुनाफे के मध्ये हम प्रणकर्ताओं में झगड़े रहते हैं। शंका है कि जायदाद डूब जावे। इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक कारखाना पेच रुई का स्थान सादाबाद में समान भाग से साझे में चलता

था। यह भी झगड़ों के कारण एक साल से बन्द है। और उसीके सम्बन्ध में बहुत सी इमारत और मेशनरी के अतिरिक्त बहुत सा लैन दैन है जो उक्त कारखाने के बहीखातों में लिखा है। कारबार बन्द हो जाने के कारण उस में बड़ी हानि हो रही है, आपस के सुभीते के विचार से अपने इष्ट मित्रों और शुभचिन्तकों के समझाने पर हम लोगों ने हर प्रकार की साझे की जायदाद के तीन कुरे समान मालियत के तैयार करके आपस में बांट लिये। कुरा, नं० १ मुझ प्रणकर्ता नं० १ के हिस्से में आया है। और इसी प्रकार कुरे नं० २ व ३ अलग अलग प्रणकर्ता नं० २ व ३ के हिस्से में आये हैं।

कुरों का विवरण इस पत्र में नीचे लिखा है। आज की तारीख़ से जो कुरा जिस पक्ष के हिस्से में आया है वह उसका स्थिर स्वामी है। किसी पक्ष वाले को दूसरे पक्ष के कुरे से कोई सम्बन्ध और प्रयोजन नहीं है न आगे को होगा, जो जायदाद जिस पक्ष के हिस्से में लगाई गई है उसके मध्ये समस्त कानूनी स्वत्वों का वह पक्ष अधिकारी है और जो भार किसी जायदाद पर है या आगे को निकले वह भी उस पक्ष के ऊपर रहेगा जिसके हिस्से में कि जायदाद इस विभागपत्र द्वारा पहुंची है। बटी हुई जायदाद की मालियत पच्चीस हज़ार २५०००) रुपया है इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य साझे की जायदाद हम तीन पक्षों की निकले तो उसके सब पक्ष समान भाग से मालिक होंगे।

इसलिये यह विभाग पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यक्ता के समय काम आवे।

कुरा नं० १	कुरा नं० २	कुरा नं० ३
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
गवाह	गवाह	
लेख तिथि	स्थान	

लेखक विभाग पत्र

विभाग पत्र

हमें कि अहमद हुसैन बेटा व मुसम्मात सई दुन्निसा व जैन दुन्निसा बेटिया व मुसम्मात कुलसुमुन्निसा विधवा हुसैन बख्श जाति मुगल रहने वाले कसबे सआदत गंज मुहल्ला रंगमहल ज़िले अहमदाबाद के हैं।

जोकि हमारे पुरखा हुसैन बख्श जुनऊ और रहायशी जायदाद लग भग १००००) की छोड़कर तीन साल बीते मर गये और हम प्रणकर्ताओं को अपनी जायदाद का दायभागी शरअ के अनुसार छोड़ा मृत सम्पत्तिमें मुझ प्रणकर्ता न० १ बत्तीस सिहाम में से १४ सिहाम और हम प्रण कर्ता न० २ और ३ के सात २ सिहाम और मुझ प्रण करने वाले न० ४ के ४ सिहाम होते हैं। हम प्रण कर्ताओं में साझे के कारण झगड़े रहते हैं और हर पक्ष अपने जायदाद के हिस्से से पूरा और उचित लाभ नहीं उठाता। झगड़ों के निबटानेके विचार से अपनी प्रसन्नता से हम प्रण कर्ताओं न मृत सम्पत्ति को नीचे लिखे हुए चार कुरों पर जो मालियत में हमारे शरअ हिस्सों के अनुसार हैं बांट कर लिया कुरा न० १ का मालिक आज की तारीख से प्रण कर्ता न० १ और न० २-३-४ के कुरों के मालिक आज की तारीख से क्रम से न० २ व ३ व ४ हुए और हर एक पक्ष अपने २ कुरे पर अधिकारी और काबिज़ हो गया अब किसी पक्ष को दूसरे पक्ष के कुरे से कोई सम्बन्ध और प्रयोजन नहीं रहा। और न आगे का होगा जो जुतऊ भू सम्पत्ति जिस पक्ष के हिस्से में आई है उस को चाहिये कि अपना नाम सरकारी कागज़ों में लिखा लेवे। दूसरे पक्ष को कोई आक्षेप व विरोध इस विषय में न होगा। दैन महर मुझ प्रण करने वाली न० ४ का मासन्य मृत हुसैनबख्श अपने जीवन में अदा कर चुके थे। उसके

मध्ये कोई भार बटी हुई जायदाद पर नहीं है। और हम प्रण कर्ताओं के विश्वास व ज्ञान में कोई भार या ऋण हमारे पुरखा का पैदा किया हुआ या अन्य प्रकार का नहीं है। यदि दैवात् कोई भार या ऋण निकले और किसी पक्ष को भुगताने पड़े तो भुगतान करने वाला पक्ष दूसरे पक्षों के हिस्सों के अनुसार उन से लैनदार होगा बटी हुई जायदाद के अतिरिक्त अन्य धन सम्पत्ति निकले तो हम प्रण कर्ता बराबर हिस्सों के अनुसार उस के लैनदार और स्वामी होंगे बटवारे की तारीख से बटी हुई जायदाद के मुनाफे का हिसाब आपस में हो गया। आगे अपनी जायदाद का मुनाफा हर एक हिस्सेदार उघावेगा। ज़मीदारी का लगान और रहायशी सम्पत्ति के किराये की उघाई जो अब तक शेष है उसके मध्ये यह ठहरा है कि जो जायदाद जिस पक्ष के हिस्से में गई हैं वह प्राप्त कर लेवे और उस के मध्ये लेख हर एक हिस्से वाले को दे दिये गए हैं। यदि एक पक्ष की उघाई किसी दूसरे पक्ष का वसूल करना निश्चय हो तो अधिकारी पक्ष वसूल करने वाले पक्ष से उसका लैनदार होगा इसलिये यह विभाग पत्र लिख दिया कि सनद रहे और आवश्यकता के समय काम आवे।

कुरों का व्यौरा

कुरा न० १ अहमद हुसैन के हिस्से में।	कुरा न० २ सईदुन्निसा के हिस्से में
कुरा न० ३ जैनबुन्निसा के हिस्से में	कुरा न० ४ कुलसुमुन्निसा के हिस्से में

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

गवाह गवाह

स्थान लेख तिथि

लेखक

अधिकार पत्र

यह पत्र जिस के द्वारा एक मनुष्य किसी दूसरे मुख्य मनुष्य या मनुष्यों को अपने लिये और अपने नाम में काम करने के लिये नियत करता है अधिकार पत्र कहलाता है। यदि नियत करना किसी एक या एक से अधिक निश्चित कार्य्यों के लिये होता है तो वह मुख्य या विशेष अधिकार पत्र कहलाता है और जो मुख्य प्रकार के कार्य्यों के लिये नियत करना सर्वत्र होता है उसको सर्वाधिकार पत्र कहते हैं—

स्टाम्प। मद ४८ जमीमा १ कानून स्टाम्प के अनुसार निम्न लिखित लगता है

(अ) जब केवल इस तात्पर्य से कि एक या एक से अधिक दस्तावेज एक ही व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले की रजिस्ट्री कराई जावे। या वास्ते स्वीकारी लिखने एक या एक से अधिक ऐसी दस्तावेजों के लिखा जाये ॥)

(ब) जब खफीफे की नालिशों में प्रेसीडेंसी शहरों में ऐक्ट सन् १८८१ के अनुसार दाखिल करने के लिये आवश्यका हो ॥)

(ज) जब उसके द्वारा एक या एक से अधिक मनुष्यों को एक ही व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य करने का अधिकार दिया जावे मद (अ) को छोड़ कर १)

(द) जब उसमें अधिकार दिया जावे कि पांच या पांच से कम मनुष्य एक से अधिक व्यवहारों में या साधारणतया मिलकर और अलग २ कार्य करें ५)

(ह) जब उस में अधिकार दिया जावे कि कुछ मनुष्य जिनकी संख्या पांच से अधिक हो परन्तु दस से अधिक न हो एक

अधिक व्यवहारों में या साधारणतया मिलकर और अलग २ कार्य करें १०)

(थ) जब किसी बदल के बदले में लिखा जावे और अधिकारी को किसी अचल सम्पत्ति के बै करने का अधिकार दिया जावे रसूम वे नामे की दर से उस जायदाद की मालियत पर जो बै करनी हो।

(स) किसी और अवस्था में १)

मुख्य अधिकार पत्र

मैं कि मनोहरलाल बेटा लाला नथमलदास जाति वैश्य सरावगी पेशा आढ़त कपडा रहने वाला मुहल्ला धर्म पुर शहर देहली का हूं। जो कि एक नालिश नम्बरी ४३१ सन् १९१८ अदालत सब जजी शाहजहांपुर में फर्म राम सुखदास प्यारेलाल की ओर से मुझ प्रण कर्ता के नाम विचाराधीन है और मैं व्यापारिक कार बार के कारण उस की दौड धूप करने से लाचार हूं। इसलिये मैं अपनी ओर से लाला ज्योतीप्रसाद बेटा लाला बनारसीदास जाति वैश्य सरावगी शहर देहली निवासी और गोरधन लाल बेटा शिवचरन लाल जाति ब्राह्मण शहर मेरठ निवासी को अपना मुख्याधिकारी नियत करके अधिकार देता हूं कि उक्त नालिश में उपरोक्त दोनों मुख्याधिकारी मेरी ओर से किसी वकील बेरिस्टर या अन्य कानून पेशा को नियत करें। बयानातहरीरी (अभियोग उत्तर) पर मेरी ओर से तसदीक (सही) लिखें और उसको दाखिल करें।

कागजात या अन्य लिखित प्रमाणों को तलब करायें या पेश करें या वापिस ले या प्रश्नोत्तर करें सुलहनामा (सधिपत्र) राजी

नामा (मेल पत्र) स्थगित पत्र या नियुक्ति पत्र देवें या पचायत का प्रतिज्ञा पत्र दाखिल करें या पचायत स्वीकार करें वकील और बैरिस्टर को मिहन्ताना देवें और उसको प्रमाणित करें या अन्य बयान हल्फी (सशपथ कथन) देवें या बयान लिखावें या अन्य कोई दरख्वास्त किसी विषय की पेश करें या कोई रुपया किसी मुक़द्दमे के सम्बन्ध में दाखिल करें या वापस लें और मुक़द्दमा जीत जाने पर डिगरी का जारी करावें और दरख्वास्त इजराय पर मेरे हस्ताक्षर अपनी लेखनी से लिखें और उसको प्रमाणित करें और इजराय डिगरी का रुपया वसूल करें और उसके सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही हो करें, सब किया हुआ उक्त मुख्तारों का अपने किये समान स्वीकार और अंगीकार है।

इसलिये यह मुख्य अधिकार पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आवे।

हस्ताक्षर व साक्षी आदि।

सर्वाधिकार पत्र

मैं कि सोहनलाल बेटा प्यारेलाल जाति कायस्थ भटनागर रहने वाला मलीहाबाद जिला लखनऊ का हूँ।

जो कि बहुत से मुक़द्दमे मेरी ओर से और मेरे नाम दीवानी फ़ौजदारी व कलक्टरी आदि की अदालतों के ब्रिटिश इंडिया में और उस के बाहिर रहते हैं और मैं दूसरे कारबार के कारण स्वयं उनकी पैरवी नहीं कर सका, इस लिये मैं अपनी ओर से रामचन्द्र बेटा ...राम जाति वैश्य अलीगढ निवासी को इस अधिकार पत्र द्वारा अपना सर्वाधिकारी नियत ... उक्त अधिकारी

मुकद्दमों में जिनमें मेरा पक्ष हो माल व फौजदारी व दीवानी की अदालतों से हाईकोर्ट व साहिबान बोर्ड की अदालत तक और डाकखाना व रेलवे व आबकारी व नहर व नमक बन्दोबस्त के महकमों में तथा श्रीमान् गवरनर व गवरनर जनरल बहादुर की सेवा में उपस्थित होकर हर प्रकार की पैरवी (यत्न) मेरी ओर से करे और उक्त पैरवी के निमित्त कोई मुख्तार वकील या वैरिस्टर नियत करे उनको मिहनताना देवे और उसको प्रमाणित करे कोई बयान तहरीरी (लिखित कथन) या अन्य दस्तावेज मेरी ओर वाले पर हस्ताक्षर करे या प्रमाणित करे या कोई प्रश्नोत्तर करे या कोई दस्तावेज दाखिल करे या वापस लेवे या इजराय डिगरी कराने या डिगरी का रुपया या अन्य मेरा लेना रुपया वसूल करे या मेरी ओर से कोई रुपया दाखिल करे या किसी मुकद्दमे में पञ्चायती दरख्वास्त देवे या आपस का निबटारा करे या इकबाल दावा या त्याग पत्र पेश करे या नीलाम खरीदे या जमींदारी के गावों में किसी प्रकार का रुपया काश्तकारों मुआफीदारों ठेकेदारों अथवा किसी अन्य से वसूल करे और अपनी रसीद देवे या लगान की तहसील या तशखीस नियत करावे या बटवारा करावे या कुरा डलवावे या आसामियों के नाम पट्टे लिखे या बेदखली की नालिश दाइर करे या खुद इख्तियारी (स्वाधीन) कुरकी व्यवहार में लावे तात्पर्य यह कि समस्त आवश्यक कार्यवाही कार्य में लावे वह सब उक्त सर्वाधिकारी का किया और बनाया हुआ मुझको अपनी मुख्य व्यक्ति के सदृश स्वीकार व अंगीकार है।

इस लिये यह सर्वाधिकार पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यक्ता के समय काम आवे।

सर्वाधिकार पत्र

हम कि पंडित भैरवदत्त व पंडित टीकाराम व पंडित गुरुदत्त, बेटे श्री महाराज पंडित अम्बादत्त व पंडित गणेशदत्त बेटा उक्त पंडित भैरवदत्त जाति ब्राह्मण पर्वती रहने वाले कसबे अनूपशहर ज़िला बुलन्दशहर के हैं।

जो कि बहुत से मुकद्दमे व मुआमले (काम काज) हमारी ओर से और हमारे नाम ब्रिटिश इंडिया के भीतर व बाहिर सरकारी राज्य के हर स्थान व अहाते की समस्त अदालतों दीवानी व माल व फौजदारी व हाईकोर्ट और अन्य सब महकमों व सरिश्तों व दफ्तरों तथा अधिकार प्राप्त हिन्दुस्तानी रियासतों में दायर होते रहते हैं और स्वयं उनकी पैरवी व जवाबदिही से हमारे वैद्यक आदि कि अन्य कार्य में हानि होती है इससे हमने अपनी ओर से गौरीशंकर बेटा राधेलाल जाति कायस्थ पेशा नौकरी रहने वाले अनूपशहर जिला बुलन्दशहर को अपना सर्वाधिकारी नियत किया।

प्रतिज्ञा निम्न लिखित यह है।

(१) यह कि उक्त अधिकारी उपरोक्त किसी अदालत या महकमा या सरिश्ता या दफ्तर या प्रारम्भिक अधिकार वाली (अदालत) में या अपील में हमारी ओर से हाज़िर (उपस्थित) हो या कोई काम या पैरवी या कार्यवाही या जवाबदिही या उज्र दारी या सवाल जवाब करे या कोई नालिश या दरख्वास्त या इस्तिगासा या अपील या निगरानी या तजवीज़ सानी अक्साम दीवानी या माल या फौजदारी में या कोई और अर्ज़ी या सवाल या दरख्वास्त किसी प्रकार या आशय को दायर करे या गुज़राने या उसकी जवाबदिही करे या कोई अर्ज़ी दावा या बयान तहरीरी

दरखास्त इजराय डिगरी, या किसी और दरख्वास्त या कागज हमारे दरखास्त करे या इवारत तसदीक लिखे या उन को दाखिल करे या पेश करे या वापस ले और आवश्यकता के समय उस में तरमीम या संशोधन करे या कोई सर्टिफिकेट लिखे या उस को प्रमाणित करे, या किसी बेरिस्टर या वकील या मुख्तार या रेवेन्यू एजेन्ट अदालत को या किसी विशेष कार्य या काम के लिये किसी और पुरुष को मुख्याधिकारी नियत या पृथक करे या वकालतनामा मुख्तार नामा खास (मुख्याधिकार पत्र) लिखे या रजिस्टरी कराये या हिदायत करे या मिहनताना चुकाये या उसको प्रमाणित करे या कोई कागज या शहादत (साक्षी) या दस्तावेज दाखिल या पेश करे या वापस ले या तलब कराये या इजहार गुजारे, या दूसरे पक्ष से सवाल करे या कोई दरख्वास्त नकल या मुआइने की देवे और नकल हासिल या मुआइना करे (देवे)

(२) यह कि हमारे जमींदारी के गावों में हर एक जायदाद का कार्य का स्वयम् उचित रीति से प्रबन्ध करे और खेती कराने और लगान बढ़ाने के लिये वह कुल काम जो राजनीति अनुसार और हमारे लाभ दायक हो परिश्रम और प्रयत्नसे करे या आसामियों या और मनुष्यों से हमारा लेना रुपया वसूल करे या रसीद दे या हमारे प्राप्त करने योग्य लगान में आसामियों की पैदावार स्वयं कुर्क करे या दूसरे को लिखित आज्ञा कुर्क करने की दे और उक्त कार्य कुर्की और नीलाम के सम्बन्ध में राजनीति अनुसार करे और कुल नालिशें और दरख्वास्तें कानून कर्ज राजी और कानून माल गुजारी के अनुसार जो उस समय प्रचलित हों दाइर करे और देवे। इत्तलानामा बेदखली पर हस्ताक्षर करे या कोई नोटिस या इत्तलानामा कानूनी दे।

(३) किसी मुकद्दमे इब्तिदाई (प्रारम्भिक) या अपील या इजराय डिग्री में राजीनामा या सुलहनामा (सन्धि पत्र) या साजदावा या दस्तबरदारी या पचायत को सपोर्द करे या स्वीकार करे या किसी का पंच या सरपंच को नियत या नियुक्त (नामजद) करे या फैसिला सालिसी या पंचायत को (नियटारा) को जारी कराने या कोई उज्र (प्रतिवाद) या आक्षेप करें या किस्त बन्दी या किसी जायदाद का कुछ समय का परिवर्तन स्वीकार या अंगीकार करे या नम्बरदार या पटवारी या मुखिया या चौकीदार के नियत होने में स्वीकारी दे या विरोध करे या विरुद्ध लिखने या जमानत मुजिरिमाना या मुचलका या जमानत नेक चलनी या हिफ्ज अमन (शान्ति रक्षा) किये जाने की शिकायत या इस्तिगासा करें या किसी शिकायत या इस्तिगासे की जवाबदिही करे या सफीना या इत्तलानामा या हुक्मनामा जो हमारे नाम हो लेकर उस पर रसीद या इत्तलायाबी लिखे।

(४) दरख्वास्त इजराय डिग्री या उसके सम्बन्ध में हर प्रकार की और दरख्वास्त पेश करे या और कोई कार्यवाही इजराय डिग्री की करे या कोई जायदाद कुर्क या नीलाम कराये और इजाजत लेकर नीलाम में डिग्री के मतालबे तक बोली बोलकर उसको हमारे वास्ते खरीद करे और मतालबा डिग्री में रसीद दाखिल करे या और कोई जायदाद हमारे लेने में हमारे लिये खरीद करे या डिग्री के कुल या किसी भाग के वसूल होने की तसदीक करे।

(५) वास्ते प्राप्त करने या बदल पाने लैसन्स हथियारों के या और कोई दरख्वास्त कानून हथियारों के

और कुल कार्य उसके सम्बन्ध में करे या कोई

अन्य रुपया हमारा लेना किसी अदालत या

किसी और मनुष्य से या वकील या

वसूल करके रसीद दे या जो रुपया हमको देना या दाखिल करना हो उसको रसीद लेकर दाखिल या अदा करे।

सारांश यह कि उक्त अधिकारी हर एक उपरोक्त प्रत्येक कार्यवाही और काम करे सचाई और ईमानदारी से हमारे लाभ के लिये ऐसे प्रयत्न से करे कि मानो स्वयं उसका काम है यह सब हमको स्वीकृत और अंगीकार होगा। परन्तु उक्त अधिकारी को प्रत्यक्ष में अथवा किसी बहाने से ऋण लेने या हमारी किसी जायदाद को आड या परिवर्तन करने का और किसी ऐसे कार्य या प्रतिज्ञा करने का कि जिससे हमारी व्यक्ति या जायदाद पर जिम्मेवारी होती हो अधिकार न होगा। और उक्त अधिकारी आमदनी और खर्च की हर एक रकम का क्रम पूर्वक और ठीक हिसाब तैयार करता और समझाता रहेगा और रोकड बाकी हमको अदा करके उसकी रसीद नियमाऽनुकूल लेता रहेगा। उक्त अधिकारी को किसी ऐसे पट्टे का जिसकी मीआद तीन साल या लगान सालाना पचास रुपये से अधिक हो देने का अधिकार न होगा और किसी रुपये के वसूल करने या किसी राजीनामा सुलहनामा या बाजदावा और थोड़े समय का परिवर्तन स्वीकार करनेका जिसकी तादाद पांचसौ रुपये से अधिक हो अधिकार उसको न होगा।

उक्त अधिकारी कुल कानूनी जिम्मेवारियों का जवाब देने वाला और पाबन्द होगा इस लिये यह मुख्तारनामा लिख दिया कि सनद रहे।

हस्ताक्षर ————————— र हस्ताक्षर ————————— र
प० भैरवदत्त बकलम खुद प० टीकाराम बकलम खुद
हस्ता ————————— क्षर हस्ता ————————— क्षर
प० गुरुदत्त बकलम खुद प० गणेशदत्त बकलम खुद
गवा ————————— ह गवा ————————— ह
लेख तिथि स्थान अनूपशहर
बकलम लेखक

जमानत नामा (लग्नक पत्र):

लग्नक पत्र (जमानत नामा) वह पत्र है कि जिस के द्वारा एक मनुष्य यह भार लेता है कि दूसरा मनुष्य जिसकी वह जमानत (लग्नक) करता है अपनी प्रतिज्ञा को या किसी अन्य ठहरे हुए कार्य या कर्तव्य को पूरा करेगा या किसी कार्य के करने या न करने से बचा रहेगा और ऐसा न करने की अवस्था में जमानत करने वाला उस के कर्तव्य को स्वयम् पूरा करेगा या देनदार वदल या हानिका उक्त पत्र लिखित सख्या तक होगा।

जमानत करने वाले को जामिन कहते हैं और जिस मनुष्य की जमानत की जाती है वह किसी रुपये की देन दारी होने की अवस्था में मदयून (ऋणी) कहलाता है।

स्टाम्प जमानत नामे पर जब जमानत की सख्या १०००) रुपये तक हो तमस्सुक की दर से लगता है और अन्य दशाओं में ५) का।

जब जमानत नामे में अचल सम्पत्ति आड़ की आवे तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है जमानत की सख्या चाहे कुछ भी हो। परन्तु व्यक्ति की जमानत में रजिस्ट्री की आवश्यक्ता नहीं है।

लग्नक पत्र

मैं कि अहमदयार खा बेटा सईदुद्दीन खा, जाति पठान रहने वाला ग्राम माछुवा तहसील अतरौली ज़िला अलीगढ़ का हूं।

जो कि बदरुद्दीन बेटा सदरुद्दीन खा, जाति पठान निवासी माछुये से जो डाकखाने के महकमे में पोस्टमास्टर पद पर नौकर है जमानत नेकचलनी व ईमानदारी की १०००) की मागी गई है। इसलिये मैं यह जमानत नामा (लग्नक पत्र) सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया इन कौंसिल के हक़ में अपनी राजी व इच्छा से

स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में लिखकर उक्त बद रुद्दीन का जामिन होता हूं और प्रण करता हूं और लिखे देता हूं कि यदि उक्त बदरुद्दीन अपनी नौकरी के समय में कोई सरकारी रुपया चोरी करे या खा लेवे या बेईमानी उस से धन पड़े तो उपरोक्त धन संख्या तक में जामिन उसका देनदार हूं। और एक नग हवेली पक्की मौजा मांचुआ तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ में स्थित मालियती दो हजार रुपये जो मेरी मिलकियत है इस जमानत नामे के ऋण में आड़ और प्रसित करता हूं मेरे न अदा करने की अवस्था में उपरोक्त जायदाद से कुल रुपया जो बदरुद्दीन के ऊपर निकले वसूल किया जावे। मुझ को या मेरे दाय भागी उत्तराधिकारी स्थानापन्नों को कुछ विरोध न होगा। आड़ की हुई जायदाद हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निर्दोष है।

इसलिये यह जमानत नामा लिख दिया गया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

हस्ता ———————— हर गवा ———————— ह

गवा ———————— ह

लेख तिथि स्थान

लेखक

जमानत नामा निस्बत इलतिवाय इजराय डिगरी

मैंकि रामसहाय बेटा दुर्जन जाति लोधा निवासी देवरिया ज़िला गोरखपुर का हूं।

जो कि अहमद हुसैन मुद्दई ने दावा नम्बरी ३७ सन् १९१८ ई० मुकाबला माधोदास मुद्दाअले सब जजी गोरखपुर की अदालत में दाइर किया और १५ नवम्बर सन् १९१८ को डिगरी मुद्दई के हक़ में सादिर हुई मुद्दाअले ने उक्त डिगरी की नाराजी में अपील

साहिब जज बहादुर गोरखपुर की अदालत में दायर किया जो अब तक जेर तजवीज़ (विचाराधीन) है।

अब चूंकि मुद्दई डिगरीदार ने इजरा की दरख्वास्त पेश की है और मुद्दाअलै की दरख्वास्त इलतिवा पर उसको ज़मानत दाखिल करने का हुक्म हुआ है।

इस लिये मैं अपनी प्रसन्नता व इच्छा से ३०००) रुपये के अर्थ जामिन होकर जमानत नामा साहिब जज बहादुर गोरखपुर के प्रति लिखता हूं, और इस दस्तावेज के नीचे परिशिष्ट में लिखी जायदाद को आड करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि प्रारम्भिक अदालत की डिगरी अपील की अदालत से बहाल या तरमीम होगी तो उक्त मुद्दाअलै अदालत अपील की तामील (पालन) व पाबन्दी करेगा और जो कुछ मतालबा इस डिगरी के अनुसार देने योग्य होगा उसको मैं जामिन अदा करूंगा और उसके विरुद्ध करने की अवस्था में उक्त रुपया इस दस्तावेज में आड की हुई जायदाद से वसूल योग्य होगा और यदि उक्त जायदादों के नीलाम के मूल्य के रुपया देने योग्य रुपये की बेबाकी के निमित्त अपर्याप्त हो तो मैं और मेरे स्थानपन्न व प्रतिनिधि कानूनी बाकी का रुपया भुगताने के निजी रूप में जिम्मेदार होंगे।

इस लिये यह जमानत नामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

परिशिष्ट जायदाद

स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में लिखकर उक्त बदरुद्दीन का ज़मिन होता हूं और प्रण करता हूं और लिखे देता हूं कि यदि उक्त बदरुद्दीन अपनी नौकरी के समय में कोई सरकारी रुपया चोरी करे या खा लेवे या बेईमानी उस से बन पड़े तो उपरोक्त धन संख्या तक मैं जामिन उसका देनदार हूं। और एक नग हवेली पक्की मौजा माचुवा तहसील अतरौली ज़िला अलीगढ़ में स्थित मालियती दो हजार रुपये जो मेरी मिलकियत है इस जमानत नामे के ऋण में आड और मसित करता हूं मेरे न अदा करने की अवस्था में उपरोक्त जायदाद से कुल रुपया जो बदरुद्दीन के ऊपर निकले वसूल किया जावे। मुझ को या मेरे दाय भागी उत्तराधिकारी स्थानापन्नों को कुछ विरोध न होगा। आड की हुई जायदाद हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निर्दोष है।

इसलिये यह जमानत नामा लिख दिया गया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

हस्ते ——————————— साक्षी गवाह ——————— हूं

गवाह ——————————— हूं

लेख तिथि   स्थान

लेखक

जमानत नामा निस्बत इलतिवाय इजराय डिगरी

मैंकि रामसहाय बेटा दुर्जन जाति लोधा निवासी देवरिया ज़िला गोरखपुर का हूं।

जो कि अहमद हुसैन मुद्दई ने दावा नम्बरी २७ सन् १९१८ व मुकाबला माधोदास मुद्दाअले सब जजी गोरखपुर की अदालत में दाइर किया और १५ नवम्बर सन् १९१८ को डिगरी मुद्दई के हक में सादिर हुई मुद्दाअले ने उक्त डिगरी की नाराजी में अपील

साहिब जज बहादुर गोरखपुर की अदालत में दाइर किया जो अब तक ज़ेर तजवीज़ (विचाराधीन) है।

अब चूंकि मुद्दई डिग्रीदार ने इजरा की दरख्वास्त पेश की है और मुद्दाअले की दरख्वास्त इल्तिवा पर उसको ज़मानत दाखिल करने का हुक्म हुआ है।

इस लिये मैं अपनी प्रसन्नता व इच्छा से ३०००) रुपये के मध्ये जामिन होकर जमानत नामा साहिब जज बहादुर गोरखपुर के प्रति लिखता हूं, और इस दस्तावेज़ के नीचे परिशिष्ट में लिखी जायदाद को आड़ करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि प्रारम्भिक अदालत की डिगरी अपील की अदालत से बहाल या तरमीम होगी तो उक्त मुद्दाअले अदालत अपील की तामील (पालन) व पाबन्दी करेगा और जो कुछ मतालबा उस डिगरी के अनुसार देने योग्य होगा उसको मैं जामिन अदा करूंगा और उसके विरुद्ध करने की अवस्था में उक्त रुपया इस दस्तावेज में आड़ की हुई जायदाद से वसूल योग्य होगा और यदि उक्त जायदादों के नीलाम के मूल्य के रुपया देने योग्य रुपये की बेबाकी के निमित्त अपर्याप्त हो तो मैं और मेरे स्थानापन्न व प्रतिनिधि कानूनी बाकी का रुपया भुगताने के निजी रूप में ज़िम्मेवार होंगे।

इस लिये यह जमानत नामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

परिशिष्ट जायदाद

नोट—यदि मुद्दई डिगरीदार से इजराय काल में जमानत वापसी जायदाद के निमित्त जो इजरा में ली जावे तलब हो तो उसका जमानत नामा भी इसी भांति लिया जावेगा और उन शब्दों की जगह जिनको मोटे अक्षरों में लिखा गया है निम्न लिखित क्रम से इबारत लिखी जावेगी।

(१) "मुद्दई को जमानत दाखिल करने का हुक्म हुआ है" (२) मन्सूख (३) उक्त मुद्दई जो कुछ जायदाद इजराय डिगरी में ली गई हो या ली जावे वापस करेगा।

दस्त बरदारी (त्याग पत्र)

वह पत्र जिस के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति या किसी विशेष सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने स्वत्व का त्याग करे वह त्याग पत्र कहलाता है। त्याग पत्र को निवृत्ति भी बोलते हैं।

दस्त बरदारी (त्याग पत्र) पर स्टाम्प तमस्सुक की दर से मालियत के विचार से १०००) रुपये तक लगता है अन्य अवस्थाओं में ५) यदि दस्त बरदारी किसी अचल सम्पत्ति के स्वत्व से जिस की मालियत सौ रुपये से अधिक हो सम्बन्ध रखती हो तो उस की रजिस्ट्री आवश्यक है।

त्याग पत्र

मैं कि सुमेरसिंह बेटा रनधीरसिंह जाति ठाकुर गहलौत पेशा जमींदारी निवासी कसबा जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर का हूँ। जोंकि इस पत्रके परिशिष्ट (अ) से (ब) में लिखित जायदादें मौजा चंद्रपुरा परगना अहार में स्थित १७ जून सन् १६११ के

लिखे सादा रहननामे द्वारा गंगासहाय व दौलत राम बेटे जोरावर सिंह जाति जाट रहने वाले बढ़पुरा परगना अहार जिला बुलन्द शहर की लिखी छः हजार रुपये के बदले में मेरे पास आड हैं। उक्त रहन नामे का रुपया अब तक अदा नहीं हुआ और उस की तादाद लगभग साढ़े ग्यारह हजार रुपये के होती है, कुल आडी जायदाद लगभग पन्द्रह हजार रुपये के मोल की है। मालके बरते के विचार से परिशिष्ट (अ) की सम्पत्ति पर साढ़े चार हजार रुपये के लगभग भार आता है उक्त गंगा सहाय व दौलत राम परिशिष्ट (अ) की सम्पत्ति को छः हजार रुपये के बदले बेचने और बेची हुई सम्पत्ति को १७ जून सन् १६११ के आड पत्र के ऋण भाग भुगताने में देने के लिये प्रेरित हुए और मैंने उस को स्वीकार कर लिया तदनुसार उक्त विक्रय पत्र की पूर्ति व रजिस्ट्री नाहरसिंह बेटा केहरसिंह जाति जाट निवासी मौजा बढ़पुरा परगना अहार जिला बुलन्दशहर के नाम हो गई उक्त प्रतिज्ञानुसार ४५००) रुपये कि आधे जिसके २२५०) होते हैं उक्त नाहरसिंह से रजिस्ट्री के समय रोकड़ी वसूल पाये और सम्पत्ति परिशिष्ट (अ) लिखित को भार और ऋण आडनामा तारीख १७ जून सन् १६११ से रहित और निर्दोष किया और उस का त्यागन कर दिया अब मुझ को या मेरे दाय भागियों, स्थानापन्नों और प्रति निधियों को स्वत्व किसी प्रकार का आड नामा ता० १७ जून सन् १६११ के ऋण के वसूल करने का उक्त सम्पत्ति से नहीं रहा न आगे को होगा।

शेष ऋण उक्त आडनामे का सम्पत्ति परिशिष्ट (ब) के ऊपर चालू और उस से वसूल करने योग्य होगा इसलिये यह त्याग पत्र लिख दिया गया कि प्रमाण रहे।

परिशिष्ट (अ) बेची हुई आयदाद जो भार से मुक्त की गई

परिशिष्ट (ब) आयदाद जिस के ऊपर ऋण स्थिर व चालू रहा

हस्ता ———————— द्वार गवा ————————

लेख तिथि   स्थान लेख

दूसरा त्याग पत्र

हम कि मौलवी जैनुद्दीन साहिब कलक्टर बहादुर अलीगढ़ मेनेजर कोर्ट आफ वार्डस व प्रबन्ध कर्ता रियासत कुंवर विक्रम सिंह व गुलजारसिंह व जगवीरसिंह व स्वयम् विक्रमसिंह बेटा बलवन्तसिंह व गुलजारसिंह व जगवीरसिंह बेटा ठाकुर नरायनसिंह जाति जाट रहने वाले पिसावा परगना चण्डास तहसील खैर जिला अलीगढ़ पहला पक्ष व उक्त मुसम्मात भगवान कुंवरि विधवा ठाकुर नौनिद्धसिंह जाति जाट निवासी पिसावा वर्तमान निवासी मौजा प्रानगढ़ तहसील सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर दूसरा पक्ष। जोकि ठाकुर तेजसिंह रईस पिसावा विविध जमींदारी जायदादों के मालिक व अधिकारी थे, इनके मरने पर उनके तीन लड़के ठा० बलवन्तसिंह व नरायनसिंह व नौ निद्धसिंह बेटो और हिन्दू अविभक्त कुल शेषाधिकारियों के रूप में उक्त जायदाद के मालिक हुए ठाकुर नौनिद्ध सिंह ने भी कुल की अविभक्त दशा में सन् १८८५ में मृत्यु पाई उन की जगह उक्त जायदादके एक तिहाई भाग पर मुसम्मात भगवान कुंवरि मुक्र दूसरे पक्ष का नाम माल के कागजों में चढ़ा तत्पश्चात् नरायन सिंह कुल की अविभक्त दशा में मरे और उनकी जगह कुंवर श्योवरन सिंह व गुलजार सिंह व जगवीर सिंह उन के लड़कों का नाम माल के कागजों में लिखा गया।

इस काल में और इस के पश्चात् रियासत पर बहुतसा ऋण हो गया और भय था कि जायदाद बरबाद हो जावे ठाकुर बलवन्तसिंह ने जो कुल के मुखिया थे कुटम्बियों की रजामन्दी से कुल जायदाद को सन् १८१२ में कोर्ट आफ वार्डसके प्रबन्ध में करा दिया उस समय से बराबर जायदाद कोर्ट आफ वार्डस

के प्रबन्ध में चली आती है कुंवर श्योबरन सिंह की निस्सन्तान मृत्यु हो गई उनकी कोई विधवा नहीं है कुंवर गुलज़ार सिंह और जगवीर सिंह उनके हिस्से के मालिक हैं ऋण का बड़ा भाग भुगत चुका है जो कुछ शेष रहा है उस के भुगताने का प्रबन्ध हो रहा है और आशा है कि जायदाद शीघ्र अधिकारी पुरुषों को वापस दी जावे मुसम्मात भगवान कुंवरि नौनिहालसिंह की विधवा का नाम उनके सन्तोषार्थ एक तिहाई हकियत पर कागजात माल में दर्ज चला आता है परन्तु वह कुल के अविभक्त और उनके पति कुल की अविभक्त दशा में मरजाने के कारण केवल खान पान पाने की अधिकारिणी हैं। मुसम्मात भगवान कुंवरि अब आगामी झगड़ा पूरा करने और कुल के हितार्थ अपने स्वत्व से जो उनका उपरोक्त जायदाद में समझा जावे साठ रुपये माहवार खान पान पाने के बदले में हम प्रण कर्ता पहले पक्ष के प्रति त्यागन करना स्वीकार करती हैं और हम प्रण कर्ता पहले पक्ष को उपरोक्त खान पान देने में कोई विरोध नहीं है। इस लिये इस प्रतिज्ञा पत्र द्वारा हम प्रण कर्ता निम्न लिखित प्रतिज्ञा करते हैं।

(१) आज की तारीख से मुसम्मात भगवान कुंवरि दूसरे पक्ष को नीची लिखी हकियत से, जिस पर उनका नाम कागजात माल में लिखा चला आता है कोई सम्बन्ध या स्वत्व किसी प्रकार का सिवाय ६०) मासिक खान पान पाने के नहीं रहा न आगे को होगा।

(२) कोर्ट आफ वार्ड्स का प्रबन्ध रहने तक यह खान पान आमदनी रियासत से कोर्ट आफ वार्ड्स के मैनेजर देते रहेंगे और उक्त प्रबन्ध छूट जाने पर कुंवर विक्रमसिंह व गुलज़ारसिंह व जगवीरसिंह जब तक साझे रहें उक्त रुपये को साझे से अदा करते रहेंगे और रियासत उनके बीच में बट जाने पर

रुपया विक्रमसिंह के ऊपर और आधा गुलजारसिंह व जगवीरसिंह के ऊपर रहेगा।

(३) उक्त खान पान किसी महीने का उस महीने से आगामी महीने की दस तारीखको लेने योग्य हुआ करेगा और न अदा होने की दशा में मुसम्मात भगवान कुंवरि उस पर ब्याज दस आना सैकड़ा मासिक की दर से पाने की अधिकारिणी होगी।

(४) खान पान के रुपये और उस के ब्याज का भार जायदाद के उस हिस्से पर रहेगा जिसके विषय में यह त्याग पत्र लिखा जाता है और मुसम्मात भगवान कुंवरि खान पान और ब्याज का रुपया सर्वदा उक्त जायदाद के नीलाम द्वारा वसूल करने की अधिकारिणी होगी और यह भार उन समस्त भारों पर विशेषता रक्खेगा जो पहले पक्ष वाले या उनके दायभागी स्थानापन्न और प्रति निधि पैदा करें।

(५) मुसम्मात भगवान कुंवरि के नाम की जगह आधे पर नाम कुंवर विक्रम सिंह का और आधे पर कुंवर गुलजार सिंह व जगवीर सिंह का कागजात माल में लिखा जावेगा और पहले पक्ष वाले उसको अपने अधिकार से करालें।

(६) जो कुछ ऋण इस समय तक रियासत पर शेष है उसके देन दार ऋण कर्ता पहले पक्ष वाले हैं मुसम्मात भगवान कुंवर दूसरे पक्ष को ऋण चुकाने और उसकी देन दारी से कुछ सम्बन्ध व प्रयोजन न होगा।

(७) कुंवर विक्रम सिंह व गुलजार सिंह व जगवीरसिंह पहले पक्ष और उनके स्थानापन्न दायभागी और प्रतिनिधि जो जायदाद के मालिक हों खान पान और उसके ब्याज के रुपये के देनदार

होंगे और इस प्रतिज्ञा पत्र के समस्त नियम और बन्धन उन को माननीय होंगे।

(८) मुसम्मात भगवान् कुवरि दूसरे पक्ष की रहायश इस समय गांव प्रानगढ़ में अपने भतीजे के पास है उनके रहने के लिये कस्बे पिसावे में एक नग मकान कच्चा पक्का बना हुआ नीचे लिखी सीमाओं का निश्चित किया जाता है उनको अधिकार है कि चाहे वह गाव प्रानगढ़ में रहें चाहे वह उक्त मकान में पिसावे में रहें उनके पिसावे या प्रानगढ़ के रहने का कोई प्रभाव उनके खान पान पाने के स्वत्व पर न पड़ेगा और हर दशा में वह उसके पाने की अधिकारिणी होंगी।

(९) जो कुछ गहना आदि या अन्य चल सम्पत्ति भगवान कुवरि के पास है या वह आगे को अपने खान पान के रुपये से या अन्य प्रकार से पैदा या इकट्ठा करें उससे कुवर विक्रमसिंह गुलजारसिंह व जगवीरसिंह और उनके दायभागी व स्थानापन्नों व प्रतिनिधियों को कुछ सम्बन्ध व प्रयोजन न होगा हां मकान रहायशी पिसावे वाला मुसम्मात भगवान कुवरि के मरने पर कुवर विक्रमसिंह आदि की मिलकियत रहेगा।

(१०) इस पत्र की पूर्त्ति दो पर्तों में कराई गई है असल प्रतिज्ञा पत्र मुसम्मात भगवान कुवरि के अधिकार में और दूसरा पर्त कुवर विक्रमसिंह आदि पहले पक्ष के अधिकार में रहेगा।

इस लिये यह प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

ब्यौरा जायदाद जिससे दूसरे पक्षने पहले पक्षके प्रति त्यागन किया।

ब्योरा और सीमा मकान पिसावे का जो दूसरे पक्ष के रहने के लिये नियत किया गया।

हस्ताक्षर व साक्षी आदि।

(गोद पत्र) तिवानियत नामा

मैं कि हरीराम बेटा नथमल जाति वैश्य अग्रवाल चूड़वाल रहने वाला कस्बा हाथरस जिला अलीगढ़ का हूं।

जोकि मेरी अवस्था लगभग पचास वर्ष के पहुची मेरे कोई पुत्र सन्तान नहीं है न आगे को होने की आशा है श्राद्ध-तर्पण व पिण्ड दान के विचार और हिन्दू-धर्म के अन्य चलन व्यवहार के निमित्त मेरी तथा मेरी पत्नी की इच्छा बहुत दिन से लड़का गोद लेने की थी चुनांच मैंने अपनी पत्नी सहित धार्मिक रीति व्यवहार करके मोहनलाल औरस पुत्र राधेलाल जाति वैश्य चूड़वाल निवासी ग्राम बैरमगढ़ी परगना व तहसील हाथरस जिला अलीगढ़ को जो अपनी बिरादरी का लड़का चार वर्ष की आयु का है उसके माता पिता की प्रसन्नता से गोद लिया और दत्तक पुत्र अपना बनाया।

इस दस्तावेज द्वारा प्रतिज्ञा करता हूं और लिखे देता हूं कि उक्त मोहनलाल गोद लेने की तारीख से मेरा ले पालक पुत्र है और मेरे पास रहता है। मैं उसका कर्ण वेध व यज्ञोपवीत व विवाह आदि उसके पिता के रूप में बिरादरी के चलन व्यवहार के अनुसार करूंगा और उसका पोषण व शिक्षण करूंगा और उसको गोद लेने की तारीख से वह समस्त स्वत्व व अधिकार प्राप्त हैं, और आगे को होंगे जो औरस पुत्र को राज नियम तथा शास्त्र द्वारा होते हैं वही मेरा और मेरी पत्नी का क्रिया कर्म पिण्डदान और श्राद्ध तर्पण करेगा और मेरी जायदाद का दाय भागी और स्वामी होगा।

इसलिये यह गोद पत्र लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

हस्ता———————————सरगवा——————ई
गवा——————————ह लेख तिथि
लेखक

गोद पत्र पर स्टाम्प मद ३ जमीमा,१ कानून स्टाम्प द्वारा दस रुपया लगता है। स्टाम्प के प्रयोजन के लिये गोद लेने का आज्ञा पत्र भी गोद पत्र के सदृश होता है। और उस पर भी यही स्टाम्प लगता है गोद लेने के आज्ञा पत्र की रजिस्ट्री आवश्यक है।

गोद देने वाले की ओर से प्रतिज्ञा पत्र

मैं कि राधेलाल बेटा रामसुख जाति वैश्य चूड़्वाल रहने वाला ग्राम वैरमगढ़ी परगना व तहसील हाथरस ज़िला अलीगढ़ का हूं

जो कि मोहनलाल मेरा दूसरा लड़का चार साल की अवस्था का है और हरीराम बेटा नथमल जाति वैश्य चूड़्वाल के कोई लड़का नहीं है, उसकी तथा उसकी पत्नीकी इच्छानुसार मैंने स्वस्थ चित्त और इन्द्रियों के ठीक होने की दशा में अपनी स्त्री की सहमति और रजामन्दी से उसको धार्मिक रीति रिवाज करके उक्त हरीराम की गोद रख दिया और उसका लेपालक बेटा किया अब मुझको उक्त मोहनलाल से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा उक्त हरीराम को चाहिये कि उसका पालन व शिक्षण करे और जो धार्मिक संस्कार यथा कर्णवेध (कनछेदन) यज्ञोपवीत विवाह आदिक होते हैं उनको करे।

उक्त मोहनलाल को हरीराम की पैतृक सम्पत्ति और उसकी स्वयम् उपार्जित के वे समस्त स्वत्व लेपालक पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे जो औरस पुत्र को प्राप्त होते हैं। यदि उक्त मोहनलाल पितृ प्रेम तथा किसी अन्य कारण से हरीराम के पास से चला आवे

तो मैं उसको हरीराम के पास पहुंचा दूंगा । इस लिये यह प्रतिज्ञापत्र गोद देने के विषय में लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

हस्ताक्षर व गवाहियां आदि

नोट-गोद देने और लेनेवाले के बीच में कोई प्रतिज्ञा आगामी दाय भाग के मध्ये औरस पुत्र के उत्पन्न होने की दशा में ठहरे तो गोद के प्रतिज्ञा पत्र तथा त्याग पत्र दोनों में लिखी जा सक्ती है यथा । यह शर्त कि गोद लेने के पश्चात् कोई औरस पुत्र गोद लेने वाले के उत्पन्न हो तो पैतृक स्वत्व दत्तक पुत्र और औरसपुत्र में धर्म शास्त्र के अनुसार होगा या कि और रीति से और यदि एक से अधिक लडके पैदा हों तो क्या दशा होगी और इसी प्रकार की अन्य शर्तें जो दोनों पक्षों में ठहरें लिखी जा सक्ती हैं ।

गोद का आज्ञा पत्र

मैं कि पूरनचन्द बेटा ज्ञानचन्द जाति ब्राह्मण बोहरा मारवाडी रहने वाला कस्बा खुर्जा जिला बुलन्दशहर का हूं ।

जोकि मैंने एक के पश्चात् दूसरे तीसरे तीन विवाह किये पहली दो स्त्रियों से जो सन्तान उत्पन्न हुई वह सब मर गई और वे दोनों स्त्रिया भी मरगई तीसरे विवाह को किये हुए पन्द्रह वर्ष बीत गये इस से कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई मेरी अवस्था अब पचपन साल की है । बहुधा रोगी रहता हूं और आगे को कोई आशा सन्तानोत्पत्ति की नहीं है चूंकि हिन्दू धर्म में क्रिया कर्म श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक रीति पूरा करने के लिये लडके का होना आवश्यक है और मेरा विचार अपने जीवन में लडका गोद लेने का है यदि मैं अपने जीवन में इस इच्छा को पूरा न कर सकूं तो अपनी पत्नी मुसम्मात इन्द्र कुवरि को अधिकार देता हूँ कि वह मेरे मरने के

पश्चात् बिरादरी के किसी योग्य लड़के को मेरे लिये लैपालक पुत्र बना लेवे यदि उस लैपालक पुत्र की आयु पूरी न हो तो दूसरा योग्य लड़का गोद ले लेवे इस प्रकार एक के पश्चात् चार लड़के तक गोद रखने का अधिकार मेरी पत्नी को प्राप्त होगा गोद लिये लड़के के बालिग (जवान) होने तक या अपने जीवन तक जो घटना पहले घटने में आवे मेरी स्त्री लैपालक लड़के की व्यक्ति की संरक्षिका और मेरी जायदाद की अधिकारिणी व प्रबन्ध कारिणी रहेगी यदि लैपालक लड़का विवाह के पश्चात् कोई पुत्र सन्तान छोड़ कर मर जावे तो मेरी पत्नी को दूसरे लड़के को गोद लेने का अधिकार न होगा।

इस लिये यह गोद का आज्ञा पत्र लिख दिया कि सनद रहे।

हस्ताक्षर गवाह गवाह तारीख लेखक

नोट—स्टाम्प मद ३ जमीम १ कानून स्टाम्प के अनुसार स्टाम्प १०) रु० लगता है और रजिस्ट्री आवश्यक है। यदि गोद लेने का अधिकार मिश्रा पत्र द्वारा दिया जावे तो कोई स्टाम्प नहीं लगता न उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है।

विक्री निश्चय का प्रतिज्ञा पत्र

मैं कि घासीराम बेटा भोलानाथ जाति वैश्य अग्रवाल पेशा ज़मींदारी निवासी हरदुआगञ्ज ज़िला अलीगढ़ का हूँ

जो कि इस पत्र के नीचे लिखे परिशिष्ट की जायदाद का जो मेरी मिलकियत है विक्री निश्चय सात हजार रुपये के मूल्य में मु० उलफतराय बेटा मुन्शी नरायनलाल जाति कायस्थ पेशा जमींदारी निवासी व रईस कस्बे हरदुआगञ्ज ज़िला

से ठहरा है और पांचसौ रुपया कि आधे जिसके दो सौ पचास होते हैं उक्त मुंशी साहिब से उपरोक्त बिक्री निश्चय की साई से आज की तारीख में रोक वसूल पाये है।

इस लिये मैं प्रतिज्ञा करता हूं और लिखे देता हूं कि आज की मिती से एक मास के भीतर अपने व्यय और खर्च से विक्रीय पत्र नियमाऽनुकूल उपरोक्त जायदाद का उक्त मुंशी उलफतराय के नाम लेख बद्ध पूर्ति करके रजिस्ट्री करा दूंगा और शेष मूल्य का रुपया उक्त मुंशी साहिब से रजिस्ट्री के समय रोक लूंगा। बिक्री पत्र का स्टाम्प व पूर्ति व रजिस्ट्री का खर्च मेरे ऊपर ठहरा है।

विक्रिय पत्र की कच्ची लिपि उक्त मुंशी साहिब को आज की तारीख से एक सप्ताह के भीतर मुझको देना होगी और उसमें साधारण वृत्तान्त बिक्री और मूल्य चुकाने के विषय के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रतिज्ञाएं बेची हुई जायदाद केवल मुझ प्रण कर्ता की मिलकियत होने और हर प्रकार के भार और ऋण से शुद्ध और रहित बिक्री होने के विषय में लिखी जावेंगी और प्रतिज्ञा भंग होने की दशा में मैं प्रण कर्ता उस का उत्तर दाता और जिम्मेदार ठहराया जाऊंगा। जायदाद का ब्यौरा निश्चय करने और देख भाल के पश्चात् इस पत्र में लिखाया गया है, दैवात् उसमें कोई अशुद्धी या अन्तर पाया जावे तो वह अन्तर कोई कारण निश्चय भंग करने का न होगा वरन एक पक्ष दूसरे पक्ष से जैसी अवस्था हो उसके विषय में दो पंचों और एक सरपंच के जिनको दोनों पक्ष नियत करें निश्चयानुसार हानि पाने का अधिकारी होगा मेरी इस विक्रिय निश्चय की प्रतिज्ञा भंग करने की दशा में उक्त मुंशी साहिब को अधिकार विशेष पालन कराने उक्त विक्रिय निश्चय और पाने एक

हजार (१०००) रु० हानि का होगा। और उक्त मुंशी साहिब के विक्रिय पत्र न लिखाने या शेष मूल्य धन न देने की अवस्था में साई का रुपया लौटाने योग्य न होगा, यदि एक मास के भीतर कोई उचित त्रुटि मेरे स्वामित्व की बिकने वाली जायदाद के विषय में उक्त मुंशी साहिब को प्रतीति और प्रमाणित हो तो यह विक्रिय निश्चय रद्दित कराने और साई का रुपया लौटाने और पांच सौ ५००) रु० विशेष हानि के रूप में मुझ प्रण कर्ता से वसूल करने के अधिकारी होंगे। इस लिये यह बिक्री निश्चय का प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

ब्योरा जायदाद का परिशिष्ट

हस्ताक्षर	गवाह	गवाह	लेख तिथि
स्थान		पत्र लेखक	

मद ५ जमीम १ कानून स्टाम्प द्वारा समस्त प्रतिज्ञा पत्रों पर रसूम स्टाम्प आठ आना का लगता है और उनकी रजिस्ट्री स्वाधीन है।

प्रतिज्ञा पत्र पंचायत अविभक्त कुल सम्पत्ति के विभागार्थ

हम, कि राम सहाय बेटा चतुर भुज पहला। पक्ष व भगतराम बेटा चन्द्रसेन दूसरा पक्ष। जाति वैश्यनिवासी कस्बे खागा ज़िला फ़तहपुर के हैं। जो कि भगवानदास हम प्रणकर्ताओं के दादा और उनके दो पुत्र चतुरभुज और चन्द्रसेन अविभक्त हिन्दू कुल के मेम्बर थे और जायदादें जमींदारी व रहायशी अविभक्त कुल की पैतृक सम्पत्ति थीं। भगवान दास और उनके दोनों पुत्रों ने कुल की

अविभक्त दशा में मृत्यु पाई और हम प्रण कर्ता शेषाधिकारी रूप से उपरोक्त सम्पूर्ण कुल की सम्पत्ति तथा अन्य सम्पत्ति के जो उसके द्वारा उपार्जित और प्राप्त हुई स्वामी व अधिकारी हैं। हम प्रण कर्ताओं में उक्त सम्पत्ति के विषय में तरह तरह के झगड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि उक्त सम्पत्ति दो समान भागों में बट जावे। इस के अतिरिक्त एक धर्मशाला कस्बे खागा में स्थित उक्त भगवान दास की बनाई हुई है उसकी स्थिरता और आगामी प्रबन्ध के लिये आवश्यक है कि सम्पत्ति का कुछ भाग धर्मशाला से लगाकर कोई मनुष्य उसका प्रबन्ध कर्ता नियत कर दिया जावे। इस बात पर दृष्टि रखते हुए सम्पत्ति के बटवारे और धर्मशाला के प्रबन्ध के लिये लाला मोहन चन्द बेटा गुलाब चन्द जाति वैश्य निवासी खागा को पंच रामसहाय पहले पक्ष की ओर से और शादीलाल बेटा नेकराम जाति ब्राह्मण निवासी खागा को पंच भगतराम दूसरे पक्ष की ओर से और लाला उलफत राय बेटा खुश वक्त राय जाति कायस्थ निवासी खागा को सर पंच दोनों पक्षों की ओर से नियत करते हैं और अधिकार देते हैं कि उक्त दोनों पंच और सर पंच दोनों पक्षों की साझे की सम्पत्ति में से जितनी सम्पत्ति उक्त धर्मशाला की स्थिरता और खर्च के लिये उचित आवश्यक समझें पृथक करदें और उसका प्रबन्ध कर्ता और अधिष्ठाता हम दोनों पक्षों में से जिसको योग्य समझें या किसी अन्य मनुष्य को अपनी सम्मति से नियुक्त करदें और शेष सम्पत्ति को दो समान भागों में बांट कर एक २ भाग हम दोनों पक्षों को देदें और जो कुछ निबटारा उक्त पंच और सर पंच करेंगे वह हम दोनों पक्षों को स्वीकार और अंगीकार होगा मत भेद होने की दशा में जिस पंच की सम्मति से सरपंच सहमत होगा उस अनुसार अन्तिम निबटारा होगा।

विदित रहे कि सम्पूर्ण सम्पत्ति जमींदारी और रहायशी चाहे वह किसी कुल के मेम्बर के नाम से मोल ली गई हो साझे की सम्पत्ति है और उक्त पक्षों को अधिकार है कि जो कुछ और सम्पत्ति साझे की निश्चय हो वह सब को बाट देवें। इसलिये यह प्रतिज्ञा पत्र पचायती लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यक्ता पर काम आवे।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर गवाह गवाह
स्थान बकलम लेखक—लेख तिथि

प्रतिज्ञा पत्र पंचायत साझे के झगड़े के विषय में

पहला पक्ष-दूसरा पक्ष-तीसरा पक्ष-चौथा पक्ष। जो कि हम सम्पूर्ण पक्षों के साझे में कारखाना हरमुखराय गोविन्दराम नामक कस्बा तुर्आ ज़िला बुलन्द शहर, कस्बा हाथरस ज़िला अलीगढ़ में कुछ काल से चल रहा था परन्तु हम सब पक्षों के बीच में इस प्रकार के झगडे पड़ गये कि लग भग छ मास से व्यवहार सर्वथा बन्द है और सब पक्षों को हानि हो रही है हम सब पक्ष आपस में उसको निपटारा करने से अशक्त हैं। इस लिये हम अपनी ओर से लाला मोहनलाल बेटा लाला बनारसीदास जाति वैश्य अग्रवाल निवासी हाथरस को पञ्च नियत करके निम्नलिखित अधिकार देते हैं (अ) बही खाते और अन्य साझे सम्बन्धी कागजों को जाच पड़ताल करके जो कुछ हिसाब हम सब पक्षों का है उसको निबटावें और जो एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर निकले वह दिलावें (ब) जो जायदाद मैशीनरी और अन्य सामान हर प्रकार का साझे के कारखाने का है वह हम सब पक्षों में उनके हिस्से के अनुसार बाट दें चाहे उसको नीलाम करके रुपया हिस्सों के अनुसार बाट दें। (स) जो चर्चाई साझे की कागजों के अनुकूल निकले ०

उघाने के लिये किसी मनुष्य को नियत करदें और जो ऋण स
का निकले पहले उघाई से उसके चुकाने की आज्ञा दें और
ऋण और समस्त खर्च चुक जाने के पश्चात् जो कुछ बचे वह
हिस्सों के अनुसार हम सब पत्तों में बांट दिया जावे।

हिस्सों का ब्यौरा इस प्रकार है

पहला पक्ष	दूसरा पक्ष	तीसरा पक्ष	चौथा पक्ष
।)	।≈)	≡)॥	≡)॥

इस लिये यह प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ताक्षर व साक्षी आदि

पंचायती निवटारा

हम कि मोहनलाल बेटा मानिकचन्द जाति वैश्य अग्रवा
निवासी कस्बे फीरोजाबाद व शादीलाल बेटा नेकराम जा
ब्राह्मण निवासी आगरा पचान व उलफतराय बेटा खुशवक्तरा
जाति कायस्थ निवासी आगरा सरपंच।

जो कि प्रतिज्ञापत्र तारीख ७ मई सन् १९१३ लिखित द्वार
नाथूराम व मगलसेन ने हम लोगों को अविभक्त कुल की जायदा
और कारबार बांटने के लिये पच व सर पच नियत किया औ
अधिकार दिया कि हम लोग जिस प्रकार उचित समझें उनक
साझेकी जायदाद तथा व्यौपारिक कारबार राधाकिशन नौबतरा
नामक फतहआबाद और दौलतपुर वाले को समान भागों में उ
में विभक्त करदें। हम लोगों ने उसके सम्बन्ध में कई पचाय
की बैठकें कीं और जो कुछ लिखित और मुहजाद (जबानी
साक्षी दोनों पक्षों ने उपस्थित की उसको लिखा और उसके बा

करते हैं कि नाथूराम व मंगलसेन दोनों पक्ष खानपान का रुपया बराबर २ मुसम्मात लीलावती को देते रहें यदि उक्त मुसम्मात अकेले एक मनुष्य से वसूल करलेवे तो अदा करने वाला आधे रुपये के वसूल करने का अधिकारी दूसरे पक्ष से आठ आना मासिक ब्याज सहित होगा, रहायशी मकान जिस में दोनों पक्षों की रहायश है मंगलसेन के हिस्से में दिया गया है नाथूराम को उचित है कि एक साल के अन्दर खाली कर देवे यदि ऐसा न करे तो मंगल सेन को अदालत द्वारा उसके खाली कराने का अधिकार प्राप्त होगा और एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर दखल मिलने की तारीख तक जितने दिन नाथूराम अधिकारी रहेगा उस के मध्ये मंगलसेन को दस रुपये मासिक किराये का देनदार होगा।

इसलिये यह पचायती निबटारा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

भाग (अ) जो नाथूराम को दिया गया।	भाग (ब) जो मंगलसेन को दिया गया।
(१) एक नग नौहरा।	(१) एक नग हवेली पक्की रहायशी।
(२) एक नग दूकान पक्की।	(२) एक नग नौहरा।
(३) एक नग नौहरा।	(३) एक नग दूकान।
(४) जमींदारी मौजा रामनगर।	(४) चार हजार रुपया रोकडी जो एक साल की अवधि के भीतर नाथूराम मंगलसेन को देंगे।
	(५) जमींदारी मौजा राम नगर

हस्ताक्षर——र० सा——दी सा——सी
लेखतिथि स्थान पत्र लेखक

(नोट) पचायती निबटारे पर स्टाम्प तमस्सुक की दर से जायदाद की मालियत पर जिससे उक्त निबटारा सम्बन्ध रखता

हो लगता है परन्तु यह दर एक हजार रुपये की मालियत की जायदाद तक रहती है। अधिक मालियत होने पर केवल पांच ५) रुपये का स्टाम्प लगता है। यदि पचायती निपटारे में जायदाद के बटवारे की आज्ञा हो तो उस पर स्टाम्प विभाग पत्र की दर के अनुसार लगेगा जो पहले लिखी जा चुकी है।

प्रतिज्ञा पत्र एजेन्सी

मैं कि मुहम्मद यूसफ बेटा शेख नियाजअली निवासी कोल मुहल्ला मदार दरवाजे का हूं।

जो कि मैंने हाजी मुहम्मद इस्माईल व हाजी मुहम्मद इसहाक अहमद वाले वे व्यापारी निवासी शहर देहली बाजार चांदनी चोक के साथ उनके मैनेजर मुन्शी नूरमुहम्मद के द्वारा काम एजेन्सी करने की प्रतिज्ञा वास्ते बेचने तालों व अन्य सामान उक्त सौदागरों के किया है।

इस लिये मैं प्रतिज्ञा पत्र नीचे लिखित शर्तों के साथ उनके प्रति लिखता हूं।

(१) विविध स्थानों में अपने व्यय से यात्रा (सफर) करके उक्त सौदागरों के लिये खरीदारी माल के आर्डर ग्राहकों से उनके सूची पत्र में लिखी दर से प्राप्त करके वेल्यू पेयबिल पार्सल द्वारा सपलाई के लिये भेजता रहूंगा।

(२) किसी आर्डर के माल के मूल्य पर दस रुपये सैकडे से अधिक पेशगी रूप में ग्राहक से न लूंगा और न कोई अन्य रुपया उक्त सौदागरों का लेना उनकी स्पष्ट आज्ञा के बिना वसूल करूंगा और जो रुपया उनका मेरे अधिकार में आवेगा उसको बिना देर करके उनके पास भेजता रहूंगा।

(३) सम्पूर्ण माल पर कमीशन की दर साढ़े सात रुपये सैकडा ठहरी है परन्तु वह उस समय पाने योग्य होगी जब माल ग्राहक के पास पहुंच कर उसके मोल का रुपया उक्त सौदागरों को वसूल हो जावे।

(४) जो माल मेरे भेजे हुए आर्डरों के अनुसार ग्राहक वापस करेंगे और वह उक्त सौदागरों को वापस मगाना या अन्य प्रकार से बेचना पडेगा उसकी वापसी के कुल खर्च और हानि का मैं जिम्मेवार हूंगा और उसके मध्ये किसी कमीशन पाने का अधिकारी न हूंगा।

(५) जो आर्डर मेरे भेजे हुए आवें उन के विषय में उक्त सौदागरों को ग्राहकों से सही की चिट्ठी मगाने और सही की चिट्ठी न आने या अस्वीकार करने की दशा में उस आर्डर के माल को सपलाई न करने का अधिकार होगा।

(६) कुल हिसाब काम एजेंन्सी का ठीक और नियमानुकूल रक्खूंगा और उसकी मासिक लिपि उक्त सौदागरों को भेजता रहूंगा और समस्त हिसाब वार्षिक दहली में उक्त सौदागरों का समझा दिया करूंगा।

(७) भाव के घटने बढ़ने और अन्य कार्यों के विषय में जो एजेंन्सी के समय में पैदा या उपस्थित हों आवश्यक शिक्षा उक्त सौदागरों के मैनेजर से देश काल के विचार से लेता रहूंगा और उनके अनुसार कार्य करूंगा।

(८) एजेंन्सी का सारा काम सचाई और ईमानदारी के साथ चतुराई और सावधानी से करता रहूंगा। बेईमानी चोरी कुकर्म या अन्य हानि कारक कार्य की दशा में उक्त सौदागरों को हानि का देनदार हूंगा।

(९) पचास ५०) रुपये एक पेशगी रूप में और साठ ६०) रु० का सामान धानगी के लिये उक्त सौदागरों से मैंने लिया है पेशगी का रुपया कमीशन के हिसाब से मुजरा व बेबाक करूंगा धानगी का सामान उक्त सौदागरों की इच्छानुकूल या एजेन्सी की समाप्ति पर उनको सौंप दूंगा।

(१०) एजेन्सी की अवधि इस समय दो साल ठहरी है उक्त अवधि के बीत जाने पर उसको नवीनता और शर्तों में घटाने बढ़ाने का अधिकार होगा।

इसलिये यह एजेन्सी का प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यक्ता के समय काम आवे।

हस्ताक्षर व गवाही आदि।

॥ इति ॥

उपयोगी और लाभ दायक बातें ।

(१) | शब्द अचल सम्पत्ति | में भूमि और इमारत व चिरस्थाई घास रास्ता, रोशनी और पुल और मछली के शिकार का स्वत्व या और प्रकार का लाभ जो भूमि से पैदा हो और वह वस्तुएँ जो भूमि से जुड़ी हुई हों या ऐसी वस्तु के साथ निरन्तर लगी हुई हों जो भूमि से जुड़ी हुई हो सम्मिलित हैं खड़े हुए पेड़ उगी हुई फसल और घास को छोड़ कर।

(२) | शब्द चल सम्पत्ति | में खड़े हुए पेड़ उगी हुई फसल और घास और पेड़ों का मेवा और रस और हर प्रकार की सम्पत्ति जो अचल सम्पत्ति न हो सम्मिलित है

(३) | नाबालिग | से अभिप्राय उस मनुष्य से है जो उस धर्म शास्त्र के अनुसार जो उस की व्यक्ति पर मान नीय हो बालिग (युवा) न हुआ हो।

सम्पत्ति के परिवर्तन के लिये जो मनुष्य अठारह वर्ष से कम आयु का हो वह राजनीति अनुसार कोई प्रतिज्ञा या परिवर्तन नहीं कर सक्ता उसकी ओर से कोई परिवर्तन पत्र नहीं लिखना चाहिये यदि नाबालिग का संरक्षक किसी न्यायालय की आज्ञा द्वारा नियत हो गया हो तो वह अठारह साल की जगह २१ साल की आयु में बालिग होता है और ऐसे नाबालिग का सम्पत्ति परिवर्तन करना इक्कीस साल की आयु के पश्चात् सम्पत्ति परिवर्तन करना उचित हो सक्ता है।

(४) नीचे लिखे लेखों की रजिस्ट्री राजनीति अनुसार अनिवार्य है।

१ अचल सम्पत्ति का दान पत्र।

(च) अन्य अनिष्ठित (बिना वसियती) पत्रों (दस्तावेजात) की जिनसे यह विदित होता हो या जिनका यह प्रभाव हो कि वर्तमान में या आगे को कोई अधिकार स्वामित्व (हक्कियत) या स्वत्व उपस्थित या हेतुक (शर्तिया) एक सौ रुपये या उस से अधिक मालियत का किसी अचल सम्पत्ति में पैदा होता है या निश्चय होता है या सम्बन्धित या परिमित या नष्ट होता है।

(ज) अन्य अनिष्ठित पत्रों की जिनसे प्रतिज्ञा वसूल या अदा हो जाने बदल की मध्ये पैदा होने या नियत किये जाते या सम्बन्धित या परिमित या नष्ट होने किसी उपरोक्त प्रकार के अधिकार या स्वामित्व या स्वत्व की विदित हो।

(द) पट्टे या सरखत अचल सम्पत्ति के साल बसाल या एक साल से अधिक अवधि के लिये हों या जिन में लगान या किराये का रुपया सालाना देने की प्रतिज्ञा हो। परन्तु ऐसे पट्टे या सरखत जिनकी अवधि पांच साल से और किराया या लगान ५०) रुपये से अधिक न हो बहुत सी जगह रजिस्ट्री से वर्जित हैं। अनिष्ठित गोद के आज्ञा पत्र की रजिस्ट्री राज नीति अनुसार अनिवार्य है।

(ह) निम्नलिखित पत्र (दस्तावेज) रजिस्ट्री से वर्जित हैं।

(अ) सन्धिपत्र (सुलहनामा)

(ब) वह पत्र जिस से स्वयम् कोई अधिकार या स्वामित्व या स्वत्व किसी अचल सम्पत्तिमें पैदा या प्रगट या परिवर्तन या परिमित या नष्ट न होता हो वरन जिस के अनुसार अधिकार प्राप्त करने ऐसे पत्र (दस्तावेज) का पैदा होता हो जो लिख जाने पर उसी मालियत का कोई या स्वत्व या स्वामित्व पैदा या प्रगट या परिमित या नष्ट करता हो।

(ग) पंचायत के निवटारे

(द) रहन नामे की पीठ पर वसूल पानेका लेख जिससे समस्त रहन के रुपये या उसके भाग का अदा होना स्वीकार किया जाय तथा कोई अन्य रसीद जो रहन के रुपये के मध्ये दी जावे परन्तु उस रसीद से रहन के रुपये की बेबाकी साबित न होती हो।

(६) जिन पत्रों (दस्तावेजों) की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है और जो रजिस्ट्री से बचे हुए हैं उनके विषय में रजिस्ट्री कराना ईच्छाधीन है।

(७) रजिस्ट्री कराने की अवधि निष्ठा पत्रों को छोड़कर लिखने की मिती से चार महीने की है। यदि किसी अत्यन्त आवश्यका या अचानक आपत्ति के कारण कोई पत्र जिसका रजिस्ट्री कराना अभीष्ट हो चार मास की अवधि के भीतर पेश न किया गया हो तो रजिस्ट्रार विशेष चार मास के भीतर दण्ड लेकर रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर सक्ता है। दण्ड की संख्या रजिस्ट्री की उचित फीस के दस गुने से अधिक न होगी। और हर एक सबरजिस्ट्रार को आज्ञा है कि वह उसको तत्काल अपने से ऊपर जो रजिस्ट्रार हो उसके पास भेजदे।

वसियत नामा (निष्ठापत्र) हर समय रजिस्ट्री के लिये या अमानत रखने के लिये दाखिल हो सक्ता है।

(८) अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किये जावेंगे जिसके हिस्से ज़िले में कुल या कोई भाग जायदाद का जिसमे उक्त पत्र सम्बन्ध रखता हो स्थित हो। अन्य पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश होंगे जिस के हिस्से जिले में वह पत्र लिखा गया हो या लिखने वाले रहते हों।

(९) निम्न लिखित स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है उन के मध्य पत्र लेखक को चाहिये कि कोई परिवर्तन पत्र न लिखे।

(अ) दाय भाग का सम्भावित स्वत्व या अन्य सम्भावित स्वत्व जिसका उपस्थित होना सन्देह युक्त हो या जिसका निर्भर किसी अन्य मनुष्य की मौत या किसी अन्य घटना के होने पर हो।

जैसे किसी हिन्दू विधवा के मरने पर उसके किसी सम्बन्धी दाय भाग का स्वत्व यदि वह सम्बन्धी विधवा की मृत्यु से पहले मर जावे तो वह स्वत्व कभी उत्पन्न न होगा। इस प्रकार का स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है।

(ब) किसी जायदाद के वर्तने का व्यक्ति गत स्वत्व।

(ज) सुखाधिकार (हक आसायश) उस जायदाद से अलग जिस से वह सम्बन्धित हो।

(द) केवल नालिश करने का स्वत्व। जैसे एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की मान हानि की हो तो जिस मनुष्य की मान हानि हुई हो उसको हर्ज की नालिश करने का अधिकार उस मनुष्य पर होता है जिस ने मान हानि की हो परन्तु यह स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है इसी प्रकार मान हानि शारीरिक चोट आदि के मध्ये जो नालिश का अधिकार होता है वह दूसरे मनुष्य की ओर परिवर्तन नहीं हो सका।

...रस्थाई कृषक का स्वत्व (हक दखीलकारी) भूमि ... त्यक्त कृषक का स्वत्व (हक साकितुल मिलकियत) ...य भूमि जोतने का स्वत्व सिवाय उस सीमा तक कि ...य प्रचलित राज नीति अनुसार हो सका हो। ... स्वत्व त्यक्त कृषक के स्वत्व का त्याग पत्र पर्व ... स्वत्व पैदा हुआ हो।

(ण) पंचायत के निपटारे

(द) रहन नामे की पीठ पर वसूल पानेका लेख जिससे समस्त रहन के रुपये या उसके भाग का अदा होना स्वीकार किया जाय तथा कोई अन्य रसीद जो रहन के रुपये के मध्ये दी जावे परन्तु उस रसीद से रहन के रुपये की बेबाकी साबित न होती हो।

(६) जिन पत्रों (दस्तावेजों) की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है और जो रजिस्ट्री से बचे हुए हैं उनके विषय में रजिस्ट्री कराना इच्छाधीन है।

(७) रजिस्ट्री कराने की अवधि निष्ठा पत्रों को छोड़कर लिखने की मिती से चार महीने की है। यदि किसी अत्यन्त आवश्यकता या अचानक आपत्ति के कारण कोई पत्र जिसका रजिस्ट्री कराना अभीष्ट हो चार मास की अवधि के भीतर पेश न किया गया हो तो रजिस्ट्रार विशेष चार मास के भीतर दण्ड लेकर रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर सकता है। दण्ड की संख्या रजिस्ट्री की उचित फीस के दस गुने से अधिक न होगी। और हर एक सबरजिस्ट्रार को आइज है कि वह उसको तत्काल अपने से ऊपर जो रजिस्ट्रार हो उसके पास भेजदे।

वसियत नामा (निष्ठापत्र) हर समय रजिस्ट्री के लिये या अमानत रखने के लिये दाखिल हो सकता है।

(८) अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किये जावेंगे जिसके हिस्से ज़िले में कुल या कोई भाग जायदाद का जिससे उक्त पत्र सम्बन्ध रखता हो स्थित हो। अन्य पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश होंगे जिस के हिस्से जिले में वह पत्र लिखा गया हो या लिखने वाले रहते हों।

(६) निम्न लिखित स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है उन के मध्ये पत्र लेखक को चाहिये कि कोई परिवर्तन पत्र न लिखे।

(अ) दाय भाग का सम्भावित स्वत्व या अन्य सम्भावित स्वत्व जिसका उपस्थित होना सन्देह युक्त हो या जिसका निर्भर किसी अन्य मनुष्य की मौत या किसी अन्य घटना के होने पर हो।

जैसे किसी हिन्दू विधवा के मरने पर उसके किसी सम्बन्धी दाय भाग का स्वत्व यदि वह सम्बन्धी विधवा की मृत्यु से पहले मर जावे तो वह स्वत्व कभी उत्पन्न न होगा। इस प्रकार का स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है।

(ब) किसी जायदाद के बर्तने का व्यक्ति गत स्वत्व।

(ज) सुखाधिकार (हक्क आसायश) उस जायदाद से अलग जिस से वह सम्बन्धित हो।

(ट) केवल नालिश करने का स्वत्व। जैसे एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की मान हानि की हो तो जिस मनुष्य का मान हानि हुई हो उसको हर्जे की नालिश करने का अधिकार उस मनुष्य पर होता है जिस ने मान हानि की हो परन्तु यह स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है इसी प्रकार मानहानि शारीरिक चोट आदि के मध्ये जो नालिश का अधिकार होता है वह दूसरे मनुष्य की ओर परिवर्तन नहीं हो सका।

(ढ) चिरस्थाई कृषक का स्वत्व (हक्क दखीलकारी) भूमि स्वत्व त्यक्त कृषक का स्वत्व (हक्क साकितुल मिलकियत) या अन्य भूमि जोतने का स्वत्व सिवाय उस सीमा तक कि जो समय प्रचलित राज नीति अनुसार हो सका हो।

(थ) भूमि स्वत्व त्यक्त ९५ का त्याग पत्र पूर्व कि उक्त स्वत्व पैदा

जब कोई जमींदार अपनी जमींदारी बिक्री या रहन द्वारा परिवर्तन करता है तो सीर की जमीन में जो, परिवर्तन के समय उसके कृषी अधिकार में हो भूमि स्वत्व त्यक्त कृषी अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार चिरस्थाई कृषक के समान होता है केवल इतना अन्तर होता है कि उसका लगान चिरस्थाई कृषक के लगान से २५ सैकड़ा कम होता है। बहुधा देखा गया है कि लेखक लोग परिवर्तन पत्र लिखते समय भूमि स्वत्व त्यक्त कृषक स्वत्व का त्याग पत्र परिवर्तन ग्रहीता के नाम लिख देते हैं जो सर्वथा राज नीति विरुद्ध और प्रचार के अयोग्य होता है। कोई किसान किसी स्वत्व को उस समय त्याग कर सकता है जब कि उसको वह स्वत्व प्राप्त हो जावे इसके अतिरिक्त त्याग पत्र के लिये भूमि अधिकार के कानून में विविध रीति दी हुई हैं जिनका पालन करना पूर्ण त्याग पत्र के लिये आवश्यक और अनिवार्य होता है।

(१०) कोई प्रतिज्ञा पत्र जिसके द्वारा कोई मनुष्य ऐसा काम करने का प्रण करे जो भारत दण्ड संग्रह (ताजीरात हिन्द) या अन्य किसी नीति के अनुसार अपराध (जुर्म) की परिभाषा में आता हो राज नीति अनुसार अनुचित है और पत्र लेखक को नहीं लिखना चाहिये।

(११) पत्र लिखने के पश्चात् यदि उसके लेख में कोई काट फांस या घटाना बढ़ाना किया जावे तो उस पर प्रण कर्ता के हस्ताक्षर कराना आवश्यक है। यदि सम्भव हो तो पत्र के अन्त में उस काट फांस या घटाने बढ़ाने का वर्णन कर दिया जावे और उस पर भी प्रण कर्ता के दस्तखत करा देना चाहिये जिससे आगे को सन्देह या भ्रम उसके पीछे बनाये जाने का न हो सके।

(१२) पत्र लेखक अपना नाम पूरे पते और तारीख और लिखने के स्थान सहित सबसे पीछे पत्र के अन्त में लिखे यदि उसको साक्षी के रूप में पत्र को प्रमाणित करना स्वीकार हो तो आवश्यक है कि वह अपने हस्ताक्षर साक्षी की नाईं पत्र के किनारे पर करे और वह सब बातें लिखे जो साक्षी के सम्बन्ध में लिखी जाती हैं।

॥ ओ३म् ॥

दस्तावेज़ नवीसी के लफ्ज़ों के पर्याय

उर्दू	हिन्दी	उर्दू	हिन्दी

(अ)

अख्ज़=ग्रहण, पकड़।
अज़रूय क़ानून=न्यायानुसार
अदालत=न्यायालय।
अम्न अमान=सुख शान्ति।
अर्ज़=भूमि।
अर्ज़=प्रार्थना।
अर्ज़ी=भूमि सम्बन्धी।
अर्ज़ी=प्रार्थना पत्र।
अर्ज़ी दावा=स्वत्व प्रार्थना।
अख्लास=पुत्री सन्तति।
अस्दाल=बदल।
अहालियान खानदान=कुटुम्बी
अशद ज़रूरत=अत्यन्त आवश्यकता।
असल=मूल।

(आ)

आराज़ी=भूमि।
आराज़ी साकितुल मिलकियत=स्वामि त्यक्त जोत।
आराज़ी दखीलकारी=चिरस्थाई जोत।
आराज़ी ग़ैर दखीलकारी=अनस्थाई जोत।
आफ़त=आपत्ति।
आफ़त अर्ज़ी=भूमि सम्बन्धी आपत्ति
आफ़त समावी=आकाशी आपत्ति
आलात कशावर्ज़ी=खेतीके औज़ार
आलम ज़ईफ़ी=बुढ़ापा।
आसाइश=सुख।
आयन्दा व रवन्दगान=आने जानेवाले
आरिज़ी=ऊपरी।

(इ)

इकरार=प्रतिज्ञा।
इकरारनामा=प्रतिज्ञा पत्र।
इकबाल=स्वीकारी।
इकबाल दावा=स्वत्व स्वीकार।
इज़दिवाज=विवाह।
इजाज़तनामा=आज्ञा पत्र।
इजाज़त नामा तबनियत=गोद का आज्ञा पत्र
इज़हार=वर्णन करना।
इज़बार=दबाव।
इतमीनान=विश्वास।
इत्तिफ़ाक़ नागुज़ीर=अचानक आपत्ति
इनफ़िकाक रहन=रहन

इन्तिज़ामिया कमेटी=प्रबन्ध कारिणी सभा।
इन्हिसार=निर्भरता।
इन्तिक़ाल=परिवर्तन
इमकानी हक़=सम्भव स्वत्व
इबारत=लेख।
इस्तिग़ासा=अभियोग।
इश्तिआली=अर्थापत्ति जनक।
इहतिमाल=भ्रम।
इहतियात=सावधानी।
इश्तिराक=साझा।

ई

ईफा=पूरा करना
ईमा=प्रेरणा

उ

उज्र=विरोध
उलूफ़ा=घास

ए ओ

एतराज=आक्षेप
औलाद जुकूर=पुत्र सन्तति
औलाद अनास=पुत्री सन्तति
औसत=पर्ता

(क)

कतई=सर्वथा।
कब्ज़ा=अधिकार
कब्ज़ा हाक़िई=वास्तविक अधिकार।
क़राबत दार=सम्बन्धी।
क़र्ज़ ख्वाह=लेनदार।

कर्ज़ा मुरिस=पैतृक ऋण।
कमी बेशी=घटाव बढ़ाव।
क़ाइमी=स्थिति।
क़ाइम मुक़ाम=प्रतिनिधि।
क़ानून=राजनीति।
क़ानूनन=राजनीति अनुसार।
क़ाबिज़=अधिकारी।
क़ाबिल पाबन्दी=माननीय।
क़ाबिल नफ़ाज़=व्यवहार योग्य।
क़ाबिल लिहाज़=विचार योग्य।
क़ाबिल वसूल=प्राप्त योग्य।
काश्तकार दख़ीलकार } स्थिरस्थाई
,, मौरूसी } कृषक
काश्तकार ग़ैर दख़ीलकार } अन
,, ,, ,, मौरूसी } स्थाई कृषक
काश्तकार साकितुल मिलकियत } भूमि स्वत्व त्यक्त कृषक
क़ासिर=चूक करने वाला।
क़ानून क़ब्ज़ा आराज़ी=भूमि अधिकार का क़ानून
कारबन्द होना=चलना
क़िस्त=खन्डी।
किफ़ालत=आड़।
क़ीमत=मूल्य।
क़बूल=स्वीकार।
क़बूलियत=स्वीकार पत्र।
क़ुरा=भाग-लाना।
क़ुसूर=खोट-चूक।
क़ौम=जाति।

(ख)

खदशा=झगड़ा।
खानगी=घरेलू॥
खानदान मुश्तर्का=अविभक्त कुल।
खानदान मुनक़सिमा=विभक्त कुल।
खिलाफ मर्जी=प्रतिज्ञा भग।
खिलाफ़ कानून=राजनीति विरुद्ध
खुरोनोश=खान पान।
खुद इख्तियारी=स्वाधीनता

(ग)

गबन=चोरी।
गैर जुरई=बे जुतऊ।
गैर मुसमिरा=बे फले।
गैर मजरुआ=बे जुतऊ।
गौर परदाख्त=देखभाल, जाच।

(च)

चरागाह=पशु चारन भूमि।

(ज)

जलसा=बैठक
जलसा पचायत=पचायत की बैठक
जब्र=दबाव
जराज=औचित्य, उचित होना
जमानत=लग्नक
जमानत नामा=लग्नक पत्र
जवाब=उत्तर
जवाबदह=उत्तर दाता
जवाबदिही=उत्तर दायित्व
जवाबदावा=प्रत्युत्तर
जमीमा=परिशिष्ट
जवानी=मौखिक
जरीआ=सहारा
जब्त=हाथ लेना
जर रसदी=पर्ता का रुपया
जरई=जुतऊ
जईफी=बुढापा।
जईफुल उम्र=बूढ़ा
जाइज=उचित
जायदाद=सम्पत्ति
जायदाद जरई=भू सम्पति जुतऊ
जायदाद सकनी=रहायशी सपत्ति
जायदाद मौजूदा=वर्तमान सपति
जायदाद आयन्दा=आगामी संपत्ति
जायदाद अराजी=भू सम्पत्ति
जायदाद मनकूला=चल सम्पत्ति
जायदाद गैर मनकूला=अचल सम्पत्ति
जायदाद इस्तिमरारी=चिरस्थाई भूसम्पत्ति
जायदाद आबाई=पैतृक सम्पत्ति
जायदाद इजमाली } अविभक्त सम्पत्ति } सयुक्त सम्पति
जायदाद मुशतर्का } अविभक्त सपति }
जायदाद मुनकस्मा=विभक्त सम्पत्ति
जायदाद मुआफी=अकरद भूमि
जायदाद मुतनाजआ=विवाद ग्रस्त सम्पत्ति

जा नशीन = स्थानापन्न
जात=व्यक्ति
जी इख्तियार=अधिकार प्राप्त
जुज़्व मजीद = अधिक भाग
जुर्म = अपराध
जौज़=जोड़ा, मर्द
जौज़ा=स्त्री

(त)

तगल्लुब=चोरी
तरक्की=वृद्धि
तबादला=बदल
तबादिला नामा=बदल पत्र
तसदीक=सही प्रमाण
तसदीक शुदा=प्रमाणित
तशरीह=व्याख्या
तशख्स लगान=लगान लगाना
तजवीज सानी=पुनर्विचार
तजदीद=नवीनता
तहकीकात=अनुसन्धान
तहरीर=लेख
तफसील=ब्यौरा, विवरण
तनाजा=झगड़ा
तमस्सुक=दोष
तरीक अमल=कार्य प्रणाली
तमहीदी=प्रारम्भिक
तमलीक=समर्पण, मालिक बनाना
तमलीक नामा=समर्पण पत्र
तमलीक कुनन्दा=समर्पण कर्ता
तति‍म्मा=परिशिष्ट-पूरक
तति‍म्मा वसीयत नामा=परिशिष्ट निष्ठा पत्र
तबनियत नामा=गोद पत्र
तामील=पालन करना
तावान=दण्ड
तामील मुत्तस=विशेष पालन, मुख्य पालन
तौजीह=व्याख्या
तौहीन=मानहानि-अपमान

(द)

दस्तखत=हस्ताक्षर।
दस्तावेज=पत्र।
दस्तबरदारी=त्याग पत्र।
दस्त अन्दाज़ी=हस्तक्षेप।
दस्तावेज किफालत=आड़ पत्र।
दरख्त=वृक्ष
दरख्वास्त=निवेदन पत्र
दयून=ऋण
दखल=अधिकार—प्रवेश
दर्ज=लिखना
दवाम=सर्वदा
दफा=धारा
दाम दिरमे=पैसा कौड़ी
दाखिली=भीतरी
दाखिलखारिज=चढ़ना उतरना
दारमदार=निर्भर
दावा=अर्थ मांग
दाइमा=सर्वदा
दीगर=दूसरा अन्य
दौरान=काल समय

(न)

नफा = लाभ
नुक़्स = त्रुटि
नक़्ल = लिपि
नक़्द = रोक
नज़राना = भेंट
नबीरा = पोता
नवासा = धेवता
नसलनबाद } पीढ़ी दर
नसलन } पीढ़ी
नविश्ता = लेख, लिखित
नामज़द = नियुक्त
नाननफ़्का = खान पान
नाक़ाबिल नफ़ाज़ = प्रचार के अयोग्य

(प)

परदाख्त = देखभाल
पट्टा दिहन्दा = पट्टे दाता
पट्टा गीरन्दा = पट्टा ग्रहीता पट्टेदार
पेशकश = भेंट
पेशगी = पहले
पैवस्ता = लगा हुआ

(फ)

फस्ख = टूटना
फस्खुररहन = रहन छूटना,
फरीक़ = पक्ष
फरीकैन = दोनों पक्ष, उभयपक्ष
फरीक इब्तिदाई = प्रारम्भिकपक्ष
फरीक़ सानी = विपक्षी
फर्ज़ = कर्तव्य
फैसिला, = निबटारा निर्णय
फैसला अदालत, = न्यायालय का निर्णय

(ब)

बकाया=शेष
बतदरीज=क्रमशः शनैः २।
बमंजिला=समान सदृश जगह
बददयानती=बेईमानी
बयान तहरीरी=लेख वचन अभियोग उत्तर
बाये=विक्रेता, बेचने वाला
बाज़ाबिता=यथाविधि।
बाक़ायदा=नियम पूर्वक।
बाज़दावा=त्याग पत्र।
बार=भार।
बाक़ी मांदा=शेष, बचा हुआ
बार मुक़द्दम=पूर्व भार
बिला शिरकत=बिना साझा
बिला मुसाहमत=बिना अंशत्व
बिला वसीयती=अनिश्चित
बेवा=विधवा।
बय=बिक्री।
बैअनामा=बैनामा } विक्री पत्र
बै उलवफ़ा=बैचे के समान
बैआना=साई।
बे बात=प्रतिषेध।

(म)

मसफ़ूना=रक्षायशी।
मजाज=अधिकार प्राप्त।
महदूद=परिमित।
मश्चल=सम्बन्धित।
मकसूरा=उपार्जित।
ममहूह=उक्त।
मजकूरावाला=उपरोक्त।
मजकूर=उक्त।
मजमूआ ताजीरातहिन्द=भारत दण्ड संग्रह।
मजरूआ=जुतऊ।
मजमग्रन=इकट्ठी।
मनकूला=चल।
मतन=लेखाशय।
मतरूका=मृत सम्पत्ति।
मशरूत=नियम बद्ध प्रणबद्ध
मशरूतुलरहन=रहन संयुक्त रहन
मकबूजा=अधिकार प्राप्त।
ममलूका=स्वत्व प्राप्त।
मन्सूख=खण्डित।
महफूज फण्ड=रक्षा निधि।
मालिक=स्वामी।
माद्दा=प्राकृतिक।
मिकदार=परिमाण।
मिल्क=स्वत्व।
मीयाद=अवधि।
मुस्दका=प्रमाणित।
मुसल्लमा=स्वाकृत।

मुतबन्ना=दत्तक पुत्र लेपालक।
मुआहदा=निश्चय प्रतिज्ञा।
मुआवजा=बदला, पलटा प्रत्युपकार।
मुस्तकल=अचल, स्थिर।
मुस्तगरक=आड।
मुस्तगीस=न्याय प्रार्थी।
मुश्तरी=ग्राहक=क्रेता।
मुख्तारनामा=अधिकार पत्र
मुख्तारनामा खास=मुख्याधिकार पत्र।
मुख्तारनामा आम=सर्वाधिकार पत्र।
मुख्तार=अधिकारी।
मुख्तार मजाज=पूर्णाधिकारी।
मुखालिफ=आश्रित।
मुजाहिम=बाधक।
मुस्तगरक=ऋण ग्रसित।
मुहतमिम=प्रबन्धकर्ता।
मुन्तजिम=प्रबन्धक।
मुबाहसा=वाद प्रतिवाद।
मुलहिक=जुड़ा हुआ।
मुकम्मल=पूरा।
मुकिर=प्रणकर्ता।
मुस्तकल=स्थाई।
मुतजम्मन=सम्मिलित।
मुतमत्ता=लाभ उठाने वाला।
मुस्तफीद=उपयोग ग्रहीता
मुआफीदार=अकरद।
मुसाहमत=प्रशत्व।

मुतनाजआ = झगड़े का ।
मुस्तसना = वर्जित ।
मुऐयन = नियत ।
मुआमला = व्यवहार ।
मुसन्ना = पैंठ, प्रतिरूप ।
मुसम्मा = नामक नामधारी
मुसम्मात = नाम्नी
मुर्तहिन = रहन ग्रहीता, रहनदार
मुसमिरा = फलदार ।
मुआहदाबैअ = विक्रय निश्चय ।
मुआहदा रहन = आड प्रतिज्ञा
मुवाएजा = ऋण भार ।
मुतालबा = ऋण
मुतालबा मुकद्दम = प्रथम ग्राह्य ऋण ।
मुतालबा मुतयख्खर = पश्चात् ग्राह्य ऋण
मुसव्वदा मसौदा = कच्ची लिपि ।
मुहतमिम = प्रबन्धक ।
मुतवल्ली = महन्त संरक्षक ।
मुलहक = मिला हुआ ।
मुतफर्रकन = अलग अलग ।
मुश्तर्का = मिलकर ।
मैम्बर = सदस्य
मैम्बर खानदान मुश्तर्का = अविभक्त कुल सदस्य
मैम्बर खानदान मुनकसमा = विभक्त कुल सदस्य
मैनेजर = अधिष्ठाता = प्रबन्धक
मौहूब लहु-दान ग्रहीता

मौहूबलहु = [illegible]
मौसूफ = उक्त [illegible]
मौरूसी = पैतृक
मौसूमा = नामक
मौजूदा = वर्तमान

(य)

यादगार = स्मारक

(र)

रद्दोबदल = फेर बदल
रहन बैउलवफा = [illegible]
रहन = भार
रहन दखली = [illegible]
रहन सादा = [illegible]
रहन नामा = [illegible] पत्र
रवाज = चलन प्रथा
रजा = प्रसन्नता
रगबत = इच्छा
राहिन = रहनकर्ता
राजीनामा = [illegible] पत्र
रिफाह आम = [illegible]

(ल)

लवाहिक = सम्बन्धित
लाजिमी = [illegible]

(व)

वक्फ = पुण्य
वक्फनामा = पुण्य पत्र
वसीयतनामा = [illegible]
वसी = [illegible]

लिया = सरलिका
ारिस = दायभागी, उत्तराधिकारी
ारिस माकबल = पूर्वदायभागी
ारिस माबाद = पश्चात दाय भागी
ारिस पसमांदा = शेषाधिकारी
ाकिअ = स्थित
ाहिब = दानी
ाबस्ता = आश्रित

(श)

ार्त = प्रतिज्ञा, नियम प्रण
ार्त खारिजी = बाह्य नियम
ार्त जरूरी या लाजिमी = अनिवार्य प्रतिज्ञा आवश्यक नियम
ार्त मा कबल = पूर्व प्रतिज्ञा
ार्त मा बाद = उत्तर प्रतिज्ञा
ार्त मुकद्दम = पूर्व प्रतिज्ञा
ार्त मवख्खर = उत्तर प्रतिज्ञा
ाराकत = साझा
ाराकत नामा = साझा पत्र
ारअ = मुसलमानी धर्म शास्त्र
ारीक = साझी
ार्तिया = हेतुक
ाहादत तहरीरी = लिखित साक्षी
ाकिस्त रेख्त = टूट फूट

(स)

समद = प्रमाण

समावी = आकाशी,
सरीही = प्रत्यक्ष
सरीहन } प्रत्यक्ष रूप से
सरीहतन }
सरमाया = पूंजी
सर्फ, सर्फा = व्यय, खर्च
सबात अक्ल = स्थिर बुद्धि
सहीम = अंशी
सरीह = प्रत्यक्ष
साकितुल मिलकियत = भूमि स्वत्व त्यक्त
साकिन = निवासी
साख्ता व परदाख्ता = कियाहुआ
साकित = नष्ट
सेहते नफ्स = स्वस्थ चित्त

(ह)

हक्क = स्वत्व
हक्कदार = स्वत्वाधिकारी
हक्कियत = रियासत
हक्क हुकूक = स्वत्व व अधिकार
हवालगी = सौंप
हर्जा = हानि
हक्कदाखिली = भीतरी स्वत्व
हक्क खारिजी = बाहरी स्वत्व
हिबा = दान
हिबा नामा = दान पत्र
हीनहयात = जीतेजी जीवन भर
हीलतन = बहाने से
हैसियत = रूप, अनुरूप